Drishti IAS Presents...

PT SPRINT 2024

सामाजिक मुद्दे

(मार्च 2023 – मार्च 2024)

Drishti IAS, 641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

Drishti IAS, 21 Pusa Road, Karol Bagh New Delhi - 05

Drishti IAS, Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Drishti IAS, Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

e-mail: englishsupport@groupdrishti.com, **Website:** www.drishtiias.com

Contact: 011430665089, 7669806814, 8010440440

अनुक्रम

- मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 4
- हेपेटाइटिस B: भारत में लोक स्वास्थ्य संबंधी चिंता 6
- सिकल सेल रोग 8
- कोविड-19 संबंधित टीकाकरण व्यवधानों का स्वास्थ्य पर प्रभाव 9
- स्वास्थ्य और देखभाल के लिये उचित अंश रिपोर्ट 11
- लाभ एवं गरीबी: बलात् श्रम का अर्थशास्त्र 12
- लैंगिक समानता में भारत की प्रगति 12
- SHG के माध्यम से महिला-सशक्तीकरण पर SBI का अध्ययन 14
- लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी 16
- गिग श्रमिकों से संबंधित चुनौतियाँ 17
- स्नेकबाइट की रोकथाम और नियंत्रण 18
- गर्भपात 19
- दिव्यांगजनों के लिये आवागमन की सुगमता 21
- वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक 22
- महिलाएँ, व्यवसाय और कानून 2024 23
- दुर्लभ रोग दिवस 2024 25
- महिलाओं को सेना से बर्खास्त करने के लिये विवाह कोई आधार नहीं हो सकता 26
- SMILE के माध्यम से एक समावेशी समाज का निर्माण 28
- कैंसर का वैश्विक प्रभाव: WHO 29
- सरोगेसी नियमों में संशोधन 31
- गिनी कृमि रोग 33
- वनवासियों के अधिकार और थानथाई पेरियार अभयारण्य 35
- सर्वाइकल कैंसर से लड़ने हेतु वैक्सीन ड्राइव 37
- WEF:वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 38
- पश्चिम बंगाल में बाल विवाह में वृद्धि 40
- अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 40
- गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को प्राथमिकता 42
- हटिंगटन रोग 44
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने गर्भपात की मंजूरी का आदेश वापस लिया 44
- इदाते आयोग की रिपोर्ट 46
- एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी 48
- मल्टीपल स्केलेरोसिस 48
- केप वर्ड को मलेरिया-मुक्त देश घोषित किया गया 50
- आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं से संबंधित चिंताएँ 52
- आदिवासी आजीविका की स्थिति (SAL) रिपोर्ट, 2022 53
- मानव तस्करी 55
- भारत में मानसिक स्वास्थ्य पहल 56
- सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023: WHO 57
- बिहार आरक्षण कानून और 50% की सीमा का उल्लंघन 58
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 59
- भारत में अपराध पर NCRB रिपोर्ट 2022 60
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 63
- विश्व एड्स दिवस 2023 64
- राजनीति में अक्षमताओं पर सम्मानजनक संवाद को प्रोत्साहन 65
- मनरेगा योजना 66
- भारत कौशल रिपोर्ट, 2024 67
- नोमा: एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग 68
- मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड टीकाकरण का प्रभाव 70
- ई-सिगरेट 71
- दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023: UNODC 72
- पोम्पे रोग 74
- विश्व क्षय रोग रिपोर्ट, 2023 75
- सरोगेसी कानून 76
- वॉकिंग निमोनिया 78
- महिलाओं और लड़कियों की लिंग-संबंधी हत्याएँ 79
- जनजातीय समूहों के लिये महत्त्वपूर्ण पहलों की शुरुआत 80
- पर्यावास अधिकार और इसके निहितार्थ 81
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 82
- भारत में अनुसूचित क्षेत्र 84
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 85
- बिहार में जाति-जनगणना 86
- पूर्वोत्तर भारत की विविधता को पहचान 87
- एवियन इन्फ्लूएंज़ा 89
- डेंगू 90
- प्रशामक देखभाल 91
- दिव्यांग जनसंख्या को आपदा से बचाने की तैयारी 92
- भारत में समलैंगिक विवाह 94
- प्रजनन स्वायत्तता और अजन्मे बच्चे के अधिकारों के बीच संतुलन 96
- इंडिया एजिंग रिपोर्ट, 2023 97
- ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 98

- भारत में अंगदान 100
- POCSO अधिनियम 101
- विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 102
- UWW द्वारा भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता का निलंबन 103
- सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति 104
- तपेदिक की रोकथाम में पोषण की भूमिका 105
- ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस 107
- एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस 108
- अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के सेवन को लेकर चिंताएँ 108
- डार्क पैटर्न 109
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 110
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 111
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 112
- विश्व ज़ूनोसिस दिवस 114
- अटल वयो अभ्युदय योजना 115
- बच्चे और घरेलू श्रम 116
- भारत में बाल श्रम को रोकने के लिये सरकार की प्रमुख पहलें: 117
- विश्व हेपेटाइटिस दिवस 117
- भारत के वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना 119
- भारत में दत्तक ग्रहण 122
- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023: WEF 122
- एक देश एक आँगनवाड़ी कार्यक्रम 124
- तंबाकू की खेती और खाद्य असुरक्षा 125
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 126
- UNDP का 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 127
- भारत में 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' 128
- ल्यूकेमिया के उपचार हेतु मेडिसिन पेटेंट पूल के साथ समझौता 129
- विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 130
- वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 131
- स्वयं सहायता समूह कुदुंबश्री 132
- हिस्टरेक्टमी 133
- PRET और बिग कैच-अप पहल 134
- हक्की पिक्की जनजाति समुदाय 136
- विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट: NFPA 137
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: सशस्त्र बलों में महिलाएँ 138
- LDC पर दोहा राजनीतिक घोषणा 139
- भारत में महिला एवं पुरुष, वर्ष 2022 140
- राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण 141
- नमस्ते (NAMASTE) योजना 142
- मातृ मृत्यु दर प्रवृत्ति: संयुक्त राष्ट्र 143
- आनुवंशिक सूचना और गोपनीयता 144
- मानव पूंजी पर कोविड-19 का प्रभाव 144
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 145
- संयुक्त राष्ट्र विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 146
- कारागार सुधार 147
- विश्व कुष्ठ रोग दिवस 148
- खसरा और रूबेला 149

मानव विकास रिपोर्ट 2023-24

चर्चा में क्यों?

'ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड' शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है जबकि स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है।

मानव विकास रिपोर्ट:

- **परिचय:**
  - मानव विकास रिपोर्ट (HDR) वर्ष 1990 से जारी की रही है, जिसने मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाया है।
  - यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित की जाती है।

मानव विकास सूचकांक:

- HDI एक समग्र सूचकांक है जो चार संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है:
  - जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (सतत् विकास लक्ष्य 3),
  - स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (सतत् विकास लक्ष्य 4.3),
  - स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (सतत् विकास लक्ष्य 4.4),
  - सकल राष्ट्रीय आय-GNI) (सतत् विकास लक्ष्य 8.5)

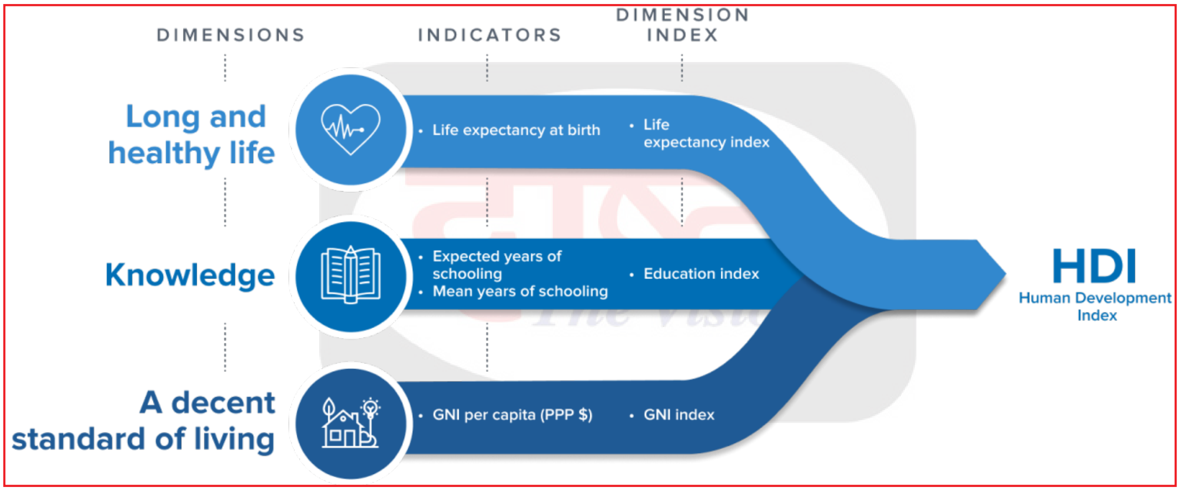

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **प्रदर्शक:**
  - शीर्ष तीन देश (स्कोर): स्विट्ज़रलैंड (0.967), नॉर्वे (0.966) और आइसलैंड (0.959)।
  - अंतिम तीन देश: सोमालिया (0.380), दक्षिण सूडान (0.381), मध्य अफ्रीकी गणराज्य (0.387)।
  - बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ: यूएसए (0.927), यूके (0.889), जापान (0.878), रूस (0.821)।
  - सूचकांक में रैंक नहीं किये गए देश: डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) और मोनाको।
- **विकास असमानता के अभूतपूर्व स्तर:**
  - विकसित देशों ने अभूतपूर्व विकास का अनुभव किया। लेकिन दुनिया के आधे सबसे अविकसित देश अपने पूर्व-कोविड-19 संकट के स्तर से नीचे बने हुए हैं।
    - विकसित और अविकसित देशों के बीच असमानताओं को लगातार कम करने का दो दशकों का रुझान अब उलट गया है।
  - जबकि HDI के वर्ष 2020 और 2021 में गिरावट के बाद वर्ष 2023 में रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँचने का अनुमान है, विकसित तथा अविकसित देशों के बीच विकास के स्तर में काफी अंतर है।
- **लोकतंत्र का विरोधाभास:**
  - एक उभरता हुआ "लोकतंत्र विरोधाभास" है, जिसमें सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोग लोकतंत्र के लिये समर्थन व्यक्त करते हैं, लेकिन ऐसे नेताओं का भी समर्थन करते हैं जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमज़ोर कर सकते हैं।
  - इस विरोधाभास ने, शक्तिहीनता की भावना और सरकारी निर्णयों पर नियंत्रण की कमी के साथ मिलकर राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा अंतर्मुखी नीति दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है।

वैश्विक असमानताएँ और बढ़ता मानव विकास अंतर:

- पर्याप्त आर्थिक संकेंद्रण के कारण वैश्विक असमानताएँ और बढ़ गई हैं- वस्तुओं में वैश्विक व्यापार का लगभग 40% तीन या उससे कम देशों में संकेंद्रित है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 में, विश्व की तीन सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से प्रत्येक का बाज़ार पूंजीकरण उस वर्ष 90% से अधिक देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो गया।

भारतीय अवलोकन:

- विभिन्न संकेतकों पर प्रदर्शन: भारत की औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष 2022 में 67.7 वर्ष तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष 62.7 वर्ष थी।
  - भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय बढ़कर 6951 अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो 12 महीनों की अवधि में 6.3% की वृद्धि दर्शाती है।
  - स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में वृद्धि हुई है, जो प्रति व्यक्ति 12.6 तक पहुँच गई है।
- HDI स्कोर: भारत ने वर्ष 2022 में 0.644 का HDI स्कोर प्राप्त किया, जो संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2023-24 रिपोर्ट में 193 देशों में से 134 वें स्थान पर है।
  - यह भारत को 'मध्यम मानव विकास' के अंतर्गत वर्गीकृत करता है।
  - वर्ष 1990 में भारत का HDI 0.434 था, जो वर्ष 2022 का स्कोर HDI 48.4% के सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।
- उल्लेखनीय उपलब्धियाँ: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 9.1 वर्ष की वृद्धि, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में 4.6 वर्ष की वृद्धि एवं स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में 3.8 वर्ष की वृद्धि हुई है।
  - लिंग असमानता को कम करने में भारत की प्रगति ने वैश्विक औसत को पार करते हुए 0.437 के लिंग असमानता सूचकांक (GII) को उजागर किया।
- GII- 2022 सूची में जो प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण एवं श्रम बाज़ार भागीदारी के आधार पर देशों का मूल्यांकन करती है, भारत वर्ष 2022 में 166 देशों में से 108 वें स्थान पर था।

भारत के पड़ोसी राष्ट्रों का प्रदर्शन:

- श्रीलंका को 78वें स्थान पर रखा गया है, जबकि चीन को 75वें स्थान पर रखा गया है, दोनों को उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
  - भारत का स्थान भूटान, जो 125वें स्थान पर है और बांग्लादेश जो 129वें स्थान पर है, से भी नीचे है। भारत, भूटान और बांग्लादेश सभी मध्यम मानव विकास श्रेणी में हैं।
- नेपाल (146) और पाकिस्तान (164) को भारत से नीचे स्थान दिया गया है।

Figure S.1 A permanent shift in the Human Development Index (HDI) trajectory?

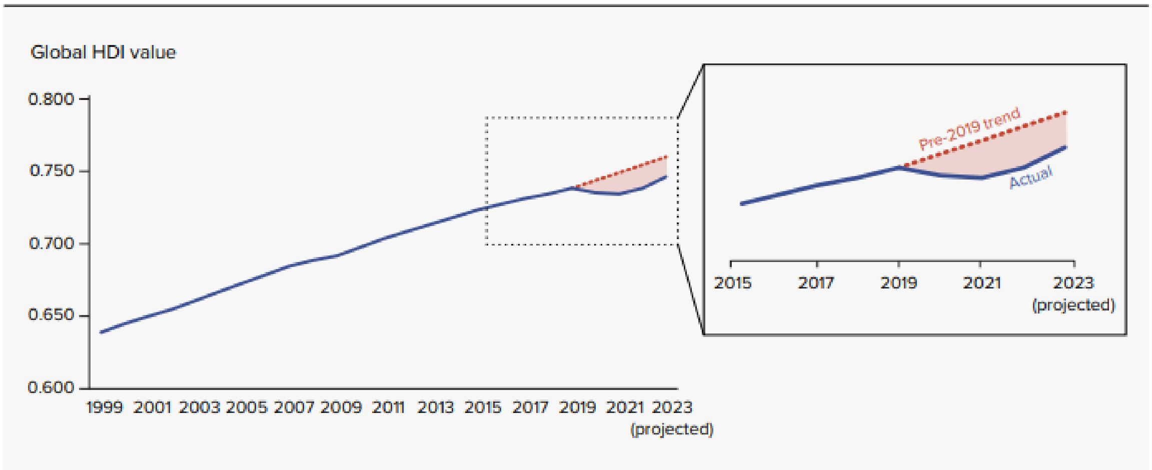

Note: The global HDI value for 2023 is a projection. The pre-2019 trend is based on the evolution of the global HDI value in the previous 20 years.
Source: Human Development Report Office calculations based on data from Barro and Lee (2018), IMF (2023d), UNDESA (2022, 2023), UNESCO Institute for Statistics (2023), United Nations Statistics Division (2023) and World Bank (2023).

हेपेटाइटिस B: भारत में लोक स्वास्थ्य संबंधी चिंता

नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल द्वारा एक हालिया अध्ययन के अनुसार लीवर सिरोसिस और कैंसर का कारण बनने वाली संभावित घातक बीमारी हेपेटाइटिस B के बारे में, भारत में सार्वजनिक जागरूकता तथा जानकारी अपर्याप्त है।

हेपेटाइटिस क्या है ?

- **परिचय:**
  - हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है- किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं में होने वाली जलन या सूजन।
  - यह तीव्र भी हो सकता है (यकृत की सूजन जिस बीमारी की वजह से होती है उनमें पीलिया, बुखार, उल्टी आदि शामिल हैं) यकृत की सूजन छह महीने से अधिक समय तक भी रहती है, लेकिन अनिवार्य रूप से इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है।

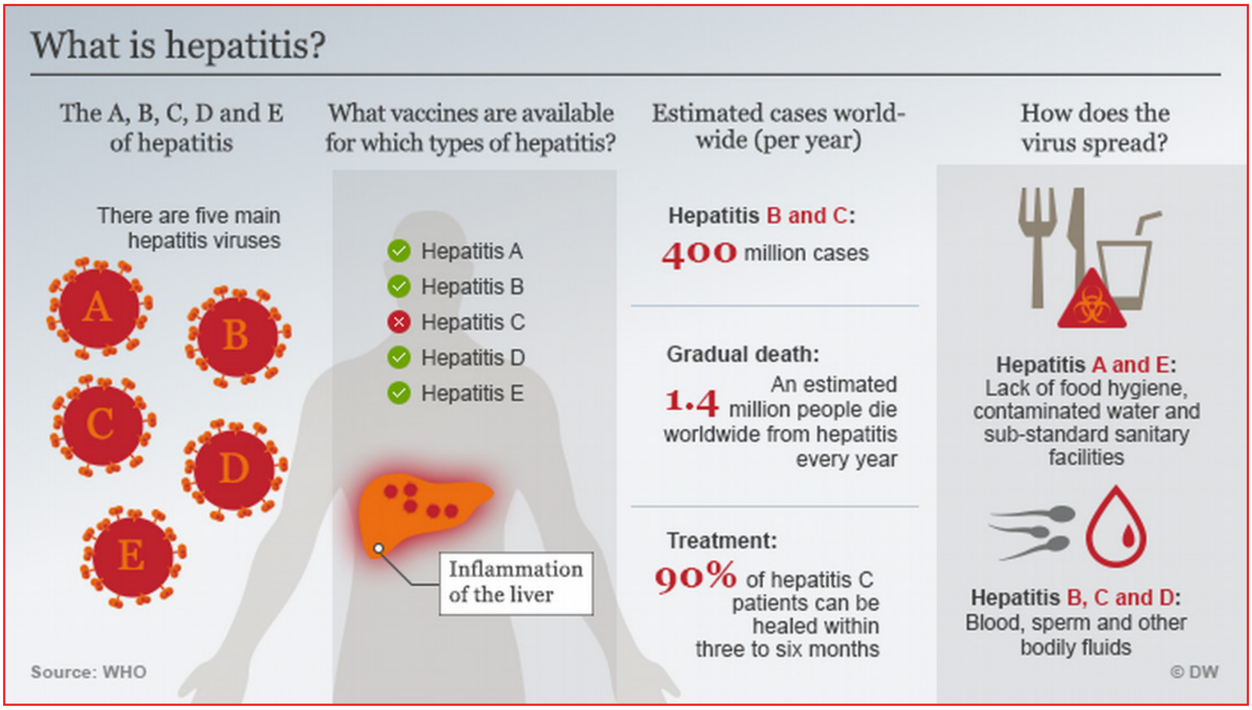

- **लक्षण:**
  - हेपेटाइटिस से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन सामान्य लक्षणों में बुखार, थकान, भूख न लगना, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, डार्क यूरिन, मिट्टी के रंग का मल त्याग, जोड़ों का दर्द और पीलिया शामिल हैं।
- **कारण:**
  - आमतौर पर यह A, B, C, D और E सहित "हेपेटोट्रोपिक" (यकृत निर्देशित) वायरस के एक समूह के कारण होता है। अन्य वायरस भी इसका कारण हो सकते हैं, जैसे कि वैरिकाला वायरस जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है ।
    - SARS-CoV-2, Covid-19 पैदा करने वाला वायरस भी यकृत को नुकसान पहुँचा सकता है।
  - अन्य कारणों में ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग, यकृत में वसा का निर्माण (फैटी लीवर हेपेटाइटिस) या एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया शामिल है जिसमें एक व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी बनाता है जो यकृत (ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस) पर हमला करता है। हेपेटाइटिस एकमात्र संचारी रोग है जिसकी मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है।
- **हेपेटाइटिस के प्रकार:**
  - हेपेटाइटिस A वायरस (HAV):
    - हेपेटाइटिस A यकृत की सूजन है जो हल्के से लेकर गंभीर तक होती है, जो दूषित भोजन या पानी, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से फैलती है और इसे टीके से रोका जा सकता है तथा अधिकांश लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं एवं आजीवन प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेते हैं।

- हेपेटाइटिस B वायरस (HBV):
  - हेपेटाइटिस B एक वायरल संक्रमण है जो तीव्र या दीर्घकालिक यकृत रोग का कारण बन सकता है, जो अक्सर माँ से बच्चे में, बचपन के संपर्क के माध्यम से या यौन संबंध या असुरक्षित इंजेक्शन के माध्यम से फैलता है लेकिन टीकों द्वारा इसे रोका जा सकता है।
- हेपेटाइटिस B के टीके HBV के संपर्क में आने से पहले दिये जाने पर HBV संक्रमण को रोकने में अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं।
- हेपेटाइटिस C वायरस (HCV):
  - हेपेटाइटिस C एक रक्तजनित वायरस है जो तीव्र और क्रोनिक दोनों प्रकार के हेपेटाइटिस का कारण बनता है, जिसकी गंभीरता कम से लेकर अत्यधिक गंभीर तक होती है, जिसमें लिवर सिरोसिस और कैंसर भी शामिल है, जो मुख्य रूप से असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल, रक्त संक्रमण, इंजेक्शन दवा के उपयोग तथा यौन प्रथाओं के माध्यम से फैलता है।
  - डायरेक्ट-एक्टिंग एंटीवायरल दवाओं (DAA) का उपयोग करके इलाज की दर 95% से अधिक है, फिर भी निदान और उपचार तक पहुँच सीमित है तथा कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है।

Types of Hepatitis

	TRANSMISSION	PREVENTION
Hepatitis A	Eating contaminated food or drinking contaminated water	• Practicing good hygiene • Vaccine
Hepatitis B	Through contact with the blood or bodily fluids of an infected person	• Practicing good hygiene • Vaccine • Blood screening
Hepatitis C	Blood-to-blood contact	• Practicing good hygiene • Avoid sharing needles, toothbrushes, razors or nail scissors
Hepatitis D	Contact with infected blood (only occurs in people already infected with hepatitis B)	• Hepatitis B vaccine • Avoid sharing needles, toothbrushes, razors or nail scissors
Hepatitis E	Eating contaminated food or drinking contaminated water	• Practicing good hygiene • Avoid drinking water that has come from a potentially unsafe source

- हेपेटाइटिस D वायरस (HDV):
  - दुनिया भर में क्रोनिक HBV संक्रमण वाले लगभग 5% लोग हेपेटाइटिस D से संक्रमित होते हैं, एक ऐसा वायरस जिसे दोहराने के लिये हेपेटाइटिस B वायरस (HBV) की आवश्यकता होती है। सह-संक्रमण या सुपर-संक्रमण दवा उपयोगकर्त्ताओं, डायलिसिस रोगियों और स्वदेशी आबादी में आम बात है। यह लीवर के स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा पैदा करता है, जिसमें कैंसर या मृत्यु की संभावना भी शामिल है।
  - इसकी रोकथाम हेपेटाइटिस B टीकाकरण के माध्यम से संभव है, उपचार की प्रभावशीलता सीमित है।
- हेपटाइटिस E वायरस (HEV):
  - HIV संक्रमण के कारण होने वाला हेपेटाइटिस E विश्व स्तर पर प्रचलित है, विशेष रूप से पूर्व और दक्षिण एशिया में, चीन तथा कुछ अन्य देशों में लाइसेंस प्राप्त टीके के साथ दूषित पानी के माध्यम से फैलता है एवं दुनिया भर में अतिरिक्त टीकों के लिये शोध चल रहा है।

हेपेटाइटिस से निपटने हेतु सरकार की पहल:

- राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम: राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना है।
- भारत का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP): भारत का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (Hib), खसरा, रूबेला, जापानी एन्सेफलाइटिस (JE), और रोटावायरस डायरिया के कारण होने वाले हेपेटाइटिस बी, तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, निमोनिया, मेनिनजाइटिस सहित 11 वैक्सीन-रोकथाम योग्य रोगों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है।

वैश्विक पहल:

- WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रणनीति
- वैश्विक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लिये गठबंधन (CGHE)
- वैश्विक हेपेटाइटिस कार्यक्रम

सिकल सेल रोग

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल रोग (SCD) के लिये 1 करोड़ से अधिक लोगों की जाँच की गई है।

- वर्ष 2023 में शुरू किये गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है।

सिकल सेल रोग (SCD) क्या है?

परिचय:

- SCD वंशानुगत लाल रक्त कोशिका विकारों का एक समूह है। इस रोग में हीमोग्लोबिन में विसंगति उत्पन्न हो जाती है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। SCD में लाल रक्त कोशिकाएँ कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं तथा C-आकार के कृषि उपकरण की तरह दिखती हैं जिसे "सिकल" कहा जाता है।

लक्षण:

- सिकल सेल रोग के लक्षण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:
  - क्रोनिक एनीमिया: यह शरीर में थकान, कमज़ोरी और पीलेपन का कारण बनता है।
  - तीव्र दर्द (सिकल सेल संकट के रूप में भी जाना जाता है): यह हड्डियों, छाती, पीठ, हाथ एवं पैरों में अचानक असहनीय दर्द उत्पन्न कर सकता है।
  - यौवन व शारीरिक विकास में विलंब।

उपचार:

- रक्ताधान: ये एनीमिया से छुटकारा पाने और तीव्र दर्द के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- हाइड्रॉक्सीयूरिया: यह दवा दर्द की निरंतरता की आवृत्ति को कम करने और बीमारी की दीर्घकालिक जटिलताओं को नियंत्रित करने में सहायता कर सकती है।
- इसका इलाज अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा भी किया जा सकता है।

SCD से निपटने के लिये सरकारी पहल:

- सरकार ने 2016 में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिये तकनीकी परिचालन दिशानिर्देश जारी किये।
- बीमारी की जाँच और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिये मध्य प्रदेश में राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की स्थापना की गई है।

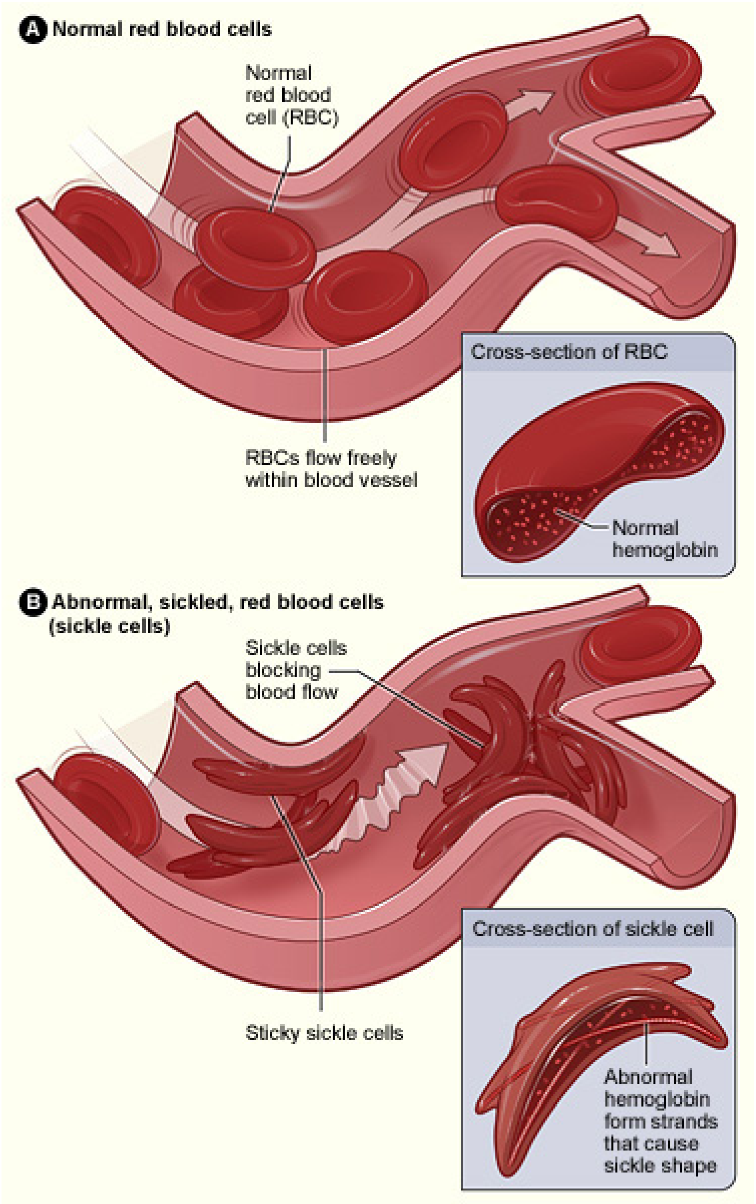

कोविड-19 संबंधित टीकाकरण व्यवधानों का स्वास्थ्य पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

"वर्ष 2020-30 की अवधि में 112 देशों में कोविड-19 संबंधित टीकाकरण व्यवधानों के स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन: एक मॉडलिंग अध्ययन" शीर्षक से एक हालिया अध्ययन द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह इस बात पर ज़ोर देता है कि कैसे कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक टीकाकरण में गिरावट आई, जिससे बीमारी का प्रकोप और बोझ बढ़ गया।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **वैश्विक टीकाकरण में गिरावट:**
  - कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक टीकाकरण कवरेज में गिरावट आई, जिससे विभिन्न देशों में बीमारी का बोझ एवं इसके विस्तार का खतरा बढ़ गया।

- यह अनुमान लगाया गया है कि खसरा, रूबेला, HPV (ह्यूमन पैपिलोमावायरस), हेपेटाइटिस B, मेनिनजाइटिस A तथा येलो फीवर के टीकाकरण में व्यवधान के कारण वर्ष 2020-2030 के दौरान लगभग 49,119 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, इस मृत्यु दर की वृद्धि में खसरा मुख्य योगदानकर्त्ता है।
  - वर्ष 2020-2030 के लिये सभी 14 रोगजनकों के टीकाकरण कवरेज में व्यवधान के परिणामस्वरूप दीर्घकालिक प्रभाव में 2.66% की कमी हो सकती है, जिससे होने वाली मौतों की संख्या 37,378,194 से घटकर 36,410,559 हो सकती है।

कैच-अप टीकों का महत्त्व:

- सरकार द्वारा विशेष रूप से खसरा और येलो फीवर जैसी बीमारियों के लिये कैच-अप टीकों के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है, जिनमें महामारी के बाद तत्काल वृद्धि देखी गई है।
- कैच-अप गतिविधियाँ मौतों को रोकने में प्रभावी पाई गईं, जिनमें खसरा, रूबेला, HPV, हेपेटाइटिस-B और येलो फीवर से संबंधित लगभग 79% मौतों को रोकने की क्षमता थी।

DTP वैक्सीन कवरेज पर प्रभाव:

- इस महामारी ने डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (DTP) टीकों के कवरेज को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर 2021 में अतिरिक्त 6 मिलियन बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए।

खसरे के मामलों का पुनरुत्थान:

- कई देशों में खसरे के मामले फिर से सामने आए हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं, जहाँ पहले खसरे को समाप्त माना गया था।
  - वर्ष 2021 में 18 देशों में टीकाकरण अभियानों में कोविड-19 से संबंधित देरी के कारण लगभग 61 मिलियन खसरे के टीके की खुराक स्थगित कर दी गई।
  - इसके अलावा वर्ष 2022 में वर्ष 2021 के स्तर की तुलना में वैश्विक स्तर पर खसरे के मामलों और मौतों में वृद्धि हुई, क्योंकि नाइजीरिया, पाकिस्तान एवं भारत जैसे देशों में लाखों बच्चों को टीके की खुराक नहीं मिली।

सिफारिशें:

- कैच-अप गतिविधियों की प्रभावशीलता: अध्ययन ने सुझाव दिया कि कैच-अप टीकाकरण गतिविधियों को लागू करने से कैलेंडर वर्ष 2023 और 2030 के बीच संभावित रूप से 78.9% अतिरिक्त मौतों को रोका जा सकता है।
  - इसका मतलब यह है कि सक्रिय कैच-अप प्रयासों में वैक्सीन-कवरेज व्यवधानों के प्रतिकूल प्रभावों को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करने की क्षमता है।
- कैच-अप गतिविधियों के कार्यान्वयन और लक्ष्य निर्धारण का महत्त्व: विशिष्ट समूहों और व्यवधानों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के अनुरूप कैच-अप टीकाकरण गतिविधियाँ समय पर कार्यान्वयन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - यह योजनाबद्ध दृष्टिकोण टीका कवरेज को बेहतर बनाने और अल्प प्रतिरक्षण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है।
- टीकाकरण के निरंतर प्रयासों का महत्त्व: विशेष रूप से HPV जैसे टीकों के लिये निरंतर टीकाकरण प्रयास महत्त्वपूर्ण है जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं।
  - यह दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने के लिये व्यवधानों की स्थिति में भी जारी टीकाकरण अभियान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

टीकाकरण से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं ?

वैश्विक:

- टीकाकरण प्रतिरक्षण एजेंडा 2030 (IA2030): यह 2021-2030 के दशक के लिये टीकों और प्रतिरक्षा के लिये एक महत्त्वाकांक्षी, व्यापक प्रतिरक्षण रणनीति- 2030,वैश्विक दृष्टि एवं रणनीति निर्धारित करता है।
  - दशक के अंत तक IA2030 का लक्ष्य:
- किसी भी प्रकार का टीका प्राप्त न कर पाने वाले बच्चों की संख्या में 50% की कमी करना।
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 500 नए अथवा कम उपयोग किये जाने वाले टीकों की शुरुआत का लक्ष्य प्राप्त करना।
- बचपन के आवश्यक टीकों के लिये 90% कवरेज प्राप्त करना।
- विश्व टीकाकरण सप्ताह: यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है।
- बिग कैच-अप पहल: इसे WHO, UNICEF, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा टीकाकरण एजेंडा 2030 एवं कई अन्य वैश्विक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य भागीदारों की सहायता से लॉन्च किया गया था, जो कि कोविड 19 महामारी के बाद बच्चों के टीकाकरण में वृद्धि करने हेतु लक्षित एक वैश्विक प्रयास है।

भारतीय पहल:

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP):
  - यह कार्यक्रम टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाली 12 व्याधियों के लिये मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करता है।
  - राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के खिलाफ: डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन के

तपेदिक का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस B और हेमोफिलस इन्फ्लूएंज़ा टाइप-B के कारण होने वाला मेनिनजाइटिस एवं निमोनिया।

- उप-राष्ट्रीय स्तर पर 3 बीमारियों के खिलाफ: रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस।
- UIP की दो प्रमुख उपलब्धियाँ: वर्ष 2014 में पोलियो का उन्मूलन और वर्ष 2015 में मातृ व नवजात टेटनस का उन्मूलन।

- मिशन इंद्रधनुष:
  - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) द्वारा UIP के तहत सभी टीकाकरण से वंचित और आंशिक टीकाकरण वाले बच्चों का टीकाकरण करने के लिये वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष (MI) शुरू किया गया था।
- इसे कई चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और देखभाल के लिये उचित अंश रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में लैंगिक अंतर को समाप्त करने की दिशा में एक नई रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक है- Fair Share for Health and Care report अर्थात् स्वास्थ्य और देखभाल के लिये उचित अंश रिपोर्ट।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और देखभाल कार्यबल में लैंगिक असमानताएँ:

- भुगतान प्राप्त वैश्विक स्वास्थ्य एवं देखभाल कार्यबल में 67% महिलाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वे सभी अवैतनिक देखभाल गतिविधियों का अनुमानित 76% प्रदर्शन करते हैं।
- यह वैतनिक और अवैतनिक देखभाल कार्य दोनों में महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानताओं को उजागर करता है।
- निम्न या मध्यम आय वाले देशों में महिलाओं की आय 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बेहतर हो सकती है यदि उनका वेतन और वैतनिक काम तक पहुँच पुरुषों के बराबर हो।

निर्णय लेने पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:

- निर्णायक मामलों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। महिलाओं को निचले दर्जे की भूमिकाओं में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, इनमें अधिकांश नर्से और मिडवाइफ शामिल हैं।
- हालाँकि नेतृत्वकारी भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम है। चिकित्सा विशिष्टताओं में अभी भी पुरुषों का वर्चस्व है। रिपोर्ट के अनुसार 35 देशों में डॉक्टरों में 25% से 60% महिलाएँ हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ में 30% से 100% के बीच महिलाएँ हैं।

स्वास्थ्य प्रणालियों में कम निवेश:

- स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में लगातार कम निवेश के कारण अवैतनिक देखभाल कार्यों का एक दुष्चक्र शुरू हो गया है, जिससे वैतनिक श्रम बाज़ारों में महिलाओं की भागीदारी कम हो गई है, इससे आर्थिक सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता में बाधा उत्पन्न हुई है।

देखभाल का अवमूल्यन:

- मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा की जाने वाली देखभाल को कम महत्त्व दिया जाता है, जिससे कम वेतन, खराब कामकाजी स्थिति, उत्पादकता में कमी और संबद्ध क्षेत्र पर नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

लैंगिक वेतन अंतर के निहितार्थ:

- वेतन अंतराल महिलाओं की अपने परिवार और समुदाय में निवेश करने की क्षमता को सीमित करता है।
- विश्व स्तर पर औसतन महिलाओं द्वारा अर्जित आय के 90% का व्यय अपने परिवार की देखभाल के लिये किया जाता है जबकि पुरुषों की आय का केवल 30-40% ही उक्त संबंध में व्यय किया जाता है।

हिंसा का उच्च स्तर:

- स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में महिलाओं को असमान रूप से लैंगिक हिंसा के उच्च स्तर का सामना करना पडा।
- अनुमानों के अनुसार विश्व के सभी क्षेत्रों में कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में होने वाली हिंसा का योगदान एक-चौथाई है।
  - स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सभी कर्मचारियों में से कम-से-कम आधे कर्मचारियों को कार्यस्थल पर किसी न किसी क्षण पर हिंसा का सामना करना पड़ा।

भारतीय परिदृश्य:

- भारत में महिलाएँ अपने कुल दैनिक कार्य समय का लगभग 73% (अर्थात् राष्ट्रीय दैनिक समय-उपयोग सर्वेक्षणों के माध्यम से दर्ज किये गए अवैतनिक और भुगतान किये गए कार्यों हेतु नियोजित किया गया संयुक्त औसत समय) अवैतनिक कार्यों पर खर्च करती हैं जबकि पुरुषों के दैनिक कार्य समय में अवैतनिक कार्य का अंश केवल 11% है।
- यूनाइटेड किंगडम में लगभग 4.5 मिलियन लोगों ने कोविड-19 के दौरान अवैतनिक कार्य किया, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 59% अर्थात् लगभग 3 मिलियन थी।

लाभ एवं गरीबी: बलात् श्रम का अर्थशास्त्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 'लाभ एवं गरीबी: बलात् श्रम का अर्थशास्त्र' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पाया गया कि बलात् श्रम प्रति वर्ष 36 बिलियन अमरीकी डॉलर का अवैध लाभ प्राप्त किया है।

बलात् श्रम क्या है ?

- ILO के अनुसार बलात् या अनिवार्य श्रम "सभी कार्य या सेवा है जो किसी भी व्यक्ति से किसी दंड के खतरे के तहत लिया जाता है एवं जिसके लिये उक्त व्यक्ति ने स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया है"।
- माप के प्रयोजनों हेतु बलात् श्रम को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो अनैच्छिक तथा दंड या दंड (बलात्) के खतरे के अधीन होते हैं।
  - अनैच्छिक कार्य से तात्पर्य कार्यकर्त्ता की स्वतंत्र तथा सूचित सहमति के बिना किये गए किसी भी कार्य से है।
  - बलात् से तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग किसी को उनकी स्वतंत्र तथा सूचित सहमति के बिना काम करने हेतु मजबूर करने के लिये किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है ?

- **परिचय:**
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ष 1919 से संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियाँ को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।
- **स्थापना:**
  - वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई।
  - वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया।
- **मुख्यालय:** जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
- **संस्थापक मिशन:** वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है।
- **नोबेल शांति पुरस्कार:**
  - वर्ष 1969 में निम्नलिखित कार्यों के लिये नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया-
- विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने हेतु
- श्रमिकों के लिये सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर
- अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना

लैंगिक समानता में भारत की प्रगति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality Index- GII), 2022 जारी किया गया है।

- GII में, भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर है।

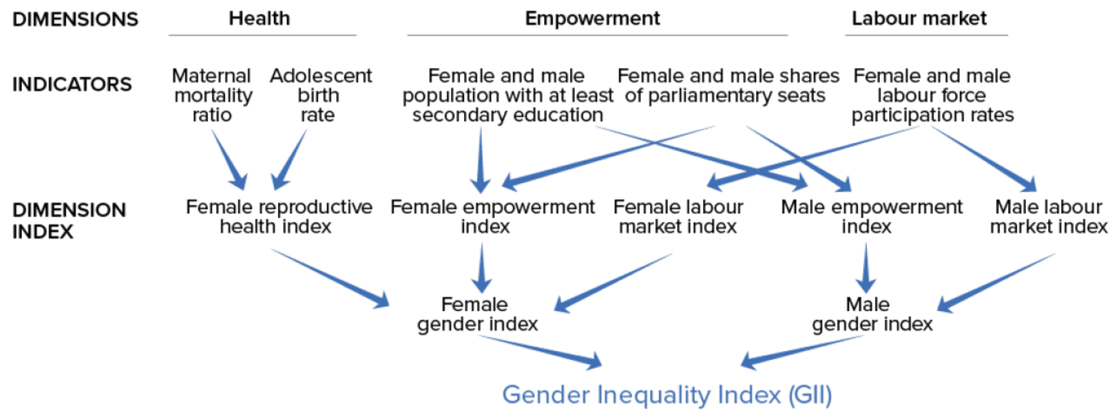

लैंगिक असमानता सूचकांक क्या है ?

- परिचय: GII तीन आयामों का उपयोग करते हुए लैंगिक असमानता का एक समग्र मीट्रिक है: प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और श्रम बाज़ार।
  - यह इन क्षेत्रों में महिला और पुरुष उपलब्धियों के बीच असमानता के कारण मानव विकास क्षमता में अंतर को दर्शाता है।
  - GII मान 0 (समानता) से 1 (अत्यधिक असमानता) तक होता है।
    - कम GII मान महिलाओं और पुरुषों के बीच कम असमानता तथा अधिक GII मान महिलाओं एवं पुरुषों के बीच अधिक असमानता को को इंगित करता है।

आयाम और संकेतक:

- **भारत की प्रगति:**
  - लैंगिक असमानता सूचकांक- 2021 में भारत 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में से 122वें स्थान पर रहा।
  - वर्तमान डेटा GII वर्ष 2021 की तुलना में GII वर्ष 2022 पर 14 रैंक का उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
  - पिछले 10 वर्षों में, GII में भारत की रैंक लगातार बेहतर हुई है, जो देश में लैंगिक समानता हासिल करने में प्रगतिशील सुधार का संकेत देती है।

नोट:

- **मातृ मृत्यु अनुपात:** प्रति 100,000 जीवित शिशुओं के जन्म पर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से होने वाली मृत्यु की संख्या।
- **किशोर जन्म दर:** संबंधित आयु वर्ग में प्रति 1,000 महिलाओं पर 10-14 अथवा 15-19 वर्ष की महिलाओं में जन्म की वार्षिक संख्या।
- **श्रम बल भागीदारी दर:** कामकाजी उम्र की आबादी (15 वर्ष और उससे अधिक उम्र) का अनुपात, जो या तो काम करके या सक्रिय रूप से काम की तलाश हेतु श्रम बाज़ार से जुड़े हुए है, कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

भारत में लैंगिक असमानता से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं ?

- **लैंगिक हिंसा:** भारत में महिलाओं और लड़कियों को अमूमन घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, दहेज़ संबंधी हिंसा तथा ऑनर किलिंग सहित विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है।
  - ये मुद्दे लैंगिक असमानता परिदृश्य में प्रमुख रूप से योगदान देते हैं।
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग एक-तिहाई महिलाओं को शारीरिक अथवा यौन हिंसा का सामना करना पड़ा।
- **शिक्षा तक असमान पहुँच:** शिक्षा पहुँच में सुधार के प्रयासों के बावजूद, नामांकन, प्रतिधारण और शिक्षा पूर्णता दर के मामले में लड़कों तथा लड़कियों के बीच असमानताएँ अभी भी मौजूद हैं।
  - सांस्कृतिक मानदंड, आर्थिक बाधाएँ और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ अमूमन लड़कियों की शिक्षा को बाधित करती हैं।
- **अवैतनिक श्रम:** भारत में महिलाएँ अमूमन घरेलु काम, बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल करने जैसे कई अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है तथा अन्य कार्यों की तुलना में कम महत्त्व दिया जाता है जो उनकी आर्थिक निर्भरता एवं समय की गरीबी (Time Poverty) में योगदान देता है।
- **लैंगिक वेतन अंतराल:** भारत में महिलाओं को सामान्यत: पुरुषों की भाँति समान कार्य के लिये पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है जो एक गंभीर लैंगिक वेतन अंतराल को दर्शाता है।
  - यह वेतन अंतराल विभिन्न क्षेत्रों और रोज़गार के स्तरों पर प्रचलित है।
  - विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पुरुष श्रम आय का 82% अर्जित करते हैं जबकि महिलाओं को इसका मात्र 18% प्राप्त होता है।
- **बाल विवाह:** बाल विवाह लड़कियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, उन्हें शैक्षिक और आर्थिक अवसरों से वंचित करता है तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के प्रति सुभेद्य बनाता है।
  - UNESCO के अनुसार विश्व की तीन में से एक बालिका वधु का संबंध भारत से है।
    - बाल वधुओं में 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियाँ शामिल हैं जिनकी पहले से ही शादी हो चुकी है और साथ ही इसमें वे सभी उम्र की महिलाएँ भी शामिल हैं जिनका पहला विवाह बचपन में हुआ था।
  - बाल विवाह का प्रचलन वर्ष 2006 में 47% था जो वर्ष 2019-21 (NFHS-5) के दौरान घटकर लगभग आधा, 23.3% हो गया।
    - हालाँकि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की पहल क्या हैं ?

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व एवं शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- महिला शक्ति केंद्र का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोज़गार के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाना है।

- राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना बच्चों के लिये सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है, जिससे महिलाओं को रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाता है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम के तहत आवास सुनिश्चित करती है।
- सुकन्या समृद्धि योजना बैंक खातों के माध्यम से लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।
- वर्ष 2005 से जेंडर बजट को भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा बना दिया गया है और साथ ही इसमें महिला समर्पित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिये धन आवंटन भी शामिल है।

निर्भया फंड फ्रेमवर्क देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पहल के कार्यान्वयन के लिये एक गैर-व्यपगत कॉर्पस फंड प्रदान करता है।

वन स्टॉप सेंटर हिंसा की शिकार महिलाओं के लिये चिकित्सा एवं कानूनी सहायता तथा परामर्श सहित एकीकृत सेवाएँ प्रदान करते हैं।

संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिये सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें SC और ST के लिये आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

महिलाओं के लिये पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें पहले से ही आरक्षित हैं।

विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित) में उच्च शिक्षा के साथ-साथ करियर बनाने के लिये प्रोत्साहित करना है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं की भागीदारी कम है ताकि सभी क्षेत्रों में लिंग अनुपात को संतुलित किया जा सके।

स्टैंड-अप इंडिया, महिला ई-हाट, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ESSDP) तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी अन्य पहल महिला उद्यमियों को बढ़ावा देती हैं।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट (विश्व आर्थिक मंच):

- ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सालाना चार प्रमुख आयामों (आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व, तथा राजनीतिक सशक्तीकरण) में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास को मापता है।
  - यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो वर्ष 2006 में अपनी स्थापना के बाद से समय के साथ इन अंतरालों को कम करने की दिशा में प्रगति की निगरानी करता है।
  - जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर था।

SHG के माध्यम से महिला-सशक्तीकरण पर SBI का अध्ययन

चर्चा में क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने हाल ही में भारत में स्वयं सहायता समूहों की उभरती गतिशीलता पर प्रकाश डालते हुए एक शोध अध्ययन का अनावरण किया।

- यह अध्ययन SHG, उनके सदस्यों और 'लखपति दीदी' के नाम से जाने जाने वाले उभरते समूह के बीच ऋण उपयोग एवं डिजिटल व्यवहार के पैटर्न पर प्रकाश डालता है।

अध्ययन के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **SHG और लखपति दीदी का उदय:**
  - भारत में स्वयं सहायता समूह, जिनकी संख्या लगभग 8.5 मिलियन है और जिनमें लगभग 92.1 मिलियन सदस्य हैं, एक परिवर्तनकारी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं।
    - इस गति का एक उल्लेखनीय परिणाम लखपति दीदियों का बढ़ता अनुपात है।
  - लखपति दीदी एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य SHG में महिलाओं को स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से प्रति वर्ष कम-से-कम 1,00,000 रुपए कमाने के लिये सशक्त बनाना है।
  - यह कार्यक्रम वर्ष 2023 में 2 करोड़ महिलाओं के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, लेकिन सत्र 2024-25 में लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है।
    - यह गति सकल मूल्य वर्द्धन और आर्थिक उत्पादन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को रेखांकित करता है।
    - औपचारिकीकरण पहल के माध्यम से, औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी स्पष्ट है, जैसा कि बढ़ती महिला श्रम बल भागीदारी दर में परिलक्षित होता है।
- **बैंक लिंकेज और क्रेडिट पहुँच:**
  - SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, एक गेम-चेंजर के रूप में स्थापित हुआ है, जिसमें लगभग 97.5% SHG के अब बैंक खाते हैं।
    - यह मज़बूत बैंकिंग संबंध समय पर ऋण पहुँच को सक्षम बनाता है, जो आर्थिक मूल्यवर्द्धन के लिये महत्त्वपूर्ण है। कम ब्याज दरों पर इष्टतम फंड के साथ, SHG बाधाओं पर नियंत्रण कर अपनी पूरी मार्केटिंग क्षमता का उपयोग करते हैं।
    - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का SHG पोर्टफोलियो अब लगभग 2 ट्रिलियन रुपए है।

- **क्रेडिट उपयोग और पुनर्भुगतान:**
  - वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में SHG को स्वीकृत औसत सीमा 2.2 गुना बढ़ा दी गई है।
  - क्रेडिट पुनर्भुगतान में काफी सुधार हुआ है, वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में औसत पुनर्भुगतान 3.9 गुना बढ़ गया है, जो विवेकपूर्ण और समय पर पुनर्भुगतान को दर्शाता है।
- **डिजिटल समावेशन:**
  - बैंक मित्र और डिजिटल दीदी अभूतपूर्व पैमाने पर वित्तीयकरण को सक्षम कर रहे हैं।
  - सरस मेला जैसी पहल सराहनीय हैं, लेकिन इन्हें ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल करके इसे और बढ़ाया जा सकता है।
  - सभी क्षेत्रों में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से व्यय FY23 से FY24 में कम-से-कम 3 गुना बढ़ गया।
- **आय वृद्धि:**
  - FY19-FY24 के दौरान महिला SHG सदस्यों की आय तीन गुना हो गई है, शहरी सदस्यों की आय में 4.6 गुना वृद्धि देखी गई है।
  - FY24 बनाम FY19 में लगभग 65% ग्रामीण SHG सदस्यों की सापेक्ष आय में वृद्धि हुई है।
- **राज्यवार प्रगति:**
  - जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना SHG में अग्रणी हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, पंजाब तथा गुजरात जैसे अन्य राज्यों ने भी महिला SHG आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
    - FY27 तक भारत के प्रत्येक राज्य में लखपति दीदीयों की संख्या में वृद्धि होकर इनकी संख्या लाखों में होने की उम्मीद है।

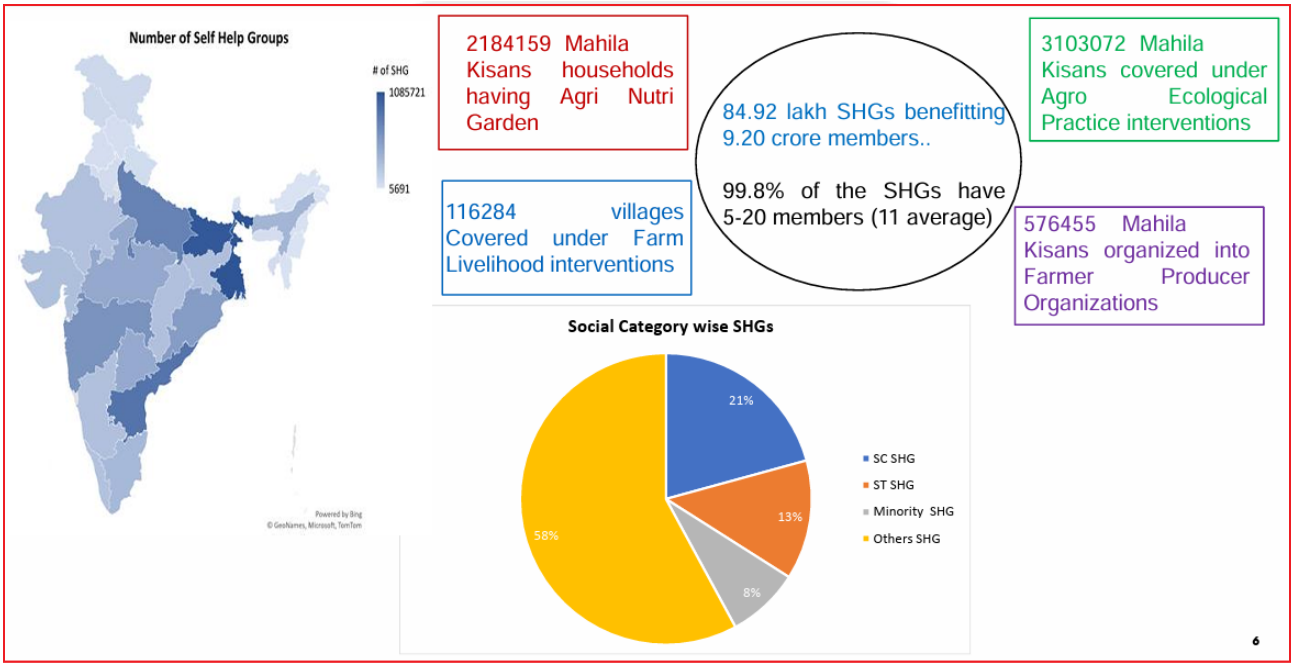

स्वयं सहायता समूह (SHG)

- स्वयं सहायता समूह (SHG) समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के अनौपचारिक संघ हैं जिनका लक्ष्य निर्धनता, अशिक्षा और कौशल की कमी जैसे सामान्य मुद्दों का सामूहिक रूप से समाधान करना है।
- ये समूह हाशिये पर जीवन यापन करने वाले समुदायों के भीतर स्व-रोज़गार और निर्धनता उन्मूलन को बढ़ावा देते हुए स्व-शासन तथा सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहन देते हैं।
- भारत में SHG मॉडल प्रोफेसर यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल से प्रेरित होकर वर्ष 1984 में प्रस्तुत किया गया था।
  - केरल में कुदुंबश्री, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल और लूम्स ऑफ लद्दाख सफल SHG के कुछ उदाहरण हैं।
    - लूम्स ऑफ लद्दाख एक 427 महिला SHG सदस्यों वाला एक पश्मीना ब्रांड है जिसका बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 में 34 लाख रुपए और वर्ष 2023-24 के प्रारंभिक 10 माह में 42 लाख रुपए रही जो इसके विक्रय में हुई तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।

SHG-बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHG-BLP)

- वर्ष 1989 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा शुरू किया गया SHG-BLP, वर्ष 1992 तक एक एक्शन रिसर्च से एक पायलट प्रोजेक्ट में बदल गया।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के समर्थन से SHG, बैंकों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य वंचित गरीब परिवारों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है।
  - समय के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना बन गई है जो लगभग 16.19 करोड़ परिवारों, मुख्य रूप से महिला समूहों लाभान्वित कर समग्र देश में महिलाओं को सशक्त बनाता है।
  - नाबार्ड के प्रयासों में नीति समर्थन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सभी हितधारकों के लिये क्षमता निर्माण शामिल हैं जो इस बचत-आधारित माइक्रोफाइनेंस मॉडल की सफलता में योगदान दे रहे हैं।

लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बाल मृत्यु दर अनुमान के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह द्वारा "लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की वार्षिक संख्या वर्ष 2000 के अनुमान से आधे से अधिक कम (9.9 मिलियन से 4.9 मिलियन तक) हो गई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

- **बाल मृत्यु दर में ऐतिहासिक कमी:**
  - वर्ष 2022 में पाँच वर्ष से कम आयु में होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या घटकर 4.9 मिलियन हो गई, जो बाल मृत्यु दर को कम करने के वैश्विक प्रयास में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
  - यह वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक स्तर पर पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) में आधे से अधिक की गिरावट के साथ जुड़ा हुआ है।
    - सरकारों, संगठनों, स्थानीय समुदायों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों एवं परिवारों सहित विभिन्न हितधारकों की निरंतर प्रतिबद्धता के कारण, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट लगातार बनी हुई है।
- **मृत्यु दर का लगातार उच्च होना:**
  - प्रगति के बावजूद बच्चों, किशोरों एवं युवाओं के बीच वार्षिक मृत्यु दर अस्वीकार्य रूप से अधिक बनी हुई है।
  - वर्ष 2022 में जीवन के पहले महीने के दौरान पाँच वर्ष से कम उम्र के 2.3 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो गई तथा 1 से 59 महीने की उम्र के बीच अतिरिक्त 2.6 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो गई।
    - इसके अतिरिक्त 5 से 24 वर्ष की आयु के 2.1 मिलियन बच्चों, किशोरों तथा युवाओं की भी मृत्यु हुई।
- **बड़ी संख्या में जीवन की हानि:**
  - वर्ष 2000 से वर्ष 2022 के बीच विश्व के 221 मिलियन बच्चों, किशोरों तथा युवाओं की मृत्यु हुई, जिसकी तुलना नाइजीरिया की लगभग पूरी आबादी से की जा सकती है।
    - नवजात शिशुओं की मृत्यु (जन्म के 28 दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु) के कारण पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु 72 मिलियन थी और 1-59 महीने की आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या 91 मिलियन थी।
  - नवजात अवधि में पाँच साल से कम उम्र की मृत्यु की प्रवृत्ति 2000 में 41% से बढ़कर वर्ष 2022 में 47% हो गई है।
- **उत्तरजीविता की संभावनाओं में असमानता:**
  - बच्चों को भौगोलिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और चाहे वे नाज़ुक या संघर्ष-प्रभावित सेटिंग्स में रहते हों, जैसे कारकों के आधार पर जीवित रहने की असमान संभावनाओं का सामना करना पड़ता है।
  - ये असमानताएँ बच्चों की कमज़ोर आबादी के बीच लगातार और गहरी असमानताओं को उजागर करती हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:**
  - जबकि बाल मृत्यु दर की वैश्विक दर में गिरावट आ रही है, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएँ हैं।
    - वर्ष 2030 से पहले 5 वर्ष से कम उम्र के 35 मिलियन बच्चे अपनी जान गँवा देंगे और उप-सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक मौतें होंगी।
  - देश संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal - SDG) लक्ष्यों को समय पर पूरा नहीं करेंगे।
    - हालाँकि यदि प्रत्येक देश ने पाँच साल से कम उम्र की बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को समाप्त करने के SDG-5 दृष्टिकोण को महसूस किया और समय पर प्रासंगिक मृत्यु दर लक्ष्यों को पूरा किया, तो 9 मिलियन से अधिक बच्चे पाँच वर्ष की आयु तक जीवित रहेंगे।
  - मौजूदा रुझानों के तहत 59 देश पाँच मृत्यु दर लक्ष्य के तहत सतत् विकास लक्ष्य से चूक जाएँगे और 64 देश नवजात मृत्यु दर लक्ष्य से चूक जाएँगे।

गिग श्रमिकों से संबंधित चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पीपल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स और इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा एक अध्ययन किया गया जो भारत में एप-आधारित कैब तथा डिलीवरी ड्राइवरों/व्यक्तियों जैसे गिग श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

गिग वर्कर कौन हैं?

- **गिग वर्कर्स:**
  - गिग वर्कर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अस्थायी, लचीले आधार पर काम करते हैं, अक्सर कई ग्राहकों या कंपनियों के लिये कार्य करते हैं या सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  - वे पारंपरिक कर्मचारियों के बजाय आम तौर पर स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कब, कहाँ और कैसे काम करते हैं, इस पर उनका अधिक नियंत्रण होता है।
- **गिग इकोनॉमी:**
  - एक मुक्त बाज़ार प्रणाली जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं और संगठन अल्पकालिक कार्यों के लिये स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।

गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किया जा सकता है?

- **सामाजिक सुरक्षा पर संहिता कार्यान्वयन, 2020:**
  - हालाँकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग श्रमिकों के लिये प्रावधान शामिल हैं, नियम अभी तक राज्यों द्वारा तैयार नहीं किये गए हैं और साथ ही बोर्ड की स्थापना के संदर्भ में बहुत कुछ नहीं हुआ है। अत: सरकार को इन पर शीघ्रता से कार्य करना चाहिये।

गिग श्रमिकों से संबंधित सरकार की पहल:

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 'गिग इकॉनमी' पर एक अलग खंड शामिल है और साथ ही गिग नियोक्ताओं पर सरकार के नेतृत्व वाले बोर्ड द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करने का दायित्व भी दिया गया है।
- वेतन संहिता, 2019 गिग श्रमिकों सहित संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन एवं आधारभूत वेतन प्रदान करता है।

स्नेकबाइट की रोकथाम और नियंत्रण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के तहत स्नेकबाइट की रोकथाम और नियंत्रण के लिये एक राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-SE) का शुभारंभ किया।

स्नेकबाइट की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-SE) क्या है?

- **परिचय:**
  - NAP-SE भारत में सांप के काटने के ज़हर के प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है।।
  - यह NAP-SE स्नेकबाइट के कारण होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने की वैश्विक मांग को साझा करता है और और संबंधित हितधारकों के सभी रणनीतिक घटकों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की परिकल्पना करता है।
  - NAP-SE राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और हितधारकों के लिये उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कार्य योजना विकसित करने के लिये एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ है और इसका उद्देश्य एंटी-स्नेक वेनम की निरंतर उपलब्धता, क्षमता निर्माण, रेफरल तंत्र और लोक शिक्षा के माध्यम से स्नेकबाइट के खतरे को व्यवस्थित रूप से कम करना है।
- **लक्ष्य:**
  - वर्ष 2030 तक स्नेकबाइट से होने वाली मौतों और दिव्यांगता के मामलों की संख्या को आधा करने के लिये इसे रोकना और नियंत्रित करना।
  - सांप के काटने से मनुष्यों में होने वाली रुग्णता, मृत्यु दर और उससे संबंधी जटिलताओं को धीरे-धीरे कम करना।
- **रणनीतिक कार्रवाइयाँ:**
  - मानव स्वास्थ्य: मानव स्वास्थ्य घटक के लिये रणनीतिक कार्रवाई में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर साँप के जहर रोधी प्रावधान सुनिश्चित करना, मनुष्यों में स्नेकबाइट के मामलों एवं इससे होने वाली मौतों की निगरानी को मज़बूत करना शामिल है।
    - ज़िला अस्पतालों अथवा CHC में एम्बुलेंस सेवाओं, क्षेत्रीय विष केंद्रों के संस्थागतकरण तथा अंतर-क्षेत्रीय समन्वय सहित आपातकालीन देखभाल सेवाओं को मज़बूत करना शामिल है।
  - वन्यजीव स्वास्थ्य: वन्यजीव स्वास्थ्य घटक के लिये रणनीतिक कार्रवाई में शिक्षा जागरूकता, विषरोधी वितरण, प्रमुख हितधारकों को मज़बूत करना, व्यवस्थित अनुसंधान एवं निगरानी तथा साँप के जहर का संग्रहण के साथ-साथ साँपों को स्थानांतरित करना शामिल है।
  - पशु एवं कृषि घटक: पशु और कृषि घटक के लिये रणनीतिक कार्रवाई में पशुधन में स्नेकबाइट की रोकथाम, सामुदायिक सहभागिता आदि शामिल हैं।

स्नेकबाइट एनवेनोमिंग (SE) क्या है ?

- **परिचय:**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा स्नेकबाइट एनवेनोमिंग (SE) को उच्च प्राथमिकता वाले उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - SE एक संभावित जीवन-घातक बीमारी है जो आमतौर पर एक जहरीले साँप के काटने के बाद विभिन्न विषाक्त पदार्थों (जहर) के मिश्रण के इंजेक्शन के परिणामस्वरूप होती है।
  - यह साँपों की कुछ प्रजातियों द्वारा आँखों में जहर छिड़कने के कारण भी हो सकता है, जिनमें बचाव के उपाय के रूप में जहर उगलने की क्षमता होती है।
  - कई लाखों लोग ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्रों में रहते हैं जो अपने अस्तित्व के लिये कृषि एवं निर्वाह खेती पर निर्भर हैं, जिससे अफ्रीका, मध्य-पूर्व, एशिया, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका के ग्रामीण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्नेकबाइट एक गंभीर दैनिक स्वास्थ्य जोखिम बन गया है।

- **प्रभाव:**
  - कई स्नेकबाइट पीड़ित, विशेषकर विकासशील देशों में विकृति, अवकुंचन, विच्छेदन, दृश्य दोष, गुर्दे की जटिलता तथा मनोवैज्ञानिक संकट जैसी दीर्घकालिक व्याधियों से पीड़ित होते हैं।
- **व्यापकता:**
  - भारत में प्रतिवर्ष अनुमानित 3-4 मिलियन स्नेकबाइट से लगभग 50,000 मौतें होती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्नेकबाइट से होने वाली सभी मौतों का आधा हिस्सा है।
- विभिन्न देशों में स्नेकबाइट से पीड़ित लोगों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही क्लीनिकों और अस्पतालों में रिपोर्ट करता है और स्नेकबाइट का वास्तविक बोझ बहुत कम बताया जाता है।
  - केंद्रीय स्वास्थ्य जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Health Investigation - CBHI) की रिपोर्ट (2016-2020) के अनुसार, भारत में स्नेकबाइट के मामलों की औसत वार्षिक संख्या लगभग 3 लाख है और लगभग 2000 मौतें स्नेकबाइट के कारण होती हैं।
  - भारत में लगभग 90% स्नेकबाइट सर्पों की चार बड़ी प्रजातियों- कॉमन क्रेट/करैत, इंडियन कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर के कारण होते हैं।
- **SE की रोकथाम के लिये WHO का रोडमैप:**
  - WHO ने वर्ष 2030 तक स्नेकबाइट से होने वाली मृत्यु तथा दिव्यांगता के मामलों को आधा करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2019 में अपना रोडमैप लॉन्च किया था।
- एंटीवेनम के लिये एक स्थायी बाज़ार विकसित करने हेतु वर्ष 2030 तक सक्षम निर्माताओं की संख्या में 25% की वृद्धि की आवश्यकता है।
- WHO ने वैश्विक एंटीवेनम भंडार बनाने के लिये एक पायलट परियोजना तैयार की है।
- प्रभावित देशों में स्नेकबाइट के उपचार तथा प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में एकीकृत करना, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों का बेहतर प्रशिक्षण एवं समुदायों को शिक्षित करना शामिल है।
- **भारतीय पहल:**
  - WHO रोडमैप लॉन्च होने से बहुत पहले, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) के शोधकर्त्ताओं ने वर्ष 2013 से सामुदायिक जागरूकता और स्वास्थ्य प्रणाली क्षमता निर्माण शुरू कर दिया था।
  - WHO की स्नेकबाइट विष निवारण रणनीति और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र के सेंदाई फ्रेमवर्क के अनुरूप, भारत ने इस मुद्दे से निपटने के लिये वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय कार्य योजना की पुष्टि की।

गर्भपात

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फ्रांसीसी सांसदों ने फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये एक विधेयक को बहुमत से मंज़ूरी दे दी है, जिससे यह स्पष्ट रूप से एक महिला को स्वेच्छा से अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार की गारंटी देने वाला एकमात्र देश बन गया है।

- स्वीकृत विधेयक के तहत फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "कानून में उन शर्तों को निर्धारित किया गया है जिनके द्वारा महिलाओं को गर्भपात का सहारा लेने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।"

नोट:

- यह विधेयक वैश्विक स्तर पर गर्भपात के अधिकारों के हनन के बारे में चिंताओं की प्रतिक्रया में लाया गया था, इससे विशेष रूप से लंबे समय से चले आ रहे गर्भपात अधिकारों के संबंध में वर्ष 2022 के फैसला पलटने के रो वी वेड मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रकाश पड़ा था।

गर्भपात:

- **परिचय:**
  - गर्भपात का आशय जानबूझकर गर्भ की समाप्ति से है, जिसे आमतौर पर गर्भधारण के शुरुआती 28 सप्ताह के दौरान किया जाता है। ऐसा गर्भावस्था के चरण एवं गर्भपात चाहने वाले व्यक्ति की प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं या दवाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
  - गर्भपात एक अत्यधिक विवादास्पद और बहस का विषय हो सकता है, जिसमें अक्सर नैतिक, धार्मिक और कानूनी विचार शामिल होते हैं।
- **समर्थक:**
  - गर्भपात अधिकार के समर्थकों का तर्क है कि यह एक मौलिक प्रजनन अधिकार है जो व्यक्तियों को अपने शरीर, स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में विकल्प चुनने की अनुमति देता है।
  - वे अवांछित गर्भधारण को रोकने, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और प्रजनन स्वायत्तता का समर्थन करने के लिये सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुँच के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं।
- **विरोध:**
  - गर्भपात के विरोधियों, जिन्हें अक्सर "जीवन के समर्थक (Pro-Life)" कहा जाता है, का मानना है कि गर्भपात

नैतिक रूप से गलत है और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।

- वे आम तौर पर तर्क देते हैं कि जीवन गर्भधारण से शुरू होता है और गर्भावस्था को समाप्त करना मानव जीवन लेने के बराबर है, इस प्रकार अजन्मे भ्रूण के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

भारत में गर्भपात से संबंधित कानूनी प्रावधान:

- 1960 के दशक तक, भारत में गर्भपात प्रतिबंधित था और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत कारावास या जुर्माना लगाया जाता था।
  - शांतिलाल शाह समिति की स्थापना वर्ष 1960 के दशक के मध्य में गर्भपात नियमों की आवश्यकता की जाँच के लिये की गई थी।
  - इसके निष्कर्षों के आधार पर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया गया, जिससे सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की अनुमति मिली, महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा हुई और मातृ मृत्यु दर में कमी आई।
  - उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के लिये एक प्रगतिशील कदम में, वैवाहिक बलात्कार को गर्भपात के लिये एक आधार के रूप में मान्यता दी, हालाँकि वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं दी गई है।
- MTP अधिनियम, 1971, महिला की सहमति से और एक पंजीकृत चिकित्सक (RMP) की सिफारिश पर, गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। हालाँकि, कानून को वर्ष 2002 और वर्ष 2021 में अद्यतन किया गया था।
  - MTP संशोधन अधिनियम, 2021 बलात्कार पीड़िताओं जैसे विशिष्ट मामलों में दो डॉक्टरों की मंजूरी से 20 से 24 सप्ताह के गर्भ में गर्भपात की अनुमति देता है।
  - यह तय करने के लिये राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन करता है, कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं।
  - यह अविवाहित महिलाओं (शुरुआत में केवल विवाहित महिलाओं) के लिये गर्भनिरोधक प्रावधानों की विफलता को बढ़ाता है, जिससे उन्हें अपनी वैवाहिक स्थिति के बावजूद, अपनी पसंद के आधार पर गर्भपात सेवाएँ लेने की अनुमति मिलती है।
- उम्र और मानसिक स्थिति के आधार पर सहमति की आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं, जिससे चिकित्सक की निगरानी सुनिश्चित होती है।

भारत का संविधान, जो अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार की व्याख्या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं के लिये प्रजनन विकल्प और स्वायत्तता के अधिकार को शामिल करने के लिये की गई है।

Time Since Conception	MTP Act, 1971	MTP (Amendment) Act, 2021
Up to 12 weeks	On the advice of one doctor	On advice of one doctor
12 to 20 weeks	On advice of two doctors	On advice of one doctor
20 to 24 weeks	Not allowed	On advice of two doctors for special categories of pregnant women
More than 24 weeks	Not allowed	On advice of medical board in case of substantial fetal abnormality
Any time during the pregnancy	On advice of one doctor, if immediately necessary to save pregnant woman's life	On advice of one doctor, if immediately necessary to save pregnant woman's life

नोटः न्यायमूर्ति के.एस.पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में, वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में प्रजनन विकल्प चुनने के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को मान्यता दी।

दिव्यांगजनों के लिये आवागमन की सुगमता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों (PwD) के लिये आवागमन में सुधार करने हेतु कदम उठाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के बावजूद दिव्यांगजनों से संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैं जिसके कारण CPWD ने भवनों में आवागमन की सुगमता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वन किया।

दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 क्या है?

- **परिचयः**
  - RPwD अधिनियम, 2016, दिव्यांगजन अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन करता है जिसका अनुमोदन भारत द्वारा वर्ष 2007 में किया गया था।
    - इस अधिनियम ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया।
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नि:शक्त अथवा दिव्यांगजन की संख्या लगभग 26.8 मिलियन थी जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% है।
  - राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आँकड़ों के अनुसार भारत में दिव्यांगजनों का प्रतिशत भारत की कुल आबादी का 2.2% है।
    - NSSO के 76वें चरण, 2019 के अनुसार 1 वर्ष की अवधि में प्रति 1,00,000 लोगों में से 86 व्यक्ति दिव्यांग थे।
- **दिव्यांगता की विस्तारित परिभाषाः**
  - इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकासशील और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
  - RPwD अधिनियम, 2016 में दिव्यांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दिये गए जिसमें केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगता के और अधिक प्रकार शामिल किये जाने का प्रावधान है।
- **अधिकार और हकदारीः**
  - अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकारों को दिव्यांगजनों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
  - अधिनियम के तहत बेंचमार्क दिव्यांगजनों (चालीस प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति) और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले लोगों के लिये उच्च शिक्षा में आरक्षण (न्यूनतम 5%), सरकारी नौकरियों (न्यूनतम 4%) और भूमि का आवंटन (न्यूनतम 5%) जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जाते हैं।
  - 6 से 18 वर्ष की आयु वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिये निशुल्क शिक्षा की गारंटी का प्रावधान किया गया है।
    - सरकार द्वारा वित्त पोषित और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।
  - इस अधिनियम में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सुलभ बनाने, उनकी भागीदारी तथा समावेशन को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।
- **सार्वजनिक भवनों के संबंध में आदेशः**
  - दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 का नियम 15 केंद्र सरकार को दिव्यांग जनों के लिये सुगमता सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक भवनों के लिये दिशा-निर्देश और मानक स्थापित करने का आदेश देता है।
    - इन मानकों में दिव्यांग जनों के लिये मानक निर्मित वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है।
    - सार्वजनिक भवनों सहित प्रत्येक प्रतिष्ठान को वर्ष 2016 के सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देशों के आधार पर इन मानकों का पालन करना होगा।
  - नियम 15 में हाल के संशोधनों के अनुसार प्रतिष्ठानों को वर्ष 2021 के सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की आवश्यकता है, जिससे दिव्यांग जनों के लिये सुगमता सुनिश्चित हो सके।
    - व्यापक दिशा-निर्देशों में दिव्यांग जनों के लिये रैंप, ग्रैब रेल, लिफ्ट और शौचालय जैसी विभिन्न सुगमता सुविधाओं वाली योजना, निविदा एवं विशिष्टताओं को शामिल किया गया है।
    - दिव्यांग जनों के लिये समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सभी भवन योजनाओं को इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिये।

- मौजूदा इमारतों को अभिगम मानकों को पूरा करने, दिव्यांग जनों के लिये बेहतर समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में पाँच वर्ष के भीतर रेट्रोफिटिंग से गुज़रना अनिवार्य है।

नोट:

- RPWD अधिनियम, 2016 में 21 अक्षमताओं में अंधापन, दृष्टि-बाधिता, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, श्रवण विकार/दोष (बहरा और सुनने में कठिनाई), चलन-संबंधी विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी (डिस्लेक्सिया), मल्टीपल स्केलेरॉसिस, वाक् एवं भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, बहु-विकलांगता, तेज़ाब हमले से प्रभावित और पार्किन्संस रोग शामिल हैं।

दिव्यांगों के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य पहल क्या हैं?

- अद्वितीय अक्षमता पहचान पोर्टल
- दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
- दिव्यांग जनों को सहायक उपकरणों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता
- दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप
- दिव्य कला मेला 2023
- सुगम्य भारत अभियान

वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक

वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार भारत ने 'अत्यंत निर्धनता' में जीवन-यापन करने वाले लोगों का अनुपात 3% से कम करने का सफल प्रयास किया है।

- यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित वर्ष 2030 के लक्ष्य के साथ 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से पहले लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **परिचय:**
  - वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक विश्व के लगभग सभी देशों के लिये वर्ष 2030 के लक्ष्य के साथ वास्तविक समय में निर्धनता अनुमान ट्रैक करती है और अत्यंत निर्धनता के उन्मूलन की दिशा में देशों की प्रगति की निगरानी करती है।
  - यह क्लॉक समग्र विश्व में अत्यंत निर्धनता में जीवन-यापन कर रहे लोगों की संख्या दर्शाता है, आयु, लिंग और ग्रामीण अथवा शहरी निवास के आधार पर उन्हें क्रमबद्ध करता है, गरीबी रेखा से उबरने तथा प्रत्येक सेकंड गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों के संबंध में वास्विक समय में उनकी संख्या दर्शाता है।
    - पलायन दर (Escape Rate) विश्व की कुल निर्धनता में हुई कमी की वर्तमान दर की गणना करती है।
  - यह कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष और जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

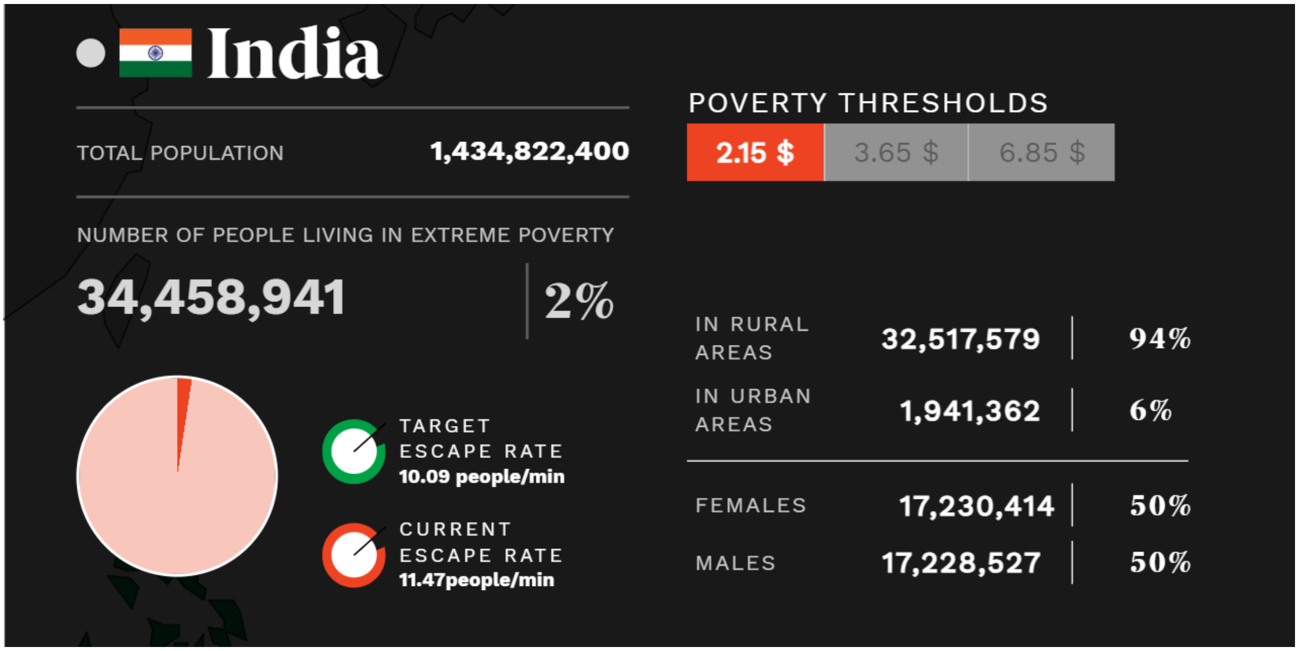

पद्धति और प्रमुख निष्कर्ष:

- गरीबी दर की गणना करते समय यह आय के स्तर को ध्यान में रखता है जिसमें गरीबी सीमा 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन निर्धारित की जाती है।
  - 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा, कुछ सबसे गरीब देशों में राष्ट्रीय गरीबी रेखा को दर्शाती है, जिसे आमतौर पर अत्यधिक गरीबी रेखा के रूप में जाना जाता है।
  - इसका प्रयोग वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी को 3% से कम करने के विश्व बैंक के लक्ष्य की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिये किया जाएगा।
- भारत में अत्यधिक गरीबी का सामना करने वाली जनसंख्या वर्ष 2022 में 4.69 करोड़ से घटकर वर्ष 2024 में लगभग 3.44 करोड़ हो गई, जो कुल जनसंख्या का 2.4% है।
  - ये आँकड़े नीति आयोग के CEO के दावे की पुष्टि करते हैं कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, सत्र 2022-23 के आधार पर, 5% से कम भारतीयों के गरीबी रेखा से नीचे होने का अनुमान है, अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो गई है।

अन्य वैश्विक लक्ष्य:

- SDG लक्ष्य 1.1 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक गरीबी उन्मूलन है, जो सभी देशों, क्षेत्रों और समूहों के लिये एक ही अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर शून्य गरीबी तक पहुँचने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है।

गरीबी पर नीति आयोग का हालिया दस्तावेज़:

- हाल ही में नीति आयोग के एक दस्तावेज़ में भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी का पता चला, जो वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई, जिससे 9 वर्ष की अवधि में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।
- दस्तावेज़ द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटा तथा NFHS डेटा के बिना वर्षों के अनुमान तरीकों का उपयोग करके वर्ष 2005-06 से वर्ष 2022-23 तक भारत में बहुआयामी गरीबी प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया।

Growth in poverty control

	Total population	Number of people living in extreme poverty	%
	(in crore)		
2016	132.37	7.59	5.7
2018	135.29	6.26	4.6
2020	138.21	6.73	4.9
2022	140.85	4.69	3.3
2024	143.48	3.44	2.4

Source: www.worldpoverty.io

महिलाएँ, व्यवसाय और कानून 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक समूह ने "महिला, व्यवसाय और कानून 2024" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वैश्विक कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश में बाधा डालने वाली चुनौतियों जो उनकी, परिवार की और उनके समुदाय की समृद्धि में योगदान करने की उनकी क्षमता में बाधा बन रही हैं, का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

महिला व्यवसाय और कानून- 2024 रिपोर्ट क्या है?

- इसके सूचकांक कानून और सार्वजनिक नीति के क्षेत्रों व उन आर्थिक निर्णयों से संबंधित हैं जो महिलाएँ अपने जीवन तथा करियर के दौरान लेती हैं। यह अभिनिर्धारित करती हैं कि कहाँ और किन क्षेत्रों में महिलाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- संकेतक: इसमें 10 संकेतक हैं- सुरक्षा, गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, बाल देखभाल, विवाह, पितृत्व, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन।

- हिंसा से सुरक्षा और बाल देखभाल सेवाओं तक पहुँच अत्यंत महत्त्वपूर्ण संकेतक हैं।

संबद्ध रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा?

- 74.4% स्कोर के साथ भारत की रैंक साधारण सुधार के साथ 113 हो गई। भारत का स्कोर वर्ष 2021 से स्थिर बना हुआ है किंतु इसकी रैंकिंग वर्ष 2021 में 122 थी जो वर्ष 2022 में घटकर 125 और वर्ष 2023 सूचकांक में 126 हो गई।
- भारतीय महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 60% कानूनी अधिकार हैं जो वैश्विक परिदृश्य में औसत 64.2% से थोड़ा कम है।
  - हालाँकि भारत ने दक्षिण एशियाई देशों से बेहतर प्रदर्शन किया, जहाँ महिलाओं को पुरुषों द्वारा प्राप्त कानूनी सुरक्षा का केवल 45.9% प्राप्त है।
- महिलाओं के संबंध में अवगमन की स्वतंत्रता और विवाह से संबंधित बाधाओं के विषय में भारत को पूर्ण अंक प्रदान किये गए।
- महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों का मूल्यांकन करने वाले संकेतक में भारत का स्कोर कम रहा।
  - संबद्ध विषय में सुधार करने हेतु भारत समान कार्य के लिये समान वेतन अनिवार्य करने, महिलाओं को पुरुषों के समान रात्रि में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने तथा महिलाओं को पुरुषों के साथ समान स्तर पर औद्योगिक नौकरियों में शामिल होने में सक्षम बनाने के संबंध में नीतियाँ क्रियान्वित कर सकता है।
- सहायक ढाँचे के विषय में भारत ने वैश्विक और दक्षिण एशियाई देशों से अधिक अंक प्राप्त किये।

भारत में बढ़ते मोटापे की समस्या

चर्चा में क्यों?

द लैंसेट में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने दुनिया भर में पिछले कुछ दशकों में बच्चों, किशोरों एवं वयस्कों में मोटापे की दर में चिंताजनक वृद्धि पर प्रकाश डाला है।

- यह व्यापक विश्लेषण विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से NCD के जोखिम कारकों पर सहयोग (NCD-RisC) द्वारा आयोजित किया गया था।
- अध्ययन में यह समझने हेतु बॉडी मास इंडेक्स पर गौर किया गया कि वर्ष 1990 से 2022 तक दुनिया भर में मोटापे और कम वज़न में परिदृश्य कैसे बदल गया है।

नोट:

- NCD-RisC दुनिया भर के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी देशों के लिये गैर-संचारी रोगों के प्रमुख जोखिम कारकों पर प्रमुख और समय पर डेटा प्रदान करता है।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **भारत के आँकड़े:**
  - मोटापा:
    - लैंसेट ने जारी किये कि वर्ष 2022 में भारत में 5-19 वर्ष की आयु के 12.5 मिलियन बच्चों (7.3 मिलियन लड़के और 5.2 मिलियन लड़कियाँ) को अत्यधिक अधिक वज़न वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो वर्ष 1990 में 0.4 मिलियन की महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।
    - लड़कियों और लड़कों में मोटापे की श्रेणी के प्रसार के मामले में भारत वर्ष 2022 में दुनिया में 174वें स्थान पर था।
    - वयस्क महिलाओं में मोटापे की दर वर्ष 1990 में 1.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 9.8% हो गई और इसी अवधि में पुरुषों में 0.5% से 5.4% हो गई।
  - कुपोषण:
    - भारत में भी अल्पपोषण की व्यापकता अधिक बनी हुई है, परिणामस्वरूप, भारत कुपोषण के उच्च "दोहरे बोझ" वाले देशों में से एक बन गया है।
  - 13.7% महिलाएँ एवं 12.5% पुरुष कम वज़न वाले थे।
    - दुबलापन, बच्चों में कम वज़न की एक माप जो लड़कियों में 20.3% की व्यापकता के साथ दुनिया में सबसे अधिक है।
  - यह 21.7% की व्यापकता के साथ लड़कों में दूसरे स्थान पर था।
- **वैश्विक:**
  - विश्व भर में मोटापे से ग्रस्त बच्चों, किशोरों और वयस्कों की कुल संख्या एक अरब से अधिक हो गई है।
    - कुल मिलाकर वर्ष 2022 में 159 मिलियन बच्चे और किशोर तथा 879 मिलियन वयस्क मोटापे से ग्रस्त थे।
  - मोटापे में वृद्धि के कारण अधिकांश देशों में कम वज़न और मोटापे का संयुक्त भार बढ़ गया है, जबकि दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कम वज़न और पतलापन प्रचलित है।
  - वर्ष 2022 में, कैरेबियन पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया के द्वीप देशों तथा मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों में कम वज़न व मोटापे का संयुक्त प्रसार सबसे अधिक था।
  - वर्ष 2022 में पतलेपन और मोटापे की संयुक्त व्यापकता वाले देश पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया तथा कैरेबियन दोनों लिंगों हेतु एवं चिली व कतर लड़कों के लिये थे।
    - भारत और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशिया के कुछ देशों में भी संयुक्त प्रसार अधिक था, जहाँ गिरावट के बावजूद पतलापन प्रचलित रहा।

पोषण सुधार से संबंधित भारत की क्या पहल हैं?

- ईट राइट मेला
- फिट इंडिया मूवमेंट
- ईट राइट स्टेशन प्रमाणन
- मिशन पोषण 2.0
- मध्याह्न भोजन योजना
- पोषण वाटिकाएँ
- आँगनवाड़ी
- समेकित बाल विकास सेवा योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

दुर्लभ रोग दिवस 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फरवरी के आखिरी दिन दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस दुर्लभ रोगों और रोगियों व उनके परिजनों पर उनके महत्त्वपूर्ण प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये समर्पित है।

दुर्लभ रोग दिवस क्या है?

- दुर्लभ रोग दिवस एक विश्व स्तर पर समन्वित आंदोलन है जो दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों के लिये सामाजिक अवसर, स्वास्थ्य देखभाल, निदान एवं उपचार तक पहुँच में समता सुनिश्चित करने की दिशा में समर्पित है।
- दुर्लभ रोग दिवस- 2024 का विषय "Share Your Colours" है, जो सहयोग और समर्थन पर बल देता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी (या लीप वर्ष में 29 फरवरी) को मनाया जाता था। दुर्लभ रोग दिवस का समन्वय यूरोपीय दुर्लभ रोग संगठन (European Organisation for Rare Diseases- EURORDIS) और 65 से अधिक राष्ट्रीय गठबंधन रोगी संगठन भागीदारों द्वारा किया जाता है।
- यह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुर्लभ रोग के प्रबंधन कार्य के लिये एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिसमें व्यक्तियों, परिवारों, देखभाल करने वालों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, शोधकर्त्ताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों तथा आम जनता को शामिल किया जाता है।

दुर्लभ रोग क्या है?

- **परिचय:**
  - दुर्लभ रोगों को सामान्य तौर पर मनुष्य में कभी-कभार होने वाली बीमारियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका प्रसार भिन्न-भिन्न देशों के बीच अलग-अलग होता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन दुर्लभ रोगों को प्राय: प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या उससे कम की व्यापकता के साथ जीवन पर्यंत दुर्बल करने वाली स्थितियों के रूप में परिभाषित करता है।
  - विभिन्न देशों की अपनी-अपनी परिभाषाएँ हैं; उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका 200,000 से कम रोगियों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को दुर्लभ मानता है, जबकि यूरोपीय संघ 10,000 लोगों में 5 से अधिक नहीं होने की सीमा निर्धारित करता है।
  - भारत में वर्तमान में कोई मानक परिभाषा नहीं है, लेकिन दुर्लभ रोगों के संगठन भारत (Organisation of Rare Diseases India- ORDI) ने सुझाव दिया है कि उस बीमारी को दुर्लभ रोग के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिये यदि यह 5,000 लोगों में से 1 या उससे कम को प्रभावित करता है।
- **वैश्विक दुर्लभ रोगों का बोझ:**
  - विश्वभर में 30 करोड़ लोग दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित हैं।
  - दुर्लभ बीमारियाँ लगभग 3.5% से 5.9% आबादी को प्रभावित करती हैं।
  - 72% दुर्लभ बीमारियाँ आनुवंशिक होती हैं, जिनमें से 7000 से अधिक में विभिन्न विकार और लक्षण देखने को मिलते हैं।
  - 75% दुर्लभ बीमारियाँ बच्चों को प्रभावित करती हैं। जिसमें 70% दुर्लभ बीमारियों की शुरुआत उन्हें बचपन में होती है।

दुर्लभ बीमारियों के लिये राष्ट्रीय नीति (NPRD), 2021

- NPRD, 2021 का लक्ष्य दुर्लभ बीमारियों की व्यापकता और घटनाओं को कम करना है।
- इनके उपचार आवश्यकताओं के आधार पर दुर्लभ बीमारियों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है: समूह 1, समूह 2 और समूह 3
  - समूह 1: एक बार उपचार योग्य विकार।
  - समूह 2: अपेक्षाकृत अल्प उपचार लागत के साथ दीर्घकालिक/आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले रोग।
  - समूह 3: इसके अंतर्गत वे बीमारियाँ शामिल हैं जिनका निश्चित उपचार उपलब्ध है किंतु रोगी चयन और उच्च उपचार लागत के संबंध में चुनौतियाँ मौजूद हैं।
- NPRD, 2021 राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत अंब्रेला योजना के अतिरिक्त NPRD-2021 में उल्लिखित किसी भी दुर्लभ रोग के किसी भी समूह से पीड़ित रोगियों और किसी भी उत्कृष्टता केंद्र (COE) में उपचार के लिये 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान करता है।

- RAN निर्दिष्ट दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिये अधिकतम 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

महिलाओं को सेना से बर्खास्त करने के लिये विवाह कोई आधार नहीं हो सकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय रक्षा मंत्रालय को सैन्य नर्सिंग सेवा (MNS) में एक पूर्व स्थायी कमीशन अधिकारी को मुआवज़े के रूप में 60 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

- यह निर्णय दिया गया है कि अधिकारी को उसके विवाह के आधार पर वर्ष 1988 में "गलत तरीके से" सेवा से मुक्त कर दिया गया था।

नोट: अगस्त 2023 तक, 7,000 से अधिक महिला कर्मी भारतीय सेना में सेवा दे रही हैं, इसके बाद भारतीय वायु सेना में 809 तथा नौसेना में 1306 महिला कर्मी कार्यरत हैं।

महिला सैन्य अधिकारियों की भर्ती के लिये नीतिगत फ्रेमवर्क

- महिला अधिकारियों को प्रारंभ में वर्ष 1992 में महिला विशेष प्रवेश योजना (Women Special Entry Scheme-WSES) के तहत भारतीय सेना में शामिल किया गया था।
  - WSES के तहत, उन्होंने सेना शिक्षा कोर और कोर ऑफ इंजीनियर्स जैसी कुछ नियत धाराओं में 5 वर्ष की अवधि तक सेवा की।
- हालाँकि उन्हें पैदल सेना और बख्तरबंद कोर जैसी कुछ भूमिकाओं पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।
- वर्ष 2006 में, WSES को शॉर्ट सर्विस कमीशन योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसने महिला अधिकारियों को WSES से SSC में स्विच करने का विकल्प दिया।

SSC के तहत पुरुषों को दस वर्षों के लिये कमीशन दिया जाता था, जिसे चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। SSC में पुरुषों के पास पर्मानेंट कमीशन (PC) चुनने का विकल्प होता है।

लिम्फेटिक फाइलेरियासिस

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस (Lymphatic filariasis - LF) उन्मूलन के लिये द्वि-वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (Mass Drug Administration- MDA) अभियान का पहला चरण शुरू किया।

नोट:

- अभियान का उद्देश्य बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को मुफ्त निवारक दवाएँ (providing free preventive medications) प्रदान करके बीमारी के संचरण को रोकना है। यह अभियान 11 राज्यों के 92 ज़िलों को कवर करेगा।

लिम्फेटिक फाइलेरियासिस (Lymphatic Filariasis) क्या है?

- **परिचय:**
  - लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे आमतौर पर हाथीपाँव रोग (एलिफेंटियासिस) के रूप में जाना जाता है, परजीवी संक्रमण के कारण होने वाला एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Disease- NTD) है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है।
- **वैश्विक प्रसार:**
  - 44 देशों में 882 मिलियन से अधिक लोग हाथीपाँव रोग/लिम्फेटिक फाइलेरियासिस (Lymphatic Filariasis) के खतरे का सामना करते हैं और उन्हें निवारक कीमोथेरेपी (Preventive Chemotherapy) की आवश्यकता होती है।
  - भारत में LF एक गंभीर लोक स्वास्थ्य समस्या है। वर्तमान में, देश के 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 345 लिम्फैटिक फाइलेरिया स्थानिक ज़िले हैं।
    - MDA के 75% ज़िले 5 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना से हैं।
  - लिम्फेटिक फाइलेरियासिस शहरी गरीबों में अधिक प्रचलित है और ग्रामीण आबादी के सभी वर्गों को प्रभावित करता है।
- **प्रभाव:**
  - संक्रमण बचपन में शुरू होकर वयस्कता तक संचय होता है, जिसके परिणामस्वरूप अपरिवर्तनीय दीर्घकालिक रोग की स्थिति पैदा होती है।
    - यह बीमारी कलंक, मानसिक पीड़ा, सामाजिक अभाव और आर्थिक नुकसान पहुँचाती है तथा प्रभावित समुदायों में गरीबी का एक प्रमुख कारण है।
- **कारण और संचरण:**
  - परजीवी संक्रमण (Parasitic Infection):
    - लिम्फैटिक फाइलेरियासिस फिलारियोडिडिया परिवार के नेमाटोड (roundworms) के रूप में वर्गीकृत परजीवियों (Parasitic) के संक्रमण के कारण होता है। फाइलेरिया जैसे ये कृमि (worms) तीन प्रकार के होते हैं:

- वुचेरेरिया बैन्क्रॉफ्टी (Wuchereria Bancrofti), जो 90% मामलों के लिये उत्तरदायी होता है।
- ब्रुगिया मलाई (Brugia Malayi), जो शेष अधिकांश मामलों का कारण बनता है।
- ब्रुगिया टिमोरी (Brugiya Timori), भी इस रोग का कारण है।
- संचरण (Transmission) चक्र:
  - वयस्क कीड़े लसीका वाहिकाओं(lymphatic vessels) में रहते हैं, जो माइक्रोफिलारिया का उत्पादन करते हैं जो रक्त में फैलते हैं।
  - मच्छर किसी संक्रमित मेज़बान को काटने से संक्रमित हो जाते हैं और लार्वा को मनुष्यों तक पहुँचाते हैं, जिससे संचरण चक्र कायम रहता है।

लक्षण और जटिलताएँ:

- लक्षण रहित और दीर्घकालिक स्थितियाँ:
  - अधिकांश संक्रमण लक्षण रहित होते हैं किंतु इसकी दीर्घकालिक स्थितियों से लिम्फोएडेमा (अंगों की सूजन), हस्तिपाद/एलिफेंटियासिस (त्वचा/ऊतकों का स्थूल होना) तथा हाइड्रोसील (अंडकोश की सूजन) की समस्या हो सकती है जिससे शरीर में विकृति तथा मनोवैज्ञानिक विकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती।
- तीव्र प्रकरण:
  - तीव्र शोथ (Inflammation) की स्थिति अमूमन दीर्घकालिक स्थितियों से संबंधित है जो संक्रमित व्यक्तियों में दुर्बलता तथा उनकी कार्यक्षमता प्रभावित करने का कारण बनती है।

उपचार एवं रोकथाम:

- निवारक कीमोथेरेपी:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की रोकथाम के लिये MDA के साथ-साथ प्रभावित लोगों को वार्षिक रूप से निवारक दवाएँ वितरित करने की सिफारिश की।

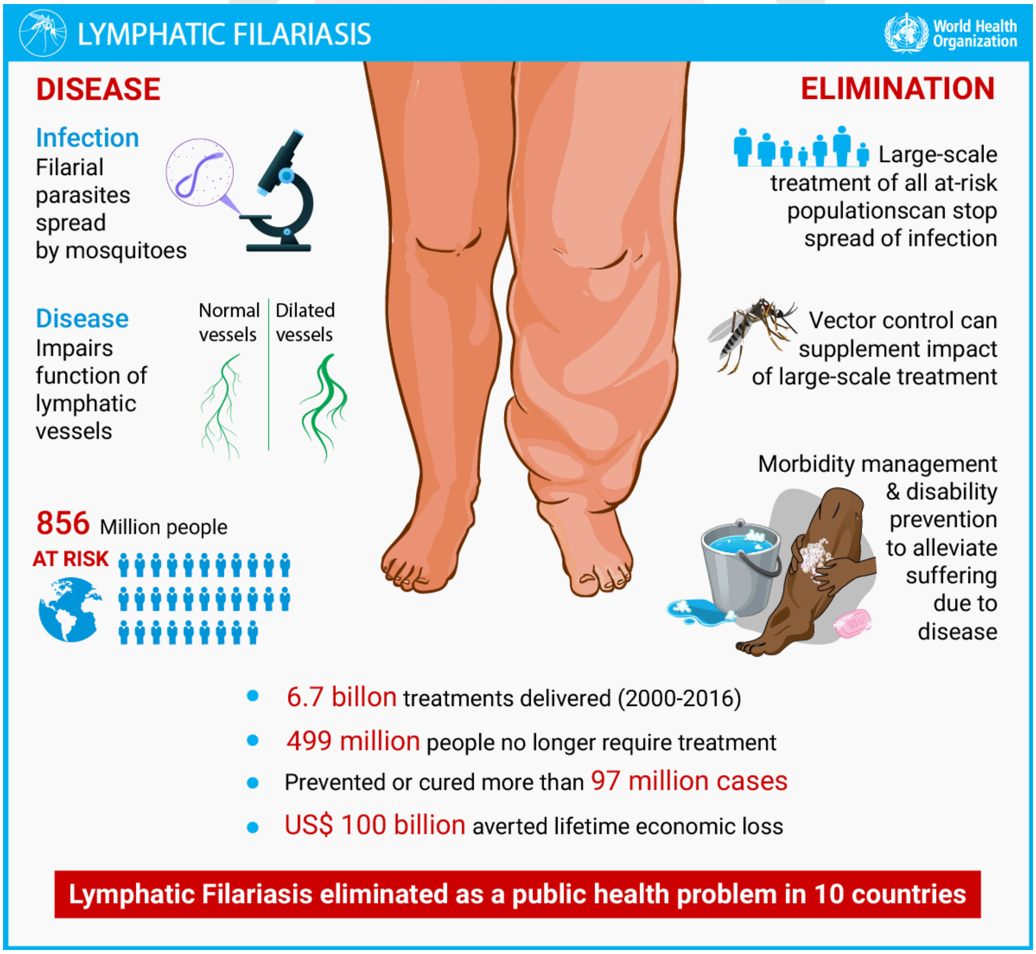

- MDA रेजीमेन्स/नियम:
  - अन्य फाइलेरिया रोगों के साथ सह-स्थानिकता के आधार पर, माइक्रोफाइलेरिया घनत्व को कम करने और संचरण को रोकने के लिये विभिन्न उपचार नियमों के अनुपालन की सलाह दी जाती है।
- रुग्णता प्रबंधन:
  - दीर्घकालिक स्थितियों के निदान और रोग को बढ़ने से रोकने के लिये सर्जरी, स्वच्छता उपाय तथा नैदानिक देखभाल आवश्यक है।
- वेक्टर नियंत्रण:
  - मच्छर नियंत्रण जैसी रणनीतियाँ संचरण को कम करने तथा निवारक कीमोथेरेपी प्रयासों को पूरक बनाने में मदद करती हैं।

WHO की प्रतिक्रिया और लक्ष्य:

- लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन हेतु वैश्विक कार्यक्रम (GPELF):
  - इसका शुभारंभ वर्ष 2000 में किया गया था तथा इसका लक्ष्य निवारक कीमोथेरेपी और रुग्णता प्रबंधन के माध्यम से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मौजूद लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करना है।
  - वर्ष 2020 में GPELF ने नए NTD रोड मैप (2021–2030) के लिये निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये:
- मान्यता: 80% स्थानिक देशों (58) ने MDA के बाद कम संक्रमण दर बनाए रखते हुए उन्मूलन के सत्यापन के मानदंडों को पूरा/मान्य किया।
- अनुवीक्षण: सभी स्थानिक देशों (72) को रोग के पुन: संचरण को रोकने के लिये अनुवीक्षण की आवश्यकता है।
- MDA में कमी: आबादी के बड़े हिस्से पर औषधियों के प्रयोग की अनिवार्यता को कम करना।

भारत की पहल:

- मिशन मोड इंडिया मल्टी-ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान वर्ष में दो बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10 फरवरी और 10 अगस्त) के साथ समन्वयित किया जाता है।
- भारत वैश्विक लक्ष्य (2030) से तीन वर्ष पूर्व, वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।

SMILE के माध्यम से एक समावेशी समाज का निर्माण

चर्चा में क्यों?

2021 में आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE) योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण तथा व्यापक पुनर्वास के लिये केंद्रीय क्षेत्र योजना का शुभारंभ शामिल था।

ट्रांसजेंडर कौन हैं?

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल, 2019 के अनुसार, ट्रांसजेंडर का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसका लिंग उस व्यक्ति के जन्म के समय दिये गए लिंग से मेल नहीं खाता है।
- इसमें ट्रांस-मेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-वूमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं एवं जेंडर क्वीर (Queer) आते हैं।
- भारत की 2011 की जनगणना अपने इतिहास में देश की 'किन्नर/ट्रांस' आबादी को शामिल करने वाली पहली जनगणना थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 4.8 मिलियन भारतीयों की पहचान ट्रांसजेंडर के रूप में की गई है।

SMILE योजना क्या है?

परिचय:

- यह भिखारियों और ट्रांसजेंडर्स के लिये मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद एक नई योजना है।
  - SMILE की दो उप-योजनाएँ - एक 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना' तथा दूसरी 'भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिये केंद्रीय क्षेत्र योजना' ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के लिये व्यापक कल्याण एवं पुनर्वास उपाय प्रदान करना।
- यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय घरों के उपयोग का प्रावधान करती है।
- मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता की स्थिति में, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए समर्पित आश्रय गृह स्थापित किये जाते हैं।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के केंद्र में बड़े पैमाने पर पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज़, शिक्षा, कौशल विकास आदि हैं।

- अनुमान है कि इस योजना के तहत लगभग 60,000 सबसे निर्धन व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु लाभान्वित किया जाएगा।
  - यह कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान करता है ताकि वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।
  - इसमें PM-DAKSH योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका के प्रावधान हैं।
  - समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य के माध्यम से यह चयनित अस्पतालों के माध्यम से लिंग-पुनर्पुष्टि सर्ज़री का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana - PM-JAY) के साथ मिलकर एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है।
  - 'गरिमा गृह' के रूप में आवास सुविधा ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को भोजन, कपड़े, मनोरंजन सुविधाएँ, कौशल विकास के अवसर, मनोरंजक गतिविधियाँ एवं चिकित्सा सहायता आदि सुनिश्चित करती है।
- **कार्यान्वयन:**
  - इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (CBOs), संस्थानों और अन्य के सहयोग से लागू किया जाएगा।
  - प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल का प्रावधान अपराधों के मामलों की निगरानी करेगा और अपराधों का समय पर पंजीकरण, जाँच एवं अभियोजन सुनिश्चित करेगा।
  - राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन ट्रांसजेंडर समुदाय तथा इस कार्य में लगे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक जानकारी एवं समाधान प्रदान करेगा।
- **ट्रांसजेंडर के व्यापक पुनर्वास के लिये योजना:**
  - यह योजना पायलट आधार पर उन चयनित शहरों में लागू की गई है, जहाँ भिक्षावृत्ति और ट्रांसजेंडर समुदाय की बड़ी आबादी है।
  - वर्ष 2019-20 के दौरान इस मंत्रालय ने भिखारियों के लिये कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD) को 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) को 70 लाख रुपए की राशि जारी की थी।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये विभिन्न पहल क्या हैं ?

- एक विशेष आयुष्मान भारत TG प्लस कार्ड के प्रावधान के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 50 से अधिक स्वास्थ्य लाभ सेवाओं का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत योजना में कॉस्मेटिक उपचार और पहली बार लिंग परिवर्तन शामिल है।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने अपने नीति दिशानिर्देशों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये समर्पित शौचालयों को शामिल किया।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल
- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय परिषद
- पहचान का प्रमाण पत्र
- समान अवसर नीति

कैंसर का वैश्विक प्रभाव: WHO

चर्चा में क्यों ?

विश्व कैंसर दिवस (4 फरवरी) से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की कैंसर एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था (IARC) ने वर्ष 2022 में कैंसर के वैश्विक प्रभाव का नवीनतम अनुमान जारी किया।

- IARC के अनुमानों ने कैंसर के बढ़ते बोझ, वंचित आबादी पर असंगत प्रभाव तथा विश्व भर में कैंसर की असमानताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

WHO द्वारा 2022 में कैंसर के वैश्विक प्रभाव के प्रमुख बिंदु क्या हैं ?

- **वैश्विक प्रभाव:**
  - 20 मिलियन नए कैंसर के मामलों के साथ वर्ष 2022 में अनुमानित रूप से 9.7 मिलियन मौतें हुईं।
  - कैंसर निदान के बाद 5 वर्षों के भीतर जीवित लोगों की अनुमानित संख्या 53.5 मिलियन थी।
    - लगभग 5 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर से पीड़ित होता है।
- **सामान्य कैंसर के प्रकार:**
  - वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग दो-तिहाई नए मामले और मौतें 10 प्रकार के कैंसर से हुईं।
  - फेफड़े का कैंसर विश्व में सर्वाधिक सामान्य है, जिसके 2.5 मिलियन नए मामले सामने आए हैं, जो कुल नए मामलों का 12.4% है।
  - महिलाओं में होने वाला स्तन कैंसर दूसरे स्थान पर है (2.3 मिलियन मामले, 11.6%), इसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और पेट का कैंसर है।

- **मृत्यु के प्रमुख कारण:**
  - फेफड़ों का कैंसर, कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण था (1.8 मिलियन मौतें, कुल कैंसर से होने वाली मौतों का 18.7%), इसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर (900,000 मौतें, 9.3%), लीवर कैंसर, स्तन कैंसर और पेट का कैंसर था।
    - सर्वाधिक सामान्य कैंसर के रूप में फेफड़ों के कैंसर का फिर से उभरना एशिया में लगातार तंबाकू के प्रयोग से संबंधित है।
- **कैंसर में असमानताएँ:**
  - मानव विकास के अनुसार कैंसर के मामलों में अत्यधिक असमानताएँ रही हैं। यह स्तन कैंसर के लिये विशेष रूप से सही है।
  - अत्यधिक उच्च HDI (मानव विकास सूचकांक) वाले देशों में 12 में से 1 महिला को अपने जीवनकाल में स्तन कैंसर का निदान किया जाता हैं और साथ ही 71 में से 1 महिला की इससे मृत्यु हो जाती है।
    - इसके विपरीत निम्न HDI वाले देशों में 27 में से केवल एक महिला को अपने जीवनकाल में स्तन कैंसर का पता चलता है, 48 में से एक महिला की इससे मृत्यु हो जाती है।
  - उच्च HDI देशों की महिलाओं की तुलना में निम्न HDI देशों में महिलाओं में स्तन कैंसर का निदान होने की संभावना 50% कम है, फिर भी देर से निदान और गुणवत्तापूर्ण उपचार तक अपर्याप्त पहुँच के कारण बीमारी से मृत्यु का जोखिम कहीं अधिक है।

भारत से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- भारत में 1,413,316 नए मामले दर्ज किये गए, जिनमें महिला रोगियों का अनुपात अधिक है- 691,178 पुरुष और 722,138 महिलाएँ।
- 192,020 नए मामलों के साथ स्तन कैंसर का अनुपात सबसे अधिक है, जो सभी रोगियों में 13.6 प्रतिशत और महिलाओं में 26 प्रतिशत से अधिक है।
- भारत में, स्तन कैंसर के बाद होंठ और मौखिक गुहा (Oral cavity) [143,759 नए मामले, 10.2 प्रतिशत, गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) तथा गर्भाशय (Uterine), फेफड़े एवं ग्रासनली (Oesophagal) कैंसर के मामले सामने आए।
  - एशिया में कैंसर के बोझ का आकलन करने हेतु WHO द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन जिसे द लैंसेट रीजनल हेल्थ में प्रकाशित किया गया के अनुसार, वर्ष 2019 में कैंसर के कारण होने वाली कुल मौतों में अकेले भारत की हिस्सेदारी 32.9% थी, साथ ही होंठ और मौखिक गुहा कैंसर के 28.1% नए मामले भी सामने आए।
  - भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देशों में होंठ तथा मौखिक गुहा कैंसर/ओरल कैंसर का कारण खैनी, गुटखा, सुपारी एवं पान मसाला जैसे धुआँरहित तंबाकू (SMT) के व्यापक उपभोग है। विश्व भर में, मौखिक कैंसर के 50% मामलों के लिये SMT उत्तरदायी है।
- लैंसेट ग्लोबल हेल्थ 2023 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के कारण होने वाली कुल मौतों में से 23% मौतें भारत में हुईं।
  - भारत में, सर्वाइकल कैंसर होने के बाद पाँच वर्षों तक जीवित रहने की दर 51.7% थी। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे उच्च आय वाले देशों की तुलना में भारत में जीवित रहने की दर कम है।

विश्व कैंसर दिवस से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:**
  - विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) के नेतृत्व में हर साल 4 फरवरी को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है।
    - कैंसर शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित, असामान्य वृद्धि के कारण होता है जो अधिकांश कारणों में गाँठ या ट्यूमर का कारण बनता है।
  - पहली बार 4 फरवरी, 2000 को पेरिस में नई सहस्राब्दी के लिये कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन (World Summit Against Cancer for the New Millennium) में मनाया गया था।
    - पेरिस चार्टर का मिशन अनुसंधान को बढ़ावा देना, कैंसर को रोकना, रोगी सेवाओं में सुधार करना, जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक समुदाय को कैंसर के खिलाफ प्रगति के लिये प्रेरित करना है तथा इसमें विश्व कैंसर दिवस को अपनाना भी शामिल है।
- **वर्ष 2024 थीम:**
  - क्लोज़ द केयर गैप:
    - इस थीम का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में कैंसर के बढ़ते बोझ का एकसमान तरीके से निवारण करने हेतु लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए संसाधन जुटाना है जिससे पीड़ितों को कैंसर के विरुद्ध व्यवस्थित परीक्षण, शीघ्र निदान तथा उपचार तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

कैंसर

- यह एक जटिल और व्यापक शब्द है जिसका उपयोग शरीर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि तथा प्रसार से होने वाली बीमारियों के एक समूह का वर्णन करने के लिये किया जाता है।

- ये असामान्य कोशिकाएँ, जिन्हें कैंसर कोशिकाएँ कहा जाता है, स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर आक्रमण करने तथा उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती हैं।
- एक स्वस्थ शरीर में कोशिकाएँ विनियमित तरीके से विकसित होती हैं, विभाजित होती हैं और नष्ट हो जाती हैं, जिससे ऊतकों तथा अंगों के सामान्य संचालन की अनुमति मिलती है।
  - हालाँकि कैंसर के मामले में कुछ आनुवंशिक उत्परिवर्तन या असामान्यताएँ इस सामान्य कोशिका चक्र को बाधित करती हैं, जिससे कोशिकाएँ विभाजित होती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं।

सर्वाइकल कैंसर

- सर्वाइकल कैंसर महिला के गर्भाशय ग्रीवा (योनि से गर्भाशय का प्रवेश द्वार) में विकसित होता है।
- सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले (99%) उच्च जोखिम वाले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) संक्रमण से संबंधित होते हैं जो यौन संपर्क के माध्यम से संचरित सबसे सामान्य विषाणु है।
  - दो HPV प्रकार (16 और 18) उच्च जोखिम वाले लगभग 50% सर्वाइकल प्री-कैंसर का कारण बनते हैं।
- वैश्विक स्तर पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे सामान्य कैंसर है। वर्ष 2020 में विश्व भर में सर्वाइकल कैंसर के लगभग 90% नए मामले तथा मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुईं।

कैंसर के उपचार हेतु कौन-सी सरकारी पहलें की गई हैं:

- अंतरिम बजट 2024-25 में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिये 9-14 वर्ष की लड़कियों के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया गया है।
- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड
- राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
- HPV वैक्सीन

सरोगेसी नियमों में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन किया है और साथ विवाहित जोड़ों को किसी दाता के अंडे अथवा शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति दी है, यदि कोई साथी किसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है।

- इसने मार्च 2023 में नियमों में किये गए पिछले संशोधन को बदल दिया, जिसमें दाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

संशोधित सरोगेसी नियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- पृष्ठभूमि: मार्च 2023 के संशोधित नियमों ने केवल इच्छुक जोड़े के स्वयं के युग्मकों के उपयोग की अनुमति दी, विशिष्ट चिकित्सीय स्थितियों वाले जोड़ों को सरोगेसी के माध्यम से जैविक बच्चे को जन्म देने से रोक दिया था।
  - इन प्रतिबंधों ने संकट को जन्म दिया और साथ ही प्रभावित जोड़ों के लिये माता-पिता बनने के अधिकार को चुनौती भी दी।
  - इसे मेयर-रोकितांस्की-कुस्टर-हाउजर सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो एक जन्मजात विकार है और साथ ही बांझपन का कारण भी बनता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों की प्रभावकारिता के बारे में संदेह व्यक्त किया और कहा कि ऐसे नियम सरोगेसी के मूल उद्देश्यों को कमज़ोर करते हैं।
- हाल के संशोधित प्रावधान: यह प्रदाता युग्मक के साथ सरोगेसी की अनुमति देता है यदि इच्छुक दंपति में से किसी एक को ज़िला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण प्रदाता युग्मक की आवश्यकता के लिये प्रामाणित किया गया हो।
  - इसका तात्पर्य यह है कि यदि दंपति में चिकित्सीय समस्याएँ हैं तो वे अभी भी सरोगेसी का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।
  - सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली तलाकशुदा या विधवा महिलाओं के लिये प्रदाता शुक्राणु के साथ महिला के स्वयं के अंडाणुओं का प्रयोग अनिवार्य है।

सरोगेसी क्या है?

- **परिचय:** सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक महिला, जिसे सरोगेट मदर/जननी के रूप में जाना जाता है, किसी अन्य व्यक्ति या दंपति के लिये बच्चे को पोषण और प्रसव हेतु सहमत होती है, जिसे इच्छित माता-पिता के रूप में जाना जाता है।
- **प्रकार:**
  - पारंपरिक सरोगेसी: पारंपरिक सरोगेसी में सरोगेट के अंडाणु को निषेचित करने के लिये इच्छित जनक के शुक्राणु का प्रयोग करना शामिल है।
    - सरोगेट गर्भाकाल को पूरा करती है और परिणामी शिशु जैविक/वास्तविक रूप से सरोगेट माँ तथा इच्छित पिता से संबंधित होता है।
  - जेस्टेशनल सरोगेसी: जेस्टेशनल सरोगेसी में, बच्चा जैविक रूप से सरोगेट से संबंधित नहीं होता है।
    - इच्छित पिता के शुक्राणु (या दाता शुक्राणु) और जैविक माँ के अंडे (या दाता अंडे) का उपयोग करके बनाया गया भ्रूण, उसके कार्यकाल के लिये सरोगेट के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है।

- **सरोगेसी व्यवस्था:**
  - परोपकारी सरोगेसी: इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज़ के अतिरिक्त सरोगेट माँ के लिये किसी मौद्रिक मुआवज़े को शामिल नहीं किया गया है।
    - परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट के लिये प्राथमिक उद्देश्य आमतौर पर किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े को बच्चे को जन्म देने और उनके सपने को पूरा करने में मदद करना है।
  - वाणिज्यिक सरोगेसी: इसमें बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज़ से अधिक मौद्रिक लाभ या इनाम (नकद या वस्तु के रूप में) के लिये की गई सरोगेसी या उससे संबंधित प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
    - यह मुआवज़ा स्थान, कानूनी नियमों और सरोगेसी समझौते की विशिष्ट शर्तों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है।

भारत में सरोगेसी से संबंधित अन्य प्रावधान क्या हैं?

- **अनुमति:** सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के तहत, सरोगेसी केवल परोपकारी उद्देश्यों, बाँझपन या बीमारी वाले युगल हेतु स्वीकार्य है।
  - बिक्री या शोषण के प्रयोजन सहित वाणिज्यिक सरोगेसी सख्ती से प्रतिबंधित है।
- **सरोगेसी के संबंध में दंपत्तियों के लिये पात्रता आवश्यकताएँ:** युग्म को न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिये विवाहित होना आवश्यक है।
  - पत्नी की आयु 25-50 वर्ष के बीच और पति की आयु 26-55 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
  - दिव्यांग अथवा गंभीर विकार से ग्रस्त बच्चों के मामलों के अतिरिक्त, दंपति का जैविक, दत्तक अथवा सरोगेसी के माध्यम से जन्मा कोई भी जीवित बच्चा नहीं होना चाहिये।
- **सरोगेट माता हेतु मानदंड:** सरोगेट माता का दंपत्ति का निकट संबंधी होना आवश्यक है।
  - वह एक विवाहित महिला होनी चाहिये और उसका स्वयं का बच्चा होना चाहिये।
  - उसे 25 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिये तथा उसने पहले सरोगेसी न की हो।
- **जन्म पर माता-पिता की स्थिति:** सरोगेसी की प्रक्रिया से जन्म लेने वाले शिशु को इच्छुक दंपत्ति का जैविक बच्चा माना जाता है।
  - भ्रूण के गर्भपात के लिये गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सरोगेट माता और संबंधित अधिकारियों दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है।

कालाज़ार

भारत ने कालाज़ार को ख़त्म करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल की, पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2023 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से भी कम मामले सामने आए।

- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के आँकड़ों से पता चला है कि कालाज़ार के मामलों में गिरावट आई है। वर्ष 2023 में 595 मामले और 4 मौतें दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2022 में 891 मामले तथा 3 मौतें हुईं।

नोट:

- भारत में अभी तक कालाज़ार का उन्मूलन नहीं हुआ है लेकिन अपने उन्मूलन लक्ष्य की दिशा में भारत ने पर्याप्त प्रगति की है।
  - कालाज़ार उन्मूलन के लिये भारत का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2010 था, जिसे बाद में वर्ष 2015, 2017 और फिर वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में उप-ज़िला (ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) स्तर पर प्रति 10,000 लोगों पर 1 से कम मामले होने के कारण कालाज़ार के उन्मूलन को परिभाषित करता है। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, कालाज़ार उन्मूलन प्रमाणन के लिये उन्मूलन को 3 वर्षों तक जारी रखा जाना है।
  - यह देखते हुए कि भारत कालाज़ार उन्मूलन के लिये कम-से-कम चार बार समय-सीमा से चूक गया है, भारत को WHO प्रमाणन प्राप्त करने के लिये अगले 3 वर्षों तक इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
- वर्ष 2023 में भारत का पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाज़ार का उन्मूलन करने के लिये WHO द्वारा मान्यता प्राप्त पहला देश था।

कालाज़ार के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:**
  - कालाज़ार (विसेरल लीशमैनियासिस), जिसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, एक घातक बीमारी है जो जीनस लीशमैनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है।
- **लक्षण:**
  - इसमें बुखार के अनियमित दौरे, वज़न में कमी, प्लीहा और यकृत का बढ़ना तथा एनीमिया शामिल हैं।
- **प्रसार:**
  - अधिकांश मामले ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीका और भारत में होते हैं। अनुमान है कि विश्व में प्रतिवर्ष विसेरल लीशमैनियासिस (VL) के 50,000 से 90,000 नए मामले सामने आते हैं, जिनमें से केवल 25-45% ही WHO को रिपोर्ट किये जाते हैं। यदि समय पर उपचार नहीं किया गया तो यह रोग मृत्यु का कारण बन सकता है।

- **संचरण:**
  - लीशमैनिया परजीवी संक्रमित मादा सैंडफ्लाई के काटने से फैलते हैं, जो अंडे के उत्पादन के लिये रक्त का सेवन करती हैं। मनुष्यों सहित 70 से अधिक पशु प्रजातियों में ये परजीवियाँ पाई जाती हैं।
- **प्रमुख जोखिम कारक:**
  - गरीबी, खराब आवास और स्वच्छता।
  - आहार में आवश्यक पोषक तत्त्वों की कमी होती है।
  - उच्च-संचरण क्षेत्रों में आवाजाही।
  - शहरीकरण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन।
- **निदान और उपचार:**
  - विसेरल लीशमैनियासिस के संदिग्ध मामलों में तत्काल चिकित्सीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। निदान में पैरासिटोलॉजिकल या सीरोलॉजिकल परीक्षणों के साथ संयुक्त नैदानिक संकेत शामिल होते हैं।
    - यदि इसका उपचार न किया जाए तो 95% मामलों में यह घातक हो सकता है।
- **रोकथाम एवं नियंत्रण:**
  - रोग की व्यापकता को कम करने के साथ-साथ विकलांगता तथा मृत्यु को रोकने के लिये शीघ्र निदान एवं त्वरित उपचार महत्त्वपूर्ण हैं।
  - वेक्टर नियंत्रण, जैसे कि कीटनाशक स्प्रे एवं कीटनाशक उपचारित जाल का उपयोग करने के साथ सैंडफ्लाई से बचाव आदि के माध्यम से संचरण को कम करने में सहायता प्राप्त होती है।
  - महामारी तथा उच्च मृत्यु दर मामलों एवं रोग पर कार्रवाई के लिये प्रभावी निगरानी महत्त्वपूर्ण है।
  - प्रभावी नियंत्रण के लिये सामुदायिक शिक्षा एवं हितधारकों के साथ सहयोग सहित सामाजिक लामबंदी तथा मज़बूत भागीदारी महत्त्वपूर्ण हैं।
- **कालाज़ार पर नियंत्रण हेतु भारत के प्रयास:**
  - भारत सरकार ने वर्ष 1990-91 में एक केंद्र प्रायोजित कालाज़ार नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया, जिसे बाद में वर्ष 2015 में संशोधित किया गया।
    - कार्यक्रम का लक्ष्य WHO द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों रोडमैप लक्ष्य 2030 के अनुरूप वर्ष 2023 तक कालाज़ार को समाप्त करना था।
  - राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP), 2003 वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, लिम्फैटिक फाइलेरिया, कालाज़ार एवं चिकनगुनिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये एक व्यापक कार्यक्रम है।
  - हालिया प्रयास:
    - सैंडफ्लाई प्रजनन स्थलों को कम करने के उद्देश्य से कठोर इनडोर अवशिष्ट छिड़काव प्रयास तथा मिट्टी की दीवारों में दरारें बंद करके, सैंडफ्लाई को एकत्रित होने से रोका जा सकता हैं।
    - PMAY-G के तहत, कालाज़ार (KA) प्रभावित गाँवों में पक्के घर बनाए गए हैं, वर्ष 2017-18 में कुल 25,955 आवास बनाए गए (जिनमें से 1371 बिहार में तथा 24584 झारखंड में थे)।
    - PKDL रोगियों के लिये उपचार पूरा करना सुनिश्चित करने के लिये मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता नेटवर्क का नियोजन किया गया जिन्हें मिल्टेफोसिन (एक कालाज़ार-रोधी/एंटीलिशमैनियल एजेंट) के 12-सप्ताह के सेवन की आवश्यकता होती है।

पोस्ट-कालाज़ार त्वचीय लीशमैनियासिस (PKDL):

- PKDL एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जो आंत के लीशमैनियासिस (कालाज़ार) के बाद उत्पन्न होती है जिससे मुख, बाहों और धड़ भाग पर चकत्ते (Rashes) पड़ जाते हैं।
- यह मुख्य रूप से सूडान और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है तथा कालाज़ार के 5-10% रोगियों में यह विकसित होता है।
- PKDL, कालाज़ार उपचार के 6 माह से एक वर्ष बाद हो सकता है जिससे संभावित रूप से लीशमैनिया संचारित हो सकता है।

गिनी कृमि रोग

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक हालिया अध्ययन ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक अविश्वसनीय उपलब्धि पर प्रकाश डाला है: गिनी कृमि रोग का शीघ्र उन्मूलन।

- इस परजीवी रोग के कुछ मामले अभी भी शेष हैं जिसने 1980 के दशक में लाखों लोगों को पीड़ित किया था, जो इसके उन्मूलन में मानव दृढ़ता एवं समन्वित प्रयासों की सफलता का संकेत प्रदान करता है।

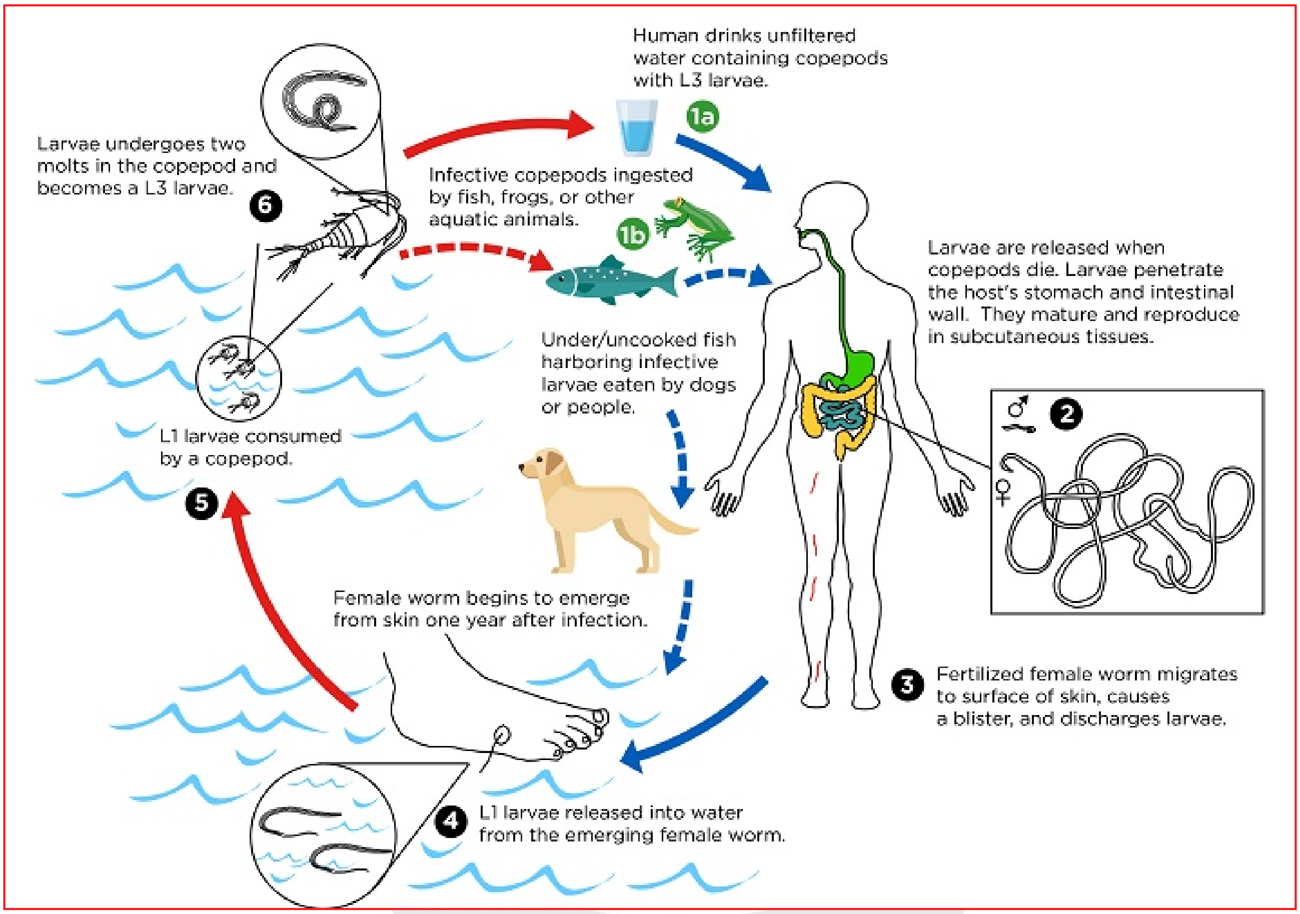

गिनी कृमि रोग के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - गिनी कृमि रोग अथवा ड्रैकुनकुलियासिस, गिनी कृमि (ड्रेकुनकुलस मेडिनेंसिस) के कारण होता है, एक परजीवी नेमाटोड एक दुर्बल करने वाला परजीवी रोग है जो संक्रमित व्यक्तियों को हफ्तों या महीनों के लिये निष्क्रिय कर देता है।
  - यह मुख्य रूप से ग्रामीण, वंचित एवं पृथक समुदायों के लोगों को प्रभावित करता है जो पीने के लिये स्थिर सतही जल स्रोतों पर निर्भर हैं।
  - 1980 के दशक के मध्य में दुनिया भर के 20 देशों में, मुख्य रूप से अफ्रीका तथा एशिया में ड्रैकुनकुलियासिस के अनुमानित 3.5 मिलियन मामले सामने आए।
- **संचरण, लक्षण एवं प्रभाव:**
  - यह परजीवी तब फैलता है जब लोग परजीवी-संक्रमित जल पिस्सू से दूषित रुका हुआ पानी पीते हैं।
  - जैसे-जैसे कृमि विकसित होता है, यह स्थिति कष्टदायी त्वचा घावों के साथ ही हफ्तों तक गंभीर पीड़ा, सूजन एवं द्वितीयक संक्रमण का कारण बनती है।
  - 90% से अधिक संक्रमण टांगों एवं पैरों में होते हैं, जिससे व्यक्तियों की गतिशीलता तथा दैनिक कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है।
- **रोकथाम:**
  - गिनी कृमि रोग के उपचार के लिये कोई टीका या दवा नहीं है, लेकिन इसके रोकथाम रणनीतियाँ सफल रही हैं।
    - रणनीतियों में गहन निगरानी, उपचार एवं घाव की देखभाल के माध्यम से कृमि से संचरण को रोकना, पीने से पहले पानी को साफ करना, लार्विसाइड का उपयोग के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है।
- **उन्मूलन की राह:**
  - गिनी कृमि रोग को उन्मूलन करने के प्रयास 1980 के दशक में शुरू हुए, जिसमें WHO जैसे संगठनों का महत्त्वपूर्ण योगदान था।
    - कम-से-कम लगातार तीन वर्षों तक शून्य मामलों की रिपोर्ट करने के बाद देशों को ड्रैकुनकुलियासिस संचरण से मुक्त प्रामाणित किया जाता है।

- वर्ष1995 के बाद से, WHO द्वारा 199 देशों, क्षेत्रों एवं स्थानों को ड्रैकुनकुलियासिस संचरण से मुक्त प्रामाणित किया है।

- **भारत की सफलता:**
  - भारत द्वारा जल सुरक्षा हस्तक्षेप तथा सामुदायिक शिक्षा सहित कठोर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के माध्यम से वर्ष 1990 के दशक के अंत में गिनी कृमि रोग का उन्मूलन किया।
    - भारत सरकार को वर्ष 2000 में WHO से गिनी कृमि रोग-मुक्त प्रामाणीकरण का दर्जा प्राप्त हुआ।
    - भारत ने चेचक (1980), पोलियो (2014), प्लेग, रिंडरपेस्ट (कैटल प्लेग), यॉज़ और मातृ एवं नवजात टेटनस (2015) का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर दिया है।

भारत में उच्च जोखिम वाली सगर्भता

मुंबई में ICMR के राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (National Institute for Research in Reproductive and Child Health- NIRRCH) के शोधकर्त्ताओं द्वारा जर्नल ऑफ ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन पूरे भारत में उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की व्यापकता पर प्रकाश डालता है।

- उच्च जोखिम वाली सगर्भता इंगित करती है कि एक महिला में एक या अधिक कारक हैं जो उसके या बच्चे के लिये स्वास्थ्य जटिलताओं की संभावना को बढ़ाते हैं, साथ ही समय से पहले प्रसव का खतरा भी बढ़ाते हैं।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- **उच्च प्रसार:** अध्ययन में पाया गया कि भारत में 49.4% गर्भवती महिलाओं में उच्च जोखिम वाली सगर्भता थी।
  - लगभग 33% गर्भवती महिलाओं में एक ही उच्च जोखिम कारक था, जबकि 16% में कई उच्च जोखिम कारक थे।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** तेलंगाना के साथ-साथ मेघालय, मणिपुर और मिज़ोरम जैसे राज्यों में उच्च जोखिम वाले कारकों का प्रचलन सबसे अधिक है।
  - इसके विपरीत, सिक्किम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में उच्च जोखिम वाली गर्भधारण का प्रचलन सबसे कम था।
- **उच्च जोखिम वाली सगर्भता में योगदान देने वाले कारक:**
  - जन्म के बीच अंतर: पिछले जन्म और वर्तमान गर्भधारण के बीच 18 महीने से कम अंतर को परिभाषित किया गया है, जिसे उच्च जोखिम वाले गर्भधारण में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक के रूप में पहचाना गया था।
  - मातृत्व संबंधी जोखिम के कारक: इनमें मातृ आयु (किशोरावस्था या 35 वर्ष से अधिक), छोटा कद एवं उच्च बॉडी मास इंडेक्स (BMI) जैसे कारक शामिल थे।
  - जीवनशैली तथा जन्मपूर्व परिणाम के जोखिम: जीवनशैली के जोखिम कारक जैसे तंबाकू तथा शराब का सेवन, साथ ही पिछले प्रतिकूल जन्म परिणाम जैसे गर्भपात या मृत जन्म, उच्च जोखिम वाली गर्भधारण में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता थे।

गर्भवती महिलाओं से संबंधित भारत सरकार की पहल क्या हैं?

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:** इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है, साथ ही माँ के साथ-साथ बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करने एवं वेतन हानि के लिये मुआवज़ा सुनिश्चित करता है।
- **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** यह योजना संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिये गर्भवती महिलाओं, विशेषकर कमज़ोर वर्गों को नकद सहायता प्रदान करती है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK):** यह सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त परिवहन, निदान, दवाओं और आहार के साथ C-सेक्शन (सीजेरियन सेक्शन) सहित मुफ्त प्रसव का अधिकार देता है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):** गर्भवती महिलाओं को एक निश्चित दिन, हर महीने के 9वें दिन एक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा नि:शुल्क सुनिश्चित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जाँच प्रदान करता है।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन):** इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुविधाओं में प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिये नि:शुल्क, सम्मानजनक तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना है।
- **लक्ष्य/LaQshya:** इसका उद्देश्य प्रसूति कक्ष (Labour Rooms) में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना, संभावित रूप से उत्पन्न जटिलताओं को कम करना तथा मातृ एवं नवजात शिशु के लिये परिणामों को बेहतर करना है।

वनवासियों के अधिकार और थानथाई पेरियार अभयारण्य

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु में थानथाई पेरियार अभयारण्य की अधिसूचना के बाद की हालिया घटनाओं में, वनवासियों ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (FRA) के तहत अपने अधिकारों के संभावित अस्वीकृति के बारे में चिंता व्यक्त की।

थानथाई पेरियार अभयारण्य की अधिसूचना के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- अधिसूचना में छह आदिवासी वन्य ग्रामों को अभयारण्य से बाहर रखा गया है, उन्हें राजस्व ग्रामों के रूप में मान्यता दिये बिना, 3.42 वर्ग किमी. के एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है।
- अधिसूचना मवेशी-चारण की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाती है, जो बरगुर मवेशियों की पारंपरिक प्रथाओं को प्रभावित कर सकती है, जो कि बरगुर वन्य पहाड़ियों की पारंपरिक नस्ल है।
- इस अधिसूचना में वन अधिकार धारकों या ग्राम सभा की सहमति का उल्लेख नहीं है, जैसा कि FRA, 2006 द्वारा अपेक्षित है।

नोट:

- मार्च 2022 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के सभी वनों में मवेशी-चारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले पुराने आदेश को संशोधित किया और प्रतिबंध को राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा टाइगर रिज़र्व तक सीमित कर दिया।
    - तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जहाँ इस तरह का प्रतिबंध है।
- FRA, 2006 इस आदेश पर लागू नहीं होता है, जो खानाबदोश/चलवासी या पशुपालक समुदायों की मवेशी-चारण प्रथा और पारंपरिक संसाधनों तक पहुँच को स्वीकार करता है, यह आदेश राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा टाइगर रिज़र्व सहित सभी वनों पर लागू होता है। मवेशी-चारण अधिकार बस्ती-स्तर के गाँवों के सामुदायिक अधिकार हैं और उन्हें उनकी ग्राम सभाओं द्वारा विनियमित किया जाना है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 क्या है?

- **परिचय:**
    - FRA, 2006 वन में रहने वाले जनजातीय समुदायों और पारंपरिक वन-निवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों जो उनकी आजीविका, निवास तथा सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिये आवश्यक हैं, को स्वीकार करता है।
    - पूर्व में वन प्रबंधन नीतियों में वन निवासियों के हितों की अनदेखी की गई थी, यह अधिनियम वनों के साथ उनके सहजीवी संबंध को मान्यता प्रदान कर इन समुदायों द्वारा सामना किये गए चिरकालीन अन्याय को समाप्त करता है।
- **FRA, 2006 के तहत वन निवासियों के अधिकार:**
    - FRA के तहत, वनवासियों को वैयक्तिक अधिकार जैसे स्व-खेती और आवास का अधिकार तथा साथ ही सामूहिक अथवा सामुदायिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं जिनमें चराई, मछली पकड़ना एवं वनों में जलाशयों तक पहुँच व खानाबदोश और घुमंतु समुदाय द्वारा पारंपरिक मौसम के अनुसार संसाधनों का उपयोग शामिल हैं।
    - अधिनियम विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के अधिकारों, बौद्धिक संपदा अधिकारों, प्रथागत अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्जनन अथवा प्रबंधन के अधिकार को भी मान्यता प्रदान करता है।
    - इसके अतिरिक्त यह वन-निवासी समुदायों की बुनियादी ढाँचागत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विकास संबंधी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के आवंटन का प्रावधान करता है।
    - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़ा एवं पारदर्शिता के अधिकार के साथ सहयोग के रूप में, FRA जनजातीय जनसंख्या को उनके पुनर्वास व पुनर्व्यस्थापन हुए बिना बेदखल किये जाने से बचाता है।
    - यह अधिनियम ग्राम सभा को अधिनियम के कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व सौंपता है है।
        - इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा, जनजातियों की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत, जनजातीय जनसंख्या को स्थानीय नीतियों और उन्हें प्रभावित करने वाली योजनाओं के निर्धारण में निर्णायक भूमिका वाला एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय भी है।
        - FRA, ग्राम सभा को वन अधिकारों को निर्धारित करने और मान्यता देने तथा संरक्षित क्षेत्रों के भीतर एवं साथ ही उनकी प्रथागत व पारंपरिक सीमाओं के भीतर वनों, वन्यजीवों और जैवविविधता की रक्षा तथा संरक्षण करने का उत्तरदायित्व सौंपता है एवं उन्हें अधिकृत करता है।
    - FRA का उल्लंघन, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के में वर्ष 2016 के संशोधन के तहत अपराध माना जाता है।
    - FRA के अनुसार वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों में से एक है।

नोट:

- वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम (WLPA), 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र को अधिसूचित करते समय, सरकार को FRA, 2006 के तहत अधिकारों का आकलन करने और ग्राम सभाओं से सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है।
    - FRA 2006, वर्ष 2006 में FRA बाद के कानून को WLPA, 1972 पर प्राथमिकता दी जाती है। WLPA का

कोई भी खंड जो FRA के विरोध में है, उसे शून्य माना जाता है।

थानथाई पेरियार अभयारण्य से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं

- थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के इरोड ज़िले की बरगुर पहाड़ियों में 80,114.80 हेक्टेयर में विस्तृत है।
- इसे राज्य का 18वाँ वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व को कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है।
- पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित यह अभयारण्य समृद्ध जैवविविधता रखता है।
- अभयारण्य सत्यमंगलम टाइगर रिज़र्व, माले महादेश्वरा हिल्स टाइगर रिज़र्व एवं कावेरी वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ने वाले बाघ गलियारे का हिस्सा है।
  - राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त और साथ ही यह बाघों की व्यवहार्य आबादी का समर्थन भी करता है तथा उनके संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- यह क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिज़र्व का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ हाथियों तथा भारतीय गौर की अधिक आबादी रहती है।
  - यह पलार नदी के लिये जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो कृषि गतिविधियों जल उपलब्ध कराते हुए कावेरी नदी में गिरती है।

बायोस्फियर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य की तुलना

विशेषता	बायोस्फियर रिज़र्व	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभयारण्य
उद्देश्य	सतत् विकास को बढ़ावा देना, जैवविविधता,	प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना,	जंगली जानवरों के आवासों की रक्षा करना
	सांस्कृतिक विरासत एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना	मानवीय हस्तक्षेप से बचाना,,	करनाप्रजनन को बढ़ावा देना
प्रबंधन	यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और सरकार के स्वामित्व में है।	राष्ट्रीय उद्यानों पर सरकार का पूर्ण अधिकार है।	ये सरकार के अधीन हो सकते हैं या निजी संस्थाओं के अधीन हो सकते हैं।
क्षेत्र	कोर ज़ोन (कठोरता से संरक्षित), बफर ज़ोन (सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति), ट्रांज़िशन ज़ोन (सतत् विकास को प्रोत्साहित)	आमतौर पर ज़ोन में विभाजित नहीं किया जाता है	आम तौर पर ज़ोन में विभाजित नहीं किया जाता है
मानवीय गतिविधियाँ	कोर ज़ोन में प्रतिबंधित, बफर ज़ोन में सीमित, ट्रांजिशन ज़ोन में प्रोत्साहित किया गया	प्रतिबंधित, मुख्य रूप से मनोरंजक उद्देश्यों के लिये	जानवरों को परेशानी से बचाने के लिये प्रतिबंधित, शैक्षणिक पहुँच सीमित
उदाहरण	नंदा देवी (उत्तराखंड), नोकरेक (मेघालय)	जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड), बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात), चिल्का झील पक्षी अभयारण्य (ओडिशा)

सर्वाइकल कैंसर से लड़ने हेतु वैक्सीन ड्राइव

भारत सरकार 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिये ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) के खिलाफ तीन चरण का टीकाकरण अभियान शुरू करने का इरादा रखती है, जिसका लक्ष्य सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करना है।

- यह टीका HPV उपभेदों से भी सुरक्षा प्रदान करता है जो गुदा, योनि और ऑरोफरीनक्स के कैंसर का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त, यह HPV उपभेदों से भी बचाता है जो जननांग मस्सों के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।

नोट: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 में स्वदेशी HPV वैक्सीन लॉन्च की थी, जिसे CERVAVAC के नाम से जाना जाता है।

सर्वाइकल कैंसर क्या है?

- **परिचय:**
  - सर्वाइकल कैंसर एक महिला के गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है। यह विश्व स्तर पर महिलाओं में चौथा सबसे आम प्रकार का कैंसर है और यह भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम प्रकार है।
    - भारत में वैश्विक सर्वाइकल कैंसर के भार का सबसे बड़ा हिस्सा देखा गया है यानी सर्वाइकल कैंसर के कारण विश्व स्तर पर हर 4 मौतों में से लगभग 1 (द लैंसेट अध्ययन के अनुसार)।
  - सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले (99%) उच्च जोखिम वाले HPV संक्रमण से जुड़े हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रसारित होने वाला एक अत्यंत सामान्य वायरस है।
    - प्रभावी प्राथमिक (HPV टीकाकरण) और माध्यमिक रोकथाम दृष्टिकोण (कैंसर पूर्ववर्ती घावों के लिये जाँच एवं उपचार) सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों को रोकने में सक्षम होगा।
  - जब सर्वाइकल कैंसर का निदान किया जाता है, तो यह कैंसर के सबसे सफलतापूर्वक इलाज योग्य रूपों में से एक है, जितना शीघ्र इसका पता चल जाता है इसे उतने ही प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।
  - सर्वाइकल कैंसर के वैश्विक बोझ का लगभग पाँचवाँ हिस्सा भारत पर है, जहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख मामले और लगभग 75,000 मौतें दर्ज की जाती हैं।
- **तनाव के प्रकार:**
  - कुछ उच्च जोखिम वाले HPV उपभेदों के साथ लगातार संक्रमण सभी सर्वाइकल कैंसर के लगभग 85% का कारण बनता है।
  - कम से कम 14 HPV प्रकारों की पहचान ऑन्कोजेनिक (कैंसर पैदा करने की क्षमता) के रूप में की गई है।
    - इनमें से HPV प्रकार 16 और 18, जिन्हें सबसे अधिक ऑन्कोजेनिक माना जाता है, वैश्विक स्तर पर सभी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लगभग 70% मामलों के लिये ज़िम्मेदार पाए गए हैं।

WEF:वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की है, जो तीव्र तकनीकी विकास, आर्थिक अनिश्चितता, ग्लोबल वार्मिंग और गंभीर वैश्विक जोखिमों के विरुद्ध आगामी दशकों में मानव के सामने आने वाले भविष्य के गंभीर खतरों पर प्रकाश डालती है।

- यह रिपोर्ट लगभग 1,500 विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं के सर्वेक्षण पर आधारित है।

FIGURE C

Global risks ranked by severity over the short and long term

"Please estimate the likely impact (severity) of the following risks over a 2-year and 10-year period."

Risk categories: Economic, Environmental, Geopolitical, Societal, Technological

Rank	2 years	10 years
1st	Misinformation and disinformation	Extreme weather events
2nd	Extreme weather events	Critical change to Earth systems
3rd	Societal polarization	Biodiversity loss and ecosystem collapse
4th	Cyber insecurity	Natural resource shortages
5th	Interstate armed conflict	Misinformation and disinformation
6th	Lack of economic opportunity	Adverse outcomes of AI technologies
7th	Inflation	Involuntary migration
8th	Involuntary migration	Cyber insecurity
9th	Economic downturn	Societal polarization
10th	Pollution	Pollution

Source
World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2023-2024.

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **वैश्विक परिदृश्य में नकारात्मक परिवर्तन:**
  - वर्ष 2023 में संघर्ष, चरम मौसमी घटनाएँ और सामाजिक असंतोष सहित विभिन्न वैश्विक घटनाओं ने मुख्य रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान दिया है।
- **AI संचालित गलत सूचना और दुष्प्रचार:**
  - गलत सूचना और दुष्प्रचार को अगले दो वर्षों में सबसे गंभीर जोखिमों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे प्रौद्योगिकी में तेज़ी से प्रगति नई समस्याएँ पैदा कर रही है या मौजूदा समस्याओं को बदतर बना रही है।
  - यह चिंताजनक है कि ChatGPT जैसे जनरेटिव AI चैटबॉट्स के विकास से तात्पर्य है कि विशेष प्रतिभा वाले लोग अब जटिल सिंथेटिक सामग्री नहीं बना पाएँगे जिनका उपयोग लोगों के समूहों को नियंत्रित करने के लिये किया जा सकता है।
  - AI-संचालित गलत सूचना और दुष्प्रचार एक जोखिम के रूप में उभर रहा है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, भारत, मैक्सिको तथा पाकिस्तान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं सहित कई देशों में अरबों लोग वर्ष 2024 एवं उसके बाद के चुनावों में भाग लेने के लिये तैयार हैं।
- **वैश्विक जोखिमों को आकार देने वाली संरचनात्मक शक्तियाँ:**
  - अगले दशक में वैश्विक जोखिमों को आकार देने वाली चार संरचनात्मक शक्तियाँ हैं: जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय विभाजन, त्वरित प्रौद्योगिकीय और भू-रणनीतिक बदलाव।
  - ये शक्तियाँ वैश्विक परिदृश्य में दीर्घकालिक परिवर्तनों का संकेत देती हैं, और उनकी अंत:क्रियाएँ अनिश्चितता और अस्थिरता में योगदान देंगी।
- **पर्यावरणीय जोखिम की प्रमुखता:**
  - पर्यावरणीय जोखिम, विशेष रूप से चरम मौसम, सभी समय-सीमाओं में जोखिम परिदृश्य पर हावी रहते हैं।
  - संभावित अपरिवर्तनीय परिणामों के साथ, जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता हानि और पृथ्वी प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में चिंताएँ स्पष्ट हैं।
- **आर्थिक तनाव और असमानता:**
  - जीवनयापन की लागत का संकट, मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी जैसे आर्थिक जोखिम 2024 के लिये चिंताजनक हैं।
  - आर्थिक अनिश्चितता निम्न और मध्यम आय वाले देशों को असंगत रूप से प्रभावित करेगी, जिससे संभावित डिजिटल अलगाव और बिगड़ते सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव होंगे।
- **सुरक्षा जोखिम और तकनीकी प्रगति:**
  - अगले दो वर्षों में अंतर्राज्यीय सशस्त्र संघर्ष को शीर्ष जोखिम रैंकिंग में एक नए प्रवेशकर्त्ता के रूप में पहचाना गया है।
  - तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, सुरक्षा जोखिम पैदा करती है क्योंकि वे गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं को विघटनकारी उपकरणों तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे संभावित रूप से संघर्ष और अपराध में वृद्धि होती है।
- **भू-राजनीतिक बदलाव तथा शासन चुनौतियाँ:**
  - वैश्विक शक्तियों के बीच विद्यमान व्यापक अंतराल, विशेष रूप से ग्लोबल नॉर्थ तथा साउथ के बीच, अंतर्राष्ट्रीय शासन में चुनौतियों का कारण बन सकता है।
  - ग्लोबल साउथ में देशों का बढ़ता प्रभाव तथा भू-राजनीतिक तनाव सुरक्षा गतिशीलता को नया आकार दे सकता है एवं वैश्विक जोखिमों को प्रभावित कर सकता है।

विश्व आर्थिक मंच क्या है?

- **परिचय:**
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक स्विस गैर-लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में हुई थी।
  - स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **मिशन:**
  - WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र तथा समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिये प्रतिबद्ध है।
- **संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष:** क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab)।
- WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index- ETI)
  - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)
  - वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (Global IT Report)
    - WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है।
  - ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट।
  - वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट (Global Travel and Tourism Report)।

पश्चिम बंगाल में बाल विवाह में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

भारत में बाल विवाह पर हाल ही में किये गए लैंसेट अध्ययन में देश भर में बाल विवाह में समग्र कमी पर प्रकाश डाला गया। हालाँकि इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कुछ राज्यों, विशेष रूप से बिहार (16.7%), पश्चिम बंगाल (15.2%), उत्तर प्रदेश (12.5%) और महाराष्ट्र (8.2%) ने सामूहिक रूप से लड़कियों में बाल विवाह के कुल बोझ में आधे से अधिक का योगदान दिया।

- बाल विवाह पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में कई नीतिगत हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के बावजूद, इस क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाओं में 32.3% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि 5,00,000 से अधिक अतिरिक्त लड़कियों की बचपन में ही शादी के अनुरूप है।

नोटः

- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21):**
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 इंगित करता है कि 18 वर्ष से पहले शादी करने वाली 20-24 वर्ष की महिलाओं की व्यापकता पश्चिम बंगाल में 41.6% के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जबकि राष्ट्रीय आँकड़ा 23.3% है।

क्या पश्चिम बंगाल में नीतिगत हस्तक्षेप से बाल विवाह पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा है?

- **पश्चिम बंगाल में बाल विवाह रोकने के लिये नीतिगत हस्तक्षेपः**
  - कन्याश्री प्रकल्प योजनाः
    - वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया, कन्याश्री प्रकल्प 13 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों की स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और साथ ही बाल विवाह को हतोत्साहित करता है। वर्ष 2023-24 के पश्चिम बंगाल बजट के अनुसार, इस योजना में 81 लाख लड़कियों को शामिल किया गया है।
  - इस योजना को वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली।
    - जबकि राज्य में लड़कियों का स्कूल नामांकन बढ़ा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों और लैंसेट अध्ययन के आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या योजना ने बाल विवाह को रोकने के अपने वादे को हासिल किया है।
  - रूपश्री प्रकल्पः
    - कन्याश्री के अलावा, राज्य सरकार रूपश्री प्रकल्प चलाती है, जो लड़कियों की शादी के लिये नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  - कुछ परिवार दोनों योजनाओं से लाभ उठाते हैं, स्कूल योजना का लाभ उठाने के तुरंत बाद विवाह का आयोजन करते हैं।
- **शैक्षिक प्रगति और बाल विवाह दरें:**
  - पिछले कुछ वर्षों में स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की घटनाएँ अधिक बनी हुई हैं।
    - वर्ष 2020-21 के लिये उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण में पश्चिम बंगाल में लड़कियों के नामांकन की अनुमानित संख्या 9.29 लाख बताई गई है, जो लड़कों के नामांकन से अधिक है जो 8.63 लाख थी।
  - NFHS-5 के अनुसार, 88% से अधिक साक्षरता दर वाले पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में बाल विवाह की सबसे अधिक घटनाएँ 57.6% से अधिक हैं।
  - विशेषज्ञों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रवासन से बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है क्योंकि सामाजिक मानदंडों और आर्थिक कारकों के कारण परिवार अविवाहित बेटियों को छोड़ने से डरते हैं।
    - यह एक ऐसे चक्र को कायम रखता है जहाँ सांस्कृतिक अपेक्षाएँ पुरुषों के काम करने के दौरान पत्नियों द्वारा बच्चे पैदा करने के लिये जल्दी विवाह को प्राथमिकता देती हैं।

बाल विवाह से निपटने के लिये क्या पहल हैं?

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA)
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012
- CHILDLINE

अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने वेश्याओं की सेवाएँ चाहने वाले ग्राहकों को शामिल करने के लिये अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 में 'खरीद' शब्द की परिभाषा को विस्तृत किया है।

अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 क्या है?

- **परिचयः**
  - अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम,1956 {Immoral Traffic (Prevention) Act (ITP), 1956} का

उद्देश्य बुराइयों के व्यावसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है।

- यह यौन कार्य के आसपास के कानूनी ढाँचे को चित्रित करता है। हालाँकि यह अधिनियम स्वयं यौन कार्य को अवैध घोषित नहीं करता है, लेकिन यह वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है। वेश्यावृत्ति में संलग्न होना कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन लोगों को लुभाना और उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल करना अवैध माना जाता है।

वेश्यालय की परिभाषा:

- धारा 2 वेश्यालय को किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिये या दो या दो से अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिये यौन शोषण या दुर्व्यवहार के लिये उपयोग की जाने वाली जगह के रूप में परिभाषित करती है।

वेश्यावृत्ति की परिभाषा:

- अधिनियम के अनुसार, वेश्यावृत्ति, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये व्यक्तियों (पुरुष और महिलाएँ) का यौन शोषण या दुरुपयोग है।

अधिनियम के तहत अपराध:

- अधिनियम की धारा 5 उन लोगों को दंडित करती है जो वेश्यावृत्ति के उद्देश्यों के लिये व्यक्तियों को खरीदते हैं, प्रेरित करते हैं या ले जाते हैं, उन पर सज़ा के रूप में 3-7 साल की कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना शामिल है।
  - किसी व्यक्ति या बच्चे (child) की इच्छा के विरुद्ध अपराध के लिये अधिकतम सज़ा चौदह वर्ष या आजीवन कारावास तक हो सकती है।
  - बच्चे का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी न की हो।

केरल उच्च न्यायालय ने क्या सुनाया फैसला?

वर्तमान मामला:

- याचिकाकर्त्ता को वेश्यालय में ग्राहक होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।
- ITP अधिनियम की धारा 3 (वेश्यालय रखना या परिसर को एक के रूप में उपयोग करने की अनुमति देना), 4 (वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन जीना), 5 (वेश्यावृत्ति के लिये व्यक्तियों को प्राप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना), 7 (सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास वेश्यावृत्ति को दंडित करना) के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया।
  - आरोपी ने रिहाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि एक ग्राहक के रूप में, उसे ITP अधिनियम के तहत नहीं फँसाया जाना चाहिये।

फैसला:

- केरल उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि धारा 5 में "खरीद" शब्द को 1956 अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, अनैतिक तस्करी को दबाने और वेश्यावृत्ति को रोकने के अधिनियम के उद्देश्य के संदर्भ में इसकी व्याख्या की।
  - अदालत ने फैसला सुनाया कि इस शब्द में ग्राहक भी शामिल हैं और इसलिये ग्राहक पर धारा 5 के तहत आरोप लगाया जा सकता है।

फैसले के निहितार्थ:

- केरल उच्च न्यायालय का फैसला धारा 5 में "खरीद" के अर्थ का विस्तार करता है, जिसमें कहा गया है कि दलालों और वेश्यालय चलाने वालों के अलावा, ग्राहकों को वेश्यावृत्ति के लिये व्यक्तियों की खरीद हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- यह फैसला याचिकाकर्त्ता को धारा 5 के तहत दोषी घोषित नहीं करता है, बल्कि यह मुकदमे की आवश्यकता के लिये आरोप दायर करने की अनुमति देता है।
  - विशेष रूप से, याचिकाकर्त्ता को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 3, 4 और 7 के तहत अपराध से मुक्त कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय की भिन्न राय:

- मैथ्यू बनाम केरल राज्य (2022):
  - केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वेश्यालय में पकड़े गए ग्राहक पर ITP अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 7(1) निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के लिये दो प्रकार के व्यक्तियों को दंडित करती है।
- वे व्यक्ति हैं (i) वह व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है और (ii) वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति की जाती है, उच्च न्यायालय ने कहा, अनैतिक व्यापार का कार्य 'ग्राहक' के बिना नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।
- गोयनका साजन कुमार बनाम द स्टेट ऑफ ए. पी. (2014) और श्री सनाउल्ला बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (2017):
  - आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ITP अधिनियम की धारा 3-7 के तहत वेश्यालय के ग्राहकों पर मुकदमा चलाने के खिलाफ फैसला सुनाया।

सेक्स वर्क की वैधता क्या है?

एक पेशे के रूप में सेक्स वर्क:

- सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क/वेश्यावृत्ति को एक "पेशे" के रूप में मान्यता दी है तथा कहा है कि इसके व्यावसायी विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं एवं आपराधिक कानून को 'आयु' तथा 'सहमति' के आधार पर सभी मामलों में समान रूप से क्रियान्वित होना चाहिये।

- न्यायालय ने कहा कि स्वैच्छिक यौन संबंध कोई अपराध नहीं है।

किसी भी पेशे को अपनाने का मौलिक अधिकार:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने तथा कोई भी व्यावसाय, व्यापार अथवा कारोबार करने का अधिकार देता है। इसमें वेश्यावृत्ति का कार्य भी शामिल है।

व्यावसाय में समानता:

- न्यायालयों ने माना है कि व्यक्तियों को उनका चुने हुए पेशे (चाहे वह कुछ भी हो) को करने का समान अधिकार है।
- बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित किया तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा पर ज़ोर दिया।

मौलिक तथा मानवाधिकार:

- गौरव जैन बनाम भारत संघ और अन्य (1989) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स के मौलिक तथा मानवाधिकारों को मान्यता दी तथा कानून के तहत उनके सम्मान एवं सुरक्षा के अधिकार पर ज़ोर दिया।
  - न्यायालय ने पाया कि सेक्स वर्कर्स के बच्चों को अवसर, सम्मान, देखभाल, सुरक्षा तथा पुनर्वास की समानता का अधिकार है एवं बिना किसी "पूर्व-कलंक" के "सामाजिक जीवन की मुख्यधारा" का हिस्सा बनने का अधिकार है।

सेक्स वर्कर्स से संबंधित क्या पहल हैं?

उज्ज्वला:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा "उज्ज्वला" का क्रियान्वन किया गया जो तस्करी की रोकथाम तथा वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुन: एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन के लिये एक व्यापक योजना है।

राष्ट्रीय महिला आयोग:

- राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) की स्थापना वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं तथा लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:

- NHRC ने यौनकर्मियों को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी।

जागरूकता अभियान:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में सरकार से आग्रह किया कि वह सेक्स उद्योग में महिलाओं के शोषण के खिलाफ कार्रवाई करे और कठोर विनियमन के साथ विशिष्ट स्थानों में वैधीकरण पर विचार करे।
  - न्यायालय के निर्देश के प्रत्युत्तर में सरकार ने जनता को व्यावसायिक यौन व्यापार से जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के लिये व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया।

गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को प्राथमिकता

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने चार समूहों: गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देने की अनिवार्यता को रेखांकित किया है।

- यह बल वंचितों के लिये गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत में रेखांकित समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है?

गरीब/निर्धन (Poor):

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक:

- भारत की लगभग 230 मिलियन से अधिक आबादी निर्धन है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा प्रकाशित 2023 वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2005-06 और 2019-21 के दौरान लगभग 415 मिलियन भारतीय, निर्धनता से दूर हुए।
- UNDP द्वारा परिभाषित, लगभग 18.7% आबादी बहुआयामी निर्धनता के प्रति 'सुभेद्य' की श्रेणी में आती है।
  - यह उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है, जिन्हें गरीब के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन इन्होने सभी भारित संकेतकों के 20-33.3% में अभाव का अनुभव किया है।
- भोजन पकाने का ईंधन, आवास और बेहतर पोषण अभाव के प्रमुख क्षेत्र हैं। संबंधित मेट्रिक्स डाटा में क्रमश: 13.9%, 13.6% और 11.8% आबादी को वंचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बेरोज़गारी:

- अक्तूबर 2023 में भारत की बेरोज़गारी दर दो वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी में वृद्धि दर्ज की गई।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के सत्र 2022-23 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में 2017-18 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में

बेरोज़गारी में 5.3% से 2.4% और शहरी क्षेत्रों में 7.7% से 5.4% की कमी देखी गई।

- कुल नियोजित जनसंख्या में स्व-रोज़गार वाले व्यक्तियों का अनुपात वर्ष 2018-19 में 52% से बढ़कर 2022-23 में 57% हो गया।
  - स्व-रोज़गार में विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे चाय की दुकान चलाना, कृषि कार्य करना, घरेलू उद्यमों में सहायता करना, चिकित्सा का अभ्यास करना और किसी की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत अवैतनिक कार्य करना।
  - स्व-रोज़गार स्तर का अधिक होना अन्य विकल्पों की कमी को इंगित करता है, इस प्रकार लोग इन अल्प-भुगतान वाले व्यवसायों से जुड़े रहते हैं।
- अमूमन प्रति व्यक्ति निम्न आय वाले देशों में स्व-रोज़गार आबादी का अनुपात अधिक होता है।

महिलाएँ:

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 के अनुसार भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर रहा जो वर्ष 2022 की तुलना में 135वें स्थान से 1.4% अंक तथा आठ स्थान का सुधार दर्शाता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध 4% बढ़ गए, जिसमें दर्ज किये गए अपराधों की संख्या 4.45 लाख से अधिक थी।
  - अधिकांश अपराध पतियों अथवा नातेदारों द्वारा क्रूरता, अपहरण, हमला एवं बलात्कार से संबंधित थे।
  - 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई।
- महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, महिलाओं के लिये विधान सभाओं एवं लोकसभा में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिये पारित किया गया था।

कृषक:

- अत्यधिक तथा असामयिक वर्षा के कारण किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे उनकी आय गंभीर रूप से प्रभावित हुई।
  - दक्षिण-पश्चिम मानसून अनियमित और औसत से कम था, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ फसल की पैदावार प्रभावित हुई।
  - कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा झारखंड जैसे राज्य सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं।
- उत्तर भारत में BT कपास की फसल पर पिंक बॉलवर्म कीट के कारण निरंतर होने वाले नुकसान ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है।
- NCRB के आँकड़ों के अनुसार कृषि से संबंधित लोगों में आत्महत्या से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है।
  - भारत में प्रत्येक घंटे एक किसान ने आत्महत्या की तथा वर्ष 2022 में आत्महत्या के 11,290 मामले दर्ज किये गए।
  - खेतिहर मज़दूरों की आत्महत्याएँ किसानों की तुलना में अधिक थीं। आत्महत्या के 53% मामले खेतिहर मज़दूरों के थे।
- आय के लिये एक औसत कृषक परिवार की निर्भरता फसल उत्पादन के स्थान पर कृषि से मिलने वाली मज़दूरी पर बढ़ती जा रही है।

युवा:

- विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में युवा बेरोज़गारी दर 23.2% थी, जो इसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान (11.3%), बांग्लादेश (12.9%) और भूटान (14.4%) से भी अधिक थी।
  - चीन में बेरोज़गारी दर 13.2%, दक्षिण कोरिया में 6.9% और सिंगापुर में 6.1% रही।
  - हालाँकि भारत में युवा बेरोज़गारी दर वर्ष 2021 में 23.9% से कम हो गई है, फिर भी यह 2019 के प्री-कोविड वर्ष में दर्ज 22.9% से अधिक है।

युवा बेरोज़गारी दर का तात्पर्य कार्यबल में उन लोगों से है जिनकी आयु 15 से 24 वर्ष है और उनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन वे सक्रिय रूप से नौकरी/रोज़गार की तलाश कर रहे हैं।

स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, 2023 अध्ययन में पाया गया कि 25 वर्ष से कम आयु के स्नातकों के बीच बेरोज़गारी दर वर्ष 2021-2022 में 42.3% थी, जबकि समग्र बेरोज़गारी दर 8.7% थी।

इन विशिष्ट समूहों को संबोधित करने के उद्देश्य से संबंधित पहल क्या हैं?

गरीबों से संबंधित योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री आवास योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005
- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- प्रधानमंत्री जनधन योजना

महिलाओं से संबंधित योजनाएँ:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना
- वन स्टॉप सेंटर
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO), 2012
- नारी शक्ति पुरस्कार
- महिला पुलिस स्वयंसेवक
- महिला शक्ति केंद्र (MSK)

किसानों से संबंधित योजनाएँ:

- प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
- कृषि अवसंरचना निधि (AIF)
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

युवाओं से संबंधित योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- युवा लेखकों को सलाह देने के लिये युवा: प्रधानमंत्री योजना
- समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना
- राष्ट्रीय युवा नीति- 2014
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम योजना

हटिंगटन रोग

हाल ही में हंगरी में 'सेज्ड विश्वविद्यालय' (University of Szeged) के शोधकर्त्ताओं ने मॉडल जीव के रूप में फल मक्खियों (ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर) का उपयोग करके हंटिंगटन की बीमारी के बारे में जानकारी का खुलासा किया जो वैज्ञानिक रिपोर्ट (साइंटिफिक रिपोर्ट्स) में प्रकाशित हुआ था।

- इस नवोन्मेषी दृष्टिकोण ने रोग की प्रगति और संभावित चिकित्सीय लक्ष्यों के बारे में आशाजनक खुलासे किये हैं।

हंटिंगटन रोग क्या है?

परिचय:

- हंटिंगटन रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार है।
- यह HTT जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो दोषपूर्ण हंटिंगटिन (huntingtin- HTT) प्रोटीन का उत्पादन करता है।
  - उत्परिवर्ती हंटिंगटिन (huntingtin-HTT) प्रोटीन विषाक्त टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाएँ बाधित होती हैं।

HTT जीन और पॉलीग्लूटामाइन ट्रैक्ट:

- हंटिंगटन प्रोटीन, जो तंत्रिका कोशिका कार्य के लिये आवश्यक है, HTT जीन द्वारा एन्कोड किया गया है।
  - HTT जीन में उत्परिवर्तन के परिणामस्वरूप HTT प्रोटीन में पॉलीग्लुटामाइन तंत्र (polyglutamine tract) का विस्तार होता है, जिससे मिसफॉल्डिंग और शिथिलता (dysfunction) उत्पन्न होती है।
  - हंटिंगटन रोग की गंभीरता विस्तारित पॉलीग्लुटामाइन तंत्र की लंबाई से संबंधित है।
- हनटिंग्टन रोग एक प्रभावी विशेषक (Autosomal Dominant) माध्यम से आनुवंशिक रूप से जनित होती है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को इससे संक्रमित होने के लिये माता-पिता से उत्परिवर्तित जीन की केवल एक प्रति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
  - हंटिंगटन रोग से पीड़ित माता-पिता के प्रत्येक बच्चे में इसके संक्रमण फैलने की संभावना 50% होती है।

लक्षण:

- शुरुआती लक्षणों में भूलने की बीमारी, संतुलन खोना तथा दैनिक कार्यों को करने में अक्षमता शामिल हैं।
- ये लक्षण समय के साथ गंभीर हो जाते हैं तथा मनुष्य की प्रवृत्ति एवं तार्किक क्षमता को प्रभावित करते हैं और अनियंत्रित गतिविधियों का कारण बनते हैं। संक्रमण बढ़ने पर मरीज़ों को बोलने, निगलने व चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- ये लक्षण आमतौर पर 30-50 की आयु के बीच जनित होते हैं।

उपचार:

- हंटिंगटन रोग का वर्तमान में कोई स्थाई उपचार नहीं है तथा मौजूदा उपचार मात्र लक्षणों को कम करते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गर्भपात की मंज़ूरी का आदेश वापस लिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें 26 वर्षीय महिला को 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी।

- न्यायालय ने अब अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार की वकालत करते हुए महिला को एम्स या किसी केंद्रीय या राज्य अस्पताल में प्रसव कराने का निर्देश दिया है।

भारत में गर्भ के चिकित्सीय समापन की स्थिति क्या है ?

- **ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:** 1960 के दशक में, बड़ी संख्या में प्रेरित गर्भपात के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने देश में गर्भपात को वैध बनाने पर विचार-विमर्श करने के लिये शांतिलाल शाह समिति का गठन किया।
  - इसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MPT) अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया गया, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये सुरक्षित तथा कानूनी गर्भपात की अनुमति दी गई।
- **MTP अधिनियम और संशोधन: .**
  - MTP अधिनियम, 1971 लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों (जैसा कि कानून के तहत प्रदान किया गया है) में सुरक्षित तथा कानूनी गर्भपात करने की अनुमति देता है।
    - इसमें गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MPT), संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से बाद में संशोधन किया गया।
- **गर्भ के समाप्ति के प्रावधान:**

गर्भाधान के बाद से समय	MTP अधिनियम, 1971	MTP (संशोधन) अधिनियम , 2021
12 सप्ताह तक	एक चिकित्सक की सलाह पर	एक चिकित्सक की सलाह पर
12 से 20 सप्ताह	दो चिकित्सकों की सलाह पर	एक चिकित्सक की सलाह पर
20 से 24 सप्ताह	अनुमति नहीं	विशेष श्रेणी की गर्भवती महिलाओं के लिये दो चिकित्सकों की सलाह पर
24 सप्ताह से अधिक	अनुमति नहीं	भ्रूण में गंभीर असामान्यता के मामले में मेडिकल बोर्ड की सलाह पर अनुमति
गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय	गर्भवती महिला की जान बचाने के लिये यदि तुरंत आवश्यक हो तो किसी डॉक्टर की सलाह पर	गर्भवती महिला की जान बचाने के लिये यदि तुरंत आवश्यक हो तो किसी डॉक्टर की सलाह पर

नोट: MTP संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत महिलाओं की विशेष श्रेणियों में बलात्कार पीड़िता, यौन शोषण की शिकार एवं अन्य कमज़ोर महिलाएँ जैसे दिव्यांग और नाबालिग शामिल हैं।

- **MTP संशोधन अधिनियम, 2021 की अन्य मुख्य विशेषताएँ:**
  - गर्भनिरोधक विधि या उपकरण की विफलता के कारण गर्भपात: MTP अधिनियम ने विवाहित महिलाओं को गर्भनिरोधक विधि या उपकरण की विफलता के मामले में 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है।
    - MTP संशोधन अधिनियम ने अविवाहित महिलाओं के लिये भी अनुमोदन में वृद्धि की है।
  - **मेडिकल बोर्ड:** बोर्ड महत्त्वपूर्ण भ्रूण असामान्यताओं के लिये 24 सप्ताह से अधिक के गर्भधारण का आकलन करेगा।
    - इसमें स्त्रीरोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ शामिल होने चाहिये तथा इसे सभी राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा स्थापित किया जाएगा।
  - गोपनीयता उपाय: एक पंजीकृत चिकित्सक केवल विधि/कानून द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही समाप्त गर्भपात के विवरण का खुलासा कर सकता है। उल्लंघन पर एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- **संवैधानिक रुख:**
  - हालाँकि संविधान में गर्भपात के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार प्रजनन अधिकारों और महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हुए हैं।
  - अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रजनन स्वायत्तता और स्वास्थ्य देखभाल (सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामला, 2009) को सम्मिलित करने के लिये इसकी व्यापक रूप से व्याख्या की है।
    - इसके अलावा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अजन्मे बच्चे के अधिकारों को महिला के प्रजनन अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिये।

नोट: भारत में गर्भ की नैतिक स्थिति, विधिक स्थिति तथा सांविधानिक अधिकारों को लेकर अभी भी अनिश्चितता है। हालाँकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत गर्भधारण की स्थिति से भ्रूण के जीवन की सुरक्षा का प्रावधान है।

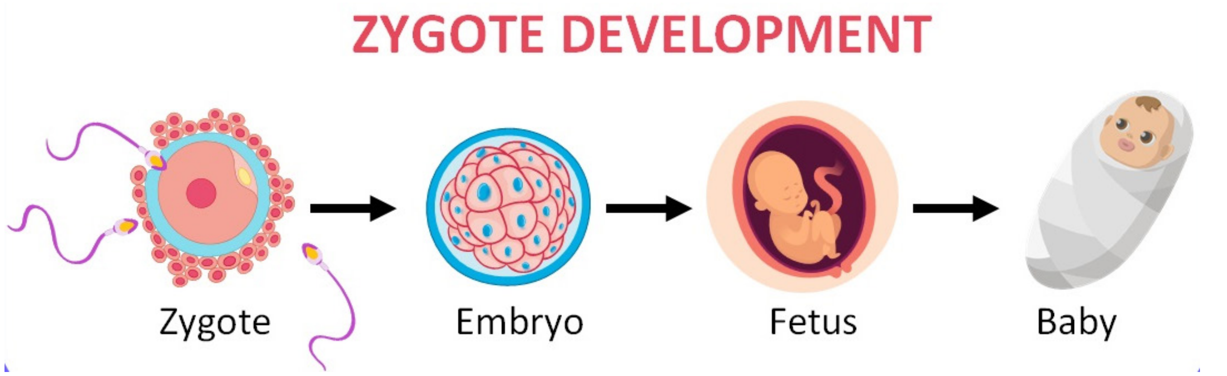

- **युग्मनज:** निषेचन के दौरान शुक्राणु तथा अंड के संलयन से बनने वाली प्रारंभिक कोशिका।
- **भ्रूण:** निषेचन के क्षण से लेकर गर्भावस्था के लगभग 8वें सप्ताह तक विकास का प्रारंभिक चरण।
- **गर्भ:** प्रसवपूर्व विकास का बाद का चरण जो नौवें सप्ताह से शुरू होकर शिशु के जन्म को संदर्भित करता है। इसी दौरान शिशु के अंगों तथा प्रणालियों का विकास होता है।

इदाते आयोग की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भारत में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (NT, SNT और DNT) की चिंताओं को दूर करने के लिये इदाते आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

- NHRC ने सरकार से आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1952 (Habitual Offenders Act, 1952) को निरस्त करने या अधिनियम के तहत अनिवार्य नोडल अधिकारियों के साथ गैर-अधिसूचित जनजाति समुदाय से एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का आग्रह किया।
  - इसके अतिरिक्त, इसने SC/ST/OBC श्रेणियों से DNT/NT/SNT को बाहर करने और उनके लिये अनुरूप नीतियाँ बनाने की सिफारिश की।

इदाते आयोग (Idate Commission) की प्रमुख सिफ़ारिशें क्या थीं?

- **परिचय:**
  - इसकी स्थापना वर्ष 2014 में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) की एक राज्यव्यापी सूची संकलित करने के लिये भीकू रामजी इदाते के नेतृत्व में की गई थी।
  - एक अन्य आदेश अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों से बाहर रखे गए लोगों की पहचान और उनकी भलाई के लिये कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करना था।
- **सिफारिशें:**
  - SC/ST/OBC सूची में चिह्नित नहीं किये गए व्यक्तियों को OBC श्रेणी में निर्दिष्ट किया जाए।
  - अत्याचारों को रोकने और समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षा की भावना को बहाल करने के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में तीसरी अनुसूची को शामिल करके वैधानिक तथा संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाना।
  - DNT, SNT और NT के लिये कानूनी स्थिति वाले एक स्थायी आयोग का गठन किया जाए।
  - महत्त्वपूर्ण आबादी वाले राज्यों में इन समुदायों के कल्याण के लिये एक अलग विभाग बनाए जाएँ।
  - DNT परिवारों की अनुमानित संख्या और वितरण निर्धारित करने के लिये उनका गहन सर्वेक्षण किया जाए।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ कौन हैं?

- **परिचय:**
  - इन्हें 'विमुक्त जाति' के नाम से भी जाना जाता है। ये समुदाय सबसे अधिक असुरक्षित और वंचित हैं।
  - ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 जैसे कानूनों के तहत गैर-अधिसूचित समुदायों को 'जन्मजात अपराधी' के रूप में अधिसूचित/अंकित किया गया था।
    - उन्हें वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर गैर-अधिसूचित कर दिया गया था।
  - इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें गैर-अधिसूचित के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे भी घुमंतू थे।

- घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बदले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से, घुमंतू जनजातियों और गैर-अधिसूचित जनजातियों को कभी भी निजी भूमि या गृह स्वामित्व तक पहुँच नहीं थी।
- अधिकांश DNT अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, कुछ DNT अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं।

- NT, SNT और DNT समुदायों के लिये प्रमुख समितियाँ/आयोग:
  - संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में आपराधिक जनजाति जाँच समिति, 1947 का गठन किया गया।
  - नंतशयनम आयंगर समिति, 1949
    - इस समिति की अनुशंसा के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त कर दिया गया।
    - काका कालेलकर आयोग (जिसे पहला ओबीसी आयोग भी कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में किया गया था।
  - बी.पी. मंडल आयोग, 1980
    - आयोग ने NT, SNT और DNT समुदायों के मुद्दे से संबंधित कुछ सिफारिशें भी कीं।
  - राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग'(National Commission to Review the Working of the Constitution - NCRWC), 2002 ने माना कि DNT को गलत तरीके से अपराध प्रवण माना गया है और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। साथ ही कानून और व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा शोषण किया जाता है।

- **वितरण:**
  - भारत में, लगभग 10% आबादी NT, SNT और DNT समुदायों से बनी है।
  - जहाँ विमुक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, वहीं घुमंतू जनजातियों की जनसंख्या में लगभग 500 विभिन्न समुदाय शामिल हैं।
    - यह अनुमान लगाया गया है कि दक्षिण एशिया में विश्व की सबसे बड़ी खानाबदोश आबादी है।

घुमंतू जनजातियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- **बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं का अभाव:** इन समुदायों के सदस्यों के पास पेयजल, आश्रय और स्वच्छता आदि संबंधी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित रहते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव:** चूँकि इन समुदायों के लोग प्राय: यात्रा पर रहते हैं, इसलिये इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। नतीजतन उनके पास सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव होता है और उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी नहीं जारी किया जाता है।
- **स्थानीय प्रशासन का दुर्व्यवहार:** विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के संबंध में प्रचलित गलत तथा अपराधिक धारणाओं के कारण आज भी उन्हें स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
- **संदिग्ध (Ambiguous) जाति वर्गीकरण:** इन समुदायों के बीच जाति वर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है, कुछ राज्यों में इन समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के तहत शामिल किया जाता है।

इन जनजातियों के लिये क्या विकासात्मक प्रयास किये गए हैं?

- **DNT के लिये डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:**
  - यह केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
  - DNT छात्रों के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना DNT बच्चों, विशेषकर लड़कियों के बीच शिक्षा का प्रसार करने में सहायक है।
- **DNT बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:**
  - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
  - इस कार्यक्रम का लक्ष्य उन DNT छात्रों को छात्रावास आवास प्रदान करना है जो SC, ST या OBC की श्रेणियों में नहीं आते हैं।
    - इस सहायता का उद्देश्य उनकी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में सुविधा प्रदान करना है।

- **DNT के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना:**
  - इनका उद्देश्य नि:शुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता तथा आजीविका पहल प्रदान करना है।
  - इसके तहत वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपए के व्यय को सुनिश्चित किया गया।
  - DWBDNC (गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिये विकास तथा कल्याण बोर्ड) को इस योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया।

एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी

भारत ने दावोस में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) बैठक में एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी अर्थात् "वैश्विक भलाई के लिये गठबंधन - लैंगिक समानता और समानता" (Alliance for Global Good- Gender Equity and Equality) की स्थापना की, जिसने महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये WEF से पूर्ण समर्थन प्राप्त किया।

एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की विशेषताएँ क्या हैं?

- यह गठबंधन जी20 शिखर सम्मेलन 2023 के लीडर्स के घोषणा-पत्र और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिये भारत की प्रतिबद्धता के अनुसरण में स्थापित किया गया है।
  - इसका उद्देश्य एंगेजमेंट ग्रुप की गतिविधियों का अनुसरण करना और व्यवसाय 20 (Business 20), महिला 20 (Women 20) और जी20 सशक्तीकरण (G20 EMPOWER) जैसे फ्रेमवर्क का निर्माण करना है।
    - महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तीकरण और प्रगति के लिये G20 गठबंधन (G20 EMPOWER) एक पहल है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व तथा सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना है।
- इस नए गठबंधन का प्राथमिक और घोषित उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उद्यम के चिह्नित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण एवं निवेश को एक साथ लाना है।
- बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित, गठबंधन को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सेंटर फॉर वीमन लीडरशिप द्वारा स्थापित तथा संचालित किया जाएगा।
  - CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभान्वित, उद्योग-आधारित एवं उद्योग-प्रबंधित संगठन है जो भारत के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाने तथा उन्हें बनाए रखने के लिये काम करता है।
- WEF एक 'नेटवर्क पार्टनर' के रूप में और इन्वेस्ट इंडिया एक 'संस्थागत भागीदार' के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुआ है।
  - इन्वेस्ट इंडिया (Invest India) एक राष्ट्रीय निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक गैर-लाभकारी उद्यम के रूप में की गई थी।
- गठबंधन का उद्देश्य भारत की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता तथा "सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास" को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना है।

मल्टीपल स्केलेरोसिस

34,000 वर्ष पूर्व जीवित प्राचीन यूरोपीय लोगों की अस्थियों तथा दाँतों से प्राप्त डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid- DNA) अमूमन मानव को अक्षम करने वाली न्यूरोलॉजिकल व्याधि मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis) की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

ये निष्कर्ष पश्चिमी यूरोप तथा एशिया के विभिन्न स्थलों से 1,664 लोगों के प्राचीन DNA अनुक्रमों से संबंधित शोध से प्राप्त हुए हैं।

प्रमुख अवलोकन क्या हैं?

- फिर इन प्राचीन जीनोम की तुलना यूके बायोबैंक के आधुनिक डीएनए से की गई, जिसमें लगभग 4,10,000 स्व-पहचान वाले "श्वेत-ब्रिटिश"("white-British") लोग शामिल थे और 24,000 से अधिक अन्य लोग यूनाइटेड किंगडम के बाहर पैदा हुए थे।
- मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis) से संबंधित एक आश्चर्यजनक खोज, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की एक पुरानी बीमारी जिसे एक ऑटोइम्यून विकार (autoimmune disorder) माना जाता है।
- शोधकर्त्ताओं ने लगभग 5,000 साल पहले कांस्य युग की शुरुआत में एक महत्त्वपूर्ण प्रवासन घटना की पहचान की, जब पशुपालक जिन्हें यमनया लोग (Yamnaya people) कहा जाता था, एक ऐसे क्षेत्र से पश्चिमी यूरोप में चले गए, जिसमें आधुनिक यूक्रेन और दक्षिणी रूस शामिल हैं।
- उनमें आनुवंशिक गुण थे, जो उस समय फायदेमंद थे और उनकी भेड़ों तथा मवेशियों से उत्पन्न होने वाले संक्रमणों के खिलाफ सुरक्षात्मक थे।

- जैसे-जैसे सहस्राब्दियों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ, इन्हीं प्रकारों ने मल्टीपल स्केलेरोसिस के खतरे को और ज़्यादा बढ़ा दिया।

मल्टीपल स्केलेरोसिस क्या है ?

- **परिचय:**
  - मल्टीपल स्केलेरोसिस (MS) के रूप में जानी जाने वाली पुरानी ऑटोइम्यून रोग एक विकार है जिसमें शरीर अनजाने में स्वयं पर हमला करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) प्रभावित होता है।
    - MS में प्रतिरक्षा प्रणाली माइलिन आवरण पर हमला करती है और उसे हानि पहुँचाती है, यह एक सुरक्षात्मक आवरण है जो मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका तंतुओं को घेरता है, जिससे कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं।
- **लक्षण:**
  - मांसपेशियों में कमज़ोरी और सुन्नता(Numbness) की स्थिति आना।
  - किसी व्यक्ति को अपना मूत्रविसर्जन करने में कठिनाई हो सकती है या बार-बार या अचानक मूत्रविसर्जन करने की आवश्यकता हो सकती है।
  - आंत्र समस्याएँ, थकान, चक्कर आना, और रीढ़ की हड्डी में क्षतिग्रस्त तंत्रिका फाइबर की स्थिति।
  - चूँकि लक्षण सामान्य होते हैं, लोग अक्सर बीमारी को जल्दी पहचान नहीं पाते हैं और इसी कारण से अक्सर इसका निदान होने में कई वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि इसके लिये किसी विशिष्ट कारण या ट्रिगर को निर्धारित करना असंभव होता है।
- **कारण:**
  - रोग का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन यह निम्न कारणों का संयोजन हो सकता है:
    - आनुवंशिक कारक जीन में पारित हो सकते हैं
    - धूम्रपान और तनाव
    - विटामिन डी और बी12 की कमी

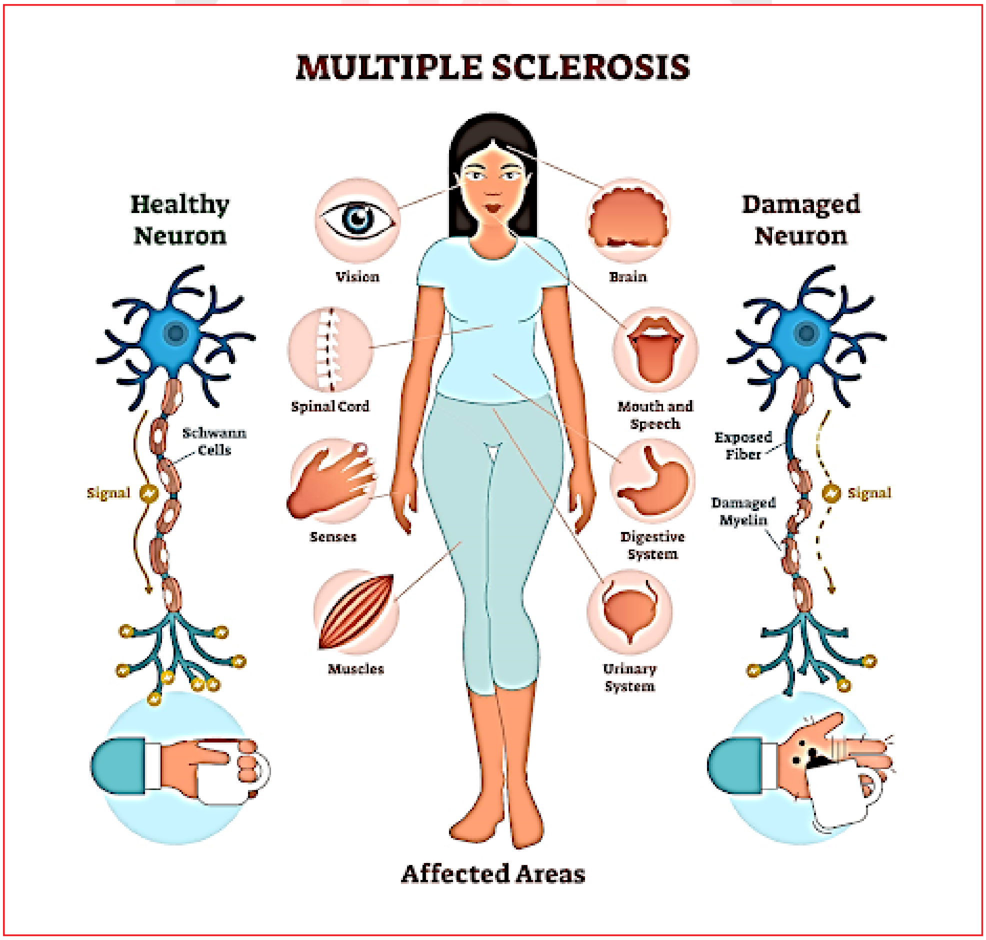

डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) क्या है?

- डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) एक जटिल आणविक संरचना वाला एक कार्बनिक अणु है।
  - DNA अणु की श्रृंखला मोनोमर न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला से बनी होती है। यह एक डबल हेलिक्स संरचना में व्यवस्थित होती है।
- जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने वर्ष 1953 में पता लगाया कि DNA एक डबल हेलिक्स बहुलक है।
- यह जीवित प्राणियों की आनुवंशिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिये आवश्यक है।
- DNA का अधिकांश भाग कोशिका केंद्रक (cell nucleus) में पाया जाता है, इसलिये इसे परमाणु DNA कहा जाता है।

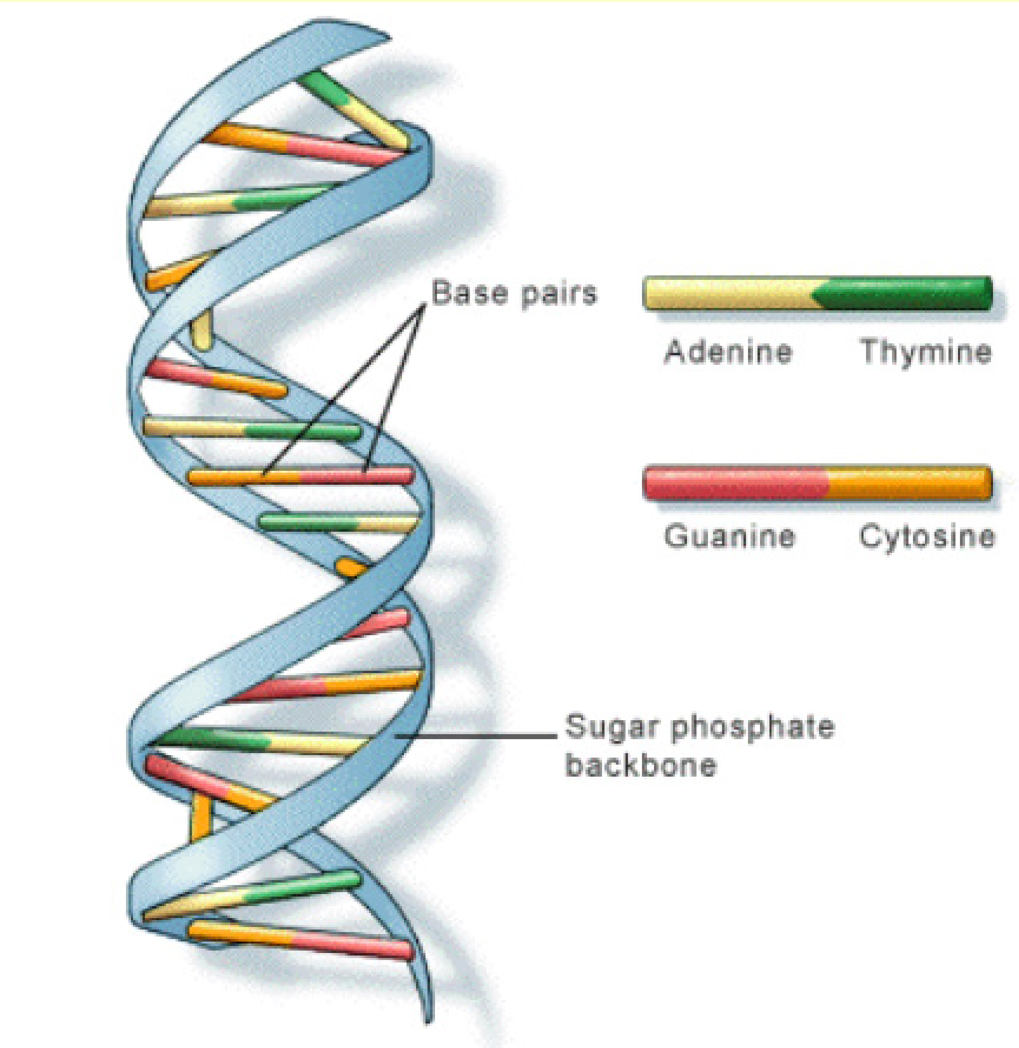

केप वर्ड को मलेरिया-मुक्त देश घोषित किया गया

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने केप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है।

- केप वर्ड वर्तमान में मॉरीशस तथा अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा प्रामाणित मलेरिया मुक्त होने वाला तीसरा देश बन गया है।

मलेरिया उन्मूलन प्रमाणन प्रक्रिया क्या है ?

- **परिचय:**
  - WHO द्वारा किसी देश को मलेरिया-मुक्त का प्रमाण तब दिया जाता है जब वह कम-से-कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम दर्शाता है तथा उसके पास स्वदेशी संचरण के पुन: संचरित होने की स्थिति में उसकी

रोकथाम करने वाली कार्यात्मक निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली होती है।

- **वैश्विक स्थिति:**
  - दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र: मालदीव (2015) तथा श्रीलंका (2016) को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रामाणित किया गया है।
    - भारत को मलेरिया-मुक्त प्रामाणित नहीं किया गया है।
    - वर्तमान में WHO ने 43 देशों तथा 1 क्षेत्र को 'मलेरिया-मुक्त' प्रमाणन प्रदान किया है।

मलेरिया क्या है?

- मलेरिया मच्छर जनित एक जानलेवा रक्त रोग है जो प्लाज़्मोडियम परजीवियों के कारण होता है।
  - 5 प्लाज़्मोडियम परजीवी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं और इनमें से 2 प्रजातियाँ– पी. फाल्सीपेरम (P. falciparum) और पी. विवैक्स (P. vivax), सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करती हैं।
- मलेरिया मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से फैलता है।
  - किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर संक्रमित हो जाता है। इसके बाद मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं जिसे वह संक्रमित मच्छर काटता है। परजीवी यकृत तक पहुँचते हैं, परिपक्व होते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं।
- मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसी बीमारी शामिल हैं, जिसमें कंपकंपी वाली ठंड, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द तथा थकान शामिल है। विशेष रूप से, मलेरिया का इलाज और इसकी रोकथाम दोनों संभव है।

मलेरिया से संबंधित पहल क्या हैं?

- **वैश्विक:**
  - WHO का वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम (GMP)
  - E-2025 पहल
- **भारत:**
  - मलेरिया उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय ढाँचा 2016-2030
  - राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
  - राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP)
  - हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (HBHI) पहल
  - मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत (MERA-India)

केप वर्डे के संबंध में प्रमुख बिंदुक्या हैं ?

- **भौगोलिक स्थिति:**
  - केप वर्डे के नाम से जाना जाने वाला यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित द्वीपों का एक समूह है।
  - यह सेनेगल के पास स्थित है और अफ्रीकी महाद्वीप का निकटतम बिंदु है।
- **द्वीपसमूह संरचना:**
  - देश दस द्वीपों और पाँच टापूओं से बना है।
  - इन्हें दो मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है, पवनमुखी द्वीप (बारलावेंटो) और पवनविमुख द्वीप (सोटावेंटो)।
- **जनसंख्या:**
  - केप वर्डे में अधिकांश आबादी मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल की है।
  - इस मिश्रित विरासत के लोगों को अक्सर "मेस्टिको" या "क्रिओलो" कहा जाता है।
- **पूंजी:**
  - केप वर्डे की राजधानी प्राएया (Praia) है।
- **भाषा:**
  - पुर्तगाली आधिकारिक भाषा है।
  - केप वर्डीन क्रियोल या केवल क्रियोल, भी व्यापक रूप से बोली जाती है और इसे सांस्कृतिक पहचान का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं से संबंधित चिंताएँ

चर्चा में क्यों ?

आंध्र प्रदेश में आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता बेहतर वेतन और लाभ की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं के खिलाफ आवश्यक सेवा एवं रखरखाव अधिनियम (Essential Services and Maintenance Act- ESMA), 1971 लागू कर दिया है।

- आँगनवाड़ी केंद्रों पर समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) पर उनकी चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के प्रभाव का हवाला देते हुए, आदेश ने राज्य में छह महीने के लिये उनकी हड़ताल पर रोक लगा दी है।

आँगनवाड़ी सेवाएँ और आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की भूमिका क्या हैं ?

- **ICDS योजना और आँगनवाड़ी:**
  - ICDS योजना भारत में 2 अक्तूबर, 1975 को शुरू की गई थी। इसका नाम बदलकर आँगनवाड़ी सेवा कर दिया गया और अब यह सेवाएँ सक्षम आँगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 के हिस्से के रूप में पेश की जाती हैं।

  - यह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वयन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं (AWW) और सहायकों (AWH) के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों अर्थात् 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के प्रारंभिक बाल्यकाल, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिये देखभाल तथा विकास प्रदान करती है।
- **आँगनवाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:**
  - यह देश भर के आँगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों अर्थात् 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती

महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान किया गया है।

- तीन सेवाएँ अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ स्वास्थ्य से संबंधित हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

- **आँगनवाड़ी सेवाओं की ट्रैकिंग:** ICT प्लेटफॉर्म पोषण ट्रैकर को देश भर में आँगनवाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन एवं निगरानी पर वास्तविक समय डेटा कैप्चर करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - यह आँगनवाड़ी केंद्र (AWC) की गतिविधियों, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं (AWW) की सेवा वितरण और संपूर्ण लाभार्थी प्रबंधन का सर्वांगीण दृश्य प्रदान करता है।
- **आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की प्रमुख भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ:**
  - सामुदायिक आउटरीच और गतिशीलता:
    - लाभार्थियों का पंजीकरण: इनके द्वारा ICDS सेवाओं के लिये पात्र गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा छह वर्ष से अल्प आयु के बच्चों की पहचान कर उनका पंजीकरण किया जाता है।
    - समुदायों को संगठित करना: ये कार्यकर्त्ता आँगनवाड़ी गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं तथा ICDS कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और साथ ही स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देते हैं।
  - शिशु देखभाल तथा प्रारंभिक बचपन की शिक्षा:
    - आँगनवाड़ी केंद्रों का प्रबंधन: केंद्र की साफ-सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करना तथा रिकॉर्ड बनाए रखना व शिक्षण सामग्री तैयार करना।
    - प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करना: बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिये तैयार करने हेतु आयु-उपयुक्त खेल गतिविधियाँ, कहानी के सत्र एवं मूल शिक्षण गतिविधियाँ आयोजित करना।
    - वृद्धि और विकास की निगरानी करना: नियमित रूप से बच्चों की लंबाई और वज़न को मापना तथा विकास में किसी भी प्रकार की बाधा की पहचान करना एवं यदि आवश्यक हो तो उनका समाधान करने हेतु आगे प्रेषित करना।
    - माता-पिता को परामर्श देना: शिशु देखभाल प्रथाओं, बाल पोषण तथा स्वस्थ आचरणों पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
  - स्वास्थ्य तथा पोषण:
    - पूरक पोषण वितरित करना: विशेष रूप से गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं एवं छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करने के लिये गर्म पका हुआ भोजन, घर ले जाने के लिये राशन व पूरक पोषाहार प्रदान करना।
    - स्वास्थ्य जाँच करना: सामान्य बीमारियों से बचाव के लिये बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी करना, मूल स्वास्थ्य जाँच करना एवं आवश्यकता की स्थिति में उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये रेफर करना।
  - इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission) के तहत कार्यरत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (Accredited Social Health Activists- ASHA) का मार्गदर्शन करना।
    - टीकाकरण: बच्चों के लिये टीकाकरण अभियान आयोजित करने तथा उसे सुविधाजनक बनाने में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता करना एवं समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना।
    - जागरूकता बढ़ाना: माताओं तथा समुदायों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छता व स्वस्थ बाल विकास प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना।

आदिवासी आजीविका की स्थिति (SAL) रिपोर्ट, 2022

हाल ही में गैर-लाभकारी संगठन प्रदान (PRADAN) द्वारा जारी आदिवासी आजीविका की स्थिति (Status of Adivasi Livelihoods- SAL) रिपोर्ट, 2022 में बताया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) द्वारा प्रदत्त खाद्य सहायिकी (Subsidy) से आदिवासी परिवारों की निम्न आय के परिणामस्वरूप होने वाले तनाव की समस्या का समाधान हुआ है।

- इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत के मध्य भू-भाग की अनुसूचित जनजातियों की आजीविका की स्थिति को समझना है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- SAL रिपोर्ट, 2022 घरेलू सर्वेक्षण पर आधारित है जिसमें 6,019 परिवारों के प्रतिदर्श शामिल हैं।
  - रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों की औसत वार्षिक आय कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति कृषक परिवार की राष्ट्रीय औसत वार्षिक आय से बहुत कम थी।
- छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी परिवार द्वारा एक वर्ष में उपभोग किये जाने वाले भोजन तथा अन्य वस्तुओं की बाज़ार कीमत लगभग ₹18,000 है।

- इस राशि का लगभग 13% हिस्सा ही उक्त वस्तुओं की खरीद के लिये परिवारों द्वारा व्यय किया जाता है। शेष 87% राशि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायिकी से प्राप्त होती है।
- मध्य प्रदेश में एक आदिवासी परिवार PDS से खरीदे जाने वाले 10,000 रुपए सालाना मूल्य वाले उत्पादों के लिये बाज़ार मूल्य का केवल 22% भुगतान करता है।
- मध्य प्रदेश में, 32% आदिवासी परिवार, 27% गैर-आदिवासी परिवार और 61% विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) परिवारों के गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होने की सूचना दर्ज की गई है।
- छत्तीसगढ़ में, 27% आदिवासी परिवार, 42% गैर-आदिवासी परिवार और 29% PVTG परिवारों के गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होने की सूचना दर्ज की गई है।
- मध्य प्रदेश के पश्चिम के क्षेत्र, जहाँ भील समुदाय के लोगों की संख्या सर्वाधिक है, (जो पड़ोसी राज्य राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करते हैं) में जनजातीय और गैर-जनजातीय दोनों परिवारों के बीच औसत घरेलू आय सबसे अधिक पाई गई।
  - यह राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में 1.5 गुना अधिक था।
- आदिवासी महिलाओं को अपने गैर-आदिवासी समकक्षों की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। लेकिन घरेलू कामकाज और आजीविका गतिविधियों का कार्यभार अधिकतर आदिवासी महिलाओं को उठाना पड़ता है।
- निर्णय लेने की प्रथाओं और प्रथागत व्यवहार में भी लैंगिक भेदभाव व्याप्त है।

भील जनजाति कौन हैं?

- भील सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक हैं, जो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं।
- यह नाम 'बिल्लू' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धनुष।
- भील अपने स्थानीय भौगोलिक परिवेश के गहन ज्ञान के साथ-साथ उत्कृष्ट धनुर्धर माने जाते हैं।

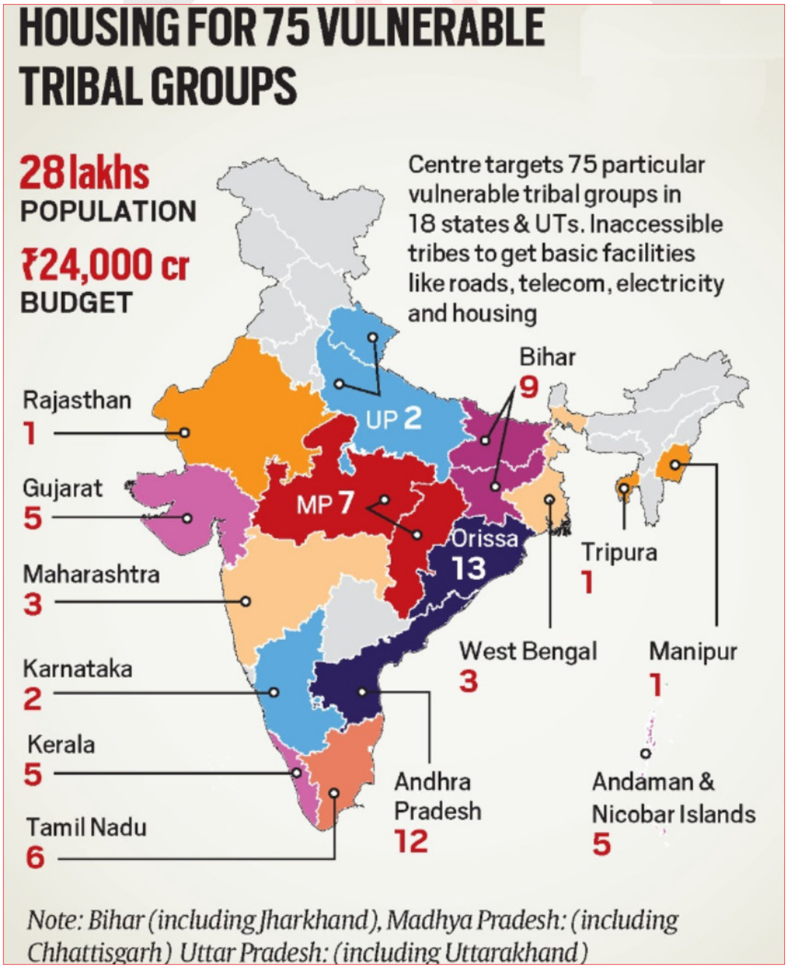

- ये परंपरागत रूप से गुरिल्ला युद्ध में निपुण माने जाते रहे हैं, जिनमें से वर्तमान में अधिकांश किसान और खेतिहर मज़दूर हैं होने के साथ ही कुशल मूर्तिकार भी हैं।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) कौन हैं?

- जनजातीय समूहों में PVTG अधिक असुरक्षित हैं। इस परिस्थिति के परिणामस्वरूप विकसित और सशक्त जनजातीय समूहों को जनजातीय विकास धन का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। ऐसे में, PVTG को अपने विकास के लिये अधिक धन की आवश्यकता होती है।
- ढेबर आयोग ने वर्ष 1973 में आदिम जनजातीय समूहों (PTG) की एक अलग श्रेणी बनाई जो आदिवासी समूहों में कम विकसित थे। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया।
- इस संदर्भ में वर्ष 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमज़ोर जनजातीय समूहों को PVTGs नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी। प्रारंभ में 52 जनजातीय समूहों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया, जबकि वर्ष 1993 में इस श्रेणी में 23 अतिरिक्त जनजातीय समूहों को शामिल किया गया, जिससे 705 जनजातीय समूहों के तहत वर्तमान में PVTG की संख्या 75 हो चुकी है।
  - 75 सूचीबद्ध PVTG's में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।

मानव तस्करी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरपोल ने ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II का संचालन किया जिसमें मानव तस्करी के शिकार लोगों का उपयोग करते हुए चलाये जा रहे धोखाधड़ी योजनाओं के बढ़ते नेटवर्क को उजागर किया गया है।

- इसने 27 एशियाई और अन्य देशों में मानव तस्करी तथा प्रवासी तस्करी से निपटने के लिये कानून प्रवर्तन को संगठित किया।

ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- **गिरफ्तारियाँ और आरोप:** ऑपरेशन के फलस्वरूप मानव तस्करी, पासपोर्ट जालसाज़ी, भ्रष्टाचार, दूरसंचार धोखाधड़ी और यौन शोषण जैसे आरोपों में विभिन्न देशों में 281 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- **बचाव कार्य और जाँच:** इस ऑपरेशन द्वारा मानव तस्करी पीड़ित 149 लोगों को बचाया गया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मानव तस्करी से पीड़ितों हेतु खोज कार्य शुरू किया गया।
- **तेलंगाना मामला:** इंटरपोल के अनुसार, तेलंगाना पुलिस ने भारत में इस प्रकार का पहला मामला दर्ज किया है मानव तस्करी के शिकार लोगों का उपयोग करते हुए धोखाधड़ी योजनाओं का संचालन किया जा रहा था।
  - इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश में प्रलोभन देकर लाए गए एक अकाउंटेंट को अमानवीय परिस्थितियों में ऑनलाइन धोखाधड़ी योजनाओं में भाग लेने के लिये बाध्य किया गया।
  - प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, फिरौती भुगतान करके अकाउंटेंट को सुरक्षित बचा लिया गया है।

नोट: इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (ICPO) के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इंटरपोल का मिशन विश्व को सुरक्षित बनाने के लिये पूरे विश्व की पुलिस के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिये कार्य करने में सहायता करना है।

भारत में मानव तस्करी की स्थिति क्या है?

- **मानव तस्करी:**
  - मानव तस्करी से आशय लोगों के अवैध व्यापार व शोषण से है, जिसमें जबरन लोगों को श्रम कार्य, यौन शोषण अथवा अनैच्छिक दासता के लिये बाध्य किया जाता है।
  - इसमें व्यक्तियों का शोषण करने के उद्देश्य से धमकी, बलप्रयोग, ज़बरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी अथवा धोखे के माध्यम से किसी प्रकार की भर्ती, स्थानांतरण, शरण देने के प्रलोभन आदि का उपयोग शामिल है।
- **भारत में स्थिति:**
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau -NCRB) के अनुसार, भारत में वर्ष 2022 में 6,500 से अधिक मानव तस्करी पीड़ितों की पहचान की गई, जिनमें से 60% महिलाएँ और लड़कियाँ थीं।
- **भारत में तस्करी से संबंधित संवैधानिक एवं विधायी प्रावधान:**
  - संवैधानिक निषेध: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार (बिना भुगतान के जबरन श्रम) पर प्रतिबंध लगाता है।
  - अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 [Immoral Traffic (Prevention) Act- ITPA]: यह कानून विशेष रूप से व्यावसायिक यौन शोषण के लिये तस्करी को रोकने के उद्देश्य से प्राथमिक कानून के रूप में कार्य करता है।
  - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012: 14 नवंबर, 2012 को अधिनियमित यह अधिनियम बच्चों को यौन दुर्व्यवहार व शोषण से सुरक्षित करने हेतु समर्पित है।

- इसमें यौन शोषण के विभिन्न रूपों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है, जिसमें पेनीट्रेटिभ और नॉन-पेनीट्रेटिभ मामलों के साथ-साथ यौन उत्पीड़न भी शामिल है।

- अन्य विशिष्ट कानून: महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित मामलों की रोकथाम के लिये कई अन्य कानून बनाए गए हैं, जिनमें बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1986 शामिल हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक 372 व 373 जैसी धाराएँ वेश्यावृत्ति के लिये लड़कियों की बिक्री तथा खरीद संबंधी मामलों का निपटान करती हैं।
- राज्य-विशिष्ट विधान: राज्यों में भी मानव तस्करी के निपटान के लिये विशिष्ट कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिये; पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012।

संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय:

- संयुक्त राष्ट्र अभिसमय: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on Transnational Organized Crime-UNCTOC) की पुष्टि की है जिसमें विशेष रूप से व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम, शोषण एवं सज़ा से संबंधित प्रोटोकॉल शामिल हैं।
  - विधायी कार्रवाई: उपर्युक्त प्रोटोकॉल के प्रावधानों के साथ संरेखित करने के लिये आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया गया था, यह मानव तस्करी को सटीकता से परिभाषित करता है।
- तस्करी पर SAARC अभिसमय: वेश्यावृत्ति के उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम तथा निपटान के लिये भारत ने SAARC अभिसमय पर हस्ताक्षर किया है।
- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women- CEDAW): इसे महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अपनाया गया था।
  - भारत द्वारा वर्ष 1993 में CEDAW का अनुमोदन किया गया था।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य पहल

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से की गई पहल पर प्रकाश डाला गया है।

प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य पहल क्या हैं?

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP):

- NMHP, वर्ष 1982 में शुरू किया गया तथा वर्ष 2003 में पुनर्गठित किया गया कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना एवं चिकित्सा संस्थानों में मनोरोग संबंधी विभागों को उन्नत करना है।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 1996 से ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) ने 716 ज़िलों में सक्रिय प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - DMHP, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बाह्य रोगी सेवाएँ, परामर्श, मनो-सामाजिक हस्तक्षेप व गंभीर मानसिक विकारों के लिये सहायता प्रदान करता है।
- संयुक्त रूप से वे भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिये एक व्यापक रणनीति बनाते हैं।

राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:

- देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिये NTMHP को अक्तूबर 2022 में लॉन्च किया गया था।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS),बंगलुरु राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सर्वोच्च केंद्र है, जो पूरे भारत में टेली मानस (Tele MANAS) की गतिविधियों का समन्वय करता है।
  - 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये 36 टेली मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑग्मेंटेशन सिस्टम (MANAS) सेल स्थापित किये हैं।
  - इनके तहत कुल 63,806 समस्याओं का समाधान किया गया।

NIMHANS और iGOT-Diksha सहयोग:

- NIMHANS, (iGOT)-Diksha प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनो-सामाजिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  - NIMHANS द्वारा (iGOT)-Diksha प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के लिये ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

- **आयुष्मान भारत- HWC योजना:**
  - आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (The Ayushman Bharat - Health and Wellness Centres - AB-HWCs) आयुष्मान भारत कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
    - कार्यक्रम का उद्देश्य निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक देखभाल (एक विशेष चिकित्सा दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों के लिये जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है) सहित सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करना है।
  - आयुष्मान भारत के दायरे के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (HWC) में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (MNS) पर परिचालन दिशानिर्देश जारी किये गए हैं।
- **महामारी-प्रेरित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान:**
  - सरकार ने विभिन्न वर्गों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली 24/7 हेल्पलाइन स्थापित की है।
    - विभिन्न सामाजिक समूहों के लिये दिशानिर्देश और सलाह जारी करके।
  - तनाव एवं चिंता को प्रबंधित करने के लिये विविध मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से वकालत और एक सहायतापूर्ण वातावरण को बढ़ावा देना।
- **मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के लिये वित्तीय सहायता:**
  - ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को 2022-23 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 159.75 करोड़ रुपए का फंड आवंटन प्राप्त होता है।

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य पहलें:

- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस।
- किरण हेल्पलाइन।
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023: WHO

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा की वैश्विक स्थिति 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में विश्व भर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों और सुरक्षा उपायों को लेकर महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की गई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- **सड़क हादसों में होने वाली मौतें:**
  - वर्ष 2010 और 2021 के बीच विश्व भर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 5% की कमी आई है अर्थात इस एक वर्ष के दौरान होने वाली मौतों की कुल संख्या 1.19 मिलियन है।
  - संयुक्त राष्ट्र के 108 सदस्य देशों ने इस अवधि के दौरान सड़क हादसों में होने वाली मौतों में गिरावट दर्ज की है।
  - जबकि भारत में इसकी मृत्यु दर में 15% की वृद्धि देखी गई, जो वर्ष 2010 के 1.34 लाख से बढ़कर वर्ष 2021 में 1.54 लाख हो गई है।
- **वे देश जहाँ सड़क हादसों में होने वाली मौतों में काफी कमी आई है:**
  - 10 देशों में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में काफी कमी दर्ज की गई है। 50% से अधिक कमी लाने में सफल देश इस प्रकार हैं: बेलारूस, ब्रुनेई दारुस्सलाम, डेनमार्क, जापान, लिथुआनिया, नॉर्वे, रूसी संघ, त्रिनिदाद और टोबैगो, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेज़ुएला।
  - पैंतीस अन्य देशों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 30% से 50% की कमी दर्ज की गई है।
- **दुर्घटनाओं का क्षेत्रीय वितरण:**
  - वैश्विक सड़क यातायात में होने वाली मौतों में से 28% WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में, 25% पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में, 19% अफ्रीकी क्षेत्र में, 12% अमेरिका क्षेत्र में, 11% पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में तथा 5% यूरोपीय क्षेत्र में हुई।
  - विश्व के केवल 1% मोटर वाहन होने के बावजूद सड़क हादसों से होने वाली 90% मौतें निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।
- **कमज़ोर सड़क चालक:**
  - सभी सड़क हादसों से होने वाली मौतों में से 53% कमज़ोर सड़क चालक हैं, जिनमें पैदल यात्री (23%), संचालित दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों के चालक (21%), साइकिल चालक (6%) एवं सूक्ष्म-गतिशीलता उपकरणों के चालक (3%) शामिल हैं।
  - वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के बीच पैदल यात्रियों की मृत्यु 3% बढ़कर 2,74,000 हो गई, जबकि साइकिल चालकों की मृत्यु लगभग 20% बढ़कर 71,000 हो गई।
  - हालाँकि कार एवं अन्य चौपहिया हल्के वाहन में सवार लोगों की मृत्यु में थोड़ी कमी आई, जो होने वाली वैश्विक मौतों का 30% है।

- **सुरक्षा मानकों व नीतियों पर प्रगति:**
  - केवल छह देशों में ऐसे कानून हैं जो सभी जोखिम कारकों (तीव्र गति, शराब का सेवन कर वाहन चलाना एवं मोटरसाइकिल हेलमेट, सीटबेल्ट व बच्चों के संयम का उपयोग) के लिये WHO के सर्वोत्तम अभ्यास को पूरा करते हैं, जबकि 140 देशों (संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्य देशों) में केवल इन जोखिम कारकों में से किसी एक से संबंधित कानून हैं।
  - सीमित संख्या में देशों में प्रमुख वाहन सुरक्षा सुविधाओं को शामिल करने वाले कानून हैं और सड़क उपयोगकर्त्ताओं के लिये सुरक्षा निरीक्षण की आवश्यकता होती है।
- **कार्रवाई के लिये आह्वान:**
  - वैश्विक मोटर-वाहन बेड़े (Fleet) की वृद्धि वर्ष 2030 तक दोगुनी होने की उम्मीद है, जिससे सुदृढ़ सुरक्षा नियमों और बुनियादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
  - यह रिपोर्ट वर्ष 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने के संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई दशक 2021-2030 के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों के लिये आधार रेखा तय करती है।

सड़क सुरक्षा से संबंधित पहल क्या हैं?

- **वैश्विक:**
  - सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा (2015):
    - इस घोषणा पर ब्राज़ील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च-स्तरीय सम्मेलन में हस्ताक्षर किये गए। भारत इस घोषणापत्र का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
    - देशों की योजना सतत् विकास लक्ष्य 3.6 हासिल करने अर्थात वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और आघात की संख्या को आधा करने की है।
  - सड़क सुरक्षा के लिये कार्रवाई का दशक 2021-2030:
    - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2030 तक कम-से-कम 50% सड़क यातायात मौतों और आघातों को रोकने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ "वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार" संकल्प अपनाया।
    - वैश्विक योजना सड़क सुरक्षा के लिये समग्र दृष्टिकोण के महत्त्व पर बल देकर स्टॉकहोम घोषणा के अनुरूप है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम (iRAP) :
    - यह एक पंजीकृत चैरिटी है जो सुरक्षित सड़कों के माध्यम से जीवन बचाने के लिये समर्पित है।
- **भारत :**
  - मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019:
    - अधिनियम यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, किशोर ड्राइविंग आदि के लिये दंड बढ़ाता है।
    - यह एक मोटर वाहन दुर्घटना निधि का प्रावधान करता है, जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को कुछ प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।
    - यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का भी प्रावधान करता है।
  - सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007
    - यह अधिनियम आम वाहकों को विनियमित करता है, उनकी देनदारियों को सीमित करता है और उन्हें उनके कर्मचारियों या एजेंटों या अन्य की लापरवाही के कारण उन वस्तुओं की हानि के लिये उनकी देयता का आकलन करने के लिये उनके द्वारा वितरित किये गए वस्तुओं के मूल्य की घोषणा अनिवार्य बनाता है।
  - राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2000:
    - यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्गों के भीतर भूमि के नियंत्रण, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले रास्ते और यातायात का अधिकार तथा उस पर अनधिकृत कब्ज़े को हटाने का भी प्रावधान करता है।
  - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1998:
    - यह अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिये एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है।

बिहार आरक्षण कानून और 50% की सीमा का उल्लंघन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार विधानसभा में बिहार आरक्षण कानून पारित किया गया, जिससे राज्य में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मात्रा बढ़कर 75% हो गई, जो सर्वोच न्यायालय (SC) द्वारा बरकरार रखे गए 50% नियम का उल्लंघन है।

- इसने भारत में आरक्षण की अनुमेय सीमा के बारे में बहस छेड़ दी है, विशेष रूप से मंडल आयोग मामले (इंद्रा साहनी, 1992) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित "50%" सीमा के मद्देनज़र।

बिहार आरक्षण कानून की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- ये कानून हैं बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) संशोधन अधिनियम 2023 तथा बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण अधिनियम, 2023।
- संशोधित अधिनियम के तहत, दोनों मामलों में कुल 65% आरक्षण होगा, जिसमें अनुसूचित जाति के लिये 20%, अनुसूचित जनजाति के लिये 2%, पिछड़ा वर्ग के लिये 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 25% आरक्षण होगा।
- इसके अलावा केंद्रीय कानून के तहत पहले से मंज़ूरी प्राप्त EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों) को 10% आरक्षण मिलता रहेगा।

50% नियम क्या है?

- **परिचय:**
  - 50% नियम, जिसे ऐतिहासिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, यह निर्देश देता है कि भारत में नौकरियों या शिक्षा के लिये आरक्षण कुल सीटों या पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिये।
  - प्रारंभ में वर्ष 1963 के एम.आर. बालाजी मामले में सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्थापित, आरक्षण को संवैधानिक ढाँचे के तहत एक "अपवाद" या "विशेष प्रावधान" माना जाता था, जिससे उपलब्ध सीटों की अधिकतम 50% तक सीमित थी।
  - हालाँकि आरक्षण की समझ वर्ष 1976 में विकसित हुई जब यह स्वीकार किया गया कि आरक्षण कोई अपवाद नहीं है बल्कि समानता का एक घटक है। परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव के बावजूद 50% की सीमा अपरिवर्तित रही।
  - वर्ष 1990 में मंडल आयोग मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने 50% की सीमा की फिर से पुष्टि की और कहा कि यह एक बाध्यकारी नियम है, न कि केवल विवेक का मामला है। हालाँकि यह अपवाद के बिना कोई नियम नहीं है।
  - राज्य हाशिये पर और सामाजिक मुख्यधारा से बाहर किये गए समुदायों को आरक्षण प्रदान करने के लिये विशिष्ट परिस्थितियों में सीमा को पार कर सकते हैं, विशेष रूप से भौगोलिक स्थिति के बावजूद।
  - इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय की 103वें संवैधानिक संशोधन की हालिया पुष्टि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिये अतिरिक्त 10% आरक्षण को मान्य करती है।
    - इसका मतलब है कि 50% की सीमा केवल गैर-EWS आरक्षण पर लागू होती है और राज्यों को EWS आरक्षण सहित कुल 60% सीटें/पद आरक्षित करने की अनुमति है।
- **अन्य राज्य सीमा पार कर रहे हैं:**
  - अन्य राज्य जो EWS कोटा को छोड़कर भी पहले ही 50% की सीमा को पार कर चुके हैं, वे हैं छत्तीसगढ़ (72%), तमिलनाडु (69%, वर्ष 1994 के अधिनियम के तहत संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत संरक्षित) और कई उत्तर-पूर्वी राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड (80% प्रत्येक) शामिल हैं।
  - लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिये 100% आरक्षण है।
  - महाराष्ट्र और राजस्थान के पिछले प्रयासों को न्यायालयों ने खारिज़ कर दिया है।

संविधान और आरक्षण

- **77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1995:** इंद्रा साहनी मामले में कहा गया था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में होगा, पदोन्नति में नहीं।
- हालाँकि संविधान में अनुच्छेद 16(4A) को जोड़ने से राज्य को SC/ST कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार मिल गया, अगर राज्य को लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **81वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000:** इसमें अनुच्छेद 16(4B) पेश किया गया, जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ष का रिक्त SC/ST कोटा, जब अगले वर्ष के लिये आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसे अलग से माना जाएगा एवं उस वर्ष की नियमित रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
- **85वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001:** इसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसे जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिये 'पारिणामिक वरिष्ठता' के साथ लागू किया जा सकता है।
- **संविधान में 103वाँ संशोधन (2019):** EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के लिये 10% आरक्षण।
- **अनुच्छेद 335:** इसके अनुसार संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियाँ करने में प्रशासनिक प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के सदस्यों की मांगों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिये।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को मंज़ूरी देने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

- वर्ष 2023 में UDHR की 75वीं वर्षगाँठ है।
- 2023 विषय: सभी के लिये स्वतंत्रता, समानता और न्याय

मानवाधिकार क्या है

- ये जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किये बिना सभी मनुष्यों के लिये अंतर्निहित अधिकार हैं।
- इनमें जीवन का अधिकार, दासता तथा यातना से मुक्ति, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम तथा शिक्षा का अधिकार एवं बहुत कुछ सम्मिलित हैं।
- नेल्सन मंडेला ने कहा था, 'लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है।'
- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि "सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान हैं।" तथा
  - अनुच्छेद 2 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त करने का हकदार है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कुछ कानूनों को बचाने एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) क्या है?

- **परिचय**
  - 30 अधिकारों और स्वतंत्रताओं में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण व गोपनीयता एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, जैसे– सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार आदि।
    - भारत ने UDHR के प्रारूपण में सक्रिय रूप से भाग लिया।
  - UDHR एक संधि नहीं है, इसलिये यह सीधे तौर पर देशों के लिये कानूनन आवश्यक नहीं है।
  - UDHR, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एवं इसके दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल (शिकायत प्रक्रिया एवं मृत्युदंड पर) तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध व इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल के साथ मिलकर तथाकथित मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक बनाते हैं।
  - सभी लोगों और राष्ट्रों के लिये उपलब्धि के एक सामान्य मानक के रूप में स्थापित इस घोषणा ने द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद उभरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में एक मूलभूत भूमिका निभाई।
- **उपलब्धियाँ:**
  - घोषणा की गैर-बाध्यकारी प्रकृति:
    - वर्ष 1948 में स्थापित UDHR अपने आप में कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। हालाँकि इसके सिद्धांतों को व्यापक रूप से अपनाया गया है और कई देशों के कानूनी ढाँचे में एकीकृत किया गया है।
  - पहुँच और वैश्विक प्रभाव:
    - UDHR का महत्त्व इसकी गैर-बाध्यकारी स्थिति से कहीं अधिक है, जिसने वैश्विक स्तर पर 70 से अधिक मानवाधिकार संधियों के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। इसका प्रभाव विश्व भर में उपनिवेशवाद से मुक्ति, रंगभेद विरोध तथा विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम जैसे आंदोलनों में स्पष्ट है।
    - UDHR के बिना विभिन्न मानकों वाला एक खंडित परिदृश्य उत्पन्न हो सकता था, जिससे स्थितियाँ संभावित रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती थीं।
- **सार्वभौमिक मानक एवं समकालिक प्रासंगिकता:**
  - विशिष्ट धर्मों, संस्कृतियों अथवा क्षेत्रों के लिये इसकी अनुपयुक्तता का दावा करने वाली कुछ आलोचनाओं के बावजूद, वर्ष 1948 की घोषणा पर आधारित समझौतों से उत्पन्न हुए UNDR, इसकी स्थायी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।
  - उदाहरण हेतु वर्ष 1993 में आयोजित वियना घोषणा एवं कार्रवाई कार्यक्रम ने UDHR में निर्धारित सिद्धांतों को और मज़बूत किया।

भारत में अपराध पर NCRB रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने हाल ही में "2022 के दौरान भारत में अपराध (Crime in India for 2022)" शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जो देश भर में अपराध के रुझानों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।

भारत में अपराध पर NCRB रिपोर्ट 2022 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **समग्र अपराध आँकड़े:**
  - कुल 58,00,000 से अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किये गए, जिनमें भारतीय दंड संहिता (IPC) तथा विशेष और स्थानीय कानून (SLL) के तहत यानी दोनों प्रकार के अपराध शामिल थे।
    - वर्ष 2021 की तुलना में मामलों के पंजीकरण में 4.5% की गिरावट देखी गई।
- **अपराध दर में गिरावट:**
  - प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई।
    - कुल अपराध संख्या पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को देखते हुए इस गिरावट को अधिक विश्वसनीय संकेतक माना जाता है।
- **सबसे सुरक्षित शहर:**
  - महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज करते हुए कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है।
    - पुणे (महाराष्ट्र) और हैदराबाद (तेलंगाना) ने क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान हासिल किया।
- **साइबर अपराधों में वृद्धि:**
  - साइबर अपराध रिपोर्टिंग में वर्ष 2021 के 52,974 मामलों में 24.4% की एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि के साथ कुल 65,893 मामले दर्ज हुए हैं।
  - पंजीकृत मामलों में अधिकांश साइबर धोखाधड़ी के मामले (64.8%) शामिल हैं, इसके बाद ज़बरन वसूली (5.5%) और यौन शोषण (5.2%) के मामले आते हैं।
    - इस श्रेणी के तहत अपराध दर वर्ष 2021 के 3.9 से बढ़कर वर्ष 2022 में 4.8 हो गई।
- **आत्महत्याएँ और कारण:**
  - 2022 में भारत में आत्महत्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, कुल 1.7 लाख से अधिक मामले 2021 की तुलना में 4.2% की चिंताजनक वृद्धि को दर्शाते हैं।
  - आत्महत्या दर में भी 3.3% की वृद्धि हुई, जिसकी गणना प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्याओं की संख्या के रूप में की जाती है।
    - प्रमुख कारणों में 'पारिवारिक समस्याएँ,' 'विवाह संबंधी समस्याएँ,' दिवालियापन और ऋणग्रस्तता, 'बेरोज़गारी एवं पेशेवर मुद्दे' तथा बीमारी' शामिल हैं।
  - आत्महत्या के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किये गए, इसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना का स्थान है।
  - आत्महत्या के कुल मामलों में दैनिक वेतन भोगियों की हिस्सेदारी 26.4% थी।
    - कृषि श्रमिक और किसान भी असमान रूप से प्रभावित हुए, जो आत्महत्या के आँकड़ों का एक बड़ा हिस्सा है।
    - इसके बाद बेरोज़गार व्यक्तियों का स्थान है, जो वर्ष 2022 में भारत में दर्ज आत्महत्या के सभी मामलों में से 9.2% थे। वर्ष में दर्ज कुल आत्महत्या के मामलों में 12,000 से अधिक छात्र शामिल थे।
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बढ़ते अपराध:**
  - भारत में अपराध रिपोर्ट में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों एवं अत्याचारों में समग्र वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।
    - राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में वर्ष 2022 में ऐसे मामलों में वृद्धि देखी गई।
    - मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख योगदानकर्त्ताओं के रूप में बने हुए हैं, जो एससी और एसटी समुदायों के खिलाफ अपराध एवं अत्याचार की सबसे अधिक घटनाओं वाले शीर्ष पाँच राज्यों में लगातार प्रमुख स्थान पर हैं।
    - ऐसे अपराधों के उच्च स्तर वाले अन्य राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पंजाब शामिल हैं।
- **महिलाओं के विरुद्ध अपराध:**
  - वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किये गए, जो वर्ष 2021 की तुलना में 4% अधिक हैं।
  - प्रमुख श्रेणियों में 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता,' 'महिलाओं का अपहरण' और 'महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से उन पर हमला' जैसे मामले शामिल हैं।
- **बच्चों के विरुद्ध अपराध:**
  - बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में वर्ष 2021 की तुलना में 8.7% की वृद्धि देखी गई।
    - इनमें से अधिकांश मामले अपहरण (45.7%) से संबंधित थे और 39.7% मामले यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किये गए थे।
- **वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध:**
  - वर्ष 2021 में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध के 26,110 मामले थे जिनमें 9.3% की बढ़ोतरी के साथ ये 28,545 हो गए।

- इनमें से अधिकांश मामले (27.3%) चोट/घात के बाद चोरी (13.8%) तथा जालसाज़ी, छल और धोखाधड़ी (11.2%) से संबंधित हैं।

जानवरों द्वारा किये गए हमलों में वृद्धि:

- NCRB रिपोर्ट में जानवरों के हमलों के कारण मरने वाले अथवा घायल होने वाले लोगों की संख्या में चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है।
  - वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में ऐसी घटनाओं में 19% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
  - महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले दर्ज किये गए, इसके बाद उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में विभिन्न संख्या में संबंधित मामले दर्ज किये गए।
- इसके आतिरिक्त जानवरों/सरीसृपों तथा कीटों के काटने के मामलों में भी 16.7% की वृद्धि हुई।
  - उक्त के काटने के सबसे अधिक मामले राजस्थान में, उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में दर्ज किये गए।

पर्यावरण संबंधी अपराध:

- भारत में पर्यावरण संबंधी अपराधों की कुल संख्या में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में लगभग 18% की कमी आई है।
  - पर्यावरण संबंधी अपराधों में सात अधिनियमों के तहत उल्लंघन शामिल हैं:
- वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उल्लंघन के लिये दर्ज मामलों में लगभग 42% की वृद्धि हुई है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पंजीकृत उल्लंघनों में भी लगभग 31% की वृद्धि हुई है।
- आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में वन संबंधी अपराधों की संख्या बढ़ी है।
- बिहार, पंजाब, मिज़ोरम, राजस्थान और उत्तराखंड सहित पाँच राज्यों में वन्यजीव संबंधी अपराध बढ़े हैं।
  - देश में वन्यजीव अपराध के मामलों की अधिकतम संख्या (30%) वाले राजस्थान में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में ऐसे अपराधों में 50% की वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य के विरुद्ध अपराध:

- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में राज्य के विरुद्ध हुए अपराधों में सामान्य वृद्धि देखी गई।
  - इस अवधि के दौरान विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामलों में लगभग 25% की वृद्धि हुई।
- इसके विपरीत IPC की राजद्रोह धारा के तहत मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
  - राजद्रोह के मामलों में कमी का श्रेय मई 2022 में राजद्रोह के मामलों को प्रास्थगन/स्थगित रखने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दिया जा सकता है।

आर्थिक अपराधों में वृद्धि:

- आर्थिक अपराधों को आपराधिक विश्वासघात, जालसाज़ी, छल तथा धोखाधड़ी (Forgery, Cheating, Fraud-FCF) तथा कूटकरण (Counterfeiting) में वर्गीकृत किया गया है।
  - FCF के अधिकांश मामले (1,70,901 मामले) देखे गए, इसके बाद आपराधिक विश्वासघात (21,814 मामले) तथा कूटकरण (670 मामले) के अपराध थे।
- क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकारी अधिकारियों ने वर्ष 2022 में कुल 342 करोड़ रुपए से अधिक के जाली भारतीय मुद्रा नोट (Fake Indian Currency Notes- FICN) ज़ब्त किये।

विदेशियों के विरुद्ध अपराध:

- विदेशियों के खिलाफ 192 मामले दर्ज किये गए जो वर्ष 2021 के 150 मामलों से 28% अधिक है।
  - 56.8% पीड़ित एशियाई महाद्वीप से थे, जबकि 18% अफ्रीकी देशों से थे।

उच्चतम आरोपपत्र दर:

- IPC अपराधों के तहत उच्चतम आरोपपत्र दर वाले राज्य केरल, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल हैं।
  - आरोप पत्र दायर करने की दर उन मामलों को दर्शाती है जहाँ पुलिस कुल सही मामलों (जहाँ आरोपपत्र दायर नहीं किया गया था लेकिन अंतिम रिपोर्ट को सही के रूप में प्रस्तुत किया गया था) में से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के चरण तक पहुँच गई थी।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है?

- NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके।

- यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के कार्य बल (1985) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।
- यह गृह मंत्रालय का हिस्सा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिये "नेशनल वेयरहाउस" के रूप में भी कार्य करता है, और फिंगरप्रिंट खोज के माध्यम से अंतर-राज्यीय अपराधियों का पता लगाने में सहायता करता है।
- NCRB के चार प्रभाग हैं: अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS), अपराध सांख्यिकी, फिंगरप्रिंट और प्रशिक्षण।
- NCRB के प्रकाशन:
  - क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट
  - आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या
  - जेल सांख्यिकी
  - भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट
  - ये प्रकाशन न केवल पुलिस अधिकारियों के लिये बल्कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपराध विशेषज्ञों, शोधकर्त्ताओं, मीडिया तथा नीति निर्माताओं हेतु अपराध आँकड़ों पर प्रमुख संदर्भ बिंदु के रूप में काम करते हैं।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी की गई विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023, भारत और विश्व स्तर पर मलेरिया की खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **वैश्विक मलेरिया अवलोकन:**
  - विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वर्ष 2022 में अनुमानित 249 मिलियन मामलों के साथ वैश्विक वृद्धि हुई है जो महामारी से पहले के स्तर को पार कर जाएगी।
    - कोविड-19 व्यवधान, दवा प्रतिरोध, मानवीय संकट और जलवायु परिवर्तन आदि वैश्विक मलेरिया प्रतिक्रिया के लिये खतरा पैदा करते हैं।
  - वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 95% मामले 29 देशों में हैं।
    - चार देश- नाइजीरिया (27%), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (12%), युगांडा (5%), और मोज़ाम्बिक (4%) वैश्विक स्तर पर मलेरिया के लगभग आधे मामलों के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- **भारत में मलेरिया परिदृश्य:**
  - वर्ष 2022 में WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के आश्चर्यजनक 66% मामले भारत में थे।
    - प्लाज़्मोडियम विवैक्स, एक प्रोटोज़ोआ परजीवी ने इस क्षेत्र में लगभग 46% मामलों में योगदान दिया।
  - 2015 के बाद से मामलों में 55% की कमी के बावजूद भारत वैश्विक मलेरिया बोझ में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता बना हुआ है।
    - भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वर्ष 2023 में बेमौसम बारिश से जुड़े मामलों में वृद्धि भी शामिल है।
  - WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में से लगभग 94% मौतें भारत और इंडोनेशिया में होती हैं।
- **क्षेत्रीय प्रभाव:**
  - अफ्रीका पर मलेरिया का असर सबसे ज़्यादा है, वर्ष 2022 में वैश्विक मलेरिया के 94% मामले और इससे होने वाली 95% मौतें अफ्रीका में देखी गईं।
  - भारत सहित WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में पिछले दो दशकों में मलेरिया पर काबू पाने में कामयाब रहा है, जिसमें वर्ष 2000 के बाद से रोग के मामलों और इससे हुई मौतों में 77% की कमी आई है।
- **जलवायु परिवर्तन और मलेरिया:**
  - जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है, जो मलेरिया संचरण और समग्र बोझ को प्रभावित कर रहा है।
    - बदलती जलवायु परिस्थितियाँ मलेरिया रोगज़नक और रोग संचरण/वेक्टर की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, जिससे इसके प्रसार में आसानी होती है।
  - WHO इस बात पर बल देता है कि जलवायु परिवर्तन मलेरिया के बढ़ने का जोखिम उत्पन्न कर रहा है, जिसके लिये संधारणीय और आघातसह प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है।
- **वैश्विक उन्मूलन लक्ष्य:**
  - WHO का लक्ष्य वर्ष 2025 में मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को 75% और वर्ष 2030 में 90% तक कम करना है।
    - वर्ष 2025 तक मलेरिया की घटनाओं में 55% तक कमी लाने और मृत्यु दर में 53% तक कमी लाने के लक्ष्य की दिशा में वैश्विक प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।
- **मलेरिया उन्मूलन को लेकर चुनौतियाँ:**
  - मलेरिया नियंत्रण के लिये फंडिंग अंतर वर्ष 2018 में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

- अनुसंधान और विकास निधि 15 वर्ष के निचले स्तर 603 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गई, जिससे नवाचार और प्रगति के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

मलेरिया वैक्सीन का प्रभाव और उपलब्धियाँ:

- रिपोर्ट अफ्रीकी देशों में WHO-अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन, RTS,S/AS01 की चरणबद्ध शुरुआत के माध्यम से मलेरिया की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रगति पर बल देती है।
  - घाना, केन्या और मलावी में प्रभावी मूल्यांकन के चलते गंभीर मलेरिया की स्थिति में उल्लेखनीय कमी और बच्चों में होने वाली मौतों में 13% की कमी का पता चलता है, जो टीके की प्रभावशीलता की पुष्टि करता है।
  - यह उपलब्धि बिस्तर जाल और इनडोर छिड़काव जैसे मौजूदा हस्तक्षेपों के साथ मिलकर एक व्यापक रणनीति बनाती है, जिससे इन क्षेत्रों में समग्र परिणामों में सुधार हुआ है।
- अक्तूबर 2023 में WHO ने दूसरी सुरक्षित और प्रभावी मलेरिया वैक्सीन, R21/Matrix-M की अनुशंसा की।
  - मलेरिया के दो टीकों की उपलब्धता के चलते आपूर्ति बढ़ने के परिणामस्वरूप पूरे अफ्रीकी क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

कॉल फॉर एक्शन:

- WHO मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण धुरी/केंद्रबिंदु की आवश्यकता पर ज़ोर देता है तथा संसाधनों में वृद्धि, दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता, डेटा-संचालित रणनीतियों एवं नवीन उपकरणों की मांग करता है।
- जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के साथ संरेखित सतत् तथा लचीली मलेरिया प्रतिक्रियाएँ प्रगति के लिये आवश्यक मानी जाती हैं।

विश्व एड्स दिवस 2023

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV)/एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS) के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों का समर्थन करने के लिये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day) मनाया जाता है।

- विश्व एड्स दिवस पहली बार वर्ष 1988 में मनाया गया था, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस दिन को मान्यता दी थी।
- विश्व एड्स दिवस- 2023 का विषय है- 'समुदायों को नेतृत्व करने दें' (Let communities lead)।'

HIV/AIDS रोग क्या है?

परिचय:

- ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) एक संक्रमण है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है।
  - AIDS, HIV संक्रमण का अंतिम चरण है, जो तब होता है जब वायरस के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है।
- HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD4, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका (T- सेल) पर हमला करता है।
  - T- सेल, वे कोशिकाएँ हैं जो पूरे शरीर में पाई जाती हैं और कोशिकाओं में विसंगतियों एवं संक्रमण का पता लगाती हैं।
- शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV वायरस स्वयं का गुणन/प्रसार करता है और CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे मानव प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक बार यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाए तो इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है।
- HIV से संक्रमित व्यक्ति का CD4 संख्या काफी कम हो जाती है। एक स्वस्थ शरीर में CD4 की संख्या 500-1600 के बीच होती है, लेकिन संक्रमित शरीर में यह 200 तक भी जा सकती है।

प्रसार:

- HIV कई स्रोतों से फैल सकता है, उदाहरण के लिये HIV से संक्रमित व्यक्ति के शरीर के कुछ तरल पदार्थों जैसे- रक्त, वीर्य, मलाशय द्रव, योनि द्रव या स्तन का दूध आदि के सीधे संपर्क में आने से, जिसमें पता लगाने योग्य पर्याप्त वायरल लोड होता है।

लक्षण:

- एक बार जब HIV, AIDS में बदल जाता है तो इसमें शुरुआती लक्षण देखे जा सकते हैं जैसे- अत्यधिक थकान, बुखार, जननांगों या गर्दन के आसपास घाव, निमोनिया आदि।

HIV AIDS की व्यापकता:

- अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 39 मिलियन व्यक्ति ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) से ग्रस्त हैं।
- भारत में यह आँकड़ा 24 लाख है।
- वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 1.3 मिलियन और भारत में 63,000 नए HIV संक्रमण के मामले पाए गए।
  - वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर इन स्थितियों के कारण 6,50,000 लोगों की मृत्यु हुई। भारत में AIDS के कारण 42,000 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें से कई अवसरवादी संक्रमणों को रोका जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है।

HIV की रोकथाम के लिये भारत ने क्या प्रयास किये हैं?

- HIV और एड्स (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017: इस अधिनियम के अनुसार, केंद्र तथा राज्य सरकारें HIV अथवा एड्स के संक्रमण को रोकने के लिये उपाय करेंगी।
- **ART तक पहुँच:**
  - भारत ने विश्व में HIV से पीड़ित 90 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिये एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) को सस्ता और सुलभ बना दिया है।
- **समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding- MoU):**
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने HIV/एड्स संबंधी जागरूकता बढ़ाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों तथा HIV/एड्स से पीड़ित बच्चों और लोगों के खिलाफ सामाजिक दुर्व्यवहार एवं भेदभाव की घटनाओं को कम करने के लिये वर्ष 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- **प्रोजेक्ट सनराइज़:**
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV के प्रसार से निपटने हेतु विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु 'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise) शुरू किया गया था।
- **प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP):**
  - HIV से संक्रमित होने के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को निरंतर रूप से PrEP दवाएँ देने से संक्रमण की संभावना काफी कम हो सकती है।

राजनीति में अक्षमताओं पर सम्मानजनक संवाद को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों?

चुनाव आयोग (Election Commission-EC) ने राजनीतिक दलों को दिव्यांगता और लैंगिक संवेदनशील भाषण का उपयोग करने तथा सार्वजनिक भाषणों, अभियानों एवं लेखों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अपमानजनक संदर्भों का उपयोग करने से बचने के लिये दिशानिर्देश जारी किये हैं।

चुनाव आयोग के प्रमुख दिशानिर्देश क्या हैं?

- **अपमानजनक भाषा पर प्रतिबंध:** राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों से आग्रह किया जाता है कि वे किसी भी सार्वजनिक बयान, भाषण, लेख या अभियान में दिव्यांगता या दिव्यांगता से संबंधित अपमानजनक या आक्रामक संदर्भों का उपयोग करने से बचें और सुनिश्चित करें कि चुनाव अभियान सभी नागरिकों के लिये सुलभ रहें।
- **समर्थ भाषा से परहेज़ (Avoidance of Ableist Language):** दिव्यांगजनों के प्रति सक्षम या आपत्तिजनक समझे जाने वाले विशिष्ट शब्दों जैसे "गूँगा," "मंदबुद्धि," "अंधा," "बहरा," "लंगड़ा," आदि को ऐसी भाषा के रूप में रेखांकित किया गया है जिससे बचना चाहिये।
- **आंतरिक समीक्षा एवं सुधार (Internal Review and Rectification):** भाषणों, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापनों एवं प्रेस विज्ञप्तियों सहित सभी अभियान सामग्रियों को आपत्तिजनक भाषा के उदाहरणों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के लिये राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक समीक्षा से गुजरना चाहिये।
- **संवेदनशील भाषा के प्रयोग की घोषणा (Declaration of Use of Sensitive Language):** राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइटों पर मानवीय समानता, समानता, गरिमा एवं स्वायत्तता का सम्मान करते हुए विकलांगता और लिंग-संवेदनशील भाषा का उपयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- **अधिकार-आधारित शब्दावली को अपनाना:** पार्टियों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (CRPD) में उल्लिखित अधिकार-आधारित शब्दावली का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- **वैधानिक परिणाम:** दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 के प्रावधानों के अंतर्गत आ सकता है।

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति क्या है?

- **स्थिति:** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 76वें दौर के अनुसार, भारतीय आबादी का 2.21% हिस्सा विकलांगता से ग्रस्त है।
  - विकलांगता की घटनाएँ 10-19 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे अधिक हैं, जो शीघ्र हस्तक्षेप और सहायता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- **भारत में PwD के लिये संवैधानिक और विधायी फ्रेमवर्क:**
  - संविधान:
    - भारत का संविधान मौलिक अधिकारों के माध्यम से सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी के लिये एक समावेशी समाज के निर्माण के लिये अनिवार्य आदेश देता है।

- संविधान के अनुच्छेद 41 (राज्य के नीति निदेशक तत्त्व) में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के अंतर्गत काम करने, शिक्षा पाने और बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये प्रभावी प्रावधान करेगा।
- विधान:
  - दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम), जिसने दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया, भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सबसे व्यापक कानून है।
- PwD के लिये सरकारी नौकरी में आरक्षण 4% है, जबकि सरकारी या सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिये आरक्षित सीटें 5% है।
- अन्य संबंधित पहल:
  - सुगम्य भारत अभियान
  - दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
  - दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप

मनरेगा योजना

चर्चा में क्यों?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक ऐतिहासिक वृद्धि है।

मनरेगा (MGNREGA) में महिलाओं की भागीदारी के रुझान क्या हैं?

महिला भागीदारी रुझान:

- पिछले दशक में महिलाओं की भागीदारी में क्रमिक वृद्धि हुई है, जिसका प्रतिशत वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के प्रकोप के दौरान 53.19% से बढ़कर वर्तमान 59.25% हो गया है।
- केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी की दर उल्लेखनीय रूप से उच्च है, जो 70% से अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्य लगभग 40% या उससे कम हैं।
- ऐतिहासिक असमानताओं के बावजूद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों ने चालू वित्तीय वर्ष में महिलाओं की भागीदारी दरों में वृद्धिशील प्रतिशत के कारण हाल ही में सुधार दिखाया है।

ग्रामीण श्रम बल के रुझान:

- MGNREGS से परे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है।
- उल्लेखनीय आँकड़े बताते हैं कि ग्रामीण महिला LFPR में सत्र 2017-18 में 18.2% से बढ़कर सत्र 2022-23 में 30.5% हो गई है, साथ ही इसी अवधि के दौरान महिला बेरोज़गारी दर में 3.8% से 1.8% की गिरावट आई है।

MGNREGA योजना क्या है?

परिचय:

- MGNREGA ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किये गए विश्व के सबसे बड़े रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
- यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- सक्रिय कर्मचारी: 14.32 करोड़ (सत्र 2023-24)

प्रमुख विशेषताएँ:

- MGNREGA के डिज़ाइन की आधारशिला इसकी कानूनी गारंटी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क कार्य के लिये अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर कार्य मिलना चाहिये।
  - यदि यह प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है, तो "बेरोज़गारी भत्ता" प्रदान किया जाना चाहिये।
- इसके लिये आवश्यक है कि महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाए कि कम से कम एक तिहाई महिलाएँ लाभार्थी हों जिन्होंने पंजीकरण कराकर काम के लिये अनुरोध किया हो।
- MGNREGA की धारा 17 में मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक लेखा-परीक्षण अनिवार्य है।

क्रियान्वित संस्था:

- भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है।

उद्देश्य:

- यह अधिनियम ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अर्ध या अकुशल कार्य प्रदान करना है।

- यह देश में अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करता है।

- **2022-23 की उपलब्धियाँ:**
  - इससे देशभर में लगभग 11.37 करोड़ परिवारों को रोज़गार मिला है।
  - इसमें से 289.24 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोज़गार उत्पन्न हुआ है, जिसमें:
    - 56.19% महिलाएँ
    - 19.75% अनुसूचित जाति (SC)
    - 17.47% अनुसूचित जनजाति (ST)

मनरेगा के अंतर्गत कौन-सी पहल हैं?

- अमृत सरोवर: इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का निर्माण/नवीनीकरण करना है जो सतही तथा भूमिगत दोनों जगह जल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगे।
- 'जलदूत' ऐप: इसे 2-3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में दो बार किसी ग्राम पंचायत में जल स्तर का मापन करने के लिये सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था।
- MGNREGS के लिये लोकपाल: MGNREGS के कार्यावयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग तथा वर्गीकरण के लिये फरवरी 2022 में लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया।

भारत कौशल रिपोर्ट, 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में व्हीबॉक्स ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से भारत कौशल रिपोर्ट- 2024 प्रकाशित की है, जिसमें भारत का कौशल परिदृश्य एवं कार्यबल पर AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

- थीम: कार्य, कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर AI का प्रभाव।
- इस रिपोर्ट के निष्कर्ष 3.88 लाख उम्मीदवारों के मूल्यांकन का परिणाम हैं, जिन्होंने भारत के शैक्षणिक संस्थानों में व्हीबॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट (WNET) दिया था।

नोट: व्हीबॉक्स दूरस्थ प्रॉक्टर्ड मूल्यांकन और परामर्श सेवाओं में अग्रणी फर्मों में से एक है, जिसका मुख्यालय भारत में है तथा GCC (खाड़ी सहयोग परिषद्) देशों में विस्तृत हुआ है, व्हीबॉक्स विश्व भर में निगमों, संस्थानों और सरकारों के लिये लाखों मूल्यांकन एवं आँकड़े प्रदान करता है।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **AI नेतृत्व और प्रतिभा सघनता:**
  - भारत AI कौशल पैठ और प्रतिभा सघनता में एक प्रमुख वैश्विक स्थान रखता है, जो AI पेशेवरों का एक मज़बूत आधार दर्शाता है।
  - देश में अगस्त 2023 तक 4.16 लाख AI पेशेवर थे, जो वर्ष 2026 तक 1 मिलियन के आँकड़े तक पहुँचने की उम्मीद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये तैयार हैं।
  - भारत में ML इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, DevOps इंजीनियर और डेटा आर्किटेक्ट जैसी प्रमुख भूमिकाओं में मांग-आपूर्ति का अंतर 60-73% तक है।
- **रोज़गार संबंधी रुझान:**
  - भारत में समग्र युवा रोज़गार क्षमता में सुधार हुआ है, जो 51.25% तक पहुँच गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना जैसे राज्य अत्यधिक रोज़गार योग्य युवाओं की उच्च सांद्रता प्रदर्शित करते हैं।
  - हरियाणा में रोज़गार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, इस क्षेत्र के 76.47% परीक्षार्थियों ने WNET पर 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं।
- **आयु-विशिष्ट रोज़गार योग्यता:**
  - विभिन्न आयु समूहों में रोज़गार योग्यता के विभिन्न स्तर प्रदर्शित होते हैं। उदाहरण के लिये 22 से 25 वर्ष की आयु सीमा में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य उच्च प्रतिभा सांद्रता के साथ सामने आते हैं।
  - तेलंगाना में 18-21 आयु वर्ग में रोज़गार योग्य प्रतिभाओं की संख्या सबसे अधिक है, जहाँ 85.45% रोज़गार योग्य पाए गए, इसके बाद केरल में इस आयु वर्ग में 74.93% रोज़गार योग्य संसाधन पाए गए।
  - गुजरात में 26-29 आयु वर्ग में रोज़गार योग्य संसाधनों की उपलब्धता सबसे अधिक है, इस आयु वर्ग में 78.24% रोज़गार योग्य पाए गए हैं।
- **रोज़गार योग्य प्रतिभा वाले शहर:**
  - 18-21 आयु वर्ग में रोज़गार योग्य प्रतिभा वाले शीर्ष शहरों में पुणे पहले स्थान पर आया, जहाँ 80.82% उम्मीदवार अत्यधिक रोज़गार योग्य पाए गए, उसके बाद बंगलुरु और तिरुवनंतपुरम थे।
  - शीर्ष शहरों में 22-25 आयु वर्ग में रोज़गार योग्यता के लिये लखनऊ 88.89% के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद मुंबई और फिर बंगलुरु हैं।

- **रोज़गार हेतु सर्वाधिक पसंदीदा राज्य:**
  - केरल पुरुष तथा स्त्री दोनों रोज़गार योग्य प्रतिभाओं के लिये कार्य करने के लिये सबसे पसंदीदा राज्य है, जबकि कोचीन स्त्रियों के लिये कार्य करने के लिये सर्वाधिक पसंदीदा क्षेत्र है।
- **शिक्षण में AI एकीकरण:**
  - विज्ञान की शिक्षा में AI के एकीकरण को एक प्रमुख घटक के रूप में देखा जाता है, जो वैयक्तिकृत, विश्लेषण-संचालित तथा कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि को सक्षम बनाता है। प्रभावी व्यावसायिक विकास के लिये यह एकीकरण आवश्यक माना जाता है।
- **उद्योग तत्परता:**
  - उद्यमों से अपेक्षा की जाती है कि वे शुरुआती कॅरियर कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल बढ़ाने की पहल में अधिक निवेश करें। उक्त रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि नियुक्तियों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा शुरुआती कॅरियर क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाएगा।
- **सहयोगात्मक प्रयास:**
  - यह रिपोर्ट चुनौतियों का समाधान करने तथा AI द्वारा उत्प्रेरित परिवर्तनकारी भविष्य को आगे बढ़ाने के लिये समावेशी कौशल विकसित करने की पहल पर ध्यान केंद्रित करने के लिये सरकारी निकायों, व्यवसायों एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित भारत की पहल क्या हैं?

- INDIAai
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (GPAI)
- यू.एस. इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल
- युवाओं के लिये ज़िम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स और नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफ़ॉर्म

कौशल विकास से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- संकल्प योजना
- तेजस कौशल परियोजना
- स्किल इंडिया डिजिटल

नोमा: एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नोमा (Noma) संबंधी स्वास्थ्य चुनौती का समाधान करने तथा इसके रोकथाम एवं उपचार के लिये संसाधन आवंटित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हुए इसे अपनी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTD) की सूची में जोड़ा है।

- नोमा, जिसे कैंक्रम ऑरिस अथवा गैंग्रीनस स्टामाटाइटिस के रूप में भी जाना जाता है, एक गंभीर गैंग्रीनस बीमारी है जो गरीब समुदायों में 3-10 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करती है।
  - गैंग्रीन एक खतरनाक तथा संभावित रूप से घातक स्थिति को दर्शाता है जो ऊतक के एक बड़े क्षेत्र में रक्त के प्रवाह बंद होने से होता है।

नोमा क्या है?

- **परिचय:**
  - नोमा, ग्रीक शब्द "नोमे" (Noma) से लिया गया है जिसका अर्थ "भक्षण करना" है तथा यह मुँह एवं मुख के गंभीर गैंग्रीन के रूप में प्रकट होता है।
  - साक्ष्यों के अनुसार नोमा मुँह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है।
  - यह गैर-संक्रामक रोग, लगभग 90% की मृत्यु दर के साथ कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होती है तथा अत्यधिक गरीबी एवं कुपोषण में हाशिए पर रहने वाले बच्चों के लिये एक गंभीर खतरा पैदा करती है।
  - इसके जोखिम कारकों में अपर्याप्त मौखिक स्वच्छता, कुपोषण, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली तथा गरीबी शामिल हैं।
- **भौगोलिक वितरण तथा ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - नोमा विकासशील देशों, विशेषकर उप-सहारा अफ्रीका में प्रचलित है, जो 3-10 वर्ष की आयु के गरीब बच्चों को प्रभावित करता है।
  - विगत डेटा से पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एकाग्रता शिविरों में नोमा रोग के मामलों की सूचना दी गई थी तथा आर्थिक प्रगति के साथ पश्चिमी विश्व में यह समाप्त हो गई, जो इसकी गरीबी के साथ इसके संबंध को दर्शाती है।
- **परिणाम और उपचार चुनौतियाँ:**
  - जीवित बचे लोगों को मुख की विकृति, जबड़े की माँसपेशियों में ऐंठन, मौखिक असंयम तथा वाक् समस्याओं जैसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है।
  - रोग का शीघ्र पता लगाना आवश्यक है तथा इस रोग के प्रारंभिक चरण में उपचार सबसे प्रभावी होता है।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियाँ (NTDs) क्या हैं?

- NTD उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संक्रामक रोग हैं, जो गरीबी और खराब स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में पनपते हैं।

- वे विभिन्न प्रकार के रोगजनकों, जैसे– वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ और परजीवी कीड़े के कारण होते हैं।
- "उपेक्षित" शब्द कमज़ोर समुदायों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव के बावजूद ध्यान और संसाधनों की कमी को दर्शाता है।
- तपेदिक, एचआईवी-एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में इन बीमारियों पर आमतौर पर अनुसंधान तथा उपचार के लिये कम वित्तपोषण मिलता है।
  - एनटीडी के उदाहरण हैं: सर्पदंश का ज़हर, खुजली, जम्हाई, ट्रेकोमा, लीशमैनियासिस और चगास रोग आदि।

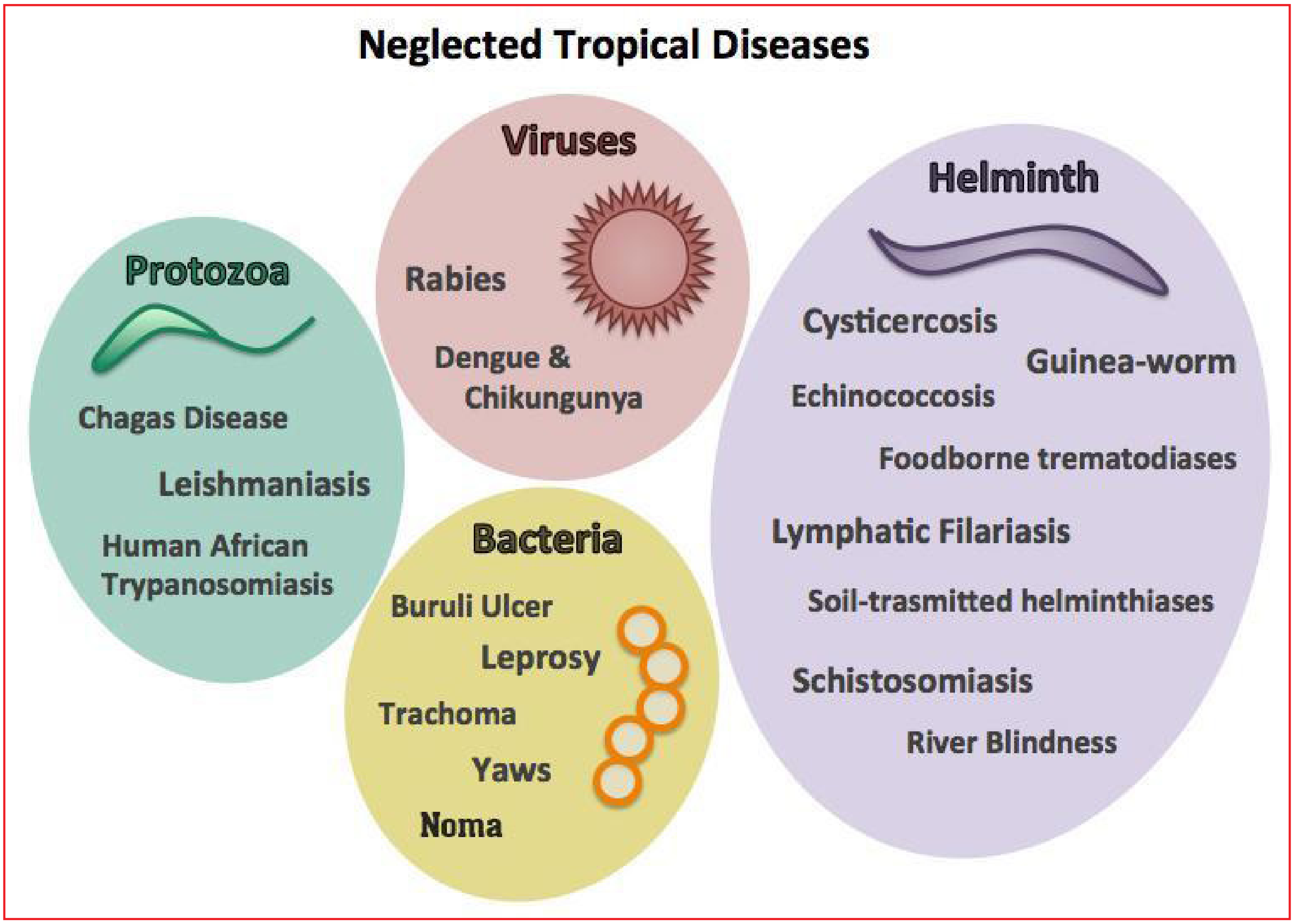

एनटीडी का प्रभाव:

- **वैश्विक परिदृश्य:**
  - एनटीडी वैश्विक स्तर पर एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। वे रोकथाम और उपचार योग्य हैं।
  - 20 एनटीडी हैं जो विश्व भर में 1.7 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं।
- **भारतीय परिदृश्य**
  - इनमें से कम-से-कम 11 बीमारियों का सबसे बड़ा बोझ भारत पर है, जिनमें काला अज़ार और लिम्फैटिक फाइलेरिया जैसी परजीवी बीमारियाँ शामिल हैं, जो पूरे देश में लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं, जो अक्सर सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर लोग होते हैं।
  - भारत काला-अज़ार को ख़त्म करने के कगार पर है, 99% काला-अज़ार स्थानिक ब्लॉकों ने उन्मूलन लक्ष्य हासिल कर लिया है।

एनटीडी के लिये पहल क्या हैं ?

- **वैश्विक पहल:**
  - 2021-2030 के लिये WHO का नया रोडमैप:
    - यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों के संदर्भ में एनटीडी के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक प्रयासों को गति देने के लिये WHO का ब्लूप्रिंट है।

- ब्लूप्रिंट प्रभाव को मापने और रोग-विशिष्ट योजना तथा प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देने की सिफारिश करता है।
- NTDs पर लंदन उद्घोषणा: इसे NTDs के वैश्विक भार को वहन करने के लिये 30 जनवरी, 2012 को अपनाया गया था।

भारतीय पहल:

- NDTs के उन्मूलन की दिशा में गहन प्रयासों के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में 'लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग के तीव्र उन्मूलन की कार्य-योजना' (APELF) शुरू की गई थी।
- वर्ष 2005 में भारत, बांग्लादेश और नेपाल की सरकारों द्वारा सबसे संवेदनशील आबादी के शीघ्र निदान तथा उपचार में तेज़ी लाने एवं रोग निगरानी में सुधार व कालाज़ार को नियंत्रित करने के लिये WHO-समर्थित एक क्षेत्रीय गठबंधन का गठन किया गया है।
  - भारत पहले ही कई अन्य NDTs को समाप्त कर चुका है, जिसमें गिनी वर्म, ट्रेकोमा और यॉज़ शामिल हैं।
- मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (Mass Drug Administration- MDA) जैसे निवारक तरीकों का उपयोग समय-समय पर स्थानिक क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें जोखिम वाले समुदायों को फाइलेरिया रोधी (Anti-Filaria) दवाएँ मुफ्त प्रदान की जाती हैं।
- सैंडफ्लाई प्रजनन को रोकने के लिये स्थानिक क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर अवशिष्ट छिड़काव जैसे वेक्टर जनित रोकथाम उपाय किये जाते हैं।
- केंद्र और राज्य सरकारों ने कालाज़ार (Kala-Azar) तथा इसकी अगली कड़ी (ऐसी स्थिति जो पिछली बीमारी या चोट का परिणाम है) से पीड़ित लोगों के लिये वेतन मुआवज़ा योजनाएँ (Wage Compensation Schemes) शुरू की हैं, जिन्हें पोस्ट-कालाज़ार डर्मल लीशमैनियासिस (Post-Kala Azar Dermal Leishmaniasis) के रूप में भी जाना जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड टीकाकरण का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि Covid-19 के टीकाकरण के बाद बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों की तुलना में टीका लगाए गए व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ कम होती हैं।

- कोविड-19 के बाद 6 महीनों में अवसाद का अतिरिक्त जोखिम टीकाकरण वाले व्यक्तियों में प्रति 100,000 पर 449 था, जबकि टीकाकरण न करवाने वाले व्यक्तियों में यह प्रति 100,000 व्यक्तियों पर 1009 था।

कोविड-19 के बाद मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा कितना गंभीर था ?

चिंता और अवसाद:

- जो व्यक्ति कोविड-19 होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने से बच गए, उन्हें चिंता और अवसाद सहित लगातार मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो ठीक होने के बाद लगभग एक वर्ष तक बनी रहीं।
- लंबे समय तक रहने वाले कोविड के लक्षण लगभग 5% व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है, भले ही इसका कारण कुछ भी हो, इन मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के साथ ओवरलैप होता है, जिससे बोझ बढ़ जाता है।

स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बढ़ा बोझ:

- कोविड-19 के बाद मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बोझ ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर दबाव बढ़ा दिया, जिससे इन चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिये निदान, उपचार तथा सहायता के लिये अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हुई।

बच्चों तथा सुभेद्य समुदाय पर प्रभाव:

- स्कूल बंद होने, बाधित दिनचर्या तथा सीमित सामाजिक संपर्क ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, जिससे चिंता एवं अन्य मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ बढ़ गईं।
- हाशियाई समुदाय की आबादी को सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कमज़ोरियाँ बढ़ गईं।

दु:ख और अलगाव का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- सामाजिक अलगाव, संचार उपकरणों तक सीमित पहुँच, घरेलू तनाव तथा कोविड-19 के कारण, विशेषकर वृद्ध जैसे कमज़ोर समूहों के बीच दोस्तों एवं रिश्तेदारों को खोने के दु:ख से मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ बढ़ गई हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और टीकाकरण के बीच क्या संबंध है ?

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में कमी:

- टीका लगाए गए व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी देखी गई, भले ही उन्हें मानसिक बीमारी का पूर्व इतिहास रहा हो।

- ✧ इससे पता चलता है कि मानसिक स्वास्थ्य परिणामों पर टीकाकरण का प्रभाव पहले से मौजूद विकारों से स्वतंत्र था।
- ➲ **कोविड-19 की गंभीरता में कमी:**
  - ✧ टीकाकरण ने उन लोगों में कोविड-19 की गंभीरता को कम करने में योगदान दिया, जो वायरस से संक्रमित थे। रोग की गंभीरता पर इस अप्रत्यक्ष प्रभाव से गंभीर बीमारी से जुड़े संकट को कम करके मानसिक स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया गया है।
- ➲ **कम चिंता:**
  - ✧ टीकाकरण से लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई और चिंता कम हुई।
  - ✧ गंभीर बीमारी या कोविड-19 से मृत्यु के प्रति सुरक्षित महसूस करने से महामारी से जुड़ी चिंता और तनाव का स्तर कम हुआ।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य बीमारी की स्थिति क्या है?

- ➲ **परिचय:**
  - ✧ मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्वास्थ्य को संदर्भित करता है, जिसमें उसकी समग्र मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियाँ शामिल होती हैं।
  - ✧ इसमें किसी व्यक्ति की तनाव से निपटने, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने, अच्छे संबंध बनाए रखने, उत्पादक रूप से काम करने और तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता शामिल है।
    - ¤ मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली का एक अभिन्न अंग है तथा यह शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्त्वपूर्ण है।
- ➲ **भारत में स्थिति:**
  - ✧ भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साइंसेज़ के आँकड़ों के अनुसार, 80% से अधिक लोग ज्ञान की कमी, कलंक और देखभाल की उच्च लागत जैसे कई कारणों से देखभाल सेवाओं तक पहुँच नहीं पाते हैं।
    - ¤ वर्ष 2012-2030 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण आर्थिक नुकसान 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (WHO) होने का अनुमान है।
- ➲ **मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी पहल:**
  - ✧ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)
  - ✧ आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWC)
  - ✧ राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
  - ✧ किरण हेल्पलाइन
  - ✧ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
  - ✧ युवा स्पंदन योजना (कर्नाटक)

ई-सिगरेट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सरकारों से ई-सिगरेट को तंबाकू के समान मानने तथा इसके सभी स्वादों/फ्लेवर्स पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है, जिससे ई-सिगरेट को धूम्रपान का विकल्प मानने वाली सिगरेट-कम्पनियाँ खतरे की स्थिति में हैं।

- ➲ कुछ शोधकर्त्ता, प्रचारक तथा सरकारें ई-सिगरेट अथवा वेप्स को धूम्रपान से होने वाली मृत्यु एवं बीमारी को कम करने में एक सार्थक विकल्प वाले उपकरण के रूप में देखती हैं किंतु WHO के अनुसार इनके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिये "तत्काल उपाय" की आवश्यकता है।

ई-सिगरेट क्या हैं?

- ➲ ई-सिगरेट बैटरी चालित उपकरण हैं जो एक तरल को एयरोसोल में गर्म करके संचालित होते हैं जिसे उपयोगकर्त्ता श्वसन के माध्यम से अंदर खींचता है और बाहर छोड़ता है।
- ➲ ई-सिगरेट तरल में आमतौर पर निकोटीन, प्रोपलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, फ्लेवर तथा अन्य रसायन शामिल होते हैं।
- ➲ उपयोग में आने वाली ई-सिगरेट के विभिन्न प्रकार हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) एवं कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक नॉन-निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ENNDS) के रूप में भी जाना जाता है।

ई-सिगरेट के संबंध में WHO द्वारा क्या चिंताएँ व्यक्त की गई हैं?

- ➲ **धूम्रपान समाप्ति के लिये अप्रभाविता:**
  - ✧ ई-सिगरेट जैसे उपभोक्ता उत्पाद जनसंख्या स्तर पर व्यसनी को तंबाकू का उपयोग रोकने में मदद करने में सफल साबित नहीं हुए हैं। इसके स्थान पर जनसंख्या के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के चिंताजनक साक्ष्य सामने आए हैं।
  - ✧ ई-सिगरेट को बाज़ार में लाने की अनुमति दी गई है तथा युवाओं के लिये इसका व्यापक विपणन किया गया है।
    - ¤ चौंतीस देशों ने ई-सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, 88 देशों में ई-सिगरेट खरीदने की कोई न्यूनतम आयु नहीं है एवं 74 देशों में इन हानिकारक उत्पादों के लिये कोई नियम नहीं है।
- ➲ **युवाओं पर प्रभाव:**
  - ✧ अल्प आयु में ही बच्चों एवं युवाओं की ई-सिगरेट के उपयोग के लिये प्रलोभन तथा संभावित जाल, जिससे संभावित रूप से वे निकोटीन के व्यसन से ग्रसित हो सकते हैं।
  - ✧ देशों में इसकी रोकथाम हेतु अपर्याप्त नियमों सहित ई-सिगरेट का व्यापक विपणन इस समस्या में योगदान देता है।

- **युवाओं में बढ़ता उपयोग:**
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सभी क्षेत्रों में 13-15 वर्ष के बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक दर पर ई-सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं।
    - कनाडा में 16-19 वर्ष के बच्चों के बीच ई-सिगरेट के उपयोग की दर वर्ष 2017-2022 के बीच दोगुनी हो गई है और इंग्लैंड (यूनाइटेड किंगडम) में युवा उपयोगकर्त्ताओं की संख्या पिछले तीन वर्षों में तीन गुना हो गई है।
- **स्वास्थ्य को खतरा:**
    - हालाँकि ई-सिगरेट के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ये उपकरण विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिनमें से कुछ कैंसर का कारण बनते हैं और हृदय तथा फेफड़ों के विकारों के खतरे को बढ़ाते हैं।
    - ई-सिगरेट का उपयोग मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित कर सकता है, युवाओं में सीखने के विकार पैदा कर सकता है और गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- **निकोटीन की लत और नशे की प्रकृति:**
    - निकोटीन युक्त ई-सिगरेट को अत्यधिक नशे की लत माना जाता है, जो उपयोगकर्त्ताओं और दर्शकों दोनों के लिये स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। ई-सिगरेट में निकोटीन की लत की प्रकृति, खासकर युवा उपयोगकर्त्ताओं के बीच, निकोटीन की लत का मुकाबला करने के बारे में चिंता पैदा करती है।

नोट: भारत में ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों का कब्ज़ा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019 का उल्लंघन है।

ई-सिगरेट के पक्ष में क्या तर्क हैं?

- **नुकसान में कमी:**
    - समर्थकों का तर्क है कि ई-सिगरेट पारंपरिक तंबाकू उत्पादों की तुलना में नुकसान कम करने की रणनीति प्रदान करती है।
    - उनमें निकोटीन होता है लेकिन पारंपरिक सिगरेट में मौजूद कई हानिकारक कार्सिनोजेन्स की कमी होती है। परिणामस्वरूप, उन्हें अक्सर वयस्क धूम्रपान करने वालों के लिये एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाता है जो निकोटीन का उपयोग पूरी तरह से छोड़ने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं।
- **आर्थिक राजस्व:**
    - एक आर्थिक तर्क यह सुझाव दे रहा है कि ई-सिगरेट को वैध बनाने और विनियमित करने से सरकारों के लिये पर्याप्त कर राजस्व उत्पन्न हो सकता है। ई-सिगरेट पर कर लगाने से, अधिकारियों को राजस्व से लाभ हो सकता है, साथ ही उनके उपयोग पर नियंत्रण तथा निगरानी भी हो सकती है।
- **उपभोक्ता की पसंद:**
    - समर्थक उपभोक्ता की पसंद और विकल्पों तक पहुँच के महत्त्व पर तर्क देते हैं। उनका मानना है कि यदि वयस्क धूम्रपान करने वालों को पारंपरिक धूम्रपान बंद करने के तरीके अप्रभावी लगते हैं तो उनके पास कम हानिकारक निकोटीन वितरण प्रणाली चुनने का विकल्प होना चाहिये।

निकोटीन क्या है?

- निकोटीन एक पादप एल्कलॉइड है जिसमें नाइट्रोजन होता है, जो तंबाकू के पौधे सहित कई प्रकार के पौधों में पाया जाता है और इसे कृत्रिम रूप से भी उत्पादित किया जा सकता है।
- निकोटीन शामक/दर्दनिवारक और उत्तेजक दोनों है।
- ई-सिगरेट में निकोटीन का उपयोग प्रत्यक्ष पदार्थ के रूप में किया जाता है और इसकी मात्रा 36 mg/mL तक होती है। हालाँकि रेग्युलर सिगरेट में भी निकोटीन होता है, लेकिन यह 1.2 से 1.4 mg/mL के बीच होता है।
- कर्नाटक ने निकोटीन को क्लास A ज़हर के रूप में अधिसूचित किया है।

तंबाकू उपभोग से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2023।
- राष्ट्रीय तंबाकू क्विटलाइन सेवाएँ (NTQLS)
- भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) में 16% की वृद्धि की घोषणा की।
- भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्ट्रीम की गई सामग्री के दौरान तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य चेतावनियों को प्रदर्शित करने के लिये ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्मों की आवश्यकता वाले नए नियमों की घोषणा की है।

दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023: UNODC

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) ने Southeast Asia Opium Survey 2023 - Cultivation, Production, and Implications (दक्षिणपूर्व एशिया ओपियम सर्वेक्षण 2023 - खेती, उत्पादन और निहितार्थ) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया

गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया के गोल्डन ट्राइएंगल में अफीम की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

नोट: गोल्डन ट्रायंगल आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के एक क्षेत्र को संदर्भित करता है जो अवैध दवाओं, विशेष रूप से अफीम के उत्पादन के लिये जाना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तीन देशों की सीमाएँ मिलती हैं: म्याँमार (पूर्व में बर्मा), लाओस और थाईलैंड।

- मूल रूप से "गोल्डन ट्रायंगल" शब्द इन तीन देशों के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले अफीम उत्पादक क्षेत्र को संदर्भित करता है। हालाँकि यह नशीली दवाओं के उत्पादन, तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े एक व्यापक क्षेत्र को दर्शाने के लिये विकसित हुआ है।
- अवैध दवाओं के लिये एक और कुख्यात क्षेत्र गोल्डन क्रिसेंट या "डेथ क्रिसेंट" है, इस क्रिसेंट क्षेत्र में अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं - जो इसे पाकिस्तान से तस्करी की जाने वाली दवाओं के लिये एक प्राकृतिक पारगमन बिंदु निर्मित करता है।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **म्याँमार में अफीम की खेती में वृद्धि:**
  - पिछले वर्ष 2022 में गोल्डन ट्रायंगल में अफीम की खेती का विस्तार जारी रहा, जिसमें म्याँमार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
  - म्याँमार में अफीम की खेती में 18% की वृद्धि हुई है, जो 47,100 हेक्टेयर तक पहुँच गई है।
  - इस वृद्धि ने म्याँमार को विश्व में अफीम का सबसे बड़ा बाज़ार बना दिया है, विशेषकर वर्ष 2021 में सैन्य अधिग्रहण के बाद हुए व्यवधानों के कारण।
- **बढ़ी हुई उपज और निवेश:**
  - प्रति हेक्टेयर औसत अनुमानित अफीम उपज 16% बढ़कर 22.9 किलोग्राम/हेक्टेयर हो गई।
  - यह कृषि पद्धतियों में प्रगति और सिंचाई प्रणालियों व उर्वरकों में बढ़े हुए निवेश को दर्शाता है, जो किसानों एवं खरीदारों के अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण का संकेत देता है।
- **अफीम की बढ़ती कीमतें:**
  - आपूर्ति में बढ़ोतरी के बावजूद, किसानों को भुगतान की जाने वाली कीमत 27% बढ़कर लगभग 355 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम हो गई।
  - कीमतों में यह वृद्धि एक फसल तथा मादक वस्तु के रूप में अफीम के आकर्षण को रेखांकित करता है तथा अत्यधिक मांग का संकेत देता है जो गोल्डन ट्राएंगल में अफीम व्यापार को बढ़ावा देता है।
- **अफगानिस्तान अफीम प्रतिबंध का प्रभाव:**
  - रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अफगानिस्तान में अफीम पर लंबे समय तक प्रतिबंध से कीमतें निरंतर ऊँची रहेंगी तथा दक्षिण पूर्व एशिया में इसकी खेती में और वृद्धि होगी।
  - तालिबान के प्रतिबंध के कारण अफगानिस्तान में अफीम पोस्त की खेती में 95% की गिरावट आई है
- **अवैध अर्थव्यवस्था में योगदान:**
  - अफीम की खेती का विस्तार के कारण मेकांग क्षेत्र (कंबोडिया, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (विशेष रूप से युन्नान प्रांत एवं गुआंग्शी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र), लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्याँमार, थाईलैंड और वियतनाम) में व्यापक अवैध अर्थव्यवस्था में योगदान मिल रहा है।
  - यह सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन और नशीली दवाओं की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग तथा ऑनलाइन आपराधिक गतिविधियों के अभिसरण को बढ़ावा देकर संगठित अपराध समूहों के लिये आय का एक प्रमुख स्रोत प्रदान करता है।
- **अनुशंसाएँ:**
  - म्याँमार में आए संकट ने क्षेत्र में अपराध और शासन संबंधी चुनौतियों को बढ़ा दिया है। अफीम की खेती वाले क्षेत्रों में लोगों द्वारा सामना की जाने वाली जटिल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों को संबोधित करने के लिये व्यापक समाधान की आवश्यकता है। इस प्रवृत्ति को कम करने के लिये अफीम की खेती के लिये व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना एवं सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है।
  - कृषक समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली असुरक्षाओं तथा आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए, म्याँमार एवं लाओस में इन समुदायों के साथ UNODC की प्रत्यक्ष भागीदारी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
  - अफीम की खेती के आकर्षण से निपटने के लिये आघातसह अपनाना एवं स्थायी आय सृजन के विकल्प प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है।

अफीम पोस्ता के पौधों के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **वैज्ञानिक नाम:** पापावेर सोम्निफेरम
- **उपयोग:** अफीम पोस्ता के रस से प्राप्त अफीम का उपयोग सदियों से दर्द निवारक, शामक और मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन सहित विभिन्न ओपिओइड के उत्पादन में किया जाता रहा है। औषधीय रूप से इसका उपयोग गंभीर दर्द को कम करने, खाँसी को समाप्त करने और नींद लाने के लिये किया जाता है।
- **वैश्विक उत्पादन:** भारत संयुक्त राष्ट्र एकल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स (1961) द्वारा गोंद अफीम का उत्पादन करने के लिये अधिकृत एकमात्र देश है। इसके अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्राँस, चीन, हंगरी, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की और चेक गणराज्य जैसे अन्य देश भी अफीम की खेती करते हैं। हालाँकि ये देश गोंद नहीं निकालते हैं बल्कि कॉन्सेंट्रेट ऑफ पोस्ता स्ट्रॉ प्रक्रिया (CPS) का उपयोग करते हैं।

- इस प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रसंस्करण के लिये 8 इंच डंठल के साथ उसके कंद को काटना शामिल है।

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय क्या है?

- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और वर्ष 2002 में इसे ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) का नाम दिया गया था।
- यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम (UNDCP) तथा वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय प्रभाग को मिलाकर ड्रग नियंत्रण व अपराध रोकथाम कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

मादक द्रव्य दुरुपयोग से निपटने के लिये संबंधित पहल क्या हैं?

- **भारत में:**
  - नशा मुक्त भरत अभियान/ड्रग्स-फ्री इंडिया अभियान
  - दवा मांग में कमी के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना
  - नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर
  - नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष:
- **वैश्विक पहलें:**
  - वर्ष 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स।
  - साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971।
  - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)।
    - भारत ने तीनों पर हस्ताक्षर किये हैं और उसने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को लागू किया है।
  - प्रतिवर्ष, संयुक्त राष्ट्र एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स प्रकाशित करता है।

पोम्पे रोग

भारत के पहले पोम्पे रोग के रोगी का 24 वर्ष की आयु में अर्द्ध-कोमा की स्थिति में बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया।

- अर्द्ध-कोमा की स्थिति में व्यक्ति आंशिक कोमा में होता है, जो पूर्ण कोमा तक पहुँचे बिना भटकाव और स्तब्धता के रूप में प्रकट होती है। अर्द्ध-बेहोशी की स्थिति में रोगी कराहने और बुदबुदाने जैसी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं।

पोम्पे रोग क्या है?

- **परिचय:**
  - पोम्पे रोग (जिसे ग्लाइकोजन भंडारण रोग प्रकार II के रूप में भी जाना जाता है) शरीर की कोशिकाओं के लाइसोसोम में ग्लाइकोजन के निर्माण की विशेषता है।
  - यह रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो एंज़ाइम एसिड अल्फा-ग्लूकोसिडेज़ (GAA) की कमी के कारण होता है। यह एंज़ाइम कोशिकाओं के लाइसोसोम के भीतर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज़ में विघटित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
    - लाइसोसोम झिल्ली से आबद्ध भाग हैं जिनमें एंज़ाइमों की एक शृंखला होती है जो सभी प्रकार के जैविक पॉलिमर— प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को तोड़ने में सक्षम होते हैं।
  - इसकी व्यापकता का अनुमान 40,000 में 1 से लेकर 300,000 बच्चों में 1 तक है।

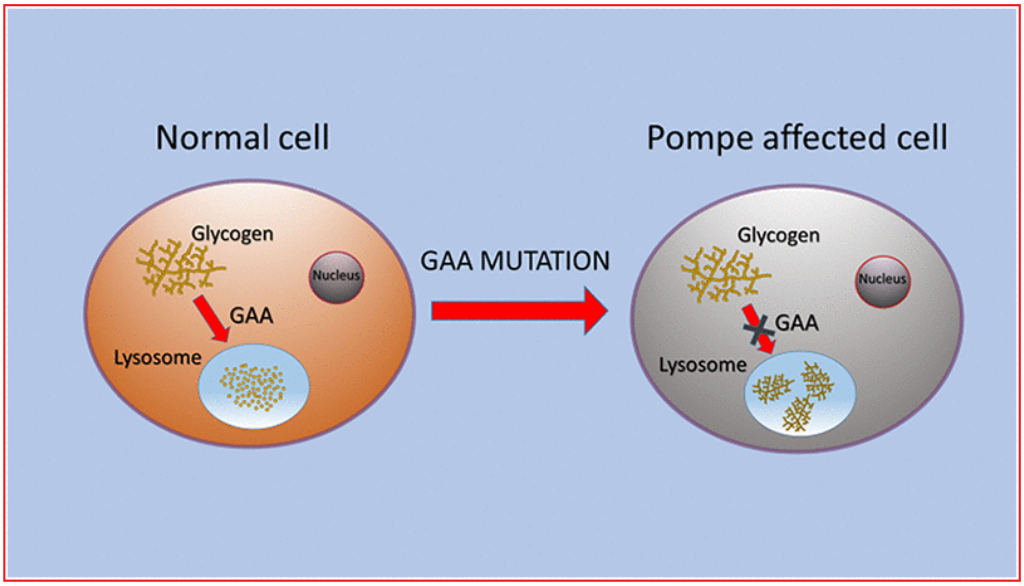

- **लक्षण:**
  - मांसपेशियों में कमज़ोरी, पेशीय विकास में देरी, अस्थियों पर अपक्षयी प्रभाव, श्वसन संबंधी समस्याएँ, हृद संबंधी जटिलताएँ, दैनिक जीवन पर प्रभाव।
- **निदान:**
  - न्यूनता वाले एंज़ाइम GAA की गतिविधि को मापने के लिये एंज़ाइम परीक्षण किया जाता है।
  - आनुवंशिक परीक्षण संबद्ध GAA जीन में उत्परिवर्तन की पहचान करता है। आनुवंशिक विश्लेषण पोम्पे रोग से जुड़े विशिष्ट उत्परिवर्तन की उपस्थिति की पुष्टि करता है।
- **उपचार:**
  - हालाँकि पोम्पे रोग का वर्तमान में कोई स्थाई उपचार नहीं है किंतु लक्षणों को दूर करने एवं रोगी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये अल्पकालिक उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं।
  - एंज़ाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी (ERT) एक सामान्य उपचार पद्धति है जिसमें ग्लाइकोजेन संचय को कम करने के लिये न्यूनता वाले एंज़ाइम का उपयोग करना शामिल है।

विश्व क्षय रोग रिपोर्ट, 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्व क्षय रोग रिपोर्ट, 2023 (Global TB Report 2023) जारी की है, जिसमें वर्ष 2022 में विश्वभर में क्षय रोग के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया गया है।

- वर्ष 2022 में विश्वभर में क्षय रोग के सर्वाधिक मामले (2.8 मिलियन टी.बी. मामले) भारत में पाए गए थे, यह अर्थव्यवस्था पर क्षय रोग के कारण पड़ने वाले वैश्विक बोझ का 27% है।

विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **क्षयरोग का बोझ:**
  - कोविड-19 के बाद वर्ष 2022 में विश्वभर में होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण क्षय रोग था।
  - क्षयरोग के कारण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस (HIV)/ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम स्टेज (AIDS) की तुलना में लगभग दोगुनी मौतें होती हैं। प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन से अधिक लोग क्षय रोग से पीड़ित होते हैं।
  - वर्ष 2022 में विश्वभर में कुल मामलों में क्षय रोग से प्रभावित होने वाले शीर्ष 30 देशों की सामूहिक भागीदारी 87% थी।
    - शीर्ष देशों में भारत के अतिरिक्त, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल हैं।
- **क्षय रोग निदान में वृद्धि:**
  - वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 7.5 मिलियन TB से पीड़ित लोगों का निदान किया गया, जो वर्ष 1995 से WHO द्वारा वैश्विक TB निगरानी शुरू करने के बाद से दर्ज किया गया सबसे बड़ा आँकड़ा है।
- **उपचार की कमी के कारण उच्च मृत्यु दर:**
  - क्षय रोगों में उपचार की कमी के कारण मृत्यु दर लगभग 50% अधिक है।
  - हालाँकि वर्तमान में WHO द्वारा अनुशंसित उपचार (क्षयरोग-रोधी दवाओं का 4-6 महीने का कोर्स) से क्षय रोग से पीड़ित लगभग 85% लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है।
- **TB निदान एवं उपचार में वैश्विक पुनर्प्राप्ति:**
  - दो वर्षों के कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के बाद वर्ष 2022 में T.B से पीड़ित तथा उपचार किये गए लोगों की संख्या में सकारात्मक वैश्विक सुधार हुआ है।
  - भारत, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस जैसे देशों की वैश्विक कटौती में 60% से अधिक की हिस्सेदारी है।
- **TB की घटना दर:**
  - TB की घटना दर, जो प्रति वर्ष प्रति 100,000 जनसंख्या पर नए मामलों का आंकलन करती है, में वर्ष 2020 से 2022 के बीच 3.9% की वृद्धि हुई है।
  - इस वृद्धि ने प्रति वर्ष लगभग 2% की गिरावट की प्रवृत्ति को उलट दिया जो पिछले दो दशकों से देखी जा रही थी।

भारत से संबंधित क्या निष्कर्ष हैं?

- **भारत में TB के मामले में मृत्यु दर का अनुपात:**
  - भारत में TB के मामलों में मृत्यु दर का अनुपात 12% बताया गया है, जो दर्शाता है कि देश में TB के 12% मामलों में मृत्यु हुई।
  - रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2022 में भारत में TB से संबंधित 3,42,000 मृत्यु हुईं, जिनमें HIV-नकारात्मक व्यक्तियों में 3,31,000 तथा HIV वाले 11,000 लोग शामिल थे।
- **मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट TB (MDR-TB):**
  - भारत में वर्ष 2022 में मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट TB (MDR-TB) के 1.1 लाख मामले दर्ज किये गए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में MDR-TB की निरंतर चुनौती को प्रदर्शित करते हैं।

क्षय रोग (Tuberculosis) क्या है ?

- **परिचय:**
  - क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। इनमें सबसे आम हैं फेफड़े, फुस्फुस (फेफड़ों के चारों ओर की परत), लिम्फ नोड्स, आँत, रीढ़ और मस्तिष्क।
- **ट्रांसमिशन:**
  - यह एक वायवीय संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से फैलता है, विशेषकर खराब वेंटिलेशन वाले घनी आबादी वाले स्थानों में।
- **लक्षण:**
  - TB के सामान्य लक्षण हैं बलगम वाली खाँसी और कभी-कभी खून आना, सीने में दर्द, कमज़ोरी, वज़न कम होना, बुखार तथा रात में पसीना आना।
- **इलाज:**
  - TB एक इलाज योग्य उपचारात्मक बीमारी है। इसका इलाज 4 रोगाणुरोधी दवाओं के 6 महीने के मानक पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है जिसके तहत एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता या प्रशिक्षित स्वयंसेवक द्वारा रोगी को जानकारी, पर्यवेक्षण एवं सहायता प्रदान की जाती है।
  - TB-रोधी दवाओं का उपयोग दशकों से किया जा रहा है और सर्वेक्षण किये गए प्रत्येक देश में एक या अधिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी उपभेदों का दस्तावेज़ीकरण किया गया है।
- **बहुऔषधि- रोधी क्षय रोग (MDR-TB):**
  - MDR-TB का उपचार बेडाक्विलिन जैसी दूसरी पंक्ति की दवाओं के उपयोग से संभव है।
    - व्यापक रूप से औषधि- रोधी क्षय रोग (XDR-TB) MDR-TB का एक अधिक गंभीर रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस पर दूसरी सबसे प्रभावी क्षय रोग प्रतिरोधी दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है जिसके कारण रोगियों के पास आमतौर पर उपचार का अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है।
    - यह बैक्टीरिया के कारण होने वाली TB का एक रूप है जिस पर आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन जैसी सबसे प्रभावशाली क्षय रोग प्रतिरोधी औषधियों का कोई असर नहीं होता है।

टीबी से निपटने हेतु क्या पहलें हैं ?

- **वैश्विक पहलें:**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टी.बी. पार्टनरशिप के साथ एक संयुक्त पहल "फाइंड. ट्रीट. ऑल. #EndTB" की शुरुआत की है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन 'ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट' भी जारी करता है।
- **भारतीय पहलें:**
  - क्षय रोग उन्मूलन (2017-2025) हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP), निक्षय पारिस्थितिकी तंत्र (राष्ट्रीय टी.बी. सूचना प्रणाली), निक्षय पोषण योजना (NPY- वित्तीय सहायता), 'टी.बी. हारेगा, देश जीतेगा अभियान'।
  - वर्तमान में क्षय रोग के उपचार हेतु दो टीके विकसित एवं चिह्नित गए हैं जो VPM (वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) 1002 और MIP (माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानी) हैं। ये टीके वर्तमान में नैदानिक परीक्षण के चरण-3 से गुज़र रहे हैं।
  - वर्ष 2018 में निक्षय पोषण योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पोषण संबंधी ज़रूरतों के लिये प्रतिमाह 500 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रदान कर प्रत्येक क्षय रोगी की सहायता करना था।

सरोगेसी कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत सरोगेसी का लाभ उठाने वाली महिलाओं की पात्रता के साथ उनकी वैवाहिक स्थिति के संबंध पर सवाल उठाया है।

- याचिकाकर्त्ता ने सरोगेसी अधिनियम की धारा 2(1)(s) को चुनौती दी, जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच भारतीय विधवाओं या तलाकशुदा महिलाओं के सरोगेसी का लाभ उठाने के अधिकार को सीमित करती है।
- याचिकाकर्त्ता की याचिका में उस नियम को भी चुनौती दी गई है जो एकल महिला (विधवा या तलाकशुदा) को सरोगेसी के लिये स्वयं के डिम्ब/अण्डाणु का उपयोग करने के लिये मज़बूर करता है। कई मामलों में महिला की उम्र अधिक होती है, इस स्थिति में उसके स्वयं के युग्मकों का उपयोग चिकित्सकीय रूप से अनुचित है तथा वह मादा युग्मकों के लिये एक दाता की तलाश करती है।

सरोगेसी:

- **परिचय:**
  - सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला (सरोगेट) किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिये सहमत होती है।
  - सरोगेट, जिसे कभी-कभी गर्भकालीन वाहक भी कहा जाता है, वह महिला होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) के लिये गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है।

- **परोपकारी सरोगेसी:**
  - इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज़ के अतिरिक्त सरोगेट माँ के लिये किसी मौद्रिक मुआवज़े को शामिल नहीं किया गया है।
- **वाणिज्यिक सरोगेसी:**
  - इसमें बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज़ से अधिक मौद्रिक लाभ या इनाम (नकद या वस्तु के रूप में) के लिये की गई सरोगेसी या उससे संबंधित प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021:

- **प्रावधान:**
  - सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार, 35 से 45 वर्ष के बीच की आयु की विधवा या तलाकशुदा महिला तथा कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल सरोगेसी का लाभ उठा सकते है।
    - सरोगेसी के लिये इच्छित जोड़ा कानूनी रूप से विवाहित भारतीय पुरुष एवं महिला का होगा, पुरुष की आयु 26-55 वर्ष के बीच होगी तथा महिला की आयु 25-50 वर्ष के बीच होगी और उनका पहले से कोई जैविक, गोद लिया हुआ या सरोगेट बच्चा नहीं होगा।
  - यह व्यावसायिक सरोगेसी पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिये 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
  - कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जहाँ कोई पैसे का आदान-प्रदान नहीं होता है, साथ ही सरोगेट माँ का/की आनुवंशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वालों के साथ कोई सम्बन्ध/ जान-पहचान होनी चाहिये।
- **चुनौतियाँ:**
  - सरोगेट और बच्चे का शोषण: व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है, जिससे महिलाओं की अपने प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वायत्तता और मातृत्त्व का अधिकार समाप्त हो जाता है। यद्यपि कोई यह तर्क दे सकता है कि राज्य को सरोगेसी के तहत गरीब महिलाओं का शोषण रोकना चाहिये और बच्चे के जन्म के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। हालाँकि वर्तमान अधिनियम इन दोनों हितों को संतुलित करने में विफल रहे हैं।
  - पितृसत्तात्मक मानदंडों की सुदृढ़ता: यह अधिनियम हमारे समाज के पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों को सुदृढ़ करता है जो महिलाओं के कार्य को कोई आर्थिक मूल्य नहीं देते हैं और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन के लिये महिलाओं के मौलिक अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।
  - भावनात्मक जटिलताएँ: परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट माँ के रूप में कोई दोस्त अथवा रिश्तेदार न केवल भावी माता-पिता के लिये बल्कि सरोगेट बच्चे के लिये भी भावनात्मक जटिलताएँ उत्पन्न कर सकता है क्योंकि सरोगेसी की अवधि और जन्म के बाद बच्चे से उनके रिश्ते को लेकर समस्याएँ हो सकती हैं।
    - परोपकारी सरोगेसी इच्छुक दंपत्ति के लिये सरोगेट माँ चुनने के विकल्प को भी सीमित कर देती है क्योंकि बहुत ही सीमित रिश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिये तैयार होंगे।
  - तीसरे पक्ष की भागीदारी न होना: परोपकारी सरोगेसी में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं होती है। तीसरे पक्ष की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि इच्छित युगल सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान चिकित्सा और अन्य विविध खर्चों को वहन करेगा तथा उसका समर्थन करेगा।
    - कुल मिलाकर, एक तीसरा पक्ष इच्छित युगल और सरोगेट माँ दोनों को जटिल प्रक्रिया से गुज़रने में मदद करता है, जो परोपकारी सरोगेसी के मामले में संभव नहीं हो सकता है।
  - सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने से संबंधित कुछ शर्तें:
    - सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिये अविवाहित महिलाओं, एकल पुरुषों, लिव-इन पार्टनर्स और समान-लिंग वाले युग्मों को बाहर रखा गया है।
    - यह वैवाहिक स्थिति लिंग एवं यौन रुझान के आधार पर भेदभाव है और उन्हें अपनी इच्छा का परिवार बनाने के अधिकार से वंचित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में किये गये बदलाव:

- मार्च 2023 में एक सरकारी अधिसूचना ने प्रदाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए कानून में संशोधन किया।
  - इसमें कहा गया है कि "इच्छुक जोड़ों" को सरोगेसी के लिये अपने स्वयं के युग्मकों का उपयोग करना होगा।
- इस संशोधन को महिला के मातृत्व के अधिकार का उल्लंघन बताकर चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
- न्यायालय के अनुसार, शिशु का माता या पिता से आनुवंशिक संबंध होना चाहिये।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि गर्भकाल में सरोगेसी की अनुमति देने वाला कानून "महिला-केंद्रित" है, जिसका अर्थ है कि सरोगेट शिशु को जन्म देने का निर्णय महिला की चिकित्सीय या जन्मजात स्थिति के कारण माँ बनने में असमर्थता पर आधारित है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब सरोगेसी नियमों का नियम 14(a) लागू होता है, जो चिकित्सा या जन्मजात स्थितियों को सूचीबद्ध करता है तथा एक महिला को गर्भकालीन/जेस्टेशनल

सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति देता है, तो बच्चा इच्छित जोड़े, विशेषकर पिता से संबंधित होना चाहिये।

- जेस्टेशनल सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला दूसरे व्यक्ति या जोड़े के लिये एक बच्चे को जन्म देती है। इसमें सरोगेट मदर बच्चे की बायोलॉजिकल माँ नहीं होती है, बल्कि वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। इस गर्भाधान में होने वाले अथवा डोनर/प्रदाता पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु का टेस्ट-ट्यूब के तहत निषेचन कराने के बाद इसे सरोगेट मदर के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट किया जाता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने उन महिलाओं के लिये सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के नियम 7 को प्रतिबंधित किया है जो मेयर-रोकितांस्की-कुस्टर-हॉसर (MRKH) सिंड्रोम (एक असामान्य जन्मजात विकार जो महिला प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है) से पीड़ित हैं, ताकि पीड़ित महिला को प्रदाता डिम्ब/अंडाणु का प्रयोग करके सरोगेसी के क्रियान्वयन की अनुमति दी जा सके।
  - सरोगेसी अधिनियम का नियम 7 प्रक्रिया के लिये प्रदाता डिम्ब/अंडाणु के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।

वॉकिंग निमोनिया

हाल ही में वॉकिंग निमोनिया नामक एक रहस्यमय इन्फ्लूएंज़ा जैसी बीमारी ने चीन में स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है।

- इस प्रकोप का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह माइकोप्लाज़्मा निमोनिया से जुड़ा हो सकता है, जो एक सामान्य जीवाणु संक्रमण है जिसे 'वॉकिंग निमोनिया' के रूप में जाना जाता है।
- चीनी अधिकारियों का दावा है कि इसमें माइकोप्लाज़्मा निमोनिया, एडेनोवायरस और इन्फ्लूएंज़ा वायरस जैसे रोगजनक शामिल हैं, जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome- SARS) कोरोनोवायरस जैसे नए रोगजनकों को खारिज़ करते हैं।

वॉकिंग निमोनिया क्या है?

- **परिचय:**
- वॉकिंग निमोनिया, जिसे एटिपिकल निमोनिया भी कहा जाता है, माइकोप्लाज़्मा निमोनिया जैसे बैक्टीरिया के कारण होने वाले निमोनिया का एक हल्का रूप है।
- इसे "वॉकिंग" निमोनिया कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण अक्सर इतने हल्के होते हैं कि व्यक्ति बिस्तर पर आराम या अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के बिना अपनी दैनिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं।
- यह स्थिति बच्चों में अधिक प्रचलित है, विशेष रूप से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में, जो स्कूल में एक-दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं, जिनसे आसानी से इस रोग का संक्रमण उनके परिवार के सदस्यों में हो सकता है।
- **संक्रमण:**
- इसका संचरण खाँसने, छींकने या बात करने के दौरान उत्सर्जित वायुजनित बूँदों के माध्यम से होता है, जो निकट संपर्क के चलते संक्रमण फैलने का एक महत्त्वपूर्ण कारक बन जाता है।
- **लक्षण:**
- इसके मुख्य लक्षणों में लगातार खाँसी, बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, नाक बहना, कान में दर्द और कभी-कभी खाँसी के कारण सीने में तकलीफ शामिल है।
- **उपचार:**
- उपचार में आमतौर पर संक्रमण उत्पन्न करने वाले विशिष्ट बैक्टीरिया को लक्षित करने के लिये एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है।

निमोनिया से संबंधित पहलें क्या हैं?

- **भारत:**
  - निमोनिया से सफलतापूर्वक रोकने के लिये सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई (SAANS): इसका उद्देश्य निमोनिया (जो सालाना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में लगभग 15% का योगदान देता है) से होने वाले बाल मृत्यु दर को कम करना है।
    - सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर तीन से कम करने का लक्ष्य हासिल करना है।
  - वर्ष 2014 में भारत ने डायरिया तथा निमोनिया से संबंधित पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत की रोकथाम की दिशा में सहयोगात्मक प्रयास करने हेतु 'निमोनिया तथा डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिये एकीकृत कार्य योजना (Integrated Action Plan for Prevention and Control of Pneumonia and Diarrhoea- IAPPD)' शुरू की।
- **वैश्विक पहल:**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने वर्ष 2025 तक निमोनिया तथा डायरिया से बचाव योग्य बाल मृत्यु को खत्म करने के उद्देश्य से निमोनिया तथा डायरिया के लिये एक एकीकृत वैश्विक कार्य योजना (Global Action Plan for Pneumonia and Diarrhoea- GAPPD) शुरू की थी।

महिलाओं और लड़कियों की लिंग-संबंधी हत्याएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) एवं UN वूमन ने जेंडर रिलेटेड किलिंग ऑफ वूमन एंड गर्ल (फेमिसाइड/फेमिनिसाइड) शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया, जिसमें वर्ष 2022 में महिलाओं और लड़कियों की लिंग-संबंधी हत्याओं में वृद्धि का खुलासा हुआ है।

स्त्री हत्या/फेमीसाइड क्या है?

- महिला हत्या या स्त्री हत्या से तात्पर्य महिलाओं या लड़कियों की जान-बूझकर केवल इसलिये हत्या करना है क्योंकि वे महिला हैं। यह एक लिंग-आधारित अपराध है जिसकी जड़ें गहराई तक व्याप्त सामाजिक दृष्टिकोण और महिलाओं के प्रति भेदभाव में निहित हैं।
- स्त्री हत्या, मानव हत्या से इस मायने में भिन्न है कि यह विशेष रूप से व्यक्तियों को उनके लिंग के आधार पर लक्षित करती है, जिसमें अक्सर ऐसी स्थितियाँ शामिल होती हैं जहाँ महिलाओं को उनके सहयोगियों, परिवार के सदस्यों या व्यक्तियों द्वारा स्त्री-द्वेष, लिंग-आधारित हिंसा या महिलाओं का अवमूल्यन करने वाली सांस्कृतिक मान्यताओं जैसे कारणों से मार दिया जाता है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **स्त्री हत्या/फेमीसाइड के रुझान:**
  - वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में लगभग 89,000 महिलाओं और लड़कियों को जान-बूझकर मार दिया गया, जो पिछले दो दशकों में दर्ज सबसे अधिक वार्षिक संख्या है।
  - वर्ष 2021 में चरम पर पहुँचने के बाद वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर हत्याओं की संख्या में गिरावट शुरू हो गई है, लेकिन महिलाओं की हत्याओं की संख्या में गिरावट नहीं हो रही है।

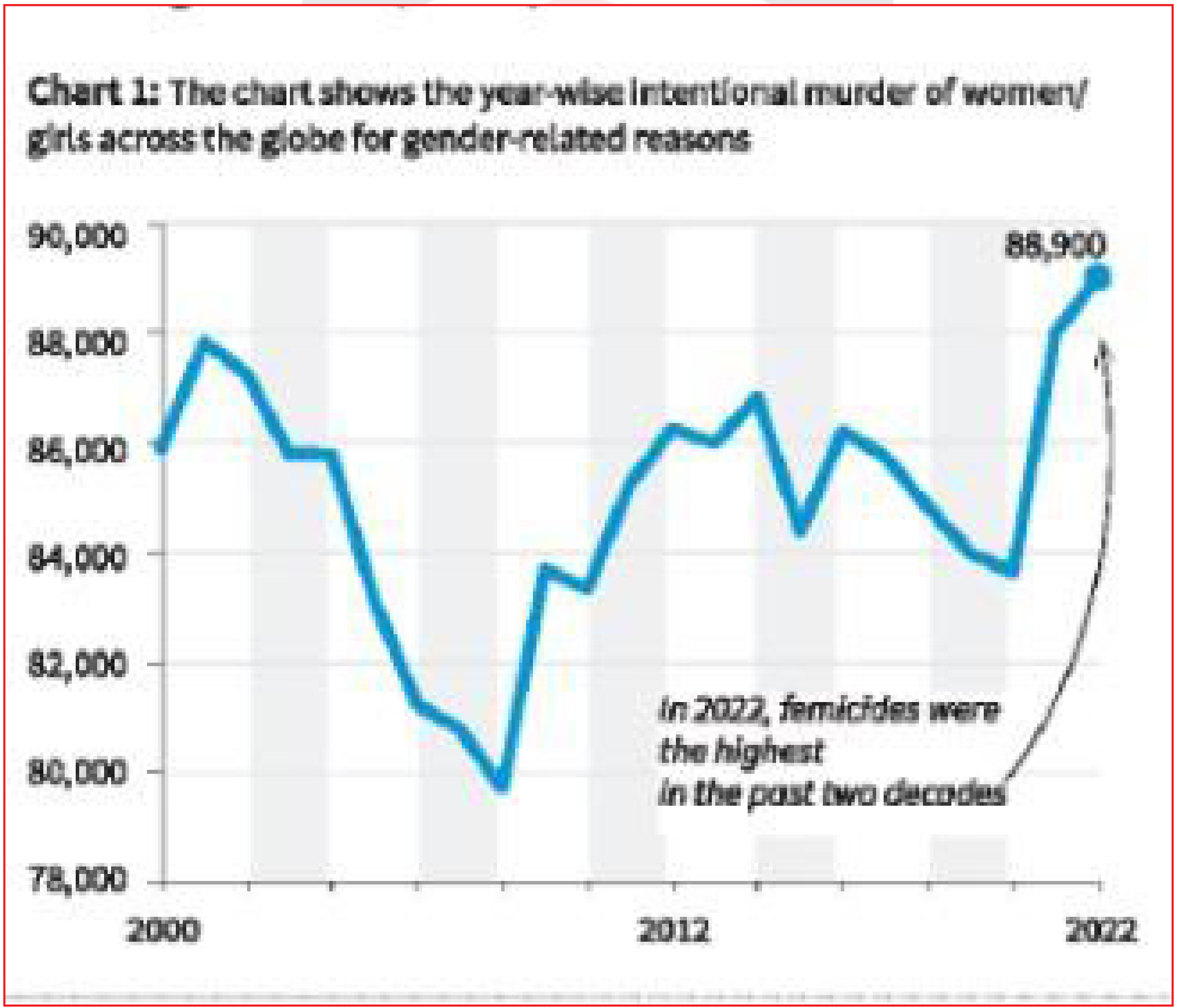

- **अपराधी-पीड़ित असमानता:**
  - पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामले में अंतरंग साथी या परिवार से संबंधित हत्याओं का शिकार होने की संभावना अधिक होती है।
  - जबकि पूरे विश्व में अधिकांश हत्याएँ पुरुषों और लड़कों (वर्ष 2022 में 80%) की जाती हैं, महिलाएँ तथा लड़कियाँ घर में घरेलू हिंसा से असमान रूप से प्रभावित होती हैं: वे घर में हत्याओं के सभी पीड़ितों में से लगभग 53% और अंतरंग साथी हत्याओं के सभी पीड़ितों में से 66% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **महाद्वीपीय रुझान:**
  - अफ्रीका ने वर्ष 2022 में महिलाओं की अंतरंग साथी/परिवार-संबंधी हत्याओं की सबसे अधिक संख्या दर्ज की, जो 13 वर्षों में पहली बार एशिया से आगे निकल गई।
  - अमेरिका में कम मामलों की रिपोर्ट करते हुए प्रति 100,000 महिला जनसंख्या पर ऐसी स्त्री हत्याओं की अपेक्षाकृत उच्च दर प्रदर्शित हुई।
- **क्षेत्रीय विविधताएँ और हालिया परिवर्तन:**
  - वर्ष 2022 में अनुमानित 20,000 पीड़ितों के साथ अफ्रीका वर्ष 2013 के बाद पहली बार पीड़ितों की सबसे अधिक संख्या वाले क्षेत्र के रूप में एशिया से आगे निकल गया है।
  - वर्ष 2022 में अफ्रीका अपनी महिला आबादी के आकार (प्रति 100,000 महिलाओं पर 2.8 पीड़ित) के सापेक्ष पीड़ितों की सबसे अधिक संख्या वाला क्षेत्र भी था।
  - वर्ष 2010 और 2022 के दौरान हालाँकि उप-क्षेत्रों में मतभेदों के साथ तथा पश्चिमी व दक्षिणी यूरोप में कुछ असफलताओं के साथ, विशेष रूप से शुरुआत के बाद से वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान यूरोप में महिला अंतरंग साथी/परिवार से संबंधित हत्याओं की संख्या में (21% तक) औसत कमी देखी गई।

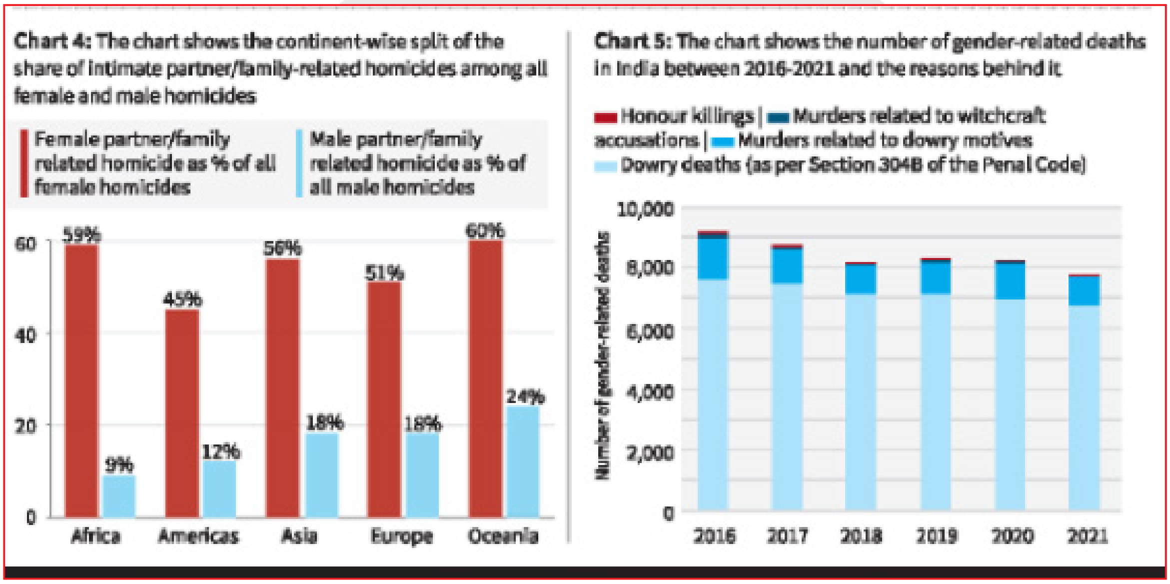

- **भारत-विशिष्ट दृष्टिकोण:**
  - भारत में विगत एक दशक में लैंगिक आधार पर हुई हत्याओं में थोड़ी कमी देखी गई है, हालाँकि दहेज से संबंधित मौतें, ऑनर किलिंग तथा जादू-टोना के आरोप जैसे मुद्दे निरंतर बरकरार हैं।
  - भारत में लिंग-संबंधी मौतों के प्रमुख कारण के रूप में दहेज-संबंधित कारण लगातार इस सूची में शीर्ष पर हैं, जिसमें ऑनर किलिंग तथा जादू-टोना-संबंधी हत्याओं का प्रतिशत कम है।

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) क्या है?

- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी तथा वर्ष 2002 में इसे UNODC नाम दिया गया था।
- यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम (UNDCP) तथा वियना में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अधीन अपराध रोकथाम तथा आपराधिक न्याय प्रभाग के सत्यह मिलकर ड्रग नियंत्रण एवं अपराध रोकथाम कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

जनजातीय समूहों के लिये महत्त्वपूर्ण पहलों की शुरुआत

जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के संरक्षण तथा अंतिम स्तर तक उनके कल्याण योजना का वितरण सुनिश्चित करने के लिये तीन प्रमुख पहलों की शुरुआत की।

- प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा', प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PM PVTG) विकास मिशन और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान की शुरुआत की।

जनजातीय गौरव दिवस क्या है?

- सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में जनजातियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिये, हर साल बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।
- जनजातियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई जनजातीय आंदोलन किये। इन जनजातीय समुदायों में तमाड़, संथाल, खासी, भील, मिज़ो और कोल जैसे कुछ नाम शामिल हैं।

ये प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

- **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN):**
  - परिचय: पीएम जनमन (PM JANMAN) का उद्देश्य विभिन्न जनजातीय समूहों, विशेष रूप से वे समूह जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, को आवश्यक समर्थन देना तथा विकास एवं मुख्यधारा की सेवाओं और अवसरों से कनेक्टिविटी प्रदान करके उनकी रक्षा व पोषण करना है।
  - दायरा: इस पहल के तहत 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रहने वाले, विशेष रूप से कमज़ोर 75 जनजातीय समूहों (PVTGs) को शामिल किया गया है, जो 220 ज़िलों के 22,544 ग्रामों में निवास करते हैं।
    - लगभग 28 लाख लोग इन चिह्नित जनजातीय समूहों से संबंधित हैं।
  - महत्त्व: पीएम जनमन जनजातीय समुदायों के उत्थान एवं सुरक्षा, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा उन्हें मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
    - यह उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करते हुए जनजातीय आबादी एवं आवश्यक सेवाओं के बीच अंतर कम करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
- **विकसित भारत संकल्प यात्रा:**
  - यह यात्रा मुख्य रूप से लोगों तक पहुँचने, उनमें जागरूकता उत्पन्न करने और स्वच्छता सुविधाएँ, आवश्यक वित्तीय सेवाएँ, विद्युत कनेक्शन, एल.पी.जी. सिलेंडर तक पहुँच, गरीबों के लिये आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी।
  - यात्रा के दौरान प्राप्त विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन किया जाएगा।
  - शुरुआती चरण में यह यात्रा महत्त्वपूर्ण जनजातीय जनसंख्या वाले ज़िलों से शुरू होगी और देशभर के सभी ज़िलों को कवर करेगी।
- **PM-PVTG मिशन:**
  - PM-PVTG विकास मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
    - इसके लिये केंद्रीय बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिये 24000 करोड़ रुपए की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है।
  - मिशन में पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बस्तियों में सड़कों तक बेहतर पहुँच जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।

आदिवासियों से संबंधित अन्य सरकारी पहल क्या हैं?

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)
- प्रधानमंत्री वन धन योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

पर्यावास अधिकार और इसके निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अगस्त 2023 में कमार PVTG को आवास अधिकार प्राप्त होने के ठीक बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके बैगा विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group- PVTG) को आवास अधिकार प्रदान किये हैं।

- बैगा PVTG छत्तीसगढ़ में ये अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया है।
- छत्तीसगढ़ में सात PVTG (कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबूझमाड़िया, बिरहोर, पंडो और भुजिया) हैं।

बैगा जनजाति:

- बैगा (जादूगर) जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहती है।
- परंपरागत रूप से बैगा अर्द्ध-खानाबदोश जीवन जीते थे और झूम कृषि (जिसे ये बेवर या दहिया कहते हैं) करते थे, किंतु अब ये

आजीविका के लिये मुख्य रूप से लघु वनोत्पाद (Minor Forest Produce-MFP) पर निर्भर हैं।

- इनका प्राथमिक वन उत्पाद बाँस है।

- गोदना (टैटू) बैगा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, प्रत्येक आयु और शरीर के अंग पर इस अवसर हेतु एक विशिष्ट टैटू आरक्षित है।

पर्यावास अधिकार:

- **परिचय:**
  - पर्यावास अधिकार संबंधित समुदाय को उनके निवास के पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक और आजीविका के साधनों, जैवविविधता और पारिस्थितिकी के बौद्धिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण पर अधिकार को मान्यता प्रदान करता है।
  - पर्यावास अधिकार पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक, आजीविका देने वाले और पारिस्थितिक ज्ञान की रक्षा एवं प्रचार करते हैं। वे PVTG समुदायों को उनके आवास स्थान विकसित करने हेतु सशक्त बनाने के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों की पहलों को एकजुट करने में भी सहायता करते हैं।
    - वन अधिकारों की मान्यता (Recognition of Forest Rights- FRA) के अनुसार, "आवास" में प्रथागत आवास और विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) तथा अन्य वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित व संरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं।
  - भारत में 75 PVTG में से केवल तीन जनजातियों के पास आवास अधिकार हैं- पहले मध्य प्रदेश में, उसके बाद कमार जनजाति और अब छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति।
- **पर्यावास घोषित करने की प्रक्रिया:**
  - यह प्रक्रिया जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में इस उद्देश्य के लिये दिये गए एक विस्तृत दिशानिर्देश पर आधारित है।
  - इस प्रक्रिया में संस्कृति, परंपराओं और व्यवसाय की सीमा निर्धारित करने के लिये पारंपरिक आदिवासी नेताओं के साथ परामर्श करना शामिल है।
  - आवासों को परिभाषित करने और उनकी घोषणा करने के लिये वन, राजस्व, जनजातीय एवं पंचायती राज सहित राज्य-स्तरीय विभागों एवं UNDP टीम के बीच समन्वय आवश्यक है।
- **वैधानिकता:**
  - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (जिसे FRA के रूप में भी जाना जाता है) की धारा 3(1)(e) के तहत PVTG को आवास अधिकार प्रदान किये जाते हैं।
  - पर्यावास अधिकारों की मान्यता PVTG को उनके पारंपरिक क्षेत्र पर अधिकार प्रदान करती है, जिसमें निवास के लिये उपयोग किये जाने वाले क्षेत्र, निर्वाह के साधन तथा जैव-विविधता की समझ शामिल है।

PVTG की पहचान:

- PVTG की पहचान तकनीकी पिछड़ेपन, स्थिर अथवा घटती जनसंख्या वृद्धि, अल्प साक्षरता स्तर, निर्वाह अर्थव्यवस्था और चुनौतीपूर्ण जीवन स्थितियों जैसे मानदंडों के आधार पर की जाती है।
- आजीविका, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य जैसे मामलों में वे असुरक्षित हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 75 PVTG की पहचान की गई है।
- वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह (PTG) को एक विशेष श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया, जो अन्य जनजातीय समूहों के बीच अल्प विकसित हैं। वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया गया।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023

चर्चा में क्यों?

वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किये गए वैश्विक भुखमरी सूचकांक/ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, यह भारत में भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है।

- इस इंडेक्स में भारत के पडोसी देशों; पाकिस्तान (102वें), बांग्लादेश (81वें), नेपाल (69वें) और श्रीलंका (60वें) ने भारत से बेहतर स्थान हासिल किया।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक:

- **परिचय:**
  - वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index-GHI) एक सहकर्मी-समीक्षा रिपोर्ट है, जिसे कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फे द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
  - GHI एक उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है।
    - GHI स्कोर की गणना भूख की गंभीरता को दर्शाते हुए 100-बिंदु पैमाने पर की जाती है- 0 सबसे अच्छा स्कोर है और 100 सबसे खराब स्कोर को दर्शाता है।

नोट: कंसर्न वर्ल्डवाइड एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व के सबसे गरीब देशों में गरीबी और पीड़ा से निपटने के लिये समर्पित है।

- वेल्थुंगरहिल्फे जर्मनी में एक निजी सहायता संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में "फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन " के जर्मन खंड के रूप में की गई थी।
- **गणना:**
  - प्रत्येक देश के GHI स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है जो चार संकेतकों को जोड़ता है, जो भूख की बहुआयामी प्रकृति को रेखांकित करते हैं:
    - अल्पपोषण: जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है;
    - चाइल्ड स्टंटिंग: पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित आंकड़ों की हिस्सेदारी उनकी उम्र के अनुसार कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है;
    - चाइल्ड वेस्टिंग: पाँच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की हिस्सेदारी, जिनका वज़न उनकी लंबाई के अनुसार कम है, गंभीर कुपोषण को दर्शाता है;
    - शिशु मृत्यु दर: अपने पाँचवें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की हिस्सेदारी, अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण की गंभीर स्थिति दर्शाती है।
- **सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ संरेखण:**
  - अल्पपोषण की व्यापकता SDG 2.1 का एक संकेतक है, जो सभी के लिये सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
  - बच्चों का बौनापन और दुबलापन दर SDG 2.2 के संकेतक हैं, जिसका लक्ष्य सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना है।
  - शिशु मृत्यु को कम करना SDG 3.2 का लक्ष्य है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2023 के प्रमुख बिंदु:

- **भारत का GHI स्कोर:**
  - स्कोर विश्लेषण:
    - वर्ष 2023 में भारत का GHI स्कोर 28.7 है, जिसे GHI भुखमरी की गंभीरता के मापदंड के अनुसार "गंभीर" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - यह भारत के वर्ष 2015 के GHI स्कोर 29.2 में सुधार को दर्शाता है।
    - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2000 में 38.4 और वर्ष 2008 में 35.5 के चिंताजनक GHI स्कोर की तुलना में भारत ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
  - संबंधित डेटा और संदर्भ:
    - बच्चों में बौनापन 35.5% प्रचलित है (भारत का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 2019-2021)
    - भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 16.6% है (विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2023)
    - भारत में बच्चों में वेस्टिंग दर लगभग 18.7% (भारत का NFHS, 2019-21) है, जो रिपोर्ट में सभी देशों में सबसे अधिक है।
    - पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है (बाल मृत्यु अनुमान के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह जनवरी 2023)
- **भुखमरी का वैश्विक रुझान:**
  - GHI 2023 रिपोर्ट के अनुसार, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन शीर्ष रैंक वाले देशों हैं (यानी यहाँ भुखमरी का स्तर निम्न है) और यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूचकांक में सबसे नीचे हैं।

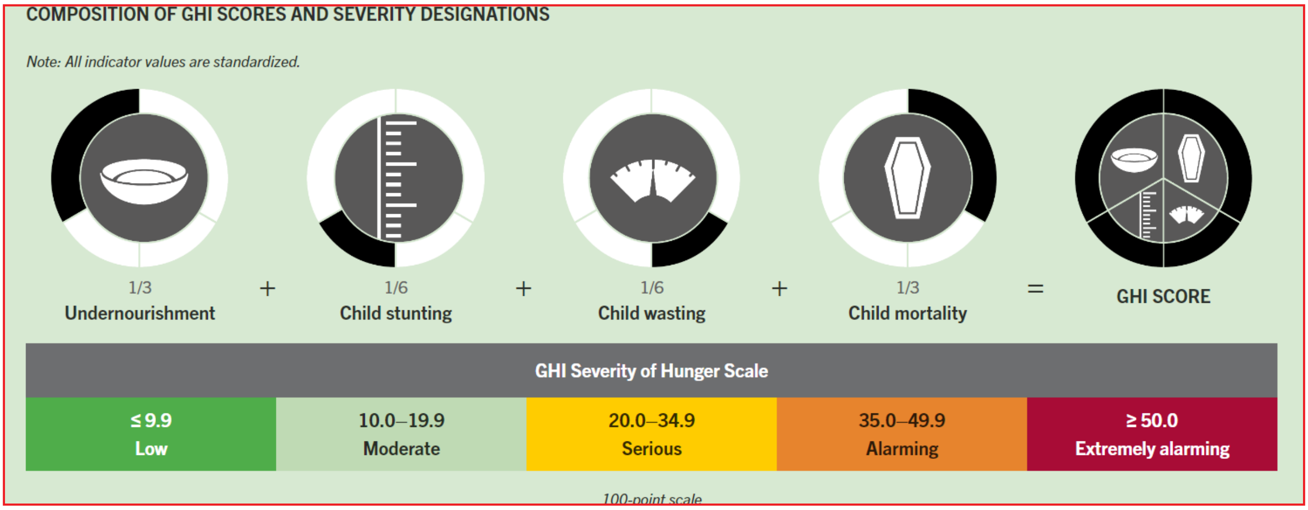

- समग्र विश्व के लिये GHI 2023 स्कोर 18.3 है, जिसे मध्यम (Moderate) माना जाता है, वर्ष 2015 के बाद से इसमें न्यूनतम सुधार हुआ है।
  - वर्ष 2017 के बाद से अल्पपोषण (Undernourishment) की व्यापकता 572 मिलियन से बढ़कर लगभग 735 मिलियन हो गई है।
- GHI ने स्थिरता के लिये जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक आघात, कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न संकटों को उत्तरदायी माना है।
  - इन संकटों ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है एवं विश्व भर में भुखमरी कम करने की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है।

भारत में अनुसूचित क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

भारत की आबादी में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) की हिस्सेदारी 8.6% है, ये भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान है।

अनुसूचित क्षेत्र:

परिचय:

- अनुसूचित क्षेत्र भारत के 11.3% भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं, जहाँ भारत की आबादी में 8.6% की हिस्सेदारी वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय निवास करते हैं।
- अनुसूचित क्षेत्र वाले घोषित 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश।
  - वर्ष 2015 में केरल ने 2,133 बस्तियों, पाँच ग्राम पंचायतों और पाँच ज़िलों के दो वार्डों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखा, इसे अभी तक केंद्र सरकार की मंज़ूरी नहीं मिली है।

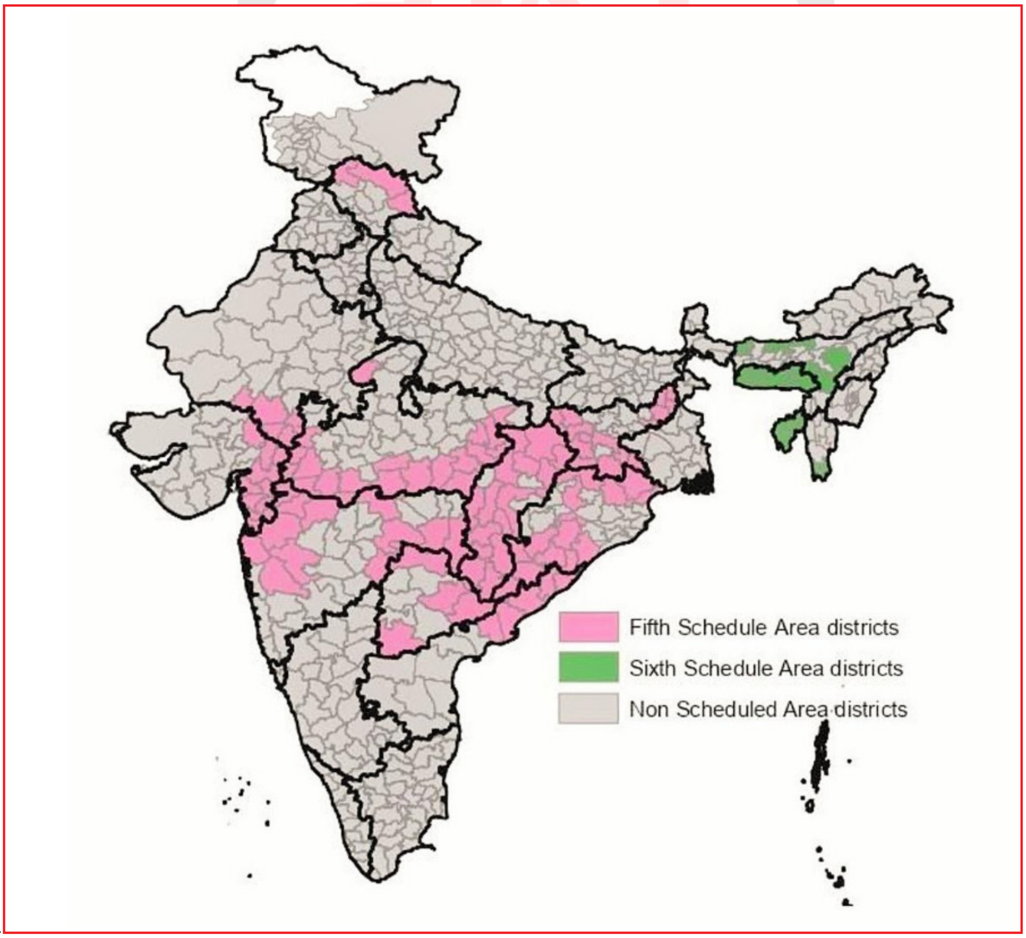

- **अनुसूचित क्षेत्र चिह्नित किये जाने हेतु मानदंड:**
  - किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने वाले मार्गदर्शक मानदंडों में जनजातीय आबादी की प्रधानता, सघनता, आकार, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में व्यवहार्यता तथा आसपास के क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन शामिल हैं।
  - वर्ष 2002 के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग अथवा भूरिया आयोग ने वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार 40% अथवा इससे अधिक जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की थी।
- **संवैधानिक प्रावधान और शासन:**
  - अनुच्छेद 244 (1) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है।
  - अनुच्छेद 244 (2) उपर्युक्त राज्यों पर छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है।
  - जनजातीय सलाहकार परिषद: भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं और अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिये एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करते हैं।
  - पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996: यह ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के साथ ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है व स्थानीय स्वशासन को प्राथमिकता देता है।
    - वर्ष 1995 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज के विस्तार के प्रावधानों की सिफारिश करने के लिये गठित भूरिया समिति ने अनुसूचित क्षेत्र वाले गाँवों को पंचायती राज में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं किया गया है।
  - भारत के राष्ट्रपति भारत के अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को 20 ST सदस्यों वाले एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य है।
  - यह समीति ST के कल्याण के संबंध में उन्हें भेजे गए मामलों पर राज्यपाल को सलाह देती है। इसके बाद राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित चिंताएँ:

- आदिवासी संगठनों की मांगों के बावजूद, भारत की ST आबादी का एक बड़ा हिस्सा (59%) अनुच्छेद 244 के अंतर्गत नहीं आता है, जिससे वे अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने वाले कानूनों के तहत संरक्षित अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।
- नौकरशाह तंत्र में व्यवहार्य ST-बहुमत प्रशासनिक इकाइयों की अनुपस्थिति एक आम समस्या रही है, जिसके कारण अनुसूचित क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को गैर-अधिसूचित करने की मांग उठी है।
  - उन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार, पुनर्वासन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 सहित अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होने वाले कानूनों के तहत संरक्षित किये गये अधिकारों से वंचित किया गया है।

भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान:

- **परिभाषा:**
  - भारतीय संविधान में ST की मान्यता के लिये कोई मानदंड परिभाषित नहीं है। जनगणना-1931 के अनुसार, ST को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में निवास करने वाली "पिछड़ी जनजाति" कहा जाता है।
  - सर्वप्रथम प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के लिये प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया था।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - अनुच्छेद 366(25) के अनुसार ST की परिभाषा:
    - "ST" उन जनजातियों, आदिवासी समुदायों अथवा उन जनजातियों व समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों को संदर्भित करता है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
- **कानूनी प्रावधान:**
  - अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।
  - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
  - पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996
  - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

चर्चा में क्यों?

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्तूबर को मनाया जाता है, यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिये समर्थन जुटाना है।

- भारत के संदर्भ में यह दिन देश की बढ़ती किशोर जनसंख्या (10-19 वर्ष की आयु) के सामने आने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है, जो इसकी भविष्य की समृद्धि और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम: मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है।

नोट: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना 10 अक्तूबर,1992 को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी। तब से यह हर वर्ष मनाया जाता है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति:

- **परिचय:**
  - मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सेहत को संदर्भित करता है, जिसमें उसकी समग्र मानसिक और भावनात्मक स्थिति शामिल होती है।
  - इसमें किसी व्यक्ति की तनाव से निपटने, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने, स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने, उत्पादक रूप से काम करने और तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता शामिल है।
    - मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली का एक अभिन्न अंग है तथा यह शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्त्वपूर्ण है।
- **भारत में स्थिति:**
  - भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साइंसेज़ के आँकड़ों के अनुसार, ज्ञान की कमी, कलंक और देखभाल की उच्च लागत जैसे कई कारणों की वजह से 80% से अधिक लोगों की देखभाल सेवाओं तक पहुँच नहीं है।
    - वर्ष 2012-2030 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (WHO) का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।
- **मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी पहल:**
  - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)
  - आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWC)
  - राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
  - किरण हेल्पलाइन
  - राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
  - युवा स्पंदन योजना (कर्नाटक)

बिहार में जाति-जनगणना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जाति-सर्वेक्षण, 2023 के निष्कर्ष जारी किये, जिसमें पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% हैं।

- माना जाता है कि ये निष्कर्षों राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिये इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने में व्यापक रूप से सहायक साबित होंगे।

बिहार के जाति-सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष:

विभिन्न जातियाँ और समुदाय (बिहार)	प्रतिशत जनसंख्या (%)
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBCs)	36.01 %
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)	27.12 %
अनुसूचित जाति	19.65 %
अनुसूचित जनजाति	1.68%
बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन	< 1 %
कुल जनसंख्या (बिहार)	13.07 करोड़

जाति सर्वेक्षण में अपनाई गई प्रक्रिया:

यह सर्वेक्षण दो चरणों में किया गया, जिनमें से प्रत्येक के अपने मानदंड और उद्देश्य थे।

- **पहला चरण:**
  - इस चरण के दौरान, बिहार के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई।
  - प्रगणकों को 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया था जिनका उत्तर प्रत्यर्थी को अनिवार्य रूप से देना था।

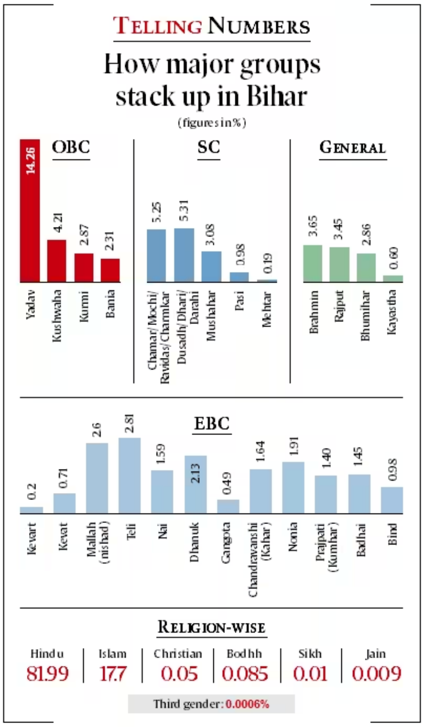

- **दूसरा चरण:**
  - इस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उप-जातियों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के संबंध में डेटा एकत्र किया गया।
  - हालाँकि परिवार के मुखिया का आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र संख्या और राशन कार्ड संख्या अंकित करना वैकल्पिक था।

जनगणना:

- **जनगणना की उत्पत्ति:**
  - भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 की औपनिवेशिक काल के समय हुई थी।
  - जनगणना कार्य का विकास होता गया जिसका प्रयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीयों की जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने, संसाधनों तक पहुँच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा बनाने, परिसीमन अभ्यास आदि के लिये किया जाता है।
- सामाजिक-आर्थिक और जाति-जनगणना (Socio-Economic and Caste Census- SECC) के रूप में पहली जाति जनगणना:
  - इसे SECC पहली बार वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था।
  - SECC का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार से आँकड़े एकत्रित करना तथा उनसे जुड़े निम्नलिखित तथ्यों के बारे में पूछताछ करना है:
    - आर्थिक स्थिति, केंद्र और राज्य अधिकारियों को अभाव, क्रमपरिवर्तन एवं संयोजन के विभिन्न संकेतक विकसित करने की अनुमति देती है, जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकरण एक गरीब या वंचित व्यक्ति को नामित करने के लिये किया जा सके।
    - इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति से उनकी विशिष्ट जाति का नाम पूछना भी है ताकि सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में मदद मिल सके कि कौन-सी जाति समूह आर्थिक रूप से पिछड़े थे और कौन-से बेहतर थी।
- **जनगणना और SECC के बीच अंतर:**
  - जनगणना भारतीय जनसंख्या का वर्णन करता है, जबकि SECC राज्य सरकार द्वारा समर्थित लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है।
  - चूँकि जनगणना जनगणना अधिनियम,1948 के अंतर्गत आती है, इसलिये सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC वेबसाइट के अनुसार, "SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियाँ सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ प्रदान करने और/या लाभों से प्रतिबंधित करने हेतु उपयोग के लिये उपलब्ध होती।"

पूर्वोत्तर भारत की विविधता को पहचान

चर्चा में क्यों ?

पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं, कई जातीय समुदायों का घर है, जो "विविध क्षेत्रों" से पलायन कर चुके हैं, जिनमें से अधिकांश इंडो चाइनीज़ मंगोलॉइड नस्लीय समुदाय से संबंधित हैं।

उत्तर-पूर्व की जातीय संरचना:

- **जातीय संरचना:**
  - यह क्षेत्र कई जातीय समुदायों का निवास स्थान है, जो मुख्य रूप से इंडो-चीनी मंगोलॉयड नस्लीय समूह से संबंधित हैं।
  - पूर्वोत्तर भारत अपनी विविध आबादी के लिये जाना जाता है, जो 200 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग संस्कृति और परंपराएँ हैं।
    - इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख जातीय समूहों में असमिया, बोडो, नागा, मिज़ो, खासी, गारो और अरुणाचली शामिल हैं।

राज्य	जातीय समूह
अरुणाचल प्रदेश	आदिस, न्यीशी, अपातानी, टैगिन, मिस्मी, खाम्प्ती, वांचो, तांग्शा, मोनपा, आदि।
असम	बर्मन, बोडोस (बोडोकाचारिस), देवरी, होजाई, सोनोवाल कछारी, मिरी (मिसिंग), दिमासा, हाजोंग, आदि।
मेघालय	खासी, गारो, जयंतिया
मणिपुर	मैती, नागा, कुकी और चिन, मैती पंगल (मैती-मुसलमान) आदि।
मिज़ोरम	लुशी, राल्ते, हमार, पाइते, पाविस (पहले लाइस के नाम से जाना जाता था), आदि।
नागालैंड	अंगामी, एओ, चांग, चिरू, फोम, रेंगमा, संगतम, सेमा, ज़ेलियांग, आदि।
त्रिपुरा	त्रिपुरी, रियांग, चकमा, हलम, गारो, लुसी, डारलॉन्ग, आदि।
सिक्किम	नेपाली, भूटिया, लेप्चा आदि।

- यह क्षेत्र कई स्वदेशी/मूल निवासी समुदायों का भी गढ़ है जो भारत के अन्य हिस्सों में तेज़ी से हो रहे आधुनिकीकरण के बावजूद, अपने जीवनशैली को संरक्षित करने में कामयाब रहे हैं।

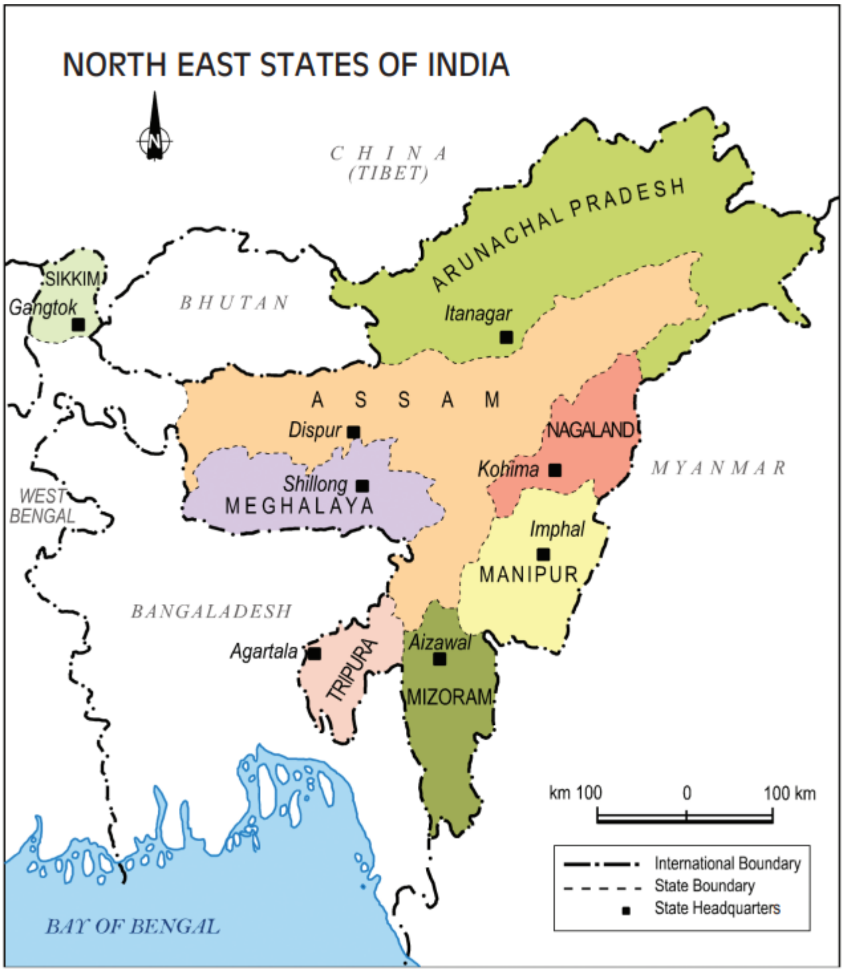

- इन समुदायों में अरुणाचल प्रदेश के अपातानी लोग, जो कृषि का एक अनूठा रूप अपनाते हैं जिसमें सीढ़ीदार खेतों में चावल की खेती करना शामिल है तथा मेघालय के मातृसत्तात्मक समाज के खासी लोग शामिल हैं, जहाँ महिलाओं को संपत्ति विरासत में मिलती है और निर्णय लेने में उनकी मुख्य भूमिका होती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की एकरूपता को अस्वीकार करने की आवश्यकता:

- पूर्वोत्तर को एक ही श्रेणी में रखने की प्रवृत्ति एक भ्रांति है जो इसके समाज के जटिल ताने-बाने को नज़रअंदाज करती है।
- इस प्रकार दृष्टिकोण न केवल इस क्षेत्र की वास्तविकता को सामान्यीकृत करता है बल्कि गलतफहमियों को भी बढ़ावा देता है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य की एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत, भाषा और ऐतिहासिक कथा है।
- इस क्षेत्र की एकरूपता को अस्वीकार करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति प्रत्येक राज्य और समुदाय की अनूठी विशेषताओं को समझ सकता है तथा इस विविधता से उत्पन्न समृद्धि की सराहना कर सकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की विविधता के संरक्षण का महत्त्व:

- **सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:**
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता इसके विभिन्न समुदायों की ऐतिहासिकताओं और प्रथाओं का जीवंत प्रमाण है।
  - असम के त्योहारों से लेकर सिक्किम की प्राचीन परंपराओं तक, प्रत्येक संस्कृति जीवन, मूल्यों और मान्यताओं का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस विविधता को संरक्षित करना भविष्य की पीढ़ियों के लिये इन सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **भाषाई अस्मिता:**
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेकों भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक भाषा वहाँ के लोगों के सूक्ष्म संस्कृति को दर्शाती है।

- इस भाषाई विविधता की पहचान करते हुए इन भाषाओं और इन्हें बोलने वाले समुदायों की विशिष्टता को सम्मानित किया जा सकता है।

सामाजिक एकता:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर विविधता को स्वीकार करने से सामाजिक एकता और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।
- यह विभिन्नताओं के बीच एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व संभव हो पाता है। विभिन्न समुदायों की विशिष्ट पृष्ठभूमियों और अनुभवों को समझने एवं उनकी सराहना करने से सामाजिक एकीकरण को बढ़ाया जाता है, जो एक मज़बूत, एकजुट राष्ट्र में योगदान देता है।

विकास के लिये अनुकूलित नीतियाँ:

- एक आकार-सभी के लिये फिट दृष्टिकोण अप्रभावी और अनुचित है, जो क्षेत्र की प्रगति में बाधा डालता है।
- अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों पर विचार करने वाली नीतियाँ सतत् विकास एवं प्रगति को बढ़ावा दे सकती हैं।

नोट: पूर्वोत्तर राज्यों के लिये वर्णनात्मक उपनाम:

- अरुणाचल प्रदेश: डॉन लिट् माउंटेन्स
- असम: गेटवे टू नार्थ ईस्ट
- मणिपुर: जेव्ल ऑफ इंडिया
- मेघालय: अबोड ऑफ क्लाउड्स
- मिज़ोरम: लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स
- नगालैंड: लैंड ऑफ फेस्टिवल
- सिक्किम: हिमालयन पैराडाइस
- त्रिपुरा: लैंड ऑफ डाइवर्सिटी

एवियन इन्फ्लूएंज़ा

चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन ने अत्यधिक रोगजनक एवियन H5 इन्फ्लूएंज़ा वायरस की पारिस्थितिकी और विकास में महत्त्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला है, जिससे उनके वैश्विक वितरण में बदलाव की जानकारी मिली है।

- ये वायरस मनुष्यों सहित पक्षी और स्तनधारियों दोनों पर अपने संभावित प्रभाव के कारण बढ़ती चिंता का विषय रहे हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- जबकि इन वायरसों का केंद्र मूल रूप से एशिया तक ही सीमित था, अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि इस केंद्र का विस्तार अब अफ्रीका और यूरोप के नए क्षेत्रों तक हो सकता है।
- अफ्रीकी और यूरोपीय पक्षी आबादी से उत्पन्न होने वाले दो H5 उपभेद फैलते समय कम रोगजनक वायरल वेरिएंट के साथ आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से विकसित हुए पाए गए।
  - यह आनुवंशिक पुनर्संयोजन इन वायरसों के विकास और विविधीकरण को चलाने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
- इस अध्ययन में यह पाया गया है कि जंगली पक्षियों की आबादी में एवियन इन्फ्लूएंज़ा की बढ़ती निरंतरता नए वायरल उपभेदों के विकास एवं प्रसार में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है।
  - ये वायरस लगातार विकसित हो रहे हैं तथा इन वायरस को संचरित करने एवं बढ़ाने में जंगली पक्षियों की अहम भूमिका होती है।

आनुवंशिक पुनर्वर्गीकरण:

- आनुवंशिक पुनर्वर्गीकरण एक प्रकार का आनुवंशिक पुनर्संयोजन है जिसमें दो जीवों के जीन को एक नया आनुवंशिक अनुक्रम बनाने के लिये सम्मिश्रित किया जाता है। इस नये अनुक्रम को पुनर्योगज कहा जाता है।
- यह मौसमी वायरस के विकास के दौरान आनुवंशिक विविधता को बढ़ा सकता है। यह नए तथा संभावित रूप से घातक वायरस को भी जन्म दे सकता है।

एवियन इन्फ्लूएंज़ा:

परिचय:

- एवियन इन्फ्लूएंज़ा, जिसे आमतौर पर 'बर्ड फ्लू' भी कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों, विशेष रूप से जंगली पक्षियों तथा घरेलू मुर्गीपालन, को प्रभावित करता है।
- वर्ष 1996 में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंज़ा H5N1 वायरस सर्वप्रथम दक्षिणी चीन में घरेलू जलपक्षियों में पाया गया था। इस वायरस का नाम A/गूस/गुआंगडोंग/1/1996 (A/goose/Guangdong/1/1996) है।

मनुष्यों में संचरण और संबंधित लक्षण:

- H5N1 एवियन इन्फ्लूएंज़ा के मानव मामले कभी-कभी होते हैं, लेकिन संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाना मुश्किल होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, जब लोग इससे संक्रमित होते हैं तो मृत्यु दर लगभग 60% होती है।
  - यह बुखार, खाँसी और मांसपेशियों में दर्द सहित हल्के फ्लू जैसे लक्षणों से लेकर निमोनिया, साँस लेने में कठिनाई जैसी गंभीर श्वसन समस्याओं तथा यहाँ तक कि परिवर्तित मानसिक स्थिति एवं दौरे जैसी संज्ञानात्मक समस्याओं तक विस्तृत हो सकता है।

- **एवियन इन्फ्लुएंज़ा और भारत:**
  - प्रारंभिक प्रकोप:
    - अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंज़ा (HPAI) H5N1 भारत में पहली बार वर्ष 2006 में नवापुर, महाराष्ट्र में देखा गया और उसके बाद की घटनाएँ वार्षिक रहीं।
    - H5N8 पहली बार भारत में नवंबर 2016 में देखा गया था, जो मुख्य रूप से पाँच राज्यों में जंगली पक्षियों को प्रभावित करता था, जिसमें केरल में सबसे अधिक मामले दर्ज किये गए थे।
    - यह बीमारी 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिपोर्ट की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिये 9 मिलियन से अधिक पक्षियों को मार दिया गया है।
  - संबंधित पहल:
    - अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंज़ा (HPAI) को नियंत्रित करने के लिये भारत का दृष्टिकोण एवियन इन्फ्लूएंज़ा की नियंत्रण और रोकथाम के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (संशोधित- 2021) में उल्लिखित "डिटेक्ट एंड कल (detect and cull)" की नीति का अनुसरण करता है।
- **उपचार:**
  - एंटीवायरल ने मनुष्यों में एवियन इन्फ्लूएंज़ा वायरस संक्रमण के उपचार में प्रभावशीलता प्रदर्शित की है, जिससे रोग की गंभीरता और मृत्यु का जोखिम कम हो गया है।

इन्फ्लूएंज़ा वायरस के प्रकार

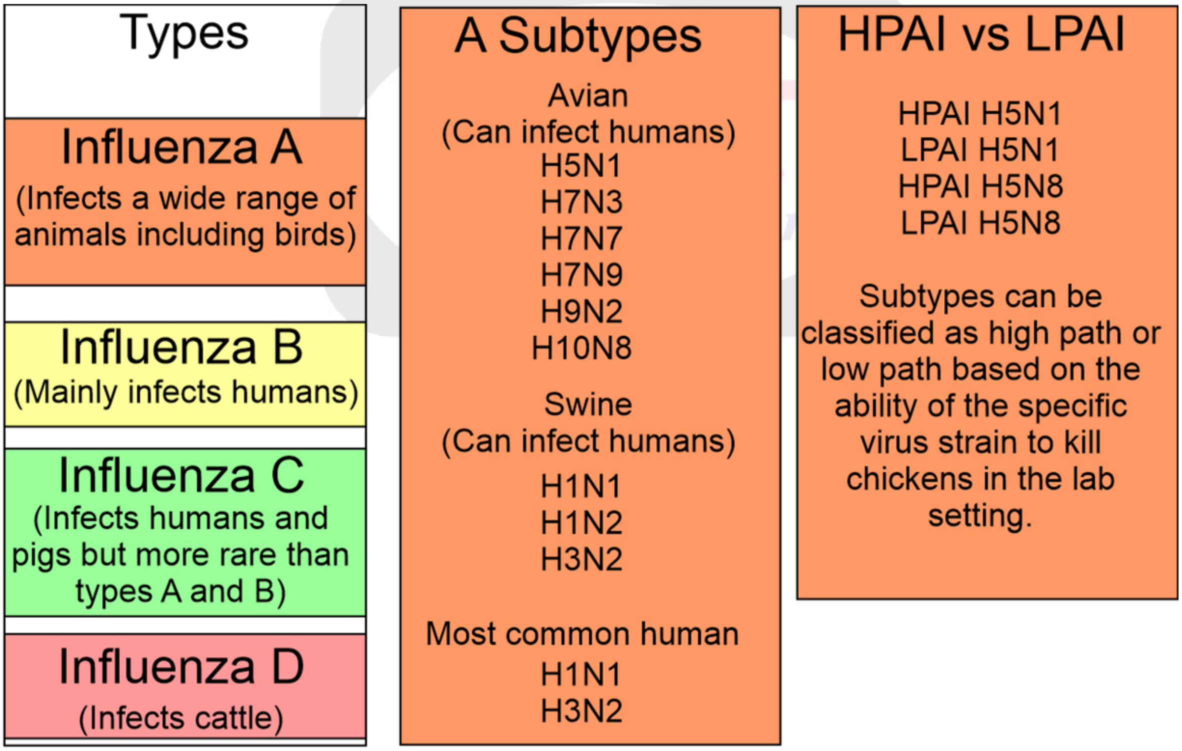

नोट: HPAI का अर्थ है अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंज़ा और LPAI का अर्थ है कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंज़ा।

डेंगू

हाल ही में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में डेंगू के मामलों में काफी वृद्धि हुई है।

डेंगू:

- **परिचय:**
  - डेंगू एक स्व-सीमित ज्वर संबंधी बीमारी है जिसके लक्षण हल्के से लेकर अत्यधिक गंभीर हो सकते हैं।
  - डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू

वायरस (जीनस फ्लेवीवायरस) के कारण होती है, इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज़ (Genus Aedes) प्रजातियों, मुख्य रूप से एडीज़ इजिप्टी (Aedes Aegypti) द्वारा होता है।

- यह मच्छर चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी फैलाता है।

डेंगू के सीरोटाइप:

- डेंगू को उत्पन्न करने वाले चार अलग-अलग परंतु आपस में संबंधित सीरोटाइप (सूक्ष्मजीवों की एक प्रजाति के भीतर अलग-अलग समूह जिनमें एक समान विशेषता पाई जाती है) DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4 हैं।

लक्षण:

- अचानक तेज़ बुखार, तेज़ सिर दर्द, आँखों में दर्द, हड्डी, जोड़ और मांसपेशियों में तेज़ दर्द आदि।

डेंगू की वैक्सीन:

- वर्ष 2019 में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US Food & Drug Administration) द्वारा डेंगू की वैक्सीन CYD-TDV या डेंगवैक्सिया (CYD-TDV or Dengvaxia) अनुमोदित की गई थी, जो अमेरिका में नियामक मंज़ूरी पाने वाली डेंगू की पहली वैक्सीन थी।
  - डेंगवैक्सिया मूल रूप से एक जीवित और दुर्बल डेंगू वायरस है जिसकी खुराक 9 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों को दी जाती है जिनमें पूर्व में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है तथा जो संक्रमित क्षेत्रों में रहते हैं।
- भारत के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के शोधकर्ताओं ने भारत, अफ्रीका एवं अमेरिका के नौ अन्य संस्थानों के सहयोग से डेंगू बुखार के लिये भारत का पहला और एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित किया है।
  - चूहों पर प्रारंभिक परीक्षणों के दौरान इस उम्मीदवार वैक्सीन ने एक मज़बूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की और बीमारी के संपर्क में आने के बाद जीवित रहने की दर में सुधार हुआ।

DNA वैक्सीन:

- DNA वैक्सीन एक प्रकार का वैक्सीन है जो DNA के एक सूक्ष्म भाग का उपयोग करती है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिये वायरस या जीवाणु जैसे रोगजनक से एक विशिष्ट एंटीजन (एक अणु जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है) के लिये कोड करता है।
- DNA को सीधे शरीर की कोशिकाओं में इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ यह कोशिकाओं को एंटीजन का उत्पादन करने का निर्देश देता है।
  - तब प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीजन को विदेशी के रूप में पहचानती है और इसके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, जो रोगजनक के प्रति प्रतिरक्षा विकसित करने में सहायता करती है।
- DNA वैक्सीन तीसरी पीढ़ी की वैक्सीन हैं।
- ZyCoV-D दुनिया की पहली और भारत की स्वदेशी तौर पर विकसित DNA आधारित कोविड-19 की वैक्सीन है।

प्रशामक देखभाल

चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ों पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ पर प्रकाश डाला गया है।

- चूँकि जानलेवा बीमारियों के इलाज की लागत व्यक्तियों को गरीबी में धकेल देती है, इस गंभीर मुद्दे को नियंत्रित करने और समग्र रोगी-केंद्रित देखभाल की वकालत करने के लिये प्रशामक देखभाल आवश्यक हो जाती है।

प्रशामक देखभाल:

परिचय:

- प्रशामक देखभाल स्वास्थ्य देखभाल के लिये एक विशेष दृष्टिकोण है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और गंभीर बीमारियों या जानलेवा स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को व्यापक सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
  - यह बीमारी को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि रोगी की शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करती है।
  - यह अन्य चिकित्सा विशिष्टताओं से भिन्न है क्योंकि यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को भी संबोधित करती है।

महत्त्व:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मानव के स्वास्थ्य अधिकार के तहत प्रशामक देखभाल को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है।
  - इसने स्वीकार किया है कि प्रशामक देखभाल NCD की रोकथाम और नियंत्रण हेतु वैश्विक कार्य योजना 2013-2020 के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (NCD) के लिये आवश्यक व्यापक सेवाओं का हिस्सा है।

- रोग के उन्नत चरणों में प्रशामक देखभाल की शीघ्र शुरुआत से स्वास्थ्य देखभाल व्यय को 25% तक कम किया जा सकता है
  - इसके अलावा प्रशामक देखभाल व्यावसायिक पुनर्वास और सामाजिक पुन:एकीकरण पर ज़ोर देती है, जिससे रोगियों एवं परिवारों को जीविकोपार्जन करने व अपनी गरिमा बनाए रखने में सक्षम बनाया जाता है।

नोट:

WHO का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष 56.8 मिलियन लोगों को प्रशामक देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसमें जीवन के अंतिम वर्ष वाले 25.7 मिलियन लोग भी शामिल हैं। अनुमान है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 5.4 मिलियन लोगों को प्रशामक देखभाल की आवश्यकता होती है।

भारत में प्रशामक देखभाल कार्यक्रम:

- भारत में राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम के लिये कोई समर्पित बजट नहीं है, इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 'मिशन फ्लेक्सीपूल' में शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2010 में शुरू किया गया गैर-संचरणीय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NCD) स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर प्रोत्साहन, निवारक और उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने वाली व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ को संबोधित करने पर केंद्रित है।

दिव्यांग जनसंख्या को आपदा से बचाने की तैयारी

चर्चा में क्यों?

13 अक्तूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) द्वारा हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले दशक से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये सरकारी नीतियों की प्रगति में कमी आई है।

UNDRR सर्वेक्षण के निष्कर्ष:

सर्वेक्षण के निष्कर्ष:

- 132 देशों के 6,000 उत्तरदाताओं को शामिल करते हुए वर्ष 2023 सर्वेक्षण से पता चलता है कि 84% दिव्यांग व्यक्तियों को निकासी मार्गों, आश्रय घरों या व्यक्तिगत तैयारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि वर्ष 2013 में यह आँकड़ा 71% था।
- वर्तमान में केवल 11% उत्तरदाता अपने स्थानीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन योजनाओं के बारे में जानते हैं, वर्ष 2013 में 17% से कम व्यक्ति आपदा जोखिम जानकारी के बारे में जानते थे।

दिव्यांग व्यक्तियों की चिंताएँ:

- आपदाओं के दौरान दिव्यांग व्यक्ति को अधिक खतरा होता है, वैश्विक आबादी के लगभग 16% लोग दिव्यांग है और इनकी आपदाओं के दौरान मृत्यु होने की संभावना भी अधिक है।
- समुदाय-स्तरीय आपदा योजना में भाग लेने में बढ़ती रुचि के बावजूद, 86% उत्तरदाताओं को अभी भी बहिष्कृत महसूस होता है, जो समावेशन की आवश्यकता पर बल देते हैं।

सर्वेक्षण के सुझाव:

- यह रिपोर्ट आपदाओं और असमानता के अंतर्संबंध पर ज़ोर देती है तथा सेवाओं तक असमान पहुँच से सर्वाधिक जोखिम वाले समूहों की भेद्यता बढ़ जाती है।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क 2015-2030 दिव्यांगता समावेशन, सुलभ आपदा जोखिम जानकारी और समावेशी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का आह्वान करता है।
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आधे देशों में इन तंत्रों का अभाव है और समय पर चेतावनी से निकासी दर में काफी सुधार हो सकता है।
- इन चुनौतियों का समाधान करने और सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना में दिव्यांग जनों का सार्थक समावेश सुनिश्चित करने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (2015-30) के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क:

परिचय:

- इसे जापान के सेंदाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन, 2015 में अपनाया गया था।
- वर्तमान रूपरेखा प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों के कारण छोटे और बड़े पैमाने पर तीव्र या धीमी गति से घटित होने वाली आपदाओं के साथ-साथ संबंधित पर्यावरणीय एवं तकनीकी जैविक खतरों और जोखिमों पर लागू होती है।
- इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों के भीतर और बाहर विकास में आपदा जोखिम के बहु-जोखिम प्रबंधन का मार्गदर्शन करना है।
- यह ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA), 2005-2015: आपदाओं के प्रति राष्ट्रों और समुदायों की समुत्थानशक्ति के निर्माण' का उत्तरोत्तर उपकरण है।

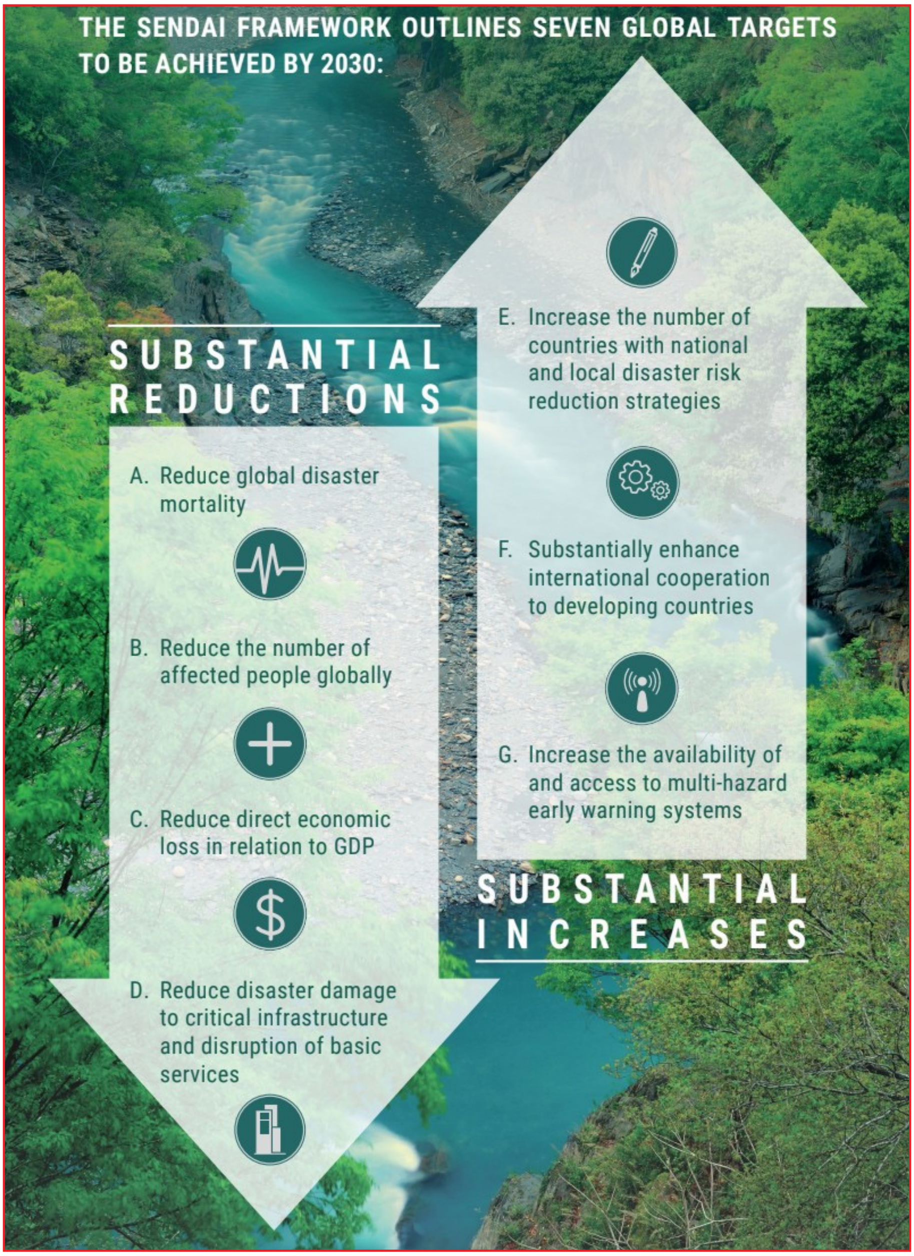

- **चार प्राथमिक क्षेत्रों में की जाने वाली कार्रवाइयाँ:**
  - आपदा जोखिम को समझना:
    - प्रासंगिक डेटा और व्यावहारिक जानकारी के संग्रह, विश्लेषण, प्रबंधन एवं उपयोग को बढ़ावा देना तथा इसका प्रसार सुनिश्चित करना।
    - आपदा से होने वाले नुकसान का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करना, उसे रिकॉर्ड करना, साझा करना व सार्वजनिक रूप से हिसाब देना और इसके आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्यप्रद, शैक्षिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों को समझना।
  - आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु आपदा जोखिम प्रशासन का सुदृढ़ीकरण:
    - स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चिह्नित जोखिमों से निपटने के लिये तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता का आकलन करना।
    - क्षेत्रीय कानूनों और विनियमों के मौजूदा सुरक्षा-बढ़ाने वाले प्रावधानों के उच्च स्तर के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक तंत्र एवं प्रोत्साहन की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

- समुत्थानशक्ति के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश:
  - सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों, नीतियों, योजनाओं, कानूनों तथा विनियमों के विकास और कार्यान्वयन के लिये प्रशासन के सभी स्तरों पर वित्त एवं रसद सहित आवश्यक संसाधनों को उचित रूप से आवंटित करना।
- पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण:
  - बचाव और राहत कार्यों को लागू करने के लिये लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना तथा आवश्यक सामग्रियों के भंडारण के लिये सामुदायिक केंद्र की स्थापना।
  - मौजूदा कार्यबल और स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं को आपदा प्रतिक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करना तथा आपात की स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी व तार्किक क्षमताओं में वृद्धि करना।

दिव्यांगजनो के सशक्तीकरण के लिये पहलें:

वैश्विक स्तर पर:

- दिव्यांगजनो के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय:
  - PwD के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of PwD-UNCRPD) को वर्ष 2006 में अपनाया गया था, यह दिव्यांगजनों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं और अपनी विशेष सीमितताओं के कारण अन्य लोगों की तुलना में समाज में समान भागीदारी करने में सक्षम नहीं हैं।
  - भारत ने वर्ष 2007 में इस अभिसमय की पुष्टि की।
- भारतीय संसद ने UNCRPD के तहत दायित्वों को पूरा करने की दृष्टि से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया।

भारत द्वारा किये गए प्रयास:

- संवैधानिक प्रावधान:
  - राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy- DPSP) के अनुच्छेद 41 में वर्णित है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करने, शिक्षा पाने और बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी व दिव्यांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने के लिये प्रभावी प्रावधान लागू करेगा।
  - संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'दिव्यांगजनों और बेरोज़गारों के लिये राहत' का विषय निर्दिष्ट है।
- दिव्यांगजनों के लिये कानून:
  - दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम, 2016 से प्रतिस्थापित किया गया है।
  - दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इस अधिनियम में मानसिक बीमारी, ऑटिज़्म, स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, बोलने में असमर्थता (जिसमें व्यक्ति के बोलने की क्षमता और भाषा का कौशल दोनों प्रभावित हों), थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, डेफब्लाइंडनेस, एसिड अटैक पीड़ितों और पार्किंसंस रोग सहित कई दिव्यांगताएँ शामिल की गईं हैं। ये कुछ ऐसी दिव्यांगताएँ हैं जिन्हें पहले के अधिनियम में नज़रअंदाज कर दिया गया था।
  - यह दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% कर देता है।
  - 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा।
- सुगम्य भारत अभियान (PwD के लिये सुगम्य वातावरण का निर्माण):
  - सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के लिये यह सार्वभौमिक राष्ट्रव्यापी अभियान दिव्यांग लोगों को समान अवसर, स्वतंत्र रूप से जीने और समाज के सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शामिल होने की क्षमता प्रदान करेगा।
  - अभियान का लक्ष्य दिव्यांगों तक पर्यावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र की पहुँच को बढ़ाना है।

भारत में समलैंगिक विवाह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिकाओं को खारिज़ करते हुए अपना लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय सुनाया है और इस मुद्दे की पूरी तरह से जाँच करने के लिये विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों पर गहनता से विचार किया है, जिनका समलैंगिकता के साथ अभिसरण एवं अंतर्संबंध है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी:

संवैधानिक वैधता के विरुद्ध:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक

विवाह को संवैधानिक वैधता की अनुमति देने के खिलाफ 3:2 से मतदान किया।

- **संसद का डोमेन:**
    - CJI ने अपनी राय में निष्कर्ष दिया कि न्यायालय SMA 1954 के दायरे में समलैंगिक सदस्यों को शामिल करने के लिये विशेष विवाह अधिनियम (SMA) 1954 को न तो अमान्य कर सकता है और न ही इसमें प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस पर कानून बनाना संसद और राज्य विधानमंडल का दायित्व है।
- **अन्य टिप्पणियाँ:**
    - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि वैवाहिक संबंध स्थायी नहीं है।
    - SC का मानना है कि समलैंगिक व्यक्तियों को "संघ" में प्रवेश करने का समान अधिकार और स्वतंत्रता है।
    - पीठ के सभी पाँच न्यायाधीश इस बात पर भी सहमत थे कि संविधान के तहत विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

CJI और न्यायमूर्ति कौल (अल्पसंख्यक राय): समलैंगिक जोड़ों के लिये सिविल यूनियन के विस्तार का समर्थन किया:

- 'सिविल यूनियन' उस कानूनी स्थिति को संदर्भित करता है जो समलैंगिक जोड़ों को विशिष्ट अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ प्रदान करती है, ये सामान्यत: विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाती हैं। हालाँकि एक नागरिक संघ एक विवाह जैसा प्रतीत होता है, लेकिन पर्सनल लॉ में इसे विवाह के समान मान्यता प्राप्त नहीं है।

भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता:

- विवाह करने के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, बल्कि यह एक वैधानिक अधिकार है।
- हालाँकि विवाह को विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। कानून की ऐसी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
- **समलैंगिक विवाह पर सर्वोच्च न्यायलय के पूर्व विचार:**
    - मौलिक अधिकार के रूप में विवाह (शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. और अन्य 2018):
        - मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 16 और पुट्टास्वामी मामले की चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
    - अनुच्छेद 16(2) के अनुसार, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।
        - विवाह का अधिकार उस स्वतंत्रता में अंतर्निहित है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति की खुशी के लिये केंद्रीय मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता के रूप में संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। आस्था और विश्वास संबंधी मामले, जिसमें यह भी शामिल है कि किसी पर विश्वास करना चाहिये अथवा नहीं, संवैधानिक स्वतंत्रता के अधिकार क्षेत्र में हैं।
    - LGBTQ समुदाय सभी संवैधानिक अधिकारों का हकदार है (नवतेज़ सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ 2018):
        - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि LGBTQ समुदाय के सदस्य, "अन्य सभी नागरिकों की तरह, संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता के साथ संवैधानिक अधिकारों की पूरी श्रृंखला के हकदार भी हैं" और समान नागरिकता तथा "कानून के समान संरक्षण" के भी हकदार हैं।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA) 1954:

- **परिचय:**
    - भारत में विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम, 1937 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किये जा सकते हैं।
    - यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्त्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
    - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिये नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी धर्म या आस्था का हो।
    - जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह संपन्न करता है, तो विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होता है।
- **विशेषताएँ:**
    - यह दो अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को विवाह के बंधन में एक साथ आने की अनुमति देता है।
    - यह विवाह के अनुष्ठापन और पंजीकरण दोनों के लिये प्रक्रिया निर्धारित करता है, जहाँ पति या पत्नी या दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं हैं।
    - एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम होने के नाते यह व्यक्तियों को विवाह की पारंपरिक आवश्यकताओं से मुक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रजनन स्वायत्तता और अजन्मे बच्चे के अधिकारों के बीच संतुलन

चर्चा में क्यों ?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत एक विवाहित महिला के लिये 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

मामला:

- उक्त मामला गर्भावस्था के 26वें सप्ताह से गुजर रही एक 27 वर्षीय विवाहित महिला से संबंधित था और वह अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिये कानूनी अनुमति की मांग कर रही थी।
  - महिला ने अपनी पहले से मौजूद बीमारियों और प्रसवोत्तर अवसाद के अनुभवों का हवाला देते हुए दूसरे बच्चे को पालने, जन्म देने अथवा पालन-पोषण करने में अपनी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, वित्तीय एवं चिकित्सीय अक्षमता का दावा किया।
- महिला ने अपने मामले की पैरवी के लिये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम 1971 का सहारा लेने की मांग की थी।

न्यायालय का फैसला:

- सफल गर्भधारण होने और महिला के जीवन पर कोई जोखिम न होने की स्थिति में न्यायालय ने गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान करने के प्रति असहमति जताई है।
  - यह निर्णय MTP अधिनियम, 1971 की धारा 5 की व्याख्या पर आधारित है, जो केवल तभी गर्भपात की अनुमति देता है जब महिला का जीवन और स्वास्थ्य तत्काल रूप से खतरे में हो।
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर बल दिया कि कोई महिला गर्भपात के लिये "पूर्ण, सर्वोपरि अधिकार" का दावा नहीं कर सकती है, विशेषकर जब चिकित्सा रिपोर्ट यह पुष्टि करती है कि गर्भावस्था उसके जीवन के लिये तात्कालिक समस्या उत्पन्न नहीं करती है।
    - CJI ने MTP अधिनियम, 1971 की धारा 5 में 'जीवन' शब्द को संविधान के अनुच्छेद 21 में इसके व्यापक उपयोग से अलग किया और जीवन तथा मृत्यु की स्थितियों में इसके अनुप्रयोग पर बल दिया।
  - अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण और सार्थक जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है।

सरकार का रुख:

- सरकार का तर्क है कि महिला की प्रजनन स्वायत्तता उसके अजन्मे बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है।
- यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 को संदर्भित करता है, जिसने महत्त्वपूर्ण भ्रूण असामान्यताओं के मामलों में गर्भपात की समय सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया है।
  - उनका मानना है कि एक बार जब एक व्यवहार्य शिशु अस्तित्व में आ जाए, तो मिलने वाली राहत एकतरफा नहीं होनी चाहिये और महिला की शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान किये जाने वाले अधिकारों से बाहर नहीं जाना चाहिये।
- तर्क यह है कि महिला के पसंद के मौलिक अधिकार में कटौती की जा सकती है।

निहितार्थ और चुनौतियाँ:

- यह मामला गर्भावस्था के अंतिम चरण में भी महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और गर्भपात से जुड़े नैतिक विचारों के विषय में मौलिक प्रश्न उठाता है।
  - कानूनी विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं के इस बात पर मतभेद हैं कि क्या गर्भावस्था को समाप्त करने के पूर्ण अधिकार का प्रावधान होना चाहिये, विशेषकर जब कोई असामान्यताएँ न हों।
- यह जटिल कानूनी और नैतिक दुविधा भारत में प्रजनन अधिकारों पर अग्रिम चर्चा तथा स्पष्टता की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- यह मामला भारत में महिलाओं के समक्ष कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुँचने में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।

भारत में गर्भपात से संबंधित कानूनी प्रावधान:

- 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात अवैध था। विनियमों की आवश्यकता की जाँच करने के लिये वर्ष 1960 के दशक के मध्य में शांतिलाल शाह समिति का गठन किया गया था। परिणामस्वरूप, वर्ष 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम पारित किया गया, जिससे सुरक्षित गर्भपात को वैध बनाया गया और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की गई।
  - वर्ष 1971 का MTP अधिनियम, लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को कानून के तहत प्रदान की गई विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात करने की अनुमति देता है।
  - MTP अधिनियम में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया था ताकि कुछ श्रेणियों की महिलाओं, जैसे कि बलात्कार पीड़िताओं, नाबालिगों, मानसिक रूप से बीमार महिलाओं आदि को गर्भधारण के 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सके, इसे पूर्व की तुलना में 20 सप्ताह से अधिक बढ़ाया गया था।

- यह राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन करता है जो यह तय करता कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं।
- MTP अधिनियम सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँचने में महिलाओं की गोपनीयता, निजता और गरिमा की सुरक्षा भी प्रदान करता है।
- गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994, यह लिंग-चयनात्मक गर्भपात पर रोक लगाता है तथा भ्रूण में आनुवंशिक या गुणसूत्र असामान्यताओं का पता लगाने हेतु प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के उपयोग को नियंत्रित करता है।
- भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार की व्याख्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं के लिये प्रजनन विकल्प एवं स्वायत्तता के अधिकार को शामिल करने हेतु की गई है।

इंडिया एजिंग रिपोर्ट, 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA), भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International Institute for Population Sciences- IIPS) के सहयोग से भारत में तेज़ी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी पर प्रकाश डालते हुए इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य:

- **जनसांख्यिकीय रुझान:**
  - 41% की दशकीय वृद्धि दर के साथ भारत की बुजुर्ग आबादी तेज़ी से बढ़ रही है।
  - वर्ष 2050 तक भारत की 20% से अधिक आबादी बुजुर्ग होगी।
  - वर्ष 2046 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी बच्चों (0 से 15 वर्ष) की आबादी से अधिक हो जाएगी।
  - वर्ष 2022 और वर्ष 2050 के बीच 80+ वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या लगभग 279% बढ़ने की उम्मीद है।
- **महिलाओं की उच्च जीवन प्रत्याशा:**
  - राज्यों और क्षेत्रों में भिन्नता के साथ, महिलाओं की आयु पुरुषों की तुलना में 60 और 80 वर्ष से अधिक है।
    - उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश और केरल में 60 वर्ष की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्रमशः 23 और 22 वर्ष है, जो इन राज्यों में 60 वर्ष के पुरुषों की तुलना में चार वर्ष अधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत अंतर केवल 1.5 वर्ष का है।
- **गरीबी और खुशहाली:**
  - भारत में 40% से अधिक बुजुर्ग सबसे कम संपत्ति वर्ग में शामिल हैं।
    - बुजुर्गों में गरीबी एक चिंता का विषय है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग को प्रभावित कर रही है।
  - बुजुर्ग व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी आय के जीवन यापन कर रहा है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित हो रहा है।
- **क्षेत्रीय विविधताएँ:**
  - बुजुर्ग आबादी और उनकी वृद्धि दर में महत्त्वपूर्ण अंतर-राज्यीय भिन्नताएँ हैं।
  - दक्षिणी क्षेत्र के अधिकांश राज्यों और हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब जैसे चुनिंदा उत्तरी राज्यों में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी अधिक है, यह अंतर 2036 तक बढ़ने की उम्मीद है।
- **बुजुर्ग जनसंख्या का पूर्व अनुपात:**
  - वर्ष 1991 के बाद से बुजुर्गों के बीच लिंगानुपात लगातार बढ़ रहा है, जबकि सामान्य जनसंख्या में यह अनुपात स्थिर है।
    - वर्ष 2011 और वर्ष 2021 के बीच पूरे भारत में और सभी क्षेत्रों में, केंद्रशासित प्रदेशों एवं पश्चिमी भारत में इस अनुपात में वृद्धि हुई।
  - पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में यद्यपि बुजुर्गों के लिंग अनुपात में वृद्धि हुई, यह दोनों वर्षों में 1,000 के पैमाने से नीचे रहा, जो यह दर्शाता है कि 60 से अधिक वर्षों में भी इन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है।
    - हालाँकि मध्य भारत, जहाँ लिंगानुपात वर्ष 2011 के 973 से बढ़कर वर्ष 2021 में 1,053 हो गया है, जिसका अर्थ है कि महिलाओं ने इस दशक में 60 वर्षों के बाद जीवित रहने में पुरुषों की बराबरी कर ली और उनसे बेहतर प्रदर्शन किया।
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में कम जागरूकता:**
  - भारत में बुजुर्गों में उनके लिये बनाई गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में कम जागरूकता है।
  - आधे से अधिक बुजुर्ग (55%) वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के बारे में; 44% बुजुर्ग विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के बारे में और 12% बुजुर्ग अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानते हैं।
- **चिंता और चुनौतियाँ:**
  - गरीबी स्वाभाविक रूप से बुढ़ापे में लिंग आधारित होती है जब वृद्ध महिलाओं के विधवा होने, अकेले रहने, कोई आय नहीं होने

और अपनी संपत्ति कम होने तथा समर्थन के लिये पूरी तरह से परिवार पर निर्भर होने की संभावना अधिक होती है।

- भारत की बढ़ती आबादी के सामने प्रमुख चुनौतियाँ में वृद्ध महिलाओं की बढ़ती संख्या और ग्रामीणीकरण शामिल है।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और भारत में जनगणना जैसे डेटा संग्रह अभ्यासों में प्रासंगिक प्रश्नों को शामिल करते हुए बुजुर्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विश्वसनीय डेटा की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। इससे सूचित नीति निर्धारण में काफी मदद मिलेगी।
- वृद्ध व्यक्तियों के लिये मौजूदा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी वृद्धाश्रमों को विनियामक दायरे के अंतर्गत लाया जाना चाहिये। वरिष्ठ स्व-सहायता समूहों के गठन एवं संचालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- बहु-पीढ़ी वाले घरों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के महत्त्व पर बल देते हुए ऐसी नीतियाँ बनाई जानी चाहिये जो इस प्रकार की जीवन व्यवस्था (बहु-पीढ़ी वाले परिवार) को प्रोत्साहित करे और उनके लिये पर्याप्त सुविधाएँ भी उपलब्ध करा सके।
- क्रेच या डे-केयर सुविधाओं जैसे अल्पकालिक देखभाल केंद्रों के निर्माण के सात साथ इस बात को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन का यह समय अपने घर-परिवार के साथ के साथ व्यतीत कर सकें। रिपोर्ट दर्शाती है कि बुजुर्ग व्यक्तियों की अपने-अपने परिवारों के साथ रहने पर बेहतर देखभाल की जा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA):

- **परिचय:**
  - यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है तथा यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है।
  - संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UN Economic and Social Council-ECOSOC) इसके अधिदेश निर्धारित करती है।
- **स्थापना:**
  - इसकी स्थापना वर्ष 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में की गई थी और वर्ष 1969 से इसका संचालन शुरू हुआ।
  - वर्ष 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया लेकिन जनसंख्या गतिविधियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कोष के मूल संक्षिप्त नाम, 'UNFPA' को बरकरार रखा गया था।
- **उद्देश्य:**
  - UNFPA प्रत्यक्ष रूप से सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत स्वास्थ्य (SDG3), शिक्षा (SDG4) और लैंगिक समानता (SDG5) संबंधी मुद्दों का निपटान करता है।
- **वित्तीयन:**
  - UNFPA संयुक्त राष्ट्र बजट द्वारा समर्थित नहीं है, यह पूरी तरह से दानकर्ता देशों, अंतर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, फाउंडेशन तथा व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है।

ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति- 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें छात्रों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है।

- यह रिपोर्ट NGO ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (NGO Transform Rural India) और संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस (Sambodhi Research and Communications) के सहयोग से डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (Development Intelligence Unit-DIU) द्वारा किये गए सर्वेक्षण पर आधारित थी।
- इस सर्वेक्षण में 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6-16 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के 6,229 माता-पिता से प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गईं।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:

- **स्मार्टफोन का उपयोग और मनोरंजन:**
  - 49.3% छात्रों की स्मार्टफोन तक पहुँच है। 76.7% माता-पिता ने बताया कि उनके बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग मुख्य रूप से वीडियो गेम खेलने के लिये करते हैं, जो शैक्षिक गतिविधियों पर मनोरंजन को प्राथमिकता देने का संकेत देता है।
  - इसके अतिरिक्त 56.6% छात्र फिल्में डाउनलोड करने और देखने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जबकि 47.3% छात्र गाने डाउनलोड करने और सुनने हेतु स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं।
  - इसके विपरीत केवल 34% छात्र अध्ययन-संबंधी सामग्री डाउनलोड करने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और केवल 18% छात्र ट्यूटोरियल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिये इसका उपयोग करते हैं।
- **कक्षा के आधार पर विभेदक पहुँच:**
  - कक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों की स्मार्टफोन तक पहुँच अलग-अलग होती है। उच्च कक्षाओं

- (आठवीं और उससे ऊपर) के छात्रों की स्मार्टफोन तक अधिक पहुँच (58.32%) है, जबकि 42.1% छोटे छात्रों (कक्षा I-III) तक पहुँच है।
- यह इंगित करता है कि मनोरंजन के लिये स्मार्टफोन का उपयोग सभी आयु समूहों में प्रचलित है, जो संभावित रूप से उनकी शिक्षा को प्रभावित कर रहा है।

Aspiring for higher education

The table shows parental expectations of a child's educational attainment. About 78% of parents aspire for their girls to attain graduation or higher degrees

Dropping out: Parents of a section of girls said their daughters dropped out of school to help out in the family's earnings R. RAGU

Expected level of education of child	Boy (%)	Girl (%)	Total (%)
Up to elementary	4.4	3.9	4
Up to secondary	2.4	2.8	3
Higher secondary	11.1	15.2	13
Graduation	49.6	50.3	50
Postgraduation/Ph.D.	32.5	27.8	30

- About 80% of parents aspire for their children to become graduates or attain higher degrees
- The survey included responses of 6,229 parents across 21 States of India.

Source: State of Elementary Education in Rural India report

माता-पिता की आकांक्षाएँ और व्यस्तता:

- 78% माता-पिता अपने बच्चों को स्नातक स्तर या उससे ऊपर की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, किंतु इस संदर्भ में अभिभावकों की अपने बच्चों के साथ सहभागिता काफी कम है।
- केवल 40% माता-पिता अपने बच्चों के साथ उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में दैनिक बातचीत करते हैं, जबकि 32% सप्ताह में कुछ दिन ऐसी बातचीत में संलग्न रहते हैं।

स्कूल ड्रॉपआउट का कारण:

- लड़कियों के मामले में 36.8% माता-पिता ने उल्लेख किया कि पारिवारिक कार्यों में योगदान देने के कारण उनकी बेटियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।
  - इस बीच 31.6% ने अपने बच्चे की पढ़ाई में रुचि की कमी को स्कूल छोड़ने के लिये ज़िम्मेदार ठहराया और 21.1% का मानना था कि इसमें घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी अहम भूमिका निभाती हैं।
- 71.8% उत्तरदाताओं के अनुसार, पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण विषय-वस्तु में रुचि की कमी थी। इसके बाद 48.7% उत्तरदाताओं को परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिये लड़कों की आवश्यकता महसूस हुई।

अभिभावक-शिक्षक बैठकें और सीखने का माहौल:

- 84% अभिभावकों ने नियमित उपस्थिति दर्ज की। गैर-उपस्थिति के दो मुख्य कारण हैं- अल्प सूचना और इच्छा की कमी।
- इसके अतिरिक्त 40% अभिभावकों द्वारा पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य आयु-उपयुक्त पठन सामग्री की उपलब्धता की सूचना दी गई, जो घर पर बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिये अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

सिफारिशें:

- ये निष्कर्ष घर पर शैक्षिक माहौल बनाने तथा मनोरंजन और सीखने दोनों उद्देश्यों के लिये स्मार्टफोन के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु लक्षित प्रयासों की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।

भारत में अंगदान

चर्चा में क्यों ?

- भारत में वर्तमान में अंग दाताओं विशेष रूप से मृत दाताओं की भारी कमी के कारण गंभीर स्थिति है, जहाँ हज़ारों रोगी प्रत्यारोपण के इंतज़ार में हैं, वहीं इनमें से काफी लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हो जाती है।
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है, जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मृत दाताओं से प्रत्यारोपण के लिये अंग प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है।
  - भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 मानव अंगों को हटाने एवं उनके भंडारण के लिये विभिन्न नियम प्रदान करता है। यह चिकित्सीय प्रयोजनों के साथ ही मानव अंगों के व्यावसायिक लेन-देन की रोकथाम के लिये मानव अंगों के प्रत्यारोपण को भी नियंत्रित करता है।

भारत में अंगदान की स्थिति:

- **बढ़ती मांग के साथ निरंतर कमी:**
  - भारत में 300,000 से अधिक रोगी अंगदान की प्रतीक्षा सूची में हैं।
  - अंग दाताओं की संख्या अंगदान की बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं है।
  - इस कमी के कारण अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में प्रतिदिन लगभग 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है।
- **अंग दाताओं की संख्या में धीमी वृद्धि:**
  - पिछले कुछ वर्षों में जीवित तथा मृत दोनों दाताओं की संख्या में धीमी वृद्धि देखी गई है।
  - दाताओं की संख्या वर्ष 2014 के 6,916 से बढ़कर वर्ष 2022 में लगभग 16,041 हो गई, जो मामूली वृद्धि का संकेत प्रदर्शित करती है।
  - भारत में मृतक अंगदान की दर एक दशक से लगातार प्रति दस लाख आबादी पर एक दाता से नीचे बनी हुई है।

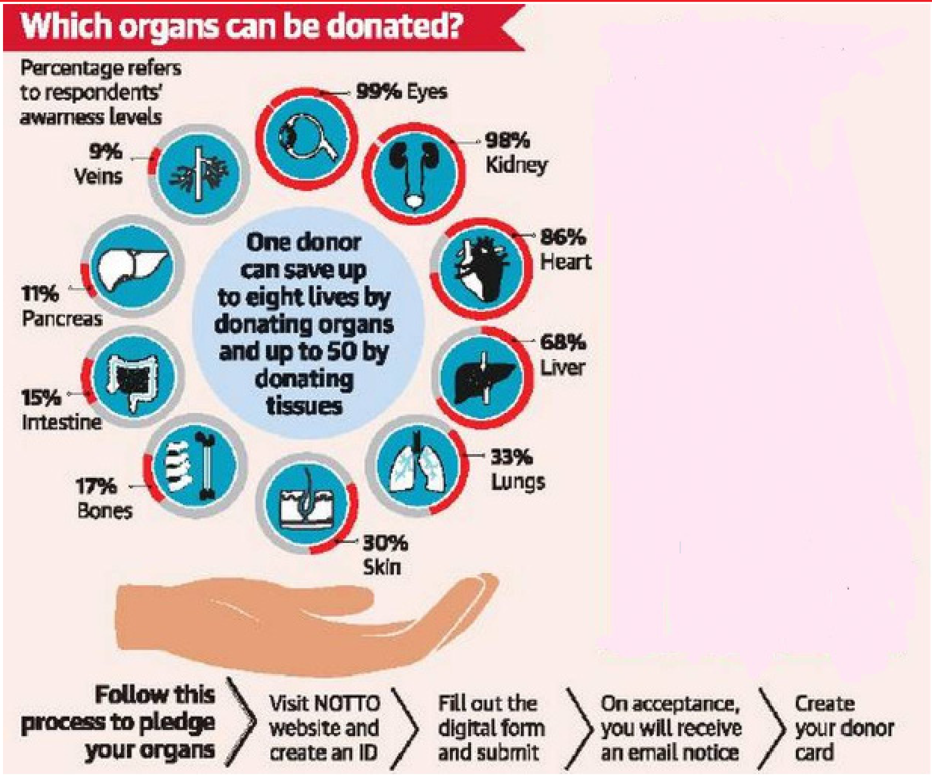

- **मृतक अंगदान दर:**
  - इस कमी को दूर करने के लिये मृतक अंगदान दर को बढ़ाने हेतु तत्काल प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
  - स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने प्रति दस लाख आबादी पर 30 से 50 अंगदान दाताओं तक की उच्च अंगदान दर हासिल की है।

- **जीवित दाताओं की व्यापकता:**
  - भारत में सभी अंगदान दाताओं में से 85% जीवित अंगदान दाताओं का बहुमत है।
    - हालाँकि मृतकों के अंग दान, विशेषकर किडनी, लीवर और हृदय के लिये अंगदान दाता काफी कम हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:**
  - भारत के विभिन्न राज्यों में अंगदान दरों में असमानताएँ मौजूद हैं।
    - तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में मृत अंग दाताओं की संख्या सबसे अधिक है।
    - दिल्ली-NCR, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी संख्या में जीवित अंगदान दाता हैं।
- **किडनी प्रत्यारोपण:**
  - भारत में किडनी प्रत्यारोपण के मामले में मांग और आपूर्ति के बीच अत्यधिक असमानता है।
  - किडनी प्रत्यारोपण की वार्षिक 200,000 की मांग की तुलना में प्रतिवर्ष केवल 10,000 किडनी प्रत्यारोपण किया जाता है जो कि एक बड़ा अंतर है।

नए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ:

- **आयु सीमा समाप्त करना:**
  - जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण अंग प्राप्तकर्त्ताओं के लिये आयु सीमा समाप्त कर दी गई।
  - राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organization- NOTTO) के दिशा-निर्देशों ने पहले 65 वर्ष से अधिक आयु वाले रोगियों को अंग प्रत्यारोपण के लिये पंजीकरण करने से रोक दिया था।
- **अधिवास की आवश्यकता न होना:**
  - अंग प्राप्तकर्त्ता पंजीकरण के लिये अधिवास की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।
  - 'एक राष्ट्र, एक नीति (One Nation, One Policy)' दृष्टिकोण रोगियों को किसी भी राज्य में अंग प्रत्यारोपण के लिये पंजीकरण करने की अनुमति देता है।
- **कोई पंजीकरण शुल्क न होना:**
  - अंग प्राप्तकर्त्ता के पंजीकरण के लिये पंजीकरण शुल्क समाप्त कर दिया।
  - गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल राज्य अब रोगी पंजीकरण के लिये शुल्क नहीं लेते हैं।

नोट:

- NOTTO की स्थापना नई दिल्ली में स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services) के तहत की गई है।
- NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग भारत में अंगों और ऊतकों के दान तथा प्रत्यारोपण हेतु खरीद, वितरण एवं रजिस्ट्री आदि गतिविधियों के लिये शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है।

POCSO अधिनियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिये सरकार द्वारा बनाए गए महत्त्वपूर्ण कानूनों में से एक है।

POCSO अधिनियम:

- **परिचय:**
  - POCSO अधिनियम 14 नवंबर, 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
  - इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है।
  - यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है।
    - बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया।
    - भारत सरकार ने POCSO नियम, 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है।
- **विशेषताएँ:**
  - लिंग-निष्पक्ष प्रकृति:
    - अधिनियम के अनुसार, लड़के और लड़कियाँ दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और पीड़ित के लिंग की परवाह किये बिना ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है।

- यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार है तथा लिंग के आधार पर कानूनों को भेदभाव नहीं करना चाहिये।
- मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी:
  - न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थान भी अब नाबालिगों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिये पर्याप्त रूप से जागरूक हैं क्योंकि रिपोर्ट न करना POCSO अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध बना दिया गया है। इससे बच्चों से संबंधित यौन अपराधों को छिपाना तुलनात्मक रूप से कठिन है।
- शर्तों की स्पष्ट परिभाषा:
  - बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री के संग्रहण को एक नया अपराध बना दिया गया है।
  - इसके अलावा 'यौन उत्पीड़न' के अपराध को भारतीय दंड संहिता में 'महिला की लज्जा भंग करने' की अमूर्त परिभाषा के विपरीत स्पष्ट शब्दों में (बढ़ी हुई न्यूनतम सज़ा के साथ) परिभाषित किया गया है।

POCSO नियम 2020:

- अंतरिम मुआवज़ा और विशेष राहत:
  - POCSO नियमों का नियम-9 विशेष अदालत को FIR दर्ज होने के बाद बच्चे के लिये राहत या पुनर्वास से संबंधित ज़रूरतों हेतु अंतरिम मुआवज़े का आदेश देने की अनुमति देता है। यह मुआवज़ा अंतिम मुआवज़े (यदि कोई हो) के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।
- विशेष राहत का तत्काल भुगतान:
  - POCSO नियमों के अंतर्गत बाल कल्याण समिति (CWC) ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या फंड का उपयोग करके भोजन, कपड़े और परिवहन जैसी आवश्यक ज़रूरतों के लिये तत्काल भुगतान की सिफारिश कर सकती है। इसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बनाए रखा गया।
  - भुगतान CWC की अनुशंसा प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिये।
- बच्चे के लिये सहायक व्यक्ति:
  - POCSO नियम CWC को जाँच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिये एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है।
  - सहायता करने वाला व्यक्ति बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक कल्याण, चिकित्सा देखभाल, परामर्श तथा शिक्षा तक पहुँच शामिल है। वह बच्चे एवं उसके माता-पिता या अभिभावकों को मामले से संबंधित अदालती कार्यवाही और विकास के बारे में भी सूचित करेगा।
- **नोट:** देश में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को आगे बढ़ाते हुए न्याय विभाग ने अक्तूबर 2019 में देश भर में कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) (389 विशिष्ट POCSO अदालतों सहित) की स्थापना के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की है।
- 31 मई, 2023 तक देश भर के 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 412 विशिष्ट POCSO (e-POCSO) न्यायालयों सहित कुल 758 FTSCs कार्यरत हैं।

प्रमुख संबंधित पहलें

- बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और अन्वेषण इकाई
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल विवाह निषेध अधिनियम (वर्ष 2006)
- बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 2016
- विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के तहत POCSO अदालतें

विश्व स्तनपान सप्ताह 2023

विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग रेट (छह माह तक के बच्चों को सिर्फ स्तनपान) में वृद्धि करने में कई देशों द्वारा की गई प्रगति की सराहना की है। साथ ही इसे समर्थन (विशेष रूप से कार्यस्थल पर स्तनपान) प्रदान करने से इसमें और प्रगति की संभावना पर भी प्रकाश डाला।

विश्व स्तनपान सप्ताह 2023:

- वर्ष 1990 की इनोसेंटी घोषणा (Innocenti Declaration) के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है।
  - स्तनपान को प्रोत्साहित और समर्थन प्रदान करने के लिये वर्ष 1990 में सरकारी नीति निर्माताओं, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसियों और अन्य संगठनों द्वारा इनोसेंटी घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- वर्ष 1991 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्टफीडिंग एक्शन (WABA) का गठन एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में किया गया था, जिसके पश्चात् वर्ष 1992 से विश्व भर में प्रतिवर्ष स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है।

- वर्ष 2016 से विश्व स्तनपान सप्ताह (World Breastfeeding Week- WBW) को सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ जोड़ा गया है।
  - 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से कई लक्ष्यों को हासिल करने में स्तनपान सहायक हो सकता है, जिसमें निर्धनता, भुखमरी को समाप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और सतत् उपभोग जैसे लक्ष्य शामिल हैं।
- **थीम 2023:** "लेट्स मेक ब्रेस्टीफीडिंग एंड वर्क, वर्क"।
  - यूनिसेफ तथा WHO ने महिलाओं और परिवारों के समक्ष स्तनपान लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता के लिये सरकारों, दानदाताओं, नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्र से अपने प्रयासों में वृद्धि करने का आग्रह किया है ताकि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक 70% स्तनपान के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

स्तनपान से संबंधित भारत सरकार की पहल:

- **माँ (Mothers Absolute Affection- MAA):**
  - यह देश में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना है।
- **वात्सल्य- मातृ अमृत कोष (Vatsalya- Maatri Amrit Kosh):**
  - इसके तहत नॉर्वे सरकार की मदद से नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक तथा स्तनपान परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है।

UWW द्वारा भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता का निलंबन

चर्चा में क्यों?

कुश्ती की राष्ट्रीय नियामक संस्था, भारतीय कुश्ती संघ (WFI) को विश्व कुश्ती संघ (यूनाइडेट वर्ल्ड रेसलिंग) ने समय पर चुनाव नहीं कराने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

- इसका भारतीय पहलवानों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, वह सर्बिया में आगामी विश्व चैंपियनशिप में राष्ट्रीय ध्वज के नीचे प्रतिस्पर्द्धा में भाग नहीं ले पाएंगे।

UWW द्वारा WFI को निलंबित करने का कारण:

- UWW ने WFI को उसके संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर निलंबित कर दिया है, जिसके अनुसार सभी सदस्य महासंघों को हर चार साल में अपने चुनाव कराना अनिवार्य है।
  - WFI को फरवरी 2023 में अपने चुनाव कराने थे लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें देरी हुई, जिसमें कुछ प्रमुख पहलवानों द्वारा पूर्व WFI अध्यक्ष और अन्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक चूक के आरोप शामिल थे।
- इसके अलावा UWW यह भी चाहता था की एथलीटों को सुरक्षा प्रदान की जाए तथा महासंघ पुन: उचित तरीके से कार्य प्रारंभ करे।

भारत में समान संघर्ष का सामना कर रही अन्य खेल संस्थाएँ:

- फुटबॉल की वैश्विक शासी संस्था FIFA (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन) ने वर्ष 2002 में चुनावों में देरी के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation of India) को निलंबित कर दिया था जिसे बाद में हटा लिया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने भी इसी तरह के कारणों से भारतीय खेल निकायों पर संभावित प्रतिबंध की चेतावनी दी है।
- जून 2020 में भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 का अनुपालन न करने के कारण 54 राष्ट्रीय महासंघों की मान्यता रद्द कर दी थी।

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI):

- WFI भारत में कुश्ती की शासी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- इसे भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- यह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है जिनमें प्रो रेसलिंग लीग, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप शामिल हैं।
- WFI ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पहलवानों का समर्थन और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

संयुक्त विश्व कुश्ती (UWW):

- UWW शौकिया (Amateur) कुश्ती के खेल के लिये अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती की निगरानी करता है।
- UWW का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के कॉर्सियर-सुर-वेवे में है।
- UWW की स्थापना वर्ष 1912 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग स्टाइल्स (FILA) के नाम से की गई थी। वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया।
- UWW का लक्ष्य विश्व स्तर पर एक प्रेरक, नवोन्वेषी और अग्रणी ओलंपिक फेडरेशन के रूप में पहचान बनाना है। इसका मिशन विश्व भर में कुश्ती के विकास का नेतृत्व करना है।

भारत में कुश्ती खेल का इतिहास:

- भारत में कुश्ती की शुरुआत 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से होती है।
- प्राचीन भारत में कुश्ती का अभ्यास किया जाता था जिसे मल्लयुद्ध के नाम से जाना जाता था।
- महाभारत के भीम, जरासंध, कीचक और बलराम प्रसिद्ध पहलवान थे।
- रामायण में कुश्ती का भी उल्लेख है, जिसमें हनुमान एक उल्लेखनीय पहलवान हैं।
- कुश्ती को भारत में "दंगल" कहा जाता है और यह कुश्ती टूर्नामेंट का एक मूल रूप है। पंजाब तथा हरियाणा क्षेत्रों में इसे "कुश्ती" कहा जाता है।
- मूल रूप से रॉयल्स के लिये एक फिटनेस गतिविधि और मनोरंजन, कुश्ती पेशेवर खेल के रूप में विकसित हुई है।

निलंबन का प्रभाव:

- **पहलवानों की भागीदारी:**
  - यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के अनुसार, रेसलर और उनके सहयोगी कर्मी अभी भी UWW-स्वीकृत कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के बजाय UWW ध्वज के तहत।
- **UWW घटनाएँ:**
  - भारतीय रेसलर बेलग्रेड, सर्बिया में आगामी विश्व चैंपियनशिप सहित UWW प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय ध्वज के तहत प्रतिस्पर्द्धा करने में असमर्थ होंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई पहलवान स्वर्ण पदक हासिल करता है तो कोई भी भारतीय राष्ट्रगान नहीं बजाया जाएगा।
  - WFI को UWW से कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।
- **भारतीय कुश्ती:**
  - निलंबन से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती समुदाय में भारत की छवि और प्रतिष्ठा खराब हुई है। यह भारतीय पहलवानों को भी हतोत्साहित तथा निराश करता है, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप एवं अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिये कड़ी मेहनत की है।
  - भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन से पहलवानों की वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिये योग्यता की संभावना बाधित हो गई है, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप एक क्वालीफाइंग प्रतियोगिता है।
  - यह निलंबन भारतीय कुश्ती के लिये एक बड़ा झटका है, जो हाल के वर्षों में भारत के सबसे सफल खेलों में से एक रहा है। भारत ने वर्ष 2008 से कुश्ती में चार ओलंपिक पदक, 19 विश्व चैंपियनशिप पदक और 69 एशियाई चैंपियनशिप पदक जीते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति

चर्चा में क्यों?

विवाहेतर गर्भावस्था, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के मामले को हानिकारक और तनाव का कारण मानते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात की एक बलात्कार पीड़िता को 27 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, साथ ही अस्पताल को बिना किसी विलंब के प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (Medical Termination of Pregnancy- MTP) संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की अधिकतम सीमा 24 सप्ताह है।

भारत में गर्भपात से संबंधित कानूनी प्रावधान:

- 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात प्रतिबंधित था और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत कारावास की सज़ा या ज़ुर्माना लगाया जाता था।
  - 1960 के दशक के मध्य में गर्भपात नियमों की जाँच के लिये शांतिलाल शाह समिति की स्थापना की गई थी।
  - इसके निष्कर्षों के आधार पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट, 1971 अधिनियमित किया गया, जिससे सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की अनुमति मिली, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की गई, इससे मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई।
- MTP अधिनियम, 1971 महिला की सहमति से और पंजीकृत चिकित्सक (RMP) की सलाह पर गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। हालाँकि वर्ष 2002 और 2021 में कानून को अद्यतन किया गया।
  - वर्ष 2021 का संशोधन बलात्कार जैसे विशिष्ट मामलों में दो चिकित्सकों की मंज़ूरी के साथ गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है।
    - यह राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन करता है जो यह तय करता है कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं।
  - यह गर्भनिरोधक प्रावधानों की विफलता को अविवाहित महिलाओं (शुरुआत में केवल विवाहित महिलाओं) तक बढ़ाता है, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें चयन के आधार पर गर्भपात सेवाएँ लेने की अनुमति देता है।

- उम्र और मानसिक स्थिति के आधार पर सहमति की आवश्यकताएँ भिन्न हो सकती हैं, जिसे चिकित्सक की निगरानी में सुनिश्चित किया जाता है।

- सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता की पुष्टि करते हैं। न्यायालयों ने बलात्कार के मामलों में गर्भपात के अधिकार को मान्यता दी और प्रजनन विकल्प को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक घटक के रूप में स्वीकार किया।

The MTP Act 1971 and
The MTP Act Amendments 2021

	MTP Act 1971	The MTP Amendment Act 2021
Indications (Contraceptive failure)	Only applies to married women	Unmarried women are also covered
Gestational Age Limit	20 weeks for all indications	24 weeks for rape survivors Beyond 24 weeks for substantial fetal abnormalities
Medical practitioner opinions required before termination	One RMP till 12 weeks Two RMPs till 20 weeks	One RMP till 20 weeks Two RMPs 20-24 weeks Medical Board approval after 24 weeks
Breach of the woman's confidentiality	Fine up to Rs 1000	Fine and/or Imprisonment of 1 year

नोट:

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ और अन्य (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में प्रजनन विकल्प चुनने के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को मान्यता दी, जो कि प्रजनन अधिकारों के संबंध में एक ठोस कानून का प्रावधान करता है, इसका आशय यह है कि डॉक्टरों को गर्भपात करने के अधिकार और महिलाओं को गर्भपात कराने के मौलिक अधिकार एक समान नहीं हैं, इसकी कुछ शर्तें भी हैं।

तपेदिक की रोकथाम में पोषण की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा किये गए और द लांसेट और द लांसेट ग्लोबल हेल्थ जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित दो अध्ययनों में पोषण तथा तपेदिक की रोकथाम के बीच एक महत्त्वपूर्ण संबंध का खुलासा किया गया है।

- पोषण संबंधी स्थिति में सुधार द्वारा तपेदिक की सक्रियता को कम करना (Reducing Activation of Tuberculosis by Improvement of Nutritional Status-RATIONS), परीक्षण पोषण संबंधी सहायता तथा तपेदिक की घटनाओं में कमी के बीच संबंध को दर्शाता है।
- तपेदिक मृत्यु दर पर वज़न बढ़ने के प्रभाव संबंधी अध्ययन से यह समझने में मदद करता है कि कुपोषित तपेदिक रोगियों में बढ़ा हुआ वज़न मृत्यु दर में कमी के साथ किस प्रकार संबंधित है।

नोट:

- WHO के अनुसार, वैश्विक तपेदिक मामलों में भारत का योगदान 27% है और यह तपेदिक से संबंधित कुल मौतों का 35% है।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक तपेदिक को पूरी तरह से खत्म करना है।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु:

- इस अध्ययन के अनुसार कुल 5,621 लोगों को एक वर्ष के लिये पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन दिया गया, जबकि 4,724 लोगों को बिना किसी अतिरिक्त पोषण वाले खाद्य पदार्थ दिये गए।

- परीक्षण में पाया गया कि जिस समूह को पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन दिया गया, उनमें टीबी की घटनाओं में 39% की कमी आई।
- वज़न बढ़ने से झारखंड में गंभीर रूप से कुपोषित टीबी रोगियों में तपेदिक मृत्यु दर के जोखिम में कमी आई है।
  - 1% वज़न बढ़ने पर मृत्यु का तात्कालिक जोखिम 13% कम हो गया तथा 5% वज़न बढ़ने पर 61% कम हो गया।
- इस अध्ययन में झारखंड में गंभीर रूप से कुपोषित 2,800 टीबी रोगियों को शामिल किया गया, जिनमें से 5 में से 4 रोगियों में अल्पपोषण की व्यापकता थी।
  - टीबी की दवाओं का असर वाले व्यक्तियों को छह महीने के लिये पोषण संबंधी सहायता प्रदान की गई, जबकि बहुऔषध-प्रतिरोधक तपेदिक (Multidrug-resistant TB or MDR-TB) से ग्रसित लोगों के लिये यह अवधि 12 महीने थी।
- पहले दो महीनों में जल्दी वज़न बढ़ने से टीबी से होने वाली मृत्यु का जोखिम 60% कम हो जाता है।
  - मरीज़ों में फॉलो-अप के दौरान उच्च उपचार सफलता, वज़न बढ़ना तथा वज़न घटने की कम दर देखी गई।

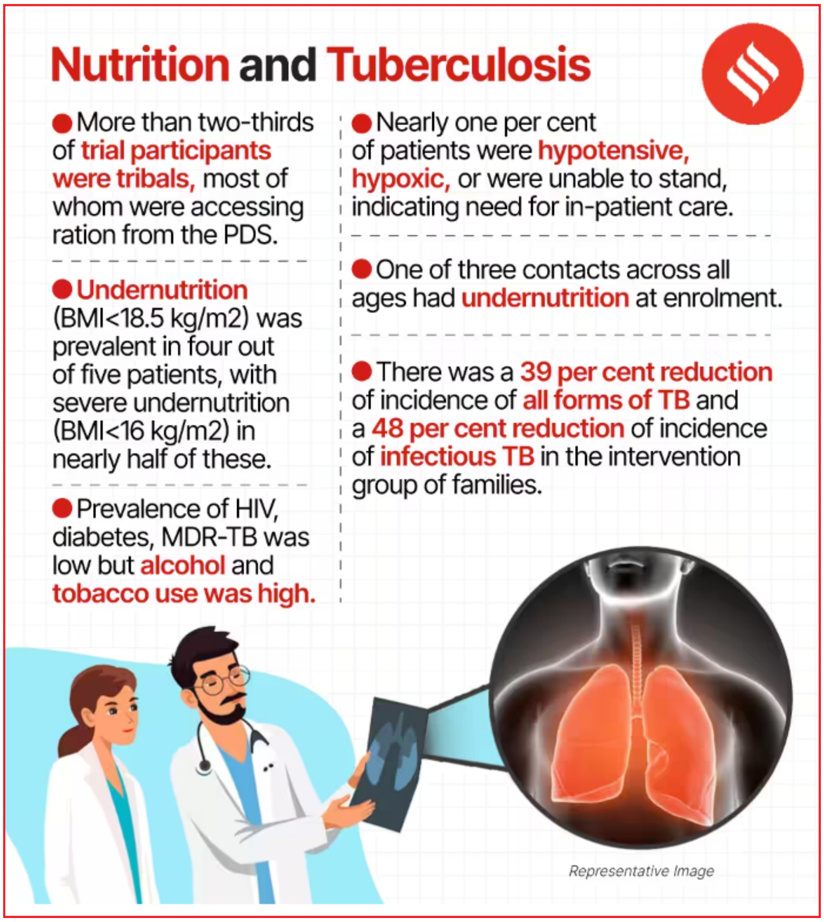

तपेदिक (Tuberculosis):

- **परिचय:**
  - तपेदिक एक संक्रमण है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सबसे आम हैं- फेफड़े, फुस्फुस (फेफड़ों के चारों ओर की परत), लिम्फ नोड्स, आँत, रीढ़ और मस्तिष्क।
- **रोग का संचार:**
  - यह संक्रमण हवा से फैलता है जो संक्रमित के निकट संपर्क से फैलता है, खासकर खराब वेंटिलेशन वाले घनी आबादी वाले स्थानों में।
- **लक्षण:**
  - सक्रिय फेफड़े के टीबी के सामान्य लक्षण हैं बलगम वाली खाँसी और कभी-कभी खून आना, सीने में दर्द, कमज़ोरी, वज़न

कम होना, बुखार और रात में पसीना आना।

- **उपचार:**
  - टीबी एक उपचार योग्य बीमारी है।
  - टीबी रोधी दवाओं का उपयोग दशकों से किया जा रहा है तथा सर्वेक्षण किये गए प्रत्येक देश में एक या अधिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी उपभेदों का दस्तावेज़ीकरण किया गया है।
    - 'बहुऔषध-प्रतिरोधक तपेदिक' (Multidrug-resistant TB or MDR-TB): जब किसी मरीज़ पर तपेदिक के इलाज के लिये उपयोग की जाने वाली दो सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं तो तपेदिक के ऐसे मामलों को MDR-TB के रूप में जाना जाता है।
  - MDR-टीबी का उपचार बेडाक्विलिन जैसी दूसरी पंक्ति की दवाओं के उपयोग से संभव है।
    - 'व्यापक रूप से ड्रग प्रतिरोधी तपेदिक' (Extensively Drug-Resistant TB or XDR-TB) MDR-टीबी का एक अधिक गंभीर रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है यह सबसे प्रभावी दूसरी पंक्ति की एंटी-टीबी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, जिससे अक्सर रोगियों को बिना किसी अन्य उपचार के विकल्प के छोड़ दिया जाता है।

टीबी से निपटने के लिये भारत की पहल:

- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान।
- क्षय रोग उन्मूलन (2017-2025) के लिये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (NSP)
- टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान।
- निक्षय पोषण योजना।

ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस

मच्छर जनित बीमारियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों में एक बड़ा खतरा बनी हुई हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस (EEE) वायरस की उपस्थिति से इस खतरे में और वृद्धि हो गई है।

- हाल ही में अलबामा और न्यूयॉर्क में इस दुर्लभ वायरस से होने वाली बीमारी के मामले देखे गए हैं, जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस:

- **परिचय**
  - ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस (EEE) एक वायरल बीमारी है, जिसके कारण मस्तिष्क में सूजन की समस्या होती है। यह संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों और जानवरों में फैलती है।
    - EEE की पहचान पहली बार वर्ष 1831 में मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में घोड़ों में की गई थी।
- **कारण:** EEE ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस वायरस (EEEV) के कारण होता है, जो जीनस अल्फावायरस (Genus Alphavirus) और टोगाविरिडे (Togaviridae) परिवार से संबंधित है।
  - EEE वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड, पॉजिटिव-सेंस वाला RNA जीनोम होता है।
  - EEEV मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों [विशेष रूप से कुलीसेटा मेलानुरा समूह (Culiseta Melanura Group) से संबंधित प्रजातियों] के काटने से फैलता है।
    - ये मच्छर मनुष्यों और घोड़ों (डेड-एंड होस्ट/Dead-End Hosts) सहित पक्षियों (रिज़र्वायर होस्ट/Reservoir Hosts) तथा स्तनधारियों को संक्रमित करते हैं।
    - यह वायरस मनुष्यों के बीच या घोड़ों जैसे जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है।
- **लक्षण:** EEE से जुड़े लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जो अक्सर तेज़ी से बढ़ते हैं:
  - यह वायरस आमतौर पर तेज़ बुखार, सिरदर्द, ठंड लगना और मतली से शुरू होता है।
  - जैसे-जैसे संक्रमण बढ़ता है और गंभीर लक्षण उत्पन्न होने की संभावना होती है, जिनमें दौरे, भटकाव और यहाँ तक कि कोमा भी शामिल है।
- **प्रभाव:**
  - लगभग 33% संक्रमित व्यक्ति जीवित नहीं बच पाते हैं, आमतौर पर लक्षण देखे जाने के 2 से 10 दिनों के बीच मृत्यु हो जाती है।
  - वायरस से बचे लोगों को लंबे समय तक न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, 50 वर्ष से ऊपर और 15 वर्ष से कम आयु वालों के इससे संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है।
- **उपचार:**
  - वर्तमान में ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिये कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
  - संक्रमण के खतरे को कम करने के लिये व्यक्तियों को कई एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी जाती है, जिसमें रिपेलेंट का उपयोग और सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर मच्छरों के काटने से बचना शामिल है।

एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस

चर्चा में क्यों?

एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (Amyotrophic Lateral Sclerosis- ALS), दुर्बल करने वाली न्यूरोडीजेनेरेटिव डिज़ीज़ (Neurodegenerative Diseas) है, जो भारत में रोगियों और देखभाल करने वालों दोनों के लिये कई तरह की चुनौतियाँ पैदा करती है।

- इसकी दुर्लभ घटना के बावजूद ALS अपनी प्रगतिशील प्रकृति तथा प्रभावी उपचार की कमी के कारण प्रभावित लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है।

एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS):

- **परिचय:**
  - ALS एक दुर्लभ और घातक मोटर न्यूरॉन डिज़ीज़ (Motor Neuron Disease) है। इसकी विशेषता रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के प्रगतिशील अध:पतन (Progressive Degeneration) है।
    - इसे प्राय: एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी, जिनकी इस बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, के नाम पर लू गेरिग डिज़ीज़ (Lou Gehrig's Disease) कहा जाता है।
  - ALS सबसे विनाशकारी विकारों में से एक है जो तंत्रिकाओं तथा मांसपेशियों के कार्य को प्रभावित करता है।
  - जैसे ही मोटर न्यूरॉन्स का पतन होता है और नष्ट हो जाते हैं, वे मांसपेशियों को संदेश भेजना बंद कर देते हैं, जिससे मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें ऐंठन होने लगती है (Fasciculations) और बेकार हो जाती हैं (Atrophy)।
  - अंतत:, मस्तिष्क स्वैच्छिक गतिविधियों को शुरू करने तथा नियंत्रित करने की अपनी क्षमता खो देता है।
    - जो गतिविधियाँ हमारे नियंत्रण में होती हैं उन्हें स्वैच्छिक क्रियाएँ (Voluntary Actions) कहा जाता है, जैसे- चलना, दौड़ना, बैठना आदि।
    - दूसरी ओर, जो गतिविधियाँ हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, उन्हें अनैच्छिक गतिविधियाँ (Involuntary Movements) कहा जाता है।
- **कारण:**
  - अभी तक इसका कोई कारण ज्ञात नहीं है, कुछ मामलों में आनुवंशिकी भी शामिल है।
  - ALS पर अनुसंधान द्वारा ALS के संभावित पर्यावरणीय कारणों की जाँच की जा रही है।
- **लक्षण:**
  - ALS के कारण किसी अंग में कमज़ोरी हो सकती है जो कुछ ही दिनों में या आमतौर पर कुछ हफ्तों में बढ़ जाती है। फिर कई हफ्तों या महीनों के बाद दूसरे अंग में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। कभी-कभी प्रारंभिक समस्या के तौर पर बोलने में कठिनाई/अस्पष्ट वाणी (Slurred Speech) या खाने/निगलने (Swallowing) में परेशानी हो सकती है।
- **उपचार:**
  - ALS का कोई इलाज और प्रमाणित उपचार नहीं है।

ALS से निपटने हेतु पहल:

- सरकार की राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (National Policy for Rare Diseases- NPRD), 2021 में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित तथा नामित उत्कृष्टता केंद्रों में उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों हेतु 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश करने वाला एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान पेश किया गया है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या उससे कम की व्यापकता वाली दुर्लभ बीमारियों को दुर्बल करने वाली स्थितियों के रूप में चिह्नित करता है।
- इस नीतिगत पहल का उद्देश्य ALS जैसी स्थितियों वाले लोगों सहित अन्य व्यक्तियों को इलाज के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर समर्थन प्रदान करना है।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के सेवन को लेकर चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस द्वारा जारी एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत का अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड/खाद्य क्षेत्र वर्ष 2011 से 2021 तक खुदरा बिक्री मूल्य में 13.37% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है।

अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड:

- **परिचय:**
  - प्रसंस्कृत फूड/भोजन में आमतौर पर नमक, चीनी और वसा को मिलाया जाता है। यदि मूल उत्पाद में पाँच या अधिक सामग्रियाँ मिलाई गई हों तो भोजन को अल्ट्रा-प्रोसेस्ड माना जाता है।

- ये अन्य सामग्रियाँ आमतौर पर सुगंध और स्वाद बढ़ाने वाले, इमल्सीफायर और रंग हैं तथा इनका उपयोग उत्पाद को अधिक दिन तक टिकाऊ बनाए रखने और स्वाद को बेहतर बनाने के लिये किया जाता है।
  - उदाहरण के लिये कच्चा आटा असंसाधित होता है। दलिया नमक और चीनी मिलाकर प्रसंस्कृत भोजन है। अगर हम आटे से कुकीज़ बनाते हैं और उसमें कई अन्य चीज़ें मिलाते हैं, तो यह अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होता है।

चिंताएँ:

- नमक, चीनी और वसा आमतौर पर सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का नियमित या अधिक मात्रा में सेवन स्वास्थ्यवर्द्धक नहीं माना जाता है।
- वे मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याएँ और जीवन-शैली संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड भोजन में मिलाए जाने वाले कृत्रिम रसायन आँत के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- आँत के स्वास्थ्य में कोई भी असंतुलन न्यूरोलॉजिकल समस्या और तनाव से लेकर मूड में बदलाव और मोटापे तक कई समस्याओं को जन्म दे सकता है।
- अधिकांश अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसलिये लोग उनके आदी हो जाते हैं।
  - इसके अलावा प्राकृतिक भोजन जल्दी खराब हो जाता है और शरीर द्वारा बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है।
- साधारण चीनी की उच्च खुराक का प्रभाव यह होता है कि यह शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे भूख ज़्यादा लगती है और शरीर को अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिये कहा जाता है कि चीनी व्यसनकारी होती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

अस्थायी व्यवधान और रिकवरी:

- कोविड-19 महामारी ने एक अस्थायी व्यवधान पैदा किया, जिससे भारतीय अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2019 के 12.65% से घटकर 2020 में 5.50% हो गई।
  - हालाँकि वर्ष 2020-2021 में इस क्षेत्र ने 11.29% की वृद्धि दर के साथ उल्लेखनीय रूप से वापसी दर्ज की।

प्रमुख श्रेणियाँ और बिक्री की मात्रा:

- सबसे लोकप्रिय अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य श्रेणियों में चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी, नमकीन स्नैक्स, पेय पदार्थ, तैयार और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ तथा नाश्ता आदि आहार शामिल हैं।
  - वर्ष 2011 से 2021 तक खुदरा बिक्री की मात्रा के संदर्भ में पेय पदार्थों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, इसके बाद चॉकलेट, चीनी कन्फेक्शनरी और रेडीमेड तथा सुविधाजनक खाद्य पदार्थों का स्थान था।\

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उपभोग के बदलते तरीके:

- स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं ने महामारी के दौरान कार्बोनेटेड मीठे पेय पदार्थों से फलों और सब्जियों के रस/जूस की ओर रुख किया, ऐसा उन्होंने संभवतः कथित प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले गुणों में वृद्धि के लिये किया।
  - हालाँकि इन वैकल्पिक पेय पदार्थों में उच्च स्तर की शर्करा भी शामिल हो सकती है।।

स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहलें:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
- पीएम-पोषण योजना
- फिट इंडिया मूवमेंट

डार्क पैटर्न

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने डार्क पैटर्न के मुद्दे को हल करने के लिये उपभोक्ता संरक्षण हेतु दिशा-निर्देश विकसित करने के लिये 17 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है।

- मंत्रालय ने डार्क पैटर्न पर जानकारी संकलित करने के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को वर्गीकृत करना शुरू कर दिया है, जिसका उपयोग केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिये किया जा सकता है।

डार्क पैटर्न:

परिचय:

- डार्क पैटर्न, जिसे भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइट्स और एप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये मनाने या ऐसे कार्य जो व्यवसायों के लिये फायदेमंद नहीं हों, उन्हें हतोत्साहित करने हेतु उपयोग की जाने वाली रणनीति है।
- इस शब्द का वर्ष 2010 में एक यूज़र एक्सपीरियंस (UX) डिज़ाइनर, हैरी ब्रिग्नुल द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया था।
- इस पैटर्न में अधिकतर संज्ञानात्मक पूर्वा ग्रहों का फायदा उठाते हुए अनुचित तात्कालिकता, जबरन कार्रवाई, छिपी हुई लागत आदि जैसी रणनीति अपनाई जाती है।

- यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य युक्तियों से लेकर अधिक सूक्ष्म तरीकों तक किसी भी रूप में हो सकता है जिन्हें उपयोगकर्ता तुरंत पहचान नहीं सकते हैं।

- **डार्क पैटर्न के प्रकार:** उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपयोग किये जा रहे नौ प्रकार के डार्क पैटर्न की पहचान की है:
  - झूठी तात्कालिकता: उपभोक्ताओं में खरीदारी या कोई कार्रवाई को बाधित करने की तात्कालिकता या कमी की भावना पैदा करता है।
  - बास्केट स्नीकिंग: उपयोगकर्ता की सहमति के बिना शॉपिंग कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद या सेवाएँ जोड़ने के लिये डार्क पैटर्न का उपयोग किया जाता है।
  - उपभोक्ता को शर्मिंदा करने संबंधी गतिविधि: किसी विशेष विश्वास या दृष्टिकोण के अनुरूप न होने के लिये दोषी साबित कर उपभोक्ताओं की आलोचना या उन पर हमला करना।
  - जबरन कार्रवाई: यह उपभोक्ताओं को ऐसी कार्रवाई करने के लिये प्रेरित करता है जो वे नहीं करना चाहते, जैसे- सामग्री तक पहुँच हेतु किसी सेवा के लिये साइन-अप करना।
  - नुक्ताचीनी/आलोचना(Nagging): लगातार आलोचना, शिकायतें और कार्रवाई के लिये अनुरोध करना।
  - सदस्यता जाल: किसी सेवा से जुड़ना आसान है लेकिन छोड़ना अत्यंत कठिन है यहाँ विकल्प अदृश्य है या इनमें कई चरणों की आवश्यकता है।
  - प्रलोभन और युक्ति: एक निश्चित उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करना, लेकिन उत्पाद का प्राय: निम्न गुणवत्ता का वितरण करना।
  - अदृश्य लागतें: अतिरिक्त लागतों को छिपाना जब तक कि उपभोक्ता पहले से ही खरीदारी करने के लिये प्रतिबद्ध न हो जाए।
  - छद्म विज्ञापन: उपयुक्त सामग्री की तरह दिखने के लिये निर्मित किया गया, जैसे- समाचार लेख या उपयोगकर्ता-जनित सामग्री आदि।

कंपनियों द्वारा डार्क पैटर्न का उपयोग:

- सोशल मीडिया कंपनियाँ तथा एप्पल, अमेज़न, स्काइप, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियाँ अपने लाभ के लिये उपयोगकर्ता अनुभव को कम करने के लिये डार्क या भ्रामक पैटर्न का उपयोग करती हैं।
  - अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन में भ्रामक, बहु-चरणीय रद्दीकरण प्रक्रिया के लिये अमेज़न को यूरोपीय संघ में आलोचना का सामना करना पड़ा। अमेज़न ने वर्ष 2022 में यूरोपीय देशों में ऑनलाइन ग्राहकों के लिये अपनी रद्दीकरण प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
- लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं को अक्सर प्रभावशाली लोगों से अनचाहे एवं प्रायोजित संदेश प्राप्त होते हैं।
  - इस विकल्प को अक्षम करने के लिये अनेक चरणों वाली एक कठिन प्रक्रिया का पालन करना होता है जिसके लिये उपयोगकर्ताओं का प्लेटफॉर्म नियंत्रण से परिचित होना आवश्यक है।
- गूगल के स्वामित्व वाला यूट्यूब (YouTube) उपयोगकर्ताओं को पॉप-अप के साथ यूट्यूब प्रीमियम के लिये साइन-अप करने के लिये बाध्य करता है जिससे वीडियो के अंतिम सेकंड अन्य वीडियो के थंबनेल के कारण अस्पष्ट हो जाते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि स्वच्छता न केवल हर सरकारी योजना में बल्कि नागरिकों के जीवन में भी एक मूलभूत सिद्धांत बन गया है।

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) जनभागीदारी के सिद्धांत को स्थापित करने वाला पहला बड़े पैमाने का कार्यक्रम था।
- इसके अलावा भारत के शून्य अपशिष्ट 2023 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में, 'स्वच्छोत्सव- 2023: अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिये रैली' नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस:

- शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 30 मार्च 2023 को पहली बार मनाया गया और संयुक्त रूप से UNEP एवं UN-हैबिटेट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
  - इसका उद्देश्य शून्य अपशिष्ट एवं ज़िम्मेदार खपत तथा उत्पादन प्रथाओं और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के सतत् विकास को प्राप्त करने में योगदान के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- यह दिन हमारी प्रथाओं पर पुनर्विचार करने एवं जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के नुकसान तथा प्रदूषण के तिहरे ग्रहीय संकट (Triple planetary crisis) को दूर करने तथा ग्रह एवं मानवता को स्वास्थ्य और समृद्धि के मार्ग पर लाने के लिये एक कुंजी के रूप में एक चक्रिय अर्थव्यवस्था को अपनाने का आह्वान करता है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की स्थिति:

- **उपलब्धियाँ:**
  - खुले में शौच से मुक्त (ODF):
    - शहरी भारत सभी 4,715 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के साथ पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो गया है।

- कार्यात्मक तथा स्वच्छ समुदाय और सार्वजनिक शौचालयों के साथ 3,547 स्थानीय शहरी निकाय ODF+ हैं तथा 1,191 स्थानीय शहरी निकाय पूर्ण मल कीचड़ प्रबंधन के साथ ODF++ हैं।

- अपशिष्ट प्रसंस्करण:
  - भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण वर्ष 2014 के 17% से 4 गुना बढ़कर व वर्ष 2023 में 75% हो गया है, 97% वार्डों में 100% डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रह और देश के सभी स्थानीय शहरी निकायों में लगभग 90% नागरिकों द्वारा अपशिष्टों के स्रोत पर पृथक्करण का अभ्यास किया जा रहा है।
- कचरा मुक्त शहर:
  - जनवरी 2018 में शुरू किया गया कचरा मुक्त शहर (GFC)-स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल पहले वर्ष के 56 शहरों से बढ़कर 445 शहर हो गया है, जिसमें अक्तूबर 2024 तक कम-से-कम 1,000 3-स्टार कचरा मुक्त शहर (GFC) बनाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य है।
- वर्ष 2023-24 के बजट में सूखे और गीले अपशिष्टों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर अधिक ध्यान देकर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को मज़बूत किया गया है।
- महिलाओं का योगदान:
  - कचरा मुक्त शहर के लिये रैली:
- कचरा मुक्त शहरों के लिये रैली एक महिला नेतृत्त्व वाला जन आंदोलन है, जहाँ लाखों नागरिकों ने अपनी सड़कों, पड़ोस और पार्कों की सफाई की ज़िम्मेदारी ली है।
  - 'स्टोरीज़ ऑफ चेंज' संग्रह:
- 'स्टोरीज़ ऑफ चेंज' संग्रह में 300 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों की कुछ ऑन-ग्राउंड अद्वितीय सफलताओं को शामिल किया गया है, जिन्होंने विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल सीखने हेतु शहरों में सर्वेक्षण किया है।
- शहरी भारत में एक उद्यम के रूप में 4 लाख महिलाएँ सीधे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में लगी हुई हैं, जो महिलाओं को गरिमा एवं आजीविका के अवसर प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर ओडिशा सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की है।

- इसके साथ ही भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें पवित्र कुरान के अपमान के कृत्य की निंदा की गई।
- 'भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को बढ़ावा देने वाली धार्मिक घृणा का मुकाबला" शीर्षक वाले मसौदा प्रस्ताव को बांग्लादेश, चीन, क्यूबा, मलेशिया, पाकिस्तान, कतर, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों से समर्थन प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव धार्मिक घृणा के कृत्यों की निंदा पर बल देता है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार, इस संदर्भ में जवाबदेही का आह्वान करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:

- **परिचय:**
  - यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
    - भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार और भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध।
- **स्थापना:**
  - मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को स्थापित किया गया।
  - मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित किया गया।
  - पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिये अपनाया गया।
- **संघटन:**
  - आयोग में एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक सदस्य और सात मानद सदस्य होते हैं।
  - अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है।
- **नियुक्ति और कार्यकाल:**
  - छह सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
    - समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हैं।
  - अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
- **भूमिका और कार्य:**
  - न्यायिक कार्यवाही के साथ सिविल न्यायालय की शक्तियाँ रखता है।

- मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच हेतु केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों या जाँच एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है।
- यह घटित होने के एक वर्ष के भीतर मामलों की जाँच कर सकता है।
- इसका कार्य मुख्यत: अनुशंसात्मक प्रकृति का होता है।

सीमाएँ:

- आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् किसी भी मामले की जाँच नहीं कर सकता है।
- सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सीमित क्षेत्राधिकार।
- निजी पक्षों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

परिचय:

- यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर-सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- इसे वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया।
- मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

सदस्यता:

- इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों को आवंटित सीटों के साथ समान भौगोलिक वितरण पर आधारित सदस्यता।
- सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करते हैं और लगातार दो वर्ष के कार्यकाल के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिये पात्र नहीं होते हैं।

प्रक्रियाएँ और तंत्र:

- संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा (UPR) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में मानवाधिकार स्थितियों का आकलन करती है।
- सलाहकार समिति विषयगत मानवाधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञता और सलाह प्रदान करती है।
- शिकायत प्रक्रिया व्यक्तियों और संगठनों के मानवाधिकार उल्लंघनों को परिषद के ध्यान में लाने की अनुमति देती है।
- संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रियाएँ देशों में मानवाधिकार की स्थिति के विशिष्ट विषयगत मुद्दों की निगरानी और रिपोर्ट करती हैं।

समस्याएँ:

- सदस्यता की संरचना चिंता उत्पन्न करती है, क्योंकि मानवाधिकारों के हनन के आरोपी कुछ देशों को इसमें शामिल किया गया है।
- इज़रायल जैसे कुछ देशों पर असंगत फोकस (Disproportionate Focus) की आलोचना की गई है।

भारत की भागीदारी:

- वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (UPR) प्रक्रिया के तीसरे दौर के एक भाग के रूप में इसे प्रस्तुत किया।
- भारत को 1 जनवरी, 2019 से शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि हेतु परिषद के लिये चुना गया था।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (Oxford Poverty and Human Development Initiative- OPHI) द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index- MPI) 2023 जारी किया गया है।

- यह "प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर के परस्पर संबंधित अभावों को मापता है"।

प्रमुख बिंदु:

वैश्विक परिदृश्य:

- विश्व स्तर पर 110 देशों के 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग (कुल जनसंख्या का 18%) बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं।
  - उप-सहारा अफ्रीका में गरीबों की संख्या 534 मिलियन है और दक्षिण एशिया में यह संख्या 389 मिलियन है।
- इन दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक छह लोगों में से लगभग पाँच लोग गरीब हैं।
  - MPI आधारित गरीब लोगों में से आधे यानी 566 मिलियन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं।
- बच्चों में गरीबी दर 27.7% है, जबकि वयस्कों में यह 13.4% है।

- **भारत के संदर्भ में:**
  - भारत में गरीबी: भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं।
    - UNDP के अनुसार, "संवेदनशीलता" को उन लोगों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो गरीब नहीं हैं लेकिन सभी भारित संकेतकों के 20 - 33.3% में वंचित हैं। उनकी भेद्यता हिस्सेदारी बहुत अधिक हो सकती है।
    - भारत की लगभग 18.7% आबादी इस श्रेणी में है।
  - गरीबी उन्मूलन में भारत की प्रगति: भारत कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम सहित 25 देशों में से एक है जिन्होंने 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक MPI मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है।
    - वर्ष 2005-06 और वर्ष 2019-21 के बीच लगभग 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बच गए।
    - भारत में गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है जो वर्ष 2005-2006 के 55.1% से घटकर वर्ष 2019-2021 में 16.4% हो गई है।
    - वर्ष 2005/2006 में भारत में लगभग 645 मिलियन लोगों ने बहुआयामी गरीबी का अनुभव किया, यह संख्या वर्ष 2015-2016 में घटकर लगभग 370 मिलियन और वर्ष 2019-2021 में 230 मिलियन हो गई।
  - अभाव संकेतकों में सुधार: भारत ने तीनों अभाव संकेतकों- स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर में उल्लेखनीय प्रगति की है।
    - सभी क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों में गरीबी में गिरावट समान रही है।
  - सबसे गरीब राज्यों और समूहों, जिनमें बच्चे एवं वंचित जाति समूहों के लोग भी शामिल हैं, में सर्वाधिक तीव्रता से प्रगति हुई।
    - बहुआयामी रूप से गरीब और पोषण से वंचित लोगों का प्रतिशत वर्ष 2005-2006 के 44.3% से घटकर वर्ष 2019-2021 में 11.8% हो गया, साथ ही बाल मृत्यु दर 4.5% से घटकर 1.5% हो गई।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक:

- **परिचय:**
  - यह सूचकांक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है।
  - इसे प्रथम बार वर्ष 2010 में OPHI तथा UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था।
  - MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न 10 संकेतकों में अभावों की निगरानी करता है और इसमें गरीबी की घटना और तीव्रता दोनों शामिल हैं।

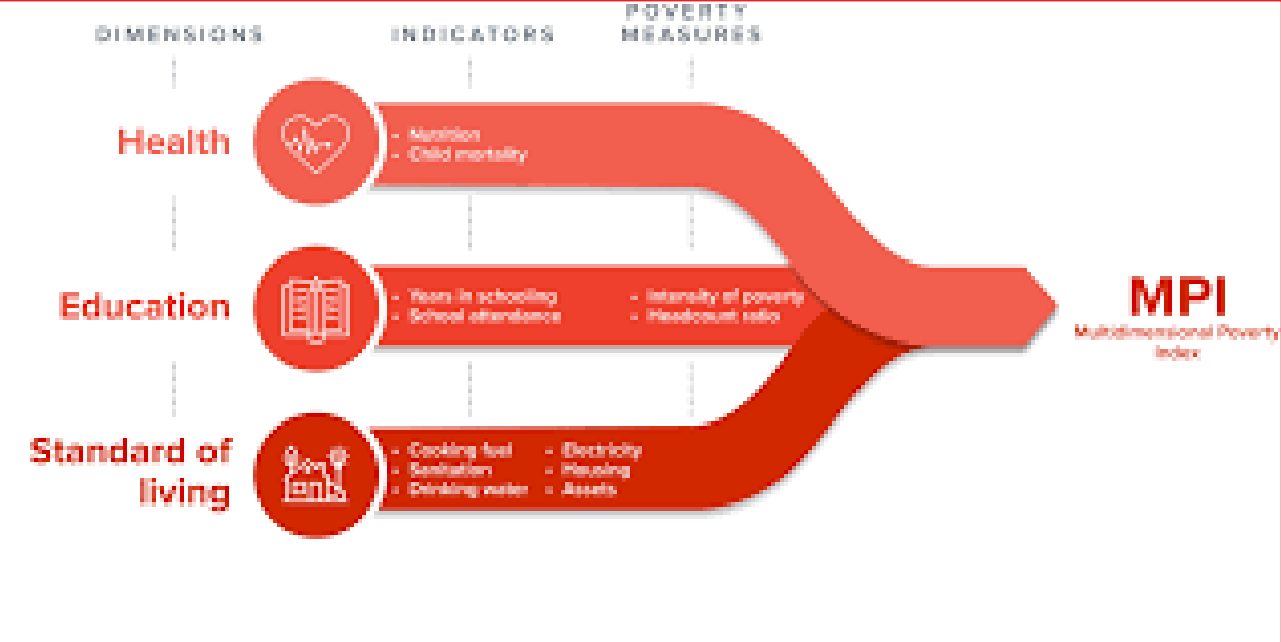

MPI संकेतक और आयाम:

एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है यदि वह भारित संकेतकों (दस संकेतकों में से) के एक-तिहाई या अधिक (मतलब 33% या अधिक) से वंचित है। जो लोग भारित संकेतकों के आधे या अधिक से वंचित हैं, उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबी में रहने वाला माना जाता है

विश्व ज़ूनोसिस दिवस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के हिस्से के रूप में विश्व ज़ूनोसिस दिवस (6 जुलाई, 2023) पर ज़ूनोटिक रोगों पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ज़ूनोटिक रोग के जोखिमों एवं रोकथाम के लिये राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में शिक्षित करना था। पशुओं के साथ निकट संपर्क के कारण किसानों को ज़ूनोटिक रोग होने का खतरा अधिक होता है।
- ज़ूनोटिक रोग जोखिमों को संबोधित करने हेतु "वन हेल्थ" अवधारणा के महत्त्व पर बल दिया गया है।

विश्व ज़ूनोसिस दिवस:

- **इतिहास:**
  - विश्व ज़ूनोसिस दिवस एक ज़ूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहले टीकाकरण की वर्षगाँठ का प्रतीक है।
  - 6 जुलाई, 1885 को फ्राँसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने ज़ूनोटिक रोग का पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया।
- **महत्त्व:**
  - विश्व ज़ूनोसिस दिवस लोगों को मानव और पशु स्वास्थ्य पर ज़ूनोटिक रोगों के जोखिमों और प्रभावों के बारे में शिक्षित करता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 60% ज्ञात संक्रामक रोग और 75% उभरते संक्रामक रोग ज़ूनोटिक हैं।

ज़ूनोटिक रोग:

- **परिचय:**
  - ज़ूनोटिक रोग वे बीमारियाँ हैं जो पशुओं और मनुष्यों के बीच फैल सकती हैं। ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक के कारण हो सकते हैं।
- **वर्गीकरण:**
  - रोगजनकों पर आधारित:
    - बैक्टीरियल ज़ूनोज़: ये रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होते हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकते हैं।
  - उदाहरणों में एंथ्रेक्स और ब्रुसेलोसिस शामिल हैं।
    - वायरल ज़ूनोज़: प्रसिद्ध वायरल ज़ूनोटिक रोगों में रेबीज़, इबोला और कोविड-19 शामिल हैं।
    - परजीवी ज़ूनोज़: टॉक्सोप्लासमोसिस और लीशमैनियासिस जैसे रोग इस श्रेणी में आते हैं।
    - फंगल ज़ूनोज़: दाद जैसे ज़ूनोटिक फंगल संक्रमण, कवक के कारण होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं।
  - पशु प्रजातियों पर आधारित:
    - वन्यजीव ज़ूनोज़: इन बीमारियों में मुख्य रूप से मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच परस्पर क्रिया शामिल होती है, जैसे कि कृन्तकों द्वारा प्रसारित हंतावायरस संक्रमण या जंगली पक्षियों द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ, जैसे एवियन इन्फ्लूएंज़ा (Bird Flu)।
    - घरेलू पशु ज़ूनोज़: मवेशियों से ब्रुसेलोसिस (Brucellosis)या बिल्लियों से होने वाला टोक्सोप्लासमोसिस (Toxoplasmosis) जैसे रोग इस श्रेणी में आते हैं।
  - ट्रांसमिशन के तरीके के आधार पर:
    - प्रत्यक्ष संपर्क ज़ूनोज़: संक्रमण जो संक्रमित जानवरों, उनके शरीर के तरल पदार्थ या दूषित सतहों के सीधे संपर्क से होता है।
  - उदाहरणों में जानवरों के काटने से फैलने वाला रेबीज़ और संक्रमित पशुओं के संपर्क से क्यू बुखार शामिल हैं।
    - सदिश-जनित ज़ूनोज़ : मच्छरों और किलनी जैसे वाहकों द्वारा फैलने वाले रोग।
  - उदाहरणत: किलनी से फैलने वाला लाइम रोग और मच्छरों से फैलने वाला डेंगू बुखार शामिल हैं।
    - जलजनित ज़ूनोज़: दूषित जल स्रोतों से लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis) जलजनित ज़ूनोटिक रोग का एक उदाहरण है।
- **ज़ूनोटिक रोगों का कारण:**
  - ज़ूनोटिक रोगों का उद्भव और प्रसार कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें पर्यावरणीय परिवर्तन, वन्यजीव संपर्क, पशुधन कृषि के तरीके और मानव व्यवहार शामिल हैं।
  - प्राकृतिक आवासों में अतिक्रमण, वन्यजीव व्यापार, अपर्याप्त खाद्य सुरक्षा उपाय और अनुचित स्वच्छता ज़ूनोटिक रोगों के संचरण में योगदान करते हैं।
- **रोकथाम रणनीतियाँ:**
  - ज़ूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु बहुक्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है।
  - "वन हेल्थ" दृष्टिकोण मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्रों के बीच सहयोग पर ज़ोर देता है।
  - ज़ूनोटिक रोगों की शीघ्र पहचान और निगरानी प्रणालियाँ प्रकोप एवं महामारी को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- हाथ धोने, खाद्य सुरक्षा उपायों और जानवरों की सुरक्षित देख-रेख जैसी स्वच्छता विधियों को बढ़ावा देने से संचरण के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
- जानवरों हेतु टीकाकरण कार्यक्रम, विशेष रूप से मनुष्यों के निकट संपर्क में रहने वाले जानवरों में ज़ूनोटिक रोगों को रोकने में प्रभावी हो सकते हैं।
- ज़ूनोटिक रोगों और उनकी रोकथाम के बारे में सार्वजनिक जागरूकता तथा शिक्षा में सुधार करना ज़िम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने एवं संचरण के जोखिम को कम करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।

ज़ूनोटिक रोगों से संबंधित भारत की पहल:

- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP):**
  - इसने दो प्रमुख ज़ूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई: पैर और मुँह रोग (Foot & Mouth Disease- FMD) एवं ब्रुसेलोसिस।
- **मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (MVU):**
  - MVU को किसानों के दरवाज़े पर पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है, जिसमें रोग निदान, उपचार, छोटी सर्जरी और रोगग्रस्त जानवरों के प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।
- **पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2023:**
  - ये नियम जनसंख्या स्थिरीकरण के साधन के रूप में आवारा कुत्तों के रेबीज़ रोधी टीकाकरण और बधियाकरण पर केंद्रित हैं।
- **ज़ूनोज़ की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय वन हेल्थ कार्यक्रम:**
  - यह अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और सहयोग के माध्यम से ज़ूनोटिक रोगों का अनुवीक्षण, निदान, रोकथाम और नियंत्रण तंत्र को मज़बूत करने पर केंद्रित है।
- **टीकाकरण के प्रयास:**
  - भैंस, भेड़, बकरियों और सूअरों की आबादी में 100% FMD वैक्सीन कवरेज़ और साथ ही 4 से 8 महीने की उम्र के बीच के मादा गोजातीय बछड़ों में 100% ब्रुसेलोसिस टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना।

अटल वयो अभ्युदय योजना

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी नागरिकों के लिये एक समावेशी एवं न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में काम कर रहा है तथा अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) उस दिशा में एक कदम है।

अटल वयो अभ्युदय योजना:

- **परिचय:**
  - पहले AVYAY को वरिष्ठ नागरिकों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSrc) के रूप में जाना जाता था, जिसे अप्रैल 2021 में नया रूप दिया गया और इसका नाम बदलकर अटल वयो अभ्युदय योजना कर दिया गया।
  - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना है।
- **उद्देश्य:**
  - यह योजना वरिष्ठ नागरिकों द्वारा समाज में किये गए अमूल्य योगदान को मान्यता देती है और उनके कल्याण तथा सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना चाहती है।
  - समाज में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान को मान्यता देकर सरकार का लक्ष्य उन्हें सशक्त बनाने के साथ उनका उत्थान करना है, जिससे जीवन के सभी पहलुओं में उनकी सक्रिय भागीदारी और समावेश सुनिश्चित हो सके।
- **घटक:**
  - वरिष्ठ नागरिकों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC): यह वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से गरीब वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये बुनियादी सुविधाएँ आदि प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के साथ उनकी सतत् देखभाल के लिये पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY): यह किसी भी विकलांगता या दुर्बलता से पीड़ित पात्र वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान करती है, जो कम दृष्टि, श्रवण हानि, दाँतों की हानि और हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता जैसी विकलांगता या दुर्बलता पर नियंत्रण तथा उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में ला सकते हैं।
  - लाभार्थियों के लिये वित्तीय मानदंड 'गरीबी रेखा से नीचे' (BPL) श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों अथवा 15,000 रुपए प्रतिमाह तक की आय वाले लोगों के लिये है।
- **उपलब्धियाँ:**
  - लगभग 1.5 लाख लाभार्थी वृद्धाश्रमों में रहते हैं।
  - इसके तहत देश भर के 361 ज़िलों को शामिल किया गया है।
  - पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 288.08 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान जारी की गई और इसके अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या 3,63,570 है।
    - RVY के तहत कुल 269 शिविर आयोजित किये गए हैं और इन शिविरों के लाभार्थियों की संख्या 4 लाख से अधिक है। इस योजना के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के

दौरान कुल 140.34 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं तथा आयोजित 130 शिविरों में 1,57,514 लाभार्थियों को कुल 8,48,841 उपकरण वितरित किये गए हैं।

- **महत्त्व:**
  - AVYAY भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिये सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
  - योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक ज़रूरतों को संबोधित करके उनको सशक्त बनाना, समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी एवं समावेश सुनिश्चित करना है।
  - इस योजना के माध्यम से सरकार एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करती है जहाँ वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र के लिये अपने अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हुए सम्मान और संतुष्टि से जीवन यापन कर सकें।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित योजनाएँ:

- वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति (NPOP)
- वरिष्ठ नागरिकों के लिये राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567)
- सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
- सम्पन्न परियोजना
- वरिष्ठ नागरिकों के लिये पवित्र पोर्टल

बच्चे और घरेलू श्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक परिवार द्वारा अपने 4 वर्ष के बेटे की देखभाल और घरेलू कामों के लिये रखी गई 10 वर्षीय बालिका को कथित तौर पर शारीरिक एवं मानसिक तौर पर प्रताड़ित किये जाने का मामला सामने आया है।

- यह घटना घरेलू कामकाज के जगहों पर बाल श्रम के मुद्दे पर प्रकाश डालती है।

बाल श्रम:

- **घरेलू बाल श्रम:**
  - यदि कोई व्यक्ति अथवा नियोक्ता अपने अथवा किसी अन्य के घरेलू कार्यों को पूरा करने के लिये बच्चों को काम पर रखता है, ऐसे में इसे आम तौर पर घरेलु बाल श्रम कहा जाता है।
  - घरेलू कार्य में बाल श्रम से तात्पर्य उन स्थितियों से है जहाँ घरेलू काम के लिये निर्दिष्ट न्यूनतम आयु से कम उम्र के बच्चे खतरनाक परिस्थितियों अथवा वातावरण में काम करते हैं।
- **घरेलू बाल श्रम के खतरे:**
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization- ILO) ने घरेलू कामगार के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील कई खतरों की पहचान की है, घरेलू कार्य में लगे बच्चों द्वारा सामना किये जाने वाले कुछ सबसे सामान्य जोखिमों इस प्रकार हैं:
    - थकान भरे और लंबे काम के दिन; विषैले रसायनों का उपयोग; भारी वस्तुएँ उठाने का कार्य; चाकू तथा गर्म तवे जैसी खतरनाक वस्तुओं के उपयोग से संबंधित काम; अपर्याप्त भोजन और आवास आदि।
  - यह जोखिम तब और बढ़ जाता है जब कोई बच्चा वही रह रहा होता जहाँ काम करता है।
- **भारत में बाल श्रम की स्थिति:**
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022 के अनुसार, वर्ष 2021 में बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत लगभग 982 मामले दर्ज किये गए, जिनमें सबसे अधिक मामले तेलंगाना राज्य में दर्ज किये गए, इसके पश्चात् असम का स्थान है।
  - बाल श्रम के विरुद्ध अभियान के एक अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 818 बच्चों में से कामकाजी बच्चों के अनुपात में 28.2% से 79.6% तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी में विद्यालयों का बंद होना है।
  - भारत में सबसे अधिक बाल श्रमिक नियोक्ता वाले राज्य- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।

भारत में घरेलू कार्यों में बाल श्रमिकों की संलग्नता का कारण:

- **परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ:**
  - भारत में घरेलू काम में बाल श्रम की वृद्धि के पीछे परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, वयस्क श्रमिकों को पर्याप्त मज़दूरी सुनिश्चित करने वाली प्रभावी नीतियों की कमी और परिवार की आय के पूरक हेतु निर्धन परिवारों के बच्चों पर पड़ने वाला बोझ शामिल है।
  - इस स्थिति के कारण अक्सर बच्चों को न्यूनतम वेतन दिया जाता है और उन्हें उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता से अधिक कार्य करने के लिये मजबूर किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 24X7 घरेलू नौकर रोज़गार के रूप में गुलामी का एक व्यवस्थित जाल बन जाता है।
- **सीमांत समुदाय आसान लक्ष्य होते हैं:**
  - कुछ समुदायों और परिवारों में अपने बच्चों को कृषि, कालीन बुनाई या घरेलू सेवा जैसे कुछ व्यवसायों में कार्य कराने की

परंपरा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लड़कियों के लिये शिक्षा महत्त्वपूर्ण या उपयुक्त नहीं है।

- भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जसे गरीब क्षेत्रों से बड़े शहरों में पलायन करने वाले जनजातीय लोगों एवं दलितों का आसानी से शोषण किया जा सकता है।

विद्यालयों की खराब अवसंरचनात्मक स्थिति:

- भारत में कई स्कूलों में पर्याप्त सुविधाओं, शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। गरीब परिवार कुछ स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस अथवा अन्य खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- ये कुछ सामान्य कारक हैं जिस कारण माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और अंतत: उनके बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं।

अप्रत्याशित व्यवधान/क्षति:

- प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों का समाज (विशेष रूप से बच्चों पर सबसे अधिक) के सामान्य कामकाज एवं व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ऐसे में काफी बच्चे अपने माता-पिता को खो देते हैं, घर अथवा बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुँच कम हो जाती है। जीवित रहने के लिये उन्हें किसी भी प्रकार का काम करने के लिये बाध्य किया जा सकता है या फिर तस्करों और अन्य अपराधियों द्वारा उनका शोषण भी किया जा सकता है।

भारत में बाल श्रम को रोकने के लिये सरकार की प्रमुख पहलें:

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009):
- अनुच्छेद 24:
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। हालाँकि यह किसी नुकसान न पहुँचने वाले अथवा गैर-जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है।

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम (1986):

- वर्ष 2016 में इस अधिनियम को बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के रूप में संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोज़गार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया।

कारखाना अधिनियम (1948)

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (1987)

पेंसिल (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour- PENCIL) पोर्टल

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर अभिसमय को अनुसमर्थन प्रदान करना:

- 'द मिनिमम एज कन्वेंशन' (1973) – संख्या 138:
- 'द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन' (1999) – संख्या 182:

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, यह वायरल हेपेटाइटिस के वैश्विक बोझ के विषय में जागरूकता बढ़ाने और वास्तविक परिवर्तन लाने के लिये एकीकृत विषय/थीम पर विश्व को एकीकृत करती है।

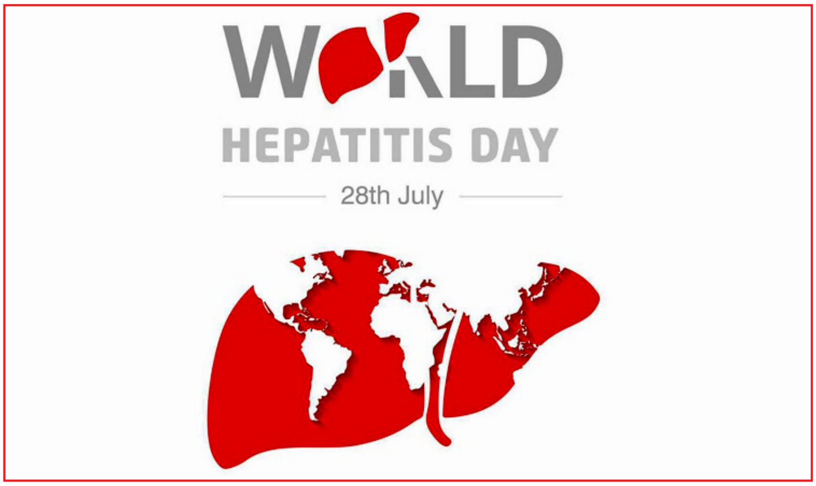

प्रमुख बिंदु:

- **वर्ष 2023 की थीम:** एक जिंदगी, एक यकृत (One life, one liver)।
- **महत्त्व:**
  - यह दिन जागरूकता कार्य के माध्यम से समुदायों, लोगों और राजनेताओं को हेपेटाइटिस के कई प्रकारों के साथ-साथ इसके निवारण हेतु निवारक रणनीतियों, परीक्षण और उपचार विकल्पों के बारे में बहुत कुछ जानने-समझने में मदद करता है।
  - यह हेपेटाइटिस से संबंधित बीमारियों और मौतों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है।

हेपेटाइटिस:

- **परिचय:**
  - हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है- किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं की जलन या सूजन।
  - यह तीक्ष्ण हो सकती है (यकृत की सूजन जो बीमारी के साथ सामने आती है- पीलिया, बुखार, उल्टी) या दीर्घकालिक (यकृत की सूजन जो छह महीने से अधिक समय तक रहती है, लेकिन अनिवार्य रूप से कोई लक्षण नहीं देखे जाते हैं)।
- **कारण:**
  - आमतौर पर यह वायरस के एक समूह के कारण होता है जिसे "हेपेटोट्रोपिक" (यकृत निर्देशित) वायरस के रूप में जाना जाता है, जिसमें A, B, C, D और E शामिल हैं।
  - अन्य वायरस भी इसका कारण बन सकते हैं, जैसे वेरीसेल्ला वायरस जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है।
  - SARS-CoV-2, कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस लीवर को भी हानि पहुँचा सकता है
  - नशीली दवाओं या अल्कोहल का उपयोग करना, लीवर में बहुत अधिक वसा होना (फैटी लीवर हेपेटाइटिस) या एक ऑटोइम्यून स्थिति होना जहाँ शरीर एंटीबॉडी का उत्पादन करता है जो लीवर पर हमला करता है (ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस) जैसे कुछ अन्य संभावित कारण हैं।
- **हेपेटाइटिस के प्रकार:**
  - हेपेटाइटिस A वायरस (HAV): यह लीवर की सूजन है जो सामान्य से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है।
    - यह दूषित भोजन तथा जल के सेवन अथवा किसी संक्रामक व्यक्ति (यौन व्यवहार) के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है।
    - लगभग सभी लोग आजीवन प्रतिरक्षा के साथ हेपेटाइटिस-A से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं (HAV वाले कुछ लोगों की फुलमिनेंट हेपेटाइटिस से मृत्यु हो सकती है)।
    - हेपेटाइटिस A की रोकथाम के लिये एक सुरक्षित और प्रभावी टीका भी उपलब्ध है।
  - हेपेटाइटिस B वायरस (HBV): यह एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करता है और तीव्र एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के संक्रमण का कारण बन सकता है।
    - यह आमतौर पर जन्म के दौरान माँ से बच्चे में, बचपन में, संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध बनाने, असुरक्षित इंजेक्शन के दौरान फैलता है।
    - हेपेटाइटिस B को टीकों से रोका जा सकता है।
  - हेपेटाइटिस C वायरस (HCV): यह वायरस तीव्र और दीर्घकालिक दोनों तरह के हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, जिसकी गंभीरता हल्की बीमारी से लेकर गंभीर, आजीवन बीमारी, जिसमें लिवर सिरोसिस और कैंसर शामिल है, तक हो सकती है।
    - यह एक रक्तजनित वायरस है और अधिकांश संक्रमण असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल, रक्त आधान, इंजेक्शन नशीली दवाओं के उपयोग के माध्यम से होता है।
    - डायरेक्ट-एक्टिंग एंटीवायरल दवाएँ (DAA) हेपेटाइटिस सी संक्रमण वाले 95% से अधिक लोगों को ठीक कर सकती हैं, लेकिन निदान और उपचार तक पहुँच कम है।
    - वर्तमान में हेपेटाइटिस C के खिलाफ कोई प्रभावी टीका नहीं है।
  - हेपेटाइटिस D वायरस (HDV): यह एक ऐसा वायरस है जिसकी प्रतिकृति बनाने के लिये हेपेटाइटिस B वायरस (HBV) की आवश्यकता होती है। यह विश्व स्तर पर लगभग 5% व्यक्तियों को प्रभावित करता है जिन्हें HBV का पुराना संक्रमण है।
    - हेपेटाइटिस B और D व्यक्तियों को एक साथ (सह-संक्रमण) या एक के बाद एक (सुपर-संक्रमण) संक्रमित कर सकते हैं। यह स्थानीय लोगों, डायलिसिस रोगियों तथा दवा उपयोगकर्त्ताओं में अधिक आम है। दोनों वायरस का होना यकृत के लिये बहुत जोखिमपूर्ण है और इससे कैंसर या मृत्यु हो सकती है।
    - हेपेटाइटिस D संक्रमण को हेपेटाइटिस B टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है, हालाँकि इसके उपचार की सफलता दर कम है।

- हेपेटाइटिस E वायरस (HEV): यह HEV के संक्रमण के कारण होने वाला यकृत का सूजन (Inflammation) है। इसका संक्रमण विश्व भर में देखा जा सकता है, हालाँकि पूर्वी और दक्षिण एशिया में इसका प्रभाव अधिक है।
  - इस वायरस का संचरण मल मार्ग विशेषकर दूषित जल के माध्यम से होता है।
  - हेपेटाइटिस E वायरस संक्रमण को रोकने के लिये एक टीका विकसित किया गया है तथा चीन में इसे लाइसेंस प्राप्त है लेकिन अभी तक यह कहीं और उपलब्ध नहीं है।

हेपेटाइटिस से निपटने हेतु सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम:**
  - कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना है।
- **भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP):**
  - हेपेटाइटिस B को भारत के UIP के तहत शामिल किया गया है जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप b (Hib), खसरा, रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) और रोटावायरस डायरिया के कारण होने वाली ग्यारह वैक्सीन-निवारक बीमारियों यानी तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, निमोनिया और मेनिनज़ाइटिस के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है।

भारत के वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री ने सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पोर्टल और सीनियर एबल सिटीजंस फॉर री-एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी (SACRED) पोर्टल की अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

- ये पहल भारत के वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं एवं चिंताओं को संबोधित करने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोज़गार के अवसर प्रदान करने और वरिष्ठ आबादी के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने में सहायक रही हैं।

SAGE पोर्टल:

- SAGE पोर्टल "सिल्वर अर्थव्यवस्था (Silver Economy)" सेगमेंट में निवेश करने हेतु उद्यमियों और स्टार्ट-अप को आकर्षित करने के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो वरिष्ठ देखभाल समाधानों हेतु नवाचार को बढ़ावा देता है।
- SAGE वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों सहित हितधारकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों एवं सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला की खोज तथा पहुँच के लिये सुविधाजनक "वन-स्टॉप एक्सेस" प्रदान करता है।
- सरकार एक सुविधा प्रदाता के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो वरिष्ठ नागरिकों को SAGE पोर्टल के माध्यम से पहचाने गए स्टार्ट-अप द्वारा पेश उत्पादों और सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाती है।
  - चयनित स्टार्ट-अप या स्टार्ट-अप विचारों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) के माध्यम से प्रति परियोजना 1 करोड़ रुपए तक का इक्विटी समर्थन प्राप्त होता है।
  - सरकार यह सुनिश्चित करती है कि स्टार्ट-अप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक न हो।

सिल्वर अर्थव्यवस्था:

- सिल्वर अर्थव्यवस्था वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रणाली है जिसका उद्देश्य वृद्ध और उम्रदराज़ लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना तथा उनकी खपत, जीवन और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना है।
- सिल्वर अर्थव्यवस्था का विश्लेषण सामाजिक जेरोन्टोलॉजी (उम्र बढ़ने का अध्ययन) के क्षेत्र में एक मौजूदा आर्थिक प्रणाली के रूप में नहीं बल्कि उम्र बढ़ने की नीति के एक साधन तथा बढ़ती आबादी के लिये एक संभावित, आवश्यकता-उन्मुख आर्थिक प्रणाली बनाने के राजनीतिक विचार के रूप में किया जाता है।
- इसका मुख्य तत्त्व एक नए वैज्ञानिक, अनुसंधान और कार्यान्वयन प्रतिमान के रूप में जेरोनटेक्नोलॉजी (वृद्ध लोगों से संबंधित प्रौद्योगिकी) है।

SACRED पोर्टल:

- SACRED पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाता है और उन्हें पुन: रोज़गार के अवसर प्रदान करता है।
- यह पोर्टल विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को लक्षित करता है, इस आयु वर्ग की ज़रूरतों और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को उनकी प्राथमिकताओं और कौशल से मेल खाने वाले उपयुक्त रोज़गार और कार्य विकल्प खोजने के अवसर प्रदान करता है।
- SACRED पोर्टल एक आभासी मिलान प्रणाली को नियोजित करता है जो अनुभवी व्यक्तियों की तलाश करने वाले निजी उद्यमों के साथ वरिष्ठ नागरिकों की प्राथमिकताओं को संरेखित करता है।
- रोज़गार के अवसरों के माध्यम से SACRED पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता करता है और बाहरी समर्थन पर उनकी निर्भरता कम करता है

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY):

- **परिचय:**
  - AVYAY का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों को समग्र सहायता प्रदान करना है।
- **घटक:**
  - वरिष्ठ नागरिकों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC):
    - यह घटक कार्यान्वयन एजेंसियों को वरिष्ठ नागरिक गृहों को चलाने और बनाए रखने के लिये सहायता प्रदान करता है, जो गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिये आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान करता है।
  - वरिष्ठ नागरिकों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC):
    - यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रशिक्षित वृद्ध देखभालकर्त्ताओं के एक समूह का निर्माण करने, मोतियाबिंद अभियान चलाने एवं निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिये अन्य राज्य-विशिष्ट कल्याण गतिविधियों को लागू करने हेतु अनुदान सहायता प्रदान करता है।
  - राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY):
    - यह घटक आयु-संबंधित अक्षमताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान करता है, जो उनके शारीरिक क्रिया को बढ़ाता है और उनकी अक्षमताओं पर काबू पाता है।
  - एल्डरलाइन- वरिष्ठ नागरिकों के लिये राष्ट्रीय हेल्पलाइन (NHSC):
    - एल्डरलाइन वरिष्ठ नागरिकों के लिये जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु दुर्व्यवहार के मामलों में मुफ्त जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और क्षेत्रीय हस्तक्षेप प्रदान करने के लिये एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर(14567) प्रदान करती है।
  - सीनियर-केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE): इस घटक का उद्देश्य युवाओं को बुजुर्गों की समस्याओं के बारे में सोचने और बुजुर्गों की देखभाल के लिये नवीन विचारों के साथ आने के लिये प्रोत्साहित करना तथा उन्हें इक्विटी सहायता प्रदान करके स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना है।
- **परिणाम:**
  - लगभग 1.5 लाख लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक गृहों में रह रहे हैं।
  - पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 288.08 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान जारी की गई तथा लाभार्थियों की संख्या 3,63,570 है।
  - गरीब बुजुर्ग व्यक्तियों के लिये जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक एकीकरण में सुधार किया गया।
  - एक समावेशी समाज को बढ़ावा दिया गया जो वरिष्ठ नागरिकों को महत्त्व देता है तथा उनका सम्मान करता है।
  - "रजत अर्थव्यवस्था" के विकास और रोज़गार सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास।

भारत में बुजुर्गों से संबंधित अन्य पहल:

- वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (NPOP)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
- संपन्न परियोजना

विश्व फ्रैजाइल X दिवस

विश्व फ्रैजाइल X जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी, फ्रैजाइल X या मार्टिन-बेल सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये वर्ष 2021 में शुरू किया गया था।

फ्रैजाइल X या मार्टिन-बेल सिंड्रोम:

- **परिचय:**
  - फ्रैजाइल X सिंड्रोम (FXS) एक वंशानुगत आनुवंशिक बीमारी है जो माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है जो बौद्धिक और विकास संबंधी विकलांगताओं का कारण बनती है।
  - FXS लड़कों में मानसिक विकलांगता का सबसे आम वंशानुगत कारण है। यह 4,000 लड़कों में से 1 को प्रभावित करता है।
    - यह लड़कियों में आम नहीं है, प्रत्येक 8,000 में से लगभग 1 को प्रभावित करता है। लड़कों में आमतौर पर लड़कियों की तुलना में अधिक गंभीर लक्षण होते हैं।
  - FXS वाले व्यक्ति आमतौर पर विकासात्मक और सीखने की समस्याओं का अनुभव करते हैं।
  - यह रोग दीर्घकालिक या आजीवन रहने वाली स्थिति है। केवल FXS वाले कुछ व्यक्ति ही स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम हैं।
- **कारण:**
  - FXS, X क्रोमोसोम पर स्थित FMR1 जीन में दोष के कारण होता है।
  - FMR1 (फ्रैजाइल X मेंटल रिटार्डेशन 1 जीन) जीन मनुष्यों में X क्रोमोसोम पर स्थित होता है। यह FMRP (फ्रैजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन) नामक प्रोटीन के उत्पादन के लिये ज़िम्मेदार है, जो सामान्य मस्तिष्क विकास और कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **जोखिम:**
  - वाहकों में जल्दी रजोनिवृत्ति, या रजोनिवृत्ति का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है जो 40 वर्ष की आयु से पहले प्रारंभ होती है।
  - जो पुरुष इसके वाहक हैं उनमें फ्रैजाइल X ट्रेमर एटैक्सिया सिंड्रोम (FXTAS) नामक स्थिति का खतरा बढ़ जाता है।
    - प्रगतिशील अनुमस्तिष्क गतिभंग, गति में कंपन, पार्किंसनिज़्म और संज्ञानात्मक हानि सभी इस स्थिति के लक्षण हैं।
    - इसके अतिरिक्त इससे चलना और संतुलन बनाए रखना भी कठिन हो सकता है। पुरुष वाहक भी मनोभ्रंश विकसित होने के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।
- **वंशानुक्रम से संबद्ध:**
  - जिन महिलाओं में फ्रैजाइल X होता है, उनके प्रत्येक बच्चे में उत्परिवर्तित जीन पहुँचने की 50% संभावना होती है। यदि वह प्रभावित जीन से गुज़रती है, तो उसके बच्चे या तो वाहक होंगे या उनमें फ्रैजाइल X सिंड्रोम होगा।
  - जिन पुरुषों में फ्रैजाइल X पाया जाता है, इस अनुक्रम परिवर्तन का इनकी सभी पुत्रियों में स्थानांतरण होता है लेकिन इनके किसी भी पुत्र में फ्रैजाइल X का स्थानांतरण नहीं होता है। ये पुत्रियाँ वाहक के रूप में कार्य करती हैं लेकिन इनमें फ्रैजाइल X सिंड्रोम नहीं पाया जाता है।

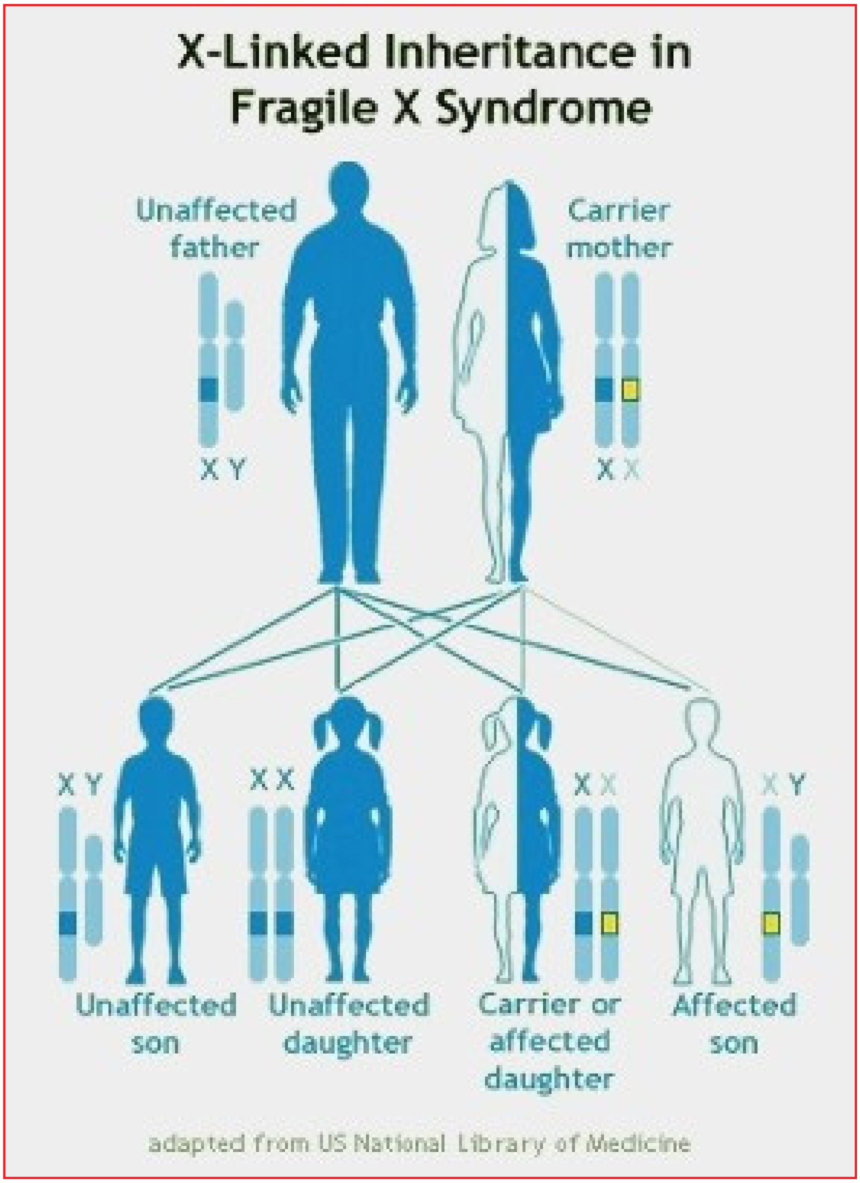

भारत में दत्तक ग्रहण

चर्चा में क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में महाराष्ट्र में दत्तक ग्रहण के मामलों के महत्त्वपूर्ण बैकलॉग पर प्रकाश डाला है, जिसमें भारत में दत्तक ग्रहण के लंबित मामलों की संख्या (329 समाधान की प्रतीक्षा में) सबसे अधिक है।

- जनवरी 2023 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दत्तक ग्रहण के लंबित मामलों को ज़िला मजिस्ट्रेटों को स्थानांतरित नहीं करने का निर्देश दिया, [जैसा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत अनिवार्य है], जिससे भ्रम पैदा हुआ और प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई।

भारत में बाल दत्तक ग्रहण की स्थिति:

- परिचय:
  - यह एक कानूनी और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसमें ऐसे बच्चे की देखभाल की ज़िम्मेदारी स्वीकार करना शामिल है जो दत्तक ग्रहण वाले माता-पिता से जैविक रूप से संबंधित नहीं है।
  - भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority- CARA) द्वारा किया जाता है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का हिस्सा है।
    - CARA भारतीय बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिये नोडल निकाय है और इसे देश में दत्तक ग्रहण की निगरानी करने एवं विनियमन का अधिकार है।
    - CARA को वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित हेग कन्वेंशन ऑन इंटरकंट्री एडॉप्शन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण (Adoptions) की गतिविधियों से निपटने के लिये केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में भी नामित किया गया है।
- **भारत में दत्तक ग्रहण से संबंधित कानून:**
  - भारत में दत्तक ग्रहण दो कानूनों द्वारा शासित होते हैं: हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015।
    - दोनों कानूनों में दत्तक माता-पिता के लिये पात्रता मानदंड अलग-अलग हैं।
  - किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवेदन करने वालों को CARA के पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है जिसके बाद एक विशेष दत्तक ग्रहण वाली एजेंसी एक गृह अध्ययन (Home Study) संबंधी रिपोर्ट तैयार करती है।
    - जब यह स्पष्ट हो जाता है कि उम्मीदवार दत्तक ग्रहण के लिये योग्य है, तो दत्तक ग्रहण के लिये कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किये गए बच्चे को आवेदक को सौंप दिया जाता है।
  - HAMA के तहत एक "दत्तक होम" समारोह अथवा एक दत्तक ग्रहण का कार्य या नायालय का एक आदेश अपरिवर्तनीय दत्तक ग्रहण के अधिकार प्राप्त करने हेतु पर्याप्त है।
    - इस अधिनियम के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों को बच्चे दत्तक ग्रहण का अधिकार प्राप्त है।
- **हालिया बदलाव:**
  - संसद ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिये किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 पारित किया।
    - इससे पहले किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण के मामले में सिविल कोर्ट द्वारा दत्तक ग्रहण का आदेश जारी करना अंतिम निर्णय हुआ करता था।
  - मुख्य बदलावों में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत दत्तक ग्रहण (दत्तक ग्रहण) के आदेश जारी करने के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट की सहमतिअनिवार्य कर दी गई है।
  - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दत्तक ग्रहण विनियम-2022 पेश किया है जिससे दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया काफी सुव्यवस्थित हो गई है।
    - ज़िला मजिस्ट्रेटों (District Magistrates- DM) और बाल कल्याण समितियों को वास्तविक समय में दत्तक ग्रहण के आदेश तथा मामले की स्थिति अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है।
    - दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के कार्यान्वयन के बाद से देश भर में DM द्वारा 2,297 दत्तक ग्रहण के आदेश जारी किये गए हैं, जिससे लंबित मामलों का गंभीर पहलू का समाधान हो गया है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023: WEF

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17वाँ संस्करण- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स/सूचकांक:

- **परिचय:**
  - यह चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है।
    - आर्थिक भागीदारी और अवसर
    - शिक्षा का अवसर
    - स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता
    - राजनीतिक सशक्तीकरण
    - चार उप-सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर GGG सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहाँ 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है और 0 पूर्ण असमानता की स्थिति का सूचक है।
    - यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो वर्ष 2006 में स्थापना के बाद से समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को ट्रैक करता है।
- **उद्देश्य:**
  - स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं व पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिये दिशासूचक के रूप में कार्य करना।
  - इस वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारक विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिक प्राथमिकताएँ निर्धारित करने में सक्षम होते हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- **ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर/अंक:**
  - वर्ष 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 68.4% है, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% का मामूली सुधार हुआ है।
  - प्रगति की वर्तमान दर पर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 131 वर्ष लगेंगे, जो यह दर्शाता है कि परिवर्तन की समग्र दर काफी धीमी है।
- **शीर्ष रैंकिंग वाले देश:**
  - 91.2% के लैंगिक अंतर/जेंडर गैप स्कोर के साथ आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।
    - यह एकमात्र ऐसा देश है जो लैंगिक अंतर को 90% से अधिक कम करने में सफल हुआ है।
  - आइसलैंड के बाद तीन नॉर्डिक देश- नॉर्वे (87.9%), फिनलैंड (86.3%) और स्वीडन (81.5%) का स्थान है, यह इन देशों की लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
- **स्वास्थ्य और उत्तरजीविता:**
  - विश्व स्तर पर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में लैंगिक अंतर 96% कम हो गया है।
- **राजनीतिक सशक्तीकरण:**
  - राजनीतिक सशक्तीकरण में लैंगिक अंतर को समाप्त करने में 162 वर्ष लगेंगे, जिसकी वर्तमान में विश्व भर में समापन दर 22.1% है।
- **शैक्षणिक उपलब्धि:**
  - शैक्षिक उपलब्धि में वर्ष 2006-2023 की अवधि में महत्त्वपूर्ण प्रगति के साथ लैंगिक अंतर 95.2% कम हो गया है।
  - शैक्षणिक उपलब्धि में लैंगिक अंतर 16 वर्षों में कम होने का अनुमान है।
- **आर्थिक भागीदारी और अवसर:**
  - वैश्विक स्तर पर आर्थिक भागीदारी और अवसर में लैंगिक अंतर 60.1% है, यह आँकड़ा कार्यबल में लैंगिक समानता हासिल करने में स्थायी चुनौतियों को उजागर करता है।
  - आर्थिक भागीदारी और अवसर में लैंगिक अंतर 169 वर्षों में कम होने का अनुमान है।

जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का प्रदर्शन:

- **भारत का रैंक:**
  - भारत ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, रिपोर्ट के 2023 संस्करण में भारत 146 देशों में 135वें (2022 में) से 127वें स्थान पर पहुँच गया है, जो इसकी रैंकिंग में सुधार का संकेत देता है।
    - भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर हैं।
  - पिछले संस्करण के बाद से देश में 1.4 प्रतिशत अंक और आठ स्थान का सुधार हुआ है जो कि वर्ष 2020 के समता स्तर की ओर आंशिक सुधार को दर्शाता है।
    - भारत ने समग्र लैंगिक अंतर को 64.3% कम कर दिया है।
- **शिक्षा में लैंगिक समानता:**
  - भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में लैंगिक समानता हासिल कर ली है जो देश की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक विकास को दर्शाता है।
- **आर्थिक भागीदारी और अवसर:**
  - आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में प्रगति भारत के लिये एक चुनौती बनी हुई है। इस क्षेत्र में केवल 36.7% लैंगिक समानता हासिल की गई है।

- जबकि वेतन और आय समानता में वृद्धि हुई है। वरिष्ठ या उच्च पदों एवं तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में मामूली गिरावट आई है।

राजनीतिक सशक्तीकरण:

- भारत ने राजनीतिक सशक्तीकरण में प्रगति की है तथा इस क्षेत्र में 25.3% समानता हासिल की है। संसद में कुल सांसदों की तुलना में महिला सांसद प्रतिनिधित्व 15.1% है जो वर्ष 2006 में प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद से सबसे अधिक है।
- बोलीविया (50.4%), भारत (44.4%) और फ्राँस (42.3%) सहित 18 देशों ने स्थानीय शासन में 40% से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया है।

स्वास्थ्य और उत्तरजीविता:

- एक दशक से अधिक की धीमी प्रगति के बाद भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में 1.9% अंक का सुधार हुआ है।
- हालाँकि वियतनाम, चीन और अज़रबैजान के साथ-साथ भारत का स्कोर अभी भी विषम लिंगानुपात के कारण स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता उप-सूचकांक में अपेक्षाकृत कम है।

सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अंतर को कम करने हेतु भारतीय पहल:

आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: यह बालिकाओं की सुरक्षा, उत्तरजीविता और शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- महिला शक्ति केंद्र: इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास एवं रोज़गार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।
- महिला पुलिस वालंटियर्स: इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला पुलिस वालंटियर्स की भागीदारी की परिकल्पना की गई है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते ती हैं तथा संकट में महिलाओं की सहायता करतेती हैं।
- राष्ट्रीय महिला कोष: यह एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संगठन है जो गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिये रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना: इस योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।
- महिला उद्यमिता: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट (महिला उद्यमियों/SHG/NGO को समर्थन देने हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म), उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम (ESSDP) जैसे कार्यक्रम शुरू किये हैं।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय: इन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBB) में खोला गया है।

राजनीतिक आरक्षण: सरकार ने महिलाओं के लिये पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें आरक्षित की हैं।

- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण: इसके तहत यह महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिये सशक्त बनायाने की दृष्टि से आयोजित किया जाता है।

एक देश एक आँगनवाड़ी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

पोषण ट्रैकर एप पर 'एक देश एक आँगनवाड़ी' कार्यक्रम के लिये 57,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है।

- पोषण एप प्रवासी श्रमिकों को मोबाइल फोन पर पोषण ट्रैकर एप का उपयोग कर अपने संबंधित स्थानों से नर्सरी तक पहुँचने की अनुमति देगा।

आँगनवाड़ी:

- आँगनवाड़ी सेवाएँ (अब सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में नामित) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- यह छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है, अर्थात् (i) पूरक पोषण (ii) स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा (iii) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (iv) प्रतिरक्षण (v) स्वास्थ्य जाँच और (vi) रेफरल सेवाएँ।
- यह देश भर में आँगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों अर्थात् 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को सेवाएँ प्रदान करता है।
  - इनमें से तीन सेवाएँ नामत: प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

अन्य संबद्ध पहलें:

- एनीमिया मुक्त भारत अभियान
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- पीएम पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण)

तंबाकू की खेती और खाद्य असुरक्षा

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने तंबाकू की खेती के बजाय खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक नई रिपोर्ट जारी की है।

- रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि विश्व भर में लगभग 349 मिलियन लोग वर्तमान में गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जबकि मूल्यवान उपजाऊ भूमि पर तंबाकू की खेती का वर्चस्व है। अपनी फसलों को प्रतिस्थापित करने के प्रयासों में तंबाकू उद्योग का हस्तक्षेप वैश्विक खाद्य संकट में वृद्धि कर रहा है।
- साथ ही हर साल 31 मई को मनाया जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day) वैश्विक तंबाकू महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान की याद दिलाता है। वर्ष 2023 के लिये इस दिवस की थीम है "खाद्य उगाएँ, तंबाकू नहीं"(Grow food, not tobacco)।

नोट: खाद्य असुरक्षा एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ व्यक्तियों या समुदायों के पास पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की विश्वसनीय उपलब्धता, पहुँच, सामर्थ्य नहीं है जो कि एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिये उनकी आहार संबंधी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करता है।

तंबाकू की खेती से संबंधित वैश्विक खाद्य संकट:

- **भूमि उपयोग प्रतियोगिता:** खाद्य उत्पादन और तंबाकू की खेती दोनों के लिये भूमि की आवश्यकता होती है।
  - तंबाकू की खेती 124 से अधिक देशों में प्रचलित है, जो महत्त्वपूर्ण कृषि भूमि पर कब्ज़ा कर रही है इस भूमि का उपयोग खाद्य उत्पादन के लिये किया जा सकता है।
  - कृषि योग्य भूमि के लिये यह प्रतियोगिता खाद्य उत्पादन को सीमित कर सकती है तथा वैश्विक खाद्य संकट को और अधिक बढ़ा सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ खाद्य सुरक्षा पहले से ही एक चुनौती है।
  - संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) भी विश्व भर के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती खाद्य असुरक्षा की चेतावनी दे रहा है।
- **संसाधन विचलन:** तंबाकू की खेती के लिये जल, उर्वरक और श्रम सहित महत्त्वपूर्ण मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है।
  - तंबाकू उत्पादन के लिये इन संसाधनों के विचलन के परिणामस्वरूप खाद्य फसलों की सीमित उपलब्धता हो सकती है, जिससे कृषि उत्पादकता और भोजन की कमी हो सकती है।
- **वित्तीय प्रभाव:** तंबाकू की खेती किसानों के लिये आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकती है जिससे वे खाद्य फसलों की तुलना में तंबाकू की खेती को प्राथमिकता देते हैं।
  - तंबाकू जैसी नकदी फसलों के लिये यह वरीयता प्रधान खाद्य फसलें उगाने के प्रोत्साहन को कम कर सकती है जो भूख और खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिये आवश्यक है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** तंबाकू की खेती के तरीकों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं।
  - वनों की कटाई, मृदा क्षरण और जल प्रदूषण प्राय: तंबाकू की खेती से संबंधित होते हैं। ये पर्यावरणीय प्रभाव स्थायी खाद्य उत्पादन के लिये आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को और अधिक प्रभावित कर सकते हैं।
- **स्वास्थ्य परिणाम:** तंबाकू का उपयोग एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है जिससे दुनिया भर में कई बीमारियाँ और अकाल मृत्यु की घटनाएँ होती हैं। तंबाकू की खेती किसानों के लिये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करती है जिसमें कीटनाशकों के संपर्क में आना तथा त्वचा के माध्यम से निकोटीन का अवशोषण शामिल है।
  - तंबाकू से संबंधित बीमारियों के स्वास्थ्य संबंधी परिणाम अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं:
    - उत्पादक श्रमबल की संख्या में कमी लाकर
    - स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर
    - संसाधनों को भोजन/खाद्य से संबंधित पहलों से दूर करके
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तंबाकू का उपयोग प्रत्येक वर्ष 8 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनता है और लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसके धुएं के संपर्क में आते हैं।

नोट: निकोटिन तंबाकू के पौधे (निकोटियाना टैबैकम) और नाइटशेड प्रजाति के कुछ अन्य पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। यह अल्कलॉइड है जो शामक और उत्तेजक दोनों है।

भारत में तंबाकू की खपत

- **स्थिति:**
  - तंबाकू का उपयोग कई गैर-संचारी रोगों जैसे- कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और पुरानी फेफड़ों की बीमारियों के लिये एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग 27% कैंसर तंबाकू के उपयोग के कारण होता है।
    - चीन के बाद भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है।
  - ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया 2016-17 के अनुसार, भारत में लगभग 267 मिलियन वयस्क (15 वर्ष और उससे अधिक) (सभी वयस्कों का 29%) तंबाकू का उपभोग करते हैं।

- **तंबाकू पर नियंत्रण के लिये भारतीय पहल:**
  - ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश, 2019 की घोषणा ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाती है।
  - भारत सरकार ने नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज़ (NTQLS) की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य तंबाकू की समाप्ति के लिये टेलीफोन आधारित सूचना, सलाह, समर्थन और रेफरल प्रदान करना है।
  - भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) में 16% की वृद्धि की घोषणा की।
  - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्ट्रीम सामग्री के दौरान तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करने के लिये ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता वाले नए नियमों की घोषणा की है।
    - OTT प्लेटफॉर्म को तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत और मध्य में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट संलग्न करना चाहिये।
    - भारत में टेलीविज़न एवं फिल्मों के लिये हेल्थ स्पॉट और तंबाकू से संबंधित चेतावनियाँ पहले से ही अनिवार्य हैं।

तंबाकू की कृषि को संबोधित करने हेतु WHO द्वारा किये गए कार्य:

- WHO तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क अभिसमय (WHO-FCTC) के महत्त्व पर ज़ोर देता है, जो तंबाकू की खपत एवं इसके प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- WHO ने तंबाकू मुक्त कृषि पहल शुरू करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ भागीदारी की है, जिसका उद्देश्य केन्या और जाम्बिया जैसे देशों में किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती के लिये माइक्रोक्रेडिट ऋण, ज्ञान एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सौंपी।

- रिपोर्ट में भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जातियों (SC) के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सुरक्षा के संबंध में आयोग को सौंपे गए मुद्दों पर विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंर्तगत NCSC को दिये गए आदेश के अनुसार, यह आयोग का कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक तथा अन्य किसी भी समय पर जैसा अनुसूचित जाति आयोग उचित समझे संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) क्या है ?

- **परिचय:**
  - NCSC एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के साथ उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है।
- **इतिहास:**
  - विशेष पदाधिकारी:
    - प्रारंभ में संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था।
  - 65वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1990:
    - इसने संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और साथ ही एक सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया।
  - 89वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003:
    - अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया, साथ ही SC तथा ST के लिये तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 से दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो थे:
  - अनुच्छेद 338 के अंर्तगत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)।
  - अनुच्छेद 338A के अंर्तगत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)।
- **संरचना:**
  - NCSC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं।
  - राष्ट्रपति इन पदों की नियुक्ति करते हैं, जैसा कि उनके हस्ताक्षर एवं मुहर वाले वारंट द्वारा स्वीकार होता है।

- उनकी सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

- **कार्य:**
  - अनुसूचित जाति के लिये संवैधानिक तथा अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच एवं निगरानी करना और साथ ही उनके कामकाज का मूल्यांकन भी करना;
  - अनुसूचित जाति के अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों से वंचित होने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना;
  - अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना एवं संघ या राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
  - राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समय पर जब वह उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
  - अनुसूचित जाति के संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये उन सुरक्षा उपायों के साथ-साथ अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये संघ या राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करना।
  - वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संबंध में भी समान कार्य करने की आवश्यकता थी। 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा इसे इस ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

- **NCSC की शक्ति:**
  - आयोग को अपनी संचालन प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।
    - किसी भी मामले की जाँच करते समय अथवा किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग को किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयोग की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं–
  - भारत के किसी भाग के किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाज़िर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,
  - दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना,
  - शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, और
  - किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड की प्रति की अपेक्षा करना।
    - केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसूचित जाति के उत्थान के लिये अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 15:** यह अनुच्छेद विशेष रूप से जाति के आधार पर भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करता है, अनुसूचित जातियों (SC) के संरक्षण और उत्थान पर बल देता है।
- **अनुच्छेद 17:** यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। यह सामाजिक भेदभाव को खत्म करने तथा सभी व्यक्तियों की समानता एवं सम्मान को बढ़ावा देता है।
- **अनुच्छेद 46:** यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 243D(4):** यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में पंचायतों (स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों) में अनुसूचित जाति के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है।
- **अनुच्छेद 243T(4):** यह प्रावधान क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में नगर पालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) में अनुसूचित जाति के लिये सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं (क्रमशः) में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

UNDP का 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, पक्षपातपूर्ण लैंगिक सामाजिक मानदंड लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को बाधित करते हैं और मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

- महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाले वैश्विक प्रयासों और अभियानों के बावजूद लोगों का एक महत्त्वपूर्ण प्रतिशत अभी भी महिलाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण बना हुआ है।
- UNDP का 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स (GSNI) इन पूर्वाग्रहों की दृढ़ता एवं महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके प्रभाव की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष:

- **परिचय:**
  - UNDP ने चार आयामों राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और भौतिक अखंडता में महिलाओं के प्रति लोगों के नज़रिये को ट्रैक किया। UNDP की रिपोर्ट है कि लगभग 90% लोग अभी भी महिलाओं के खिलाफ कम-से-कम एक पूर्वाग्रह रखते हैं।

- **जाँच परिणाम:**
  - राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व: लैंगिक सामाजिक मानदंडों में पूर्वाग्रह राजनीतिक भागीदारी में समानता की कमी में को दर्शाता है। दुनिया की लगभग आधी आबादी का मानना है कि पुरुष बेहतर राजनीतिक नेता बनते हैं, जबकि पाँच में से दो का मानना है कि पुरुष बेहतर कारोबारी अधिकारी बनते हैं।
    - अधिक पूर्वाग्रह वाले देश संसद में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करते हैं।
  - औसतन वर्ष 1995 के बाद से दुनिया भर में राज्य या सरकार के प्रमुखों की हिस्सेदारी लगभग 10% रही है और दुनिया भर में संसद की एक-चौथाई से अधिक सीटों पर महिलाओं का कब्ज़ा है।
    - संघर्ष-प्रभावित देशों में मुख्य रूप से यूक्रेन (0%), यमन (4%) और अफगानिस्तान (10%) में हाल के संघर्षों को लेकर बातचीत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
    - स्वदेशी, प्रवासी और विकलांग महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** शिक्षा में प्रगति के बावजूद आर्थिक सशक्तीकरण में लैंगिक अंतर बना हुआ है।
  - महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि से भी बेहतर आर्थिक परिणामों में परिवर्तन नहीं देखा गया है।
  - 59 देशों में जहाँ वयस्क महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक शिक्षित हैं वहाँ औसत आय में 39% का अंतर है।
- **घरेलू और देखभाल के कार्य:** लैंगिक सामाजिक मानदंडों में उच्च पूर्वाग्रह वाले देशों में घरेलू और देखभाल के काम में काफी असमानता है।
  - पुरुषों की तुलना में महिलाएँ इन कार्यों पर लगभग छह गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं।
  - इसके अतिरिक्त 25% लोगों का मानना है कि रूढ़िवादी पूर्वाग्रहों के चलते एक व्यक्ति के लिये अपनी पत्नी को पीटना उचित है।
- **उम्मीद के संकेत और सफलताएँ:** सर्वेक्षण किये गए 38 में से 27 देशों में किसी भी संकेतक में बिना किसी पूर्वाग्रह वाले लोगों की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई, जबकि समग्र प्रगति सीमित रही है।
  - सबसे व्यापक सुधार जर्मनी, उरुग्वे, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर और जापान में देखा गया, जहाँ महिलाओं की तुलना में पुरुषों ने अधिक प्रगति की।
  - नीतियों, नियमों और वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से लैंगिक सामाजिक मानदंडों में सफलता प्राप्त की गई है।
- **बदलाव की तत्काल आवश्यकता:** पक्षपाती लैंगिक सामाजिक मानदंड न केवल महिलाओं के अधिकारों को बाधित करते हैं बल्कि सामाजिक विकास एवं कल्याण में भी बाधा उत्पन्न करते हैं।
  - लैंगिक सामाजिक मानदंडों में प्रगति की कमी मानव विकास सूचकांक (HDI) की रिपोर्ट में गिरावट के साथ मेल खाती है।
  - महिलाओं को सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलने से समाज को समग्र रूप से लाभ प्राप्त होता है।

महिला सशक्तीकरण से संबंधित हालिया सरकारी योजनाएँ

- सुकन्या समृद्धि योजना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना
- वन स्टॉप सेंटर

भारत में 'मैनुअल स्कैवेंजिंग'

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार, 766 में से केवल 508 ज़िलों ने स्वयं को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया है।

- यह विसंगति मैला ढोने की प्रथा की वास्तविक स्थिति और सरकारी प्रयासों की प्रभावशीलता को लेकर चिंता उत्पन्न करती है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग/हाथ से मैला उठाने की प्रथा:

- हाथ से मैला ढोने की प्रथा को "किसी सुरक्षा साधन के बिना और नग्न हाथों से सार्वजनिक सड़कों एवं सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, गटर एवं सीवर की सफाई करने" के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है, हालाँकि इसे वर्ष 1993 से आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

हाथ से मैला उठाने वालों के लिये संवैधानिक सुरक्षा उपाय और कानूनी प्रावधान:

- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:** भारतीय संविधान हाथ से मैला उठाने वालों को विभिन्न अधिकार और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है, जैसे:
  - अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता
  - अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर प्रतिबंध।

- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
- अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध।

- **विधिक प्रावधान:** हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 मुख्य कानून है जिसका उद्देश्य भारत में इस प्रथा को प्रतिबंधित और उन्मूलन करना है। यह किसी को भी हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में नियोजित करने अथवा नियुक्त करने पर रोक लगाता है और अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण अथवा रखरखाव को भी प्रतिबंधित करता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग पर अंकुश लगाने हेतु सरकार की पहल तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:

- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:**
- वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार को वर्ष 1993 से सीवेज कार्य में मरने वाले सभी लोगों की पहचान करने तथा प्रत्येक के परिवार को मुआवज़े के रूप में 10 लाख रुपए प्रदान करना अनिवार्य कर दिया।
- **पुनर्वास के प्रयास:**
  - भुगतान और सब्सिडी:
    - लगभग 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर की पहचान की गई है तथा प्रत्येक को 40,000 रुपए का एकमुश्त नकद भुगतान किया गया है।
  - लगभग 22,000 मैनुअल स्कैवेंजर को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा गया है।
  - अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में रुचि रखने वालों को सहायता प्रदान करने हेतु सब्सिडी और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाली मौतों को पूरी तरह समाप्त करना है।
  - NAMASTE योजना के साथ विलय:
    - सीवर कार्य के 100% मशीनीकरण के साथ सभी मैनुअल स्कैवेंजर के पुनर्वास की योजना को नमस्ते योजना (NAMASTE scheme) के साथ मिला दिया गया है।
    - वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पुनर्वास योजना हेतु विशिष्ट आवंटन का अभाव है, लेकिन नमस्ते योजना के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
    - नमस्ते योजना में सभी सेप्टिक टैंक/सीवर श्रमिकों की पहचान और प्रोफाइलिंग आवश्यक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण और स्वास्थ्य बीमा में नामांकन का प्रावधान है।
- **अन्य संबंधित पहलें:**
  - सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती
  - स्वच्छता अभियान एप
  - राष्ट्रीय गरिमा अभियान
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

ल्यूकेमिया के उपचार हेतु मेडिसिन पेटेंट पूल के साथ समझौता

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित समूह मेडिसिन पेटेंट पूल (MPP) ने कैंसर की कुछ दवाओं को रोगियों हेतु अधिक सुलभ और सस्ता बनाने के लिये तीन भारत-आधारित कंपनियों के साथ उप-लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- ये समझौते कई देशों में नोवार्टिस की कैंसर उपचार दवा निलोटिनिब के जेनेरिक संस्करणों के उत्पादन की अनुमति देते हैं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया (CML) हेतु किया जाता है।
- इस लाइसेंस में भारत, सात मध्यम-आय वाले देशों और 44 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो स्थानीय नियामक प्राधिकरण के तहत निलोटिनिब के जेनेरिक संस्करणों की आपूर्ति की अनुमति देता है।

मेडिसिन पेटेंट पूल:

- MPP एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है, जो कम और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) के लिये जीवन-रक्षक दवाओं के विकास को बढ़ावा देने तथा सुविधा प्रदान करने हेतु काम कर रहा है।
- इसकी स्थापना जुलाई 2010 में जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में की गईथी।
- MPP सिविल सोसाइटी, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग, रोगी समूहों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी सुनिश्चित करता है, ताकि जेनेरिक निर्माण और नए फॉर्मूलेशन के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक दवाओं को प्राथमिकता तथा लाइसेंस दिया जा सके एवं बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल किया जा सके।
- अब तक MPP ने तेरह ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) एंटी-रेट्रोवायरल, एक HIV प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, तीन हेपेटाइटिस सी डाइरेक्ट-एक्टिंग एंटीवायरल, एक तपेदिक उपचार, एक लंबे समय तक काम करने वाली तकनीक, कोविड-19 के लिये दो एक्सपेरीमेंटल ओरल एंटीवायरल उपचार और एक कोविड-19 सीरोलॉजिकल एंटीबॉडी तकनीक के लिये बारह पेटेंट धारकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया (CML):

- **परिचय:**
  - यह ल्यूकेमिया के प्रकारों में से एक है जो एक रक्त-कोशिका कैंसर है जो अस्थि मज्जा (Bone Marrow) और रक्त को प्रभावित करता है। अन्य प्रकार हैं,
    - एक्यूट लिंफोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL)
    - एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया (AML)
    - क्रोनिक लिंफोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (CLL)
  - असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाओं, जिन्हें माइलॉयड कोशिकाएँ कहा जाता है, की अनियंत्रित वृद्धि इसकी प्रमुख विशेषता है।
  - आमतौर पर CML धीरे-धीरे बढ़ता है और इसका निदान अक्सर क्रॉनिक चरण के दौरान किया जाता है।
- **नैदानिक परीक्षण:**
  - CML का निदान आमतौर पर रक्त और अस्थि मज्जा परीक्षण के माध्यम से किया जाता है।

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर एक गैर-सरकारी संगठन ने बाल अधिकार और आप (Child Rights and You-CRY) विषय पर भारत में किशोर लड़कियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता तथा ज्ञान का आकलन करने के लिये किये गए एक अध्ययन के निष्कर्ष जारी किये।

- पूरे देश के 38 ज़िलों की 10-17 वर्ष की लगभग 4,000 लड़कियों की भागीदारी के साथ दो महीने तक किये गए इस अध्ययन में मासिक धर्म के संबंध में युवा लड़कियों की धारणाओं, प्रथाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

  विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस:
- **परिचय:**
  - विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जिसे मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 28 मई को मनाया जाने वाला एक एनुअल ग्लोबल एडवोकेसी डे है।
  - इस दिन का उद्देश्य पूरे विश्व में जागरूकता बढ़ाना तथा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) की उचित प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- 28 मई ही क्यों?
  - मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पाँचवें महीने के 28वें दिन मनाया जाता है।
    - यह मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जो प्राय: लगभग 28 दिनों का होता है।
    - यह मासिक धर्म की औसत अवधि का प्रतीक है जो हर महीने लगभग पाँच दिनों तक रहता है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - यह वर्ष 2013 में जर्मनी स्थित NGO WASH United द्वारा शुरू किया गया।
  - शुरुआत में इसे मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये 28 दिवसीय सोशल मीडिया अभियान के रूप में शुरू किया गया।
  - सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 28 मई, 2014 को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की स्थापना हुई।
- **थीम:**
  - वर्ष 2023 की थीम: "वर्ष 2030 तक मासिक धर्म को जीवन का एक सामान्य तथ्य बनाना (Making menstruation a normal fact of life by 2030)।
- **महत्त्व:**
  - यह महिलाओं की भलाई और गरिमा हेतु मासिक धर्म स्वच्छता के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।
  - यह उचित मासिक धर्म स्वच्छता विधियों को बढ़ावा देता है:
    - स्वच्छ और सुरक्षित मासिक धर्म उत्पादों का उपयोग करना।
    - मासिक धर्म के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना।
    - मासिक धर्म की समस्या को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना।
  - यह विशेष रूप से निम्न-आय वाले समुदायों की मासिक धर्म संबंधी उत्पादों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करता है।
  - यह शरीर, मासिक धर्म चक्र और प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में ज्ञान को प्रोत्साहित करता है।

प्रमुख बिंदु

- लगभग 12% युवा लड़कियों का मानना था कि मासिक धर्म भगवान का अभिशाप है या बीमारी के कारण होता है।
- 4.6% लड़कियों को मासिक धर्म के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
- 84% लड़कियों ने मासिक धर्म को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में सही पहचाना।
- 61.4% लड़कियों ने मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक शर्मिंदगी को स्वीकार किया।
- 44.5% लड़कियाँ सैनिटरी पैड की जगह घर में बने एब्जॉर्बेंट या कपड़े का इस्तेमाल करती हैं।
  - इसमें सैनिटरी पैड का उपयोग न करने के कारण झिझक या संकोच, पैड के निपटान में कठिनाई, खराब उपलब्धता और ज्ञान की कमी शामिल है।

- लड़कियों को मासिक धर्म की जानकारी उनकी माताओं, महिला मित्रों और बड़ी बहनों से प्राप्त होती है।

मासिक धर्म स्वच्छता हेतु भारत की पहल:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में शुरू की गई मासिक धर्म स्वच्छता योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना है।
- वर्ष 2015 में स्वच्छ भारत दिशा-निर्देशों में स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM), सैनिटरी पैड, वेंडिंग एवं निपटान तंत्र प्रदान करना और छात्राओं के लिये विशेष वॉशरूम सुनिश्चित करना शामिल था।
  - पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) पर दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) लागू करता है, जो महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - इस परियोजना के तहत देश भर में 8700 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किये गए हैं जो 'सुविधा' नाम की 1 रुपए प्रति पैड की दर से ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराती है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2022 में एक समान राष्ट्रीय नीति का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य सैनिटरी पैड, वेंडिंग एवं निपटान तंत्र और छात्राओं के लिये विशेष वॉशरूम प्रदान करना है।
- विभिन्न राज्यों में किशोरियों को रियायती या मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की अपनी योजनाएँ हैं, जैसे- अस्मिता योजना (महाराष्ट्र), उड़ान (राजस्थान), स्वेच्छा (आंध्र प्रदेश), शी पैड (केरल), और खुशी (ओडिशा)।
- केरल और कर्नाटक राज्य सरकारें सैनिटरी नैपकिन के स्थायी विकल्प के रूप में मेंस्ट्रुअल कप का वितरण कर रही हैं।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2023

चर्चा में क्यों?

'वर्ल्ड फूड इंडिया 2023' के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया, जहाँ भारत के प्रधानमंत्री ने एक लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को बीज के लिये आर्थिक सहायता भी प्रदान की।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया।

वर्ल्ड फूड इंडिया 2023:

- **परिचय:**
  - वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार है, जो भारतीय और विदेशी निवेशकों के बीच साझेदारी की सुविधा प्रदान करता है।
  - यह वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माताओं, उत्पादकों, खाद्य प्रसंस्करणों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और संगठनों का एक अद्वितीय सम्मेलन होगा।
- **शुभंकर:**
  - मिलइंड (एक प्रोबोट) वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का शुभंकर है।

- **प्रमुख आधार:**
  - श्री अन्न (बाजरा): विश्व के लिये भारत के सुपर फूड का लाभ उठाना।
    - जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और कुपोषण जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने बाजरा खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ा सकता है।
    - संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष (IYM 2023) घोषित किया है।

- घातीय खाद्य प्रसंस्करण: भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना।
  - इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये भारत अपने उन समर्थकों को बढ़ावा देने का इरादा रखता है जो उसके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को समर्थन और गति प्रदान कर सकें।
  - प्रमुख समर्थकों में से एक है कृषि खाद्य मूल्य शृंखलाओं का वित्तपोषण करना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को पर्याप्त एवं किफायती ऋण प्रदान करना।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

सूर्योदय क्षेत्र:

- वर्ल्ड फूड इंडिया के परिणामों के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मान्यता मिली, जिसे प्राय: 'सनराइज़ सेक्टर' कहा जाता है।
- पिछले नौ वर्षों में सरकार की उद्योग-अनुकूल और किसान-केंद्रित नीतियों की बदौलत इस क्षेत्र ने 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन:

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत हुई प्रगति ने नए आयाम खोले हैं।
  - एग्री-इंफ्रा फंड के तहत चल रही विभिन्न परियोजनाएँ, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ इस क्षेत्र के लिये व्यापक संभावनाएँ रखती हैं।
  - मत्स्यपालन और पशुपालन क्षेत्र में प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचे में हज़ारों करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है।

अन्य सरकारी पहल:

- कृषि-निर्यात नीति का निर्माण
- राष्ट्रव्यापी रसद और बुनियादी ढाँचे का विकास
- ज़िला-स्तरीय केंद्रों की स्थापना
- मेगा फूड पार्क का विस्तार
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का PM औपचारिकरण

स्वयं सहायता समूह कुदुंबश्री

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह (Self Help Group- SHG) नेटवर्क, कुदुंबश्री के 25वीं वर्षगाँठ समारोह की शुरुआत की।

- राष्ट्रपति ने "चुवाडु" (जिसका अर्थ पदचिह्न है) नामक एक पुस्तिका भी जारी की जिसमें इस समूह के भविष्य उन्मुखी विचारों को रेखांकित किया गया है एवं इसकी अब तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

कुदुंबश्री:

परिचय:

- कुदुंबश्री की स्थापना वर्ष 1997 में केरल में की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यबल की सिफारिशों के बाद गरीबी उन्मूलन एवं महिलाओं को सशक्त बनाना था।
  - मिशन को भारत सरकार और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के सहयोग से शुरू किया गया था।
- मलयालम भाषा में कुदुंबश्री का अर्थ है 'परिवार की समृद्धि' और इसलिये यह गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, लोकतांत्रिक नेतृत्व को बढ़ावा देता है तथा "कुदुंबश्री परिवार" के अंतर्गत एक सहायक संरचना प्रदान करता है।

संचालन: मिशन त्रि-स्तरीय संरचना के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें शामिल हैं,

- प्राथमिक स्तर पर नेबरहुड ग्रुप (NHGs)
- वार्ड स्तर पर क्षेत्र विकास समितियाँ (ADS)
- स्थानीय सरकार के स्तर पर सामुदायिक विकास सोसायटी (CDS)
  - यह संरचना स्वयं सहायता समूहों के एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करती है।

लक्ष्य:

- कुदुंबश्री का लक्ष्य स्थानीय स्वशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ 10 वर्षों की एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करना है।
- अपने मिशन एवं स्वयं सहायता समूह दृष्टिकोण के माध्यम से, कुदुंबश्री का उद्देश्य परिवारों का उत्थान करना तथा महिलाओं को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं समग्र कल्याण में सुधार हेतु सशक्त बनाना है।

महत्त्व:

- इस समूह ने महिलाओं को सशक्त बनाने, रोज़गार सृजित करने, गरीबी को करने के साथ ही विभिन्न सामाजिक पहलें शुरू की हैं।
- यह केरल की सबसे बड़ी सामाजिक पूंजी बन गई है तथा इसके सदस्य स्थानीय सरकारी निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।
- पाँच वर्ष पूर्व केरल में आई भीषण बाढ़ के दौरान स्वयं सहायता समूह नेटवर्क, कुदुंबश्री ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 7 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था।

- इस समूह ने Google और Apple जैसी प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों की तुलना में अधिक धन का योगदान दिया और यहाँ तक कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के योगदान को भी पीछे छोड़ दिया।
- कुदुंबश्री के कई कार्यकर्त्ता स्वयं बाढ़ के शिकार हुए, फिर भी उन्होंने राहत कोष में योगदान देकर दूसरों की मदद की।

महिला सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन से संबंधित पहलें

- उज्ज्वला योजना
- स्वाधार गृह
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना
- महिला ई हाट
- महिला बैंक
- महिला कॉयर योजना
- महिला उद्यमिता मंच (WEP)
- महिला प्रशिक्षण और रोज़गार कार्यक्रम सहयोग योजना (STEP)

हिस्टरेक्टमी

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गरीब और कम शिक्षित महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि अनुचित हिस्टरेक्टमी प्रक्रिया से गुज़रती हैं, के उच्च जोखिम के मुद्दे के समाधान हेतु उपाय शुरू किये हैं।

हिस्टरेक्टमी:

- **परिचय:**
  - हिस्टरेक्टमी एक सर्जिकल/शल्य प्रक्रिया है, जिसमें गर्भाशय (गर्भ), एक महिला के शरीर का वह अंग जहाँ गर्भावस्था के दौरान एक बच्चा विकसित होता है, को हटाना शामिल है।
- **प्रकार:**
  - जब केवल गर्भाशय को हटाया जाता है, तो इसे आंशिक (Partial) हिस्टरेक्टमी कहा जाता है। जब गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को हटा दिया जाता है, तो इसे पूर्ण (Total) हिस्टरेक्टमी कहा जाता है।
  - जब गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि का हिस्सा और इन अंगों के आस-पास के स्नायुबंधन एवं ऊतकों का एक विस्तृत क्षेत्र हटा दिया जाता है, तो इसे रेडिकल हिस्टरेक्टमी कहा जाता है।
- **भारत में हिस्टरेक्टमी के संकेतक:**
  - फाइब्रॉएड (गर्भ में या गर्भ के आसपास गैर-कैंसर वृद्धि), एंडोमेट्रियोसिस (ऐसी बीमारी जिसमें गर्भाशय की लिंनिंग के समान ऊतक गर्भाशय के बाहर वृद्धि करता है), असामान्य रक्तस्राव और श्रोणि सूजन की बीमारी जैसी स्त्री रोग संबंधी स्थितियों के लिये भारत में हिस्टरेक्टमी प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब अन्य उपचार विफल हो जाते हैं।
  - यह कैंसर के ऊतकों को हटाने के लिये और गंभीर श्रोणि दर्द के मामलों में कैंसर के उपचार के हिस्से के रूप में भी उपयोग किया जाता है।

भारत में हिस्टरेक्टमी से संबंधित मुद्दे:

- **युवा महिलाओं में हिस्टरेक्टमी का बढ़ता प्रचलन:**
  - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकसित देशों में हिस्टरेक्टमी के मामलों में आमतौर पर 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र की प्रीमेनोपॉज़ल (रजोनिवृत्ति के आसपास) महिलाएँ शामिल होती हैं।
  - हालाँकि भारत में हिस्टरेक्टमी के मामले में समुदाय-आधारित अध्ययनों में 28-36 वर्ष की युवा महिलाओं की बढ़ती संख्या दर्ज की गई है।
- **NFHS डेटा:**
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 के सबसे ताज़ा अनुभवजन्य आँकड़ों के अनुसार, 15-49 वर्ष की 3 प्रतिशत महिलाओं ने हिस्टरेक्टमी प्रक्रिया को अपनाया।
  - हिस्टरेक्टमी का प्रचलन आंध्र प्रदेश (9 प्रतिशत) में सबसे अधिक है। इसके बाद 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में तेलंगाना (8 प्रतिशत), सिक्किम (0.8 प्रतिशत) और मेघालय (0.7 प्रतिशत) में सबसे कम है।
  - हिस्टरेक्टमी का प्रचलन दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक था यानी 4.2 प्रतिशत जो राष्ट्रीय प्रचलन से भी अधिक था। इसके बाद भारत के पूर्वी भाग (3.8 प्रतिशत) का स्थान था।
  - दूसरी ओर, सबसे कम व्यापकता पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखी गई यानी केवल 1.2 प्रतिशत।
- **अनावश्यक हिस्टरेक्टमी:**
  - वर्ष 2013 में दायर एक जनहित याचिका (PIL) ने "अनावश्यक हिस्टरेक्टमी" के मुद्दे पर प्रकाश डाला।
  - जनहित याचिका में खुलासा किया गया कि बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में महिलाओं को हिस्टरेक्टमी के अधीन किया गया था, जिसको अनावश्यक माना गया क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा था।

- निजी अस्पताल इन अनावश्यक हिस्टरेक्टमी में संलिप्त रहे थे। दो-तिहाई से अधिक (70%) महिलाएँ, जो हिस्टरेक्टमी से गुज़री जिनका ऑपरेशन निजी स्वास्थ्य सुविधा में किया गया था।
- प्रक्रिया का दुरुपयोग भी देखा गया था, स्वास्थ्य सेवा संस्थान विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत उच्च बीमा शुल्क का दावा करने के लिये इसका लाभ उठाते थे।

कुर्मी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग

हाल ही में कुर्मी समुदाय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल करने की मांग को लेकर बंगाल में आंदोलन शुरू किया।

- वे यह भी चाहते हैं कि उनकी कुर्माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

पृष्ठभूमि:

- 1931 की जनगणना में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत समुदायों में शामिल नहीं किया गया था और 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया गया था।
- 2004 में झारखंड सरकार ने सिफारिश की कि समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा जाए।
- सिफारिश के बाद मामला जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI) के पास गया, जिसने यह माना कि कुर्मी कुनबियों की उप-जाति है, न कि जनजाति। इसके आधार पर केंद्र ने कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति माने जाने की मांग खारिज़ कर दी।
- राज्य सरकार के जनजाति विकास विभाग के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातीय जनसंख्या लगभग 53 लाख है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 5.8% है।

अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया:

- किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया 1999 में स्थापित प्रणाली के एक समुच्चय का अनुसरण करती है।
- समावेशन के प्रस्ताव के लिये संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकार को पहल करनी चाहिये, जिसे पहले जनजातीय कार्य मंत्रालय और बाद में भारत के रजिस्ट्रार जनरल (ORGI) के कार्यालय में भेजा जाता है।
- यदि ORGI समावेशन की मंज़ूरी देता है, तो प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है और उसकी सहमति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, वर्ष 1950 में संशोधन के लिये कैबिनेट को भेजा जाता है।

कुर्मी समुदाय:

- **परिचय:**
  - कुर्मी एक ज़मींदार कृषक समुदाय हैं जिनकी स्थिति जगह-जगह बदलती रहती है।
  - कुर्मी को एक "प्रगतिशील किसान" माना जाता है जो क्षेत्र में उपलब्ध सभी विकास योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाते हैं।
  - कुर्मी कई राज्यों में पाए जाते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा और कर्नाटक शामिल हैं।
- **जातीय स्थिति:**
  - अधिकांश राज्यों में कुर्मी आरक्षण के लिये केंद्र और राज्य दोनों सूचियों में OBC से संबंधित हैं।
  - गुजरात में पटेल जो कि कुर्मी से जुड़े हैं, सामान्य श्रेणी में आते हैं और OBC दर्जे की मांग कर रहे हैं। .
  - पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में जहाँ कुर्मी को 'कुड़मी' लिखा जाता है, कुर्मी अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहते हैं।
- **कुर्माली भाषा:**
  - कुर्माली भाषा मुख्य रूप से भारतीय राज्यों- बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुर्मी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है।
  - कुर्माली भाषा इंडो-आर्यन भाषा परिवार की सदस्य है और बिहारी भाषा परिवार से संबंधित है। यह मैथिली और मगही के साथ कुछ समानताएँ साझा करती है। इसकी अपनी लिपि है जिसे "कुर्मी कुदाली" कहा जाता है जो देवनागरी लिपि का एक संशोधित संस्करण है।

PRET और बिग कैच-अप पहल

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के प्रत्युत्तर में दो पहलें- PRET और द बिग कैच-अप समान स्तर एवं भविष्य के विस्फोटक विप्लवों से बचने के लिये बेहतरीन तत्परता हासिल करने के साथ-साथ बच्चों की टीकाकरण दरों को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई हैं।

PRET पहल:

- **परिचय:**
  - उभरते खतरों के लिये तैयारी और लचीलापन (PRET) पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा शुरू की गई थी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005 के तहत संचालित होती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन हेतु एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है।

- पहल की घोषणा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन पेंडमिक में की गई थी।

उद्देश्य:

- यह रोगजनकों के समूहों हेतु उनके संचरण के तरीके के आधार पर महामारी की तैयारी में सुधार करने पर केंद्रित है।

महामारी की तैयारी के तीन स्तर: यह स्वीकार करता है कि महामारी की तैयारी हेतु प्रासंगिक प्रणालियों एवं क्षमताओं के तीन स्तर हैं:

- जो सभी या बहु-खतरों का निवारण (Cross-Cutting) करता है।
- जो रोगजनकों (श्वसन, अर्बोवायरस आदि) के समूहों हेतु प्रासंगिक हैं।
- जो एक रोगजनक के लिये विशिष्ट हैं।

समन्वित प्रयास:

- अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में WHO एक अनौपचारिक समन्वय मंच प्रदान करता है जिसे रेस्पिरेटरी पैथोजन्स पार्टनर्स एंगेजमेंट फोरम (R-PEF) के रूप में जाना जाता है, जो WHO एवं अन्य पक्षकारों को नियोजित गतिविधियों तथा घटनाओं के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

नोट:

- फरवरी 2023 में WHO ने महामारी संधि का शून्य मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर महामारी से निपटने हेतु तैयारी करना है।
- यह महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति तत्परता एवं प्रतिक्रिया हेतु वैश्विक समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने का आह्वान करता है।

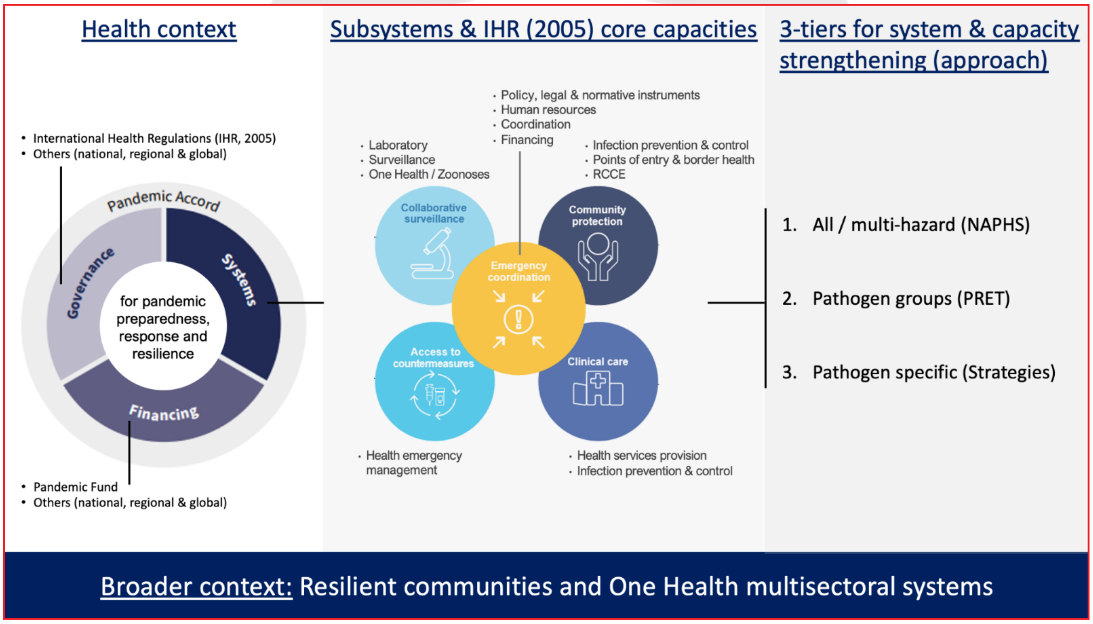

बिग-कैचअप पहल:

परिचय:

- इसे WHO, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा टीकाकरण एजेंडा 2030 तथा कई अन्य वैश्विक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य भागीदारों के साथ शुरू किया गया था, जो टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिये एक लक्षित वैश्विक प्रयास है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य आबादी को खसरा, डिप्थीरिया, पोलियो और पीला बुखार जैसे रोगों को टीके के माध्यम से बच्चों के जीवन को बचाना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करना है।

मुख्य लक्ष्य:

- यह पहल 20 देशों- अफगानिस्तान, अंगोला, ब्राज़ील, कैमरून, चाड, DPRK, DRC, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सोमालिया, मेडागास्कर, मैक्सिको, मोज़ाम्बिक, म्यांँमार, तंजानिया और वियतनाम पर विशेष ध्यान देगी जहाँ ऐसे अधिकांश बच्चे टीके की खुराक लेने से चूक गए हैं।

- **योजना की मुख्य विशेषताएँ:**
  - हेल्थकेयर वर्कफोर्स में वृद्धि करना
  - स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार
  - समुदायों के भीतर विश्वास और टीकों की मांग का निर्माण
  - टीकाकरण बहाल करने के लिये अंतराल और बाधाओं को संबोधित करना
- **आवश्यकता:**
  - टीकाकरण के स्तर में 100 से अधिक देशों में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया था और साथ ही चिकित्सा आपूर्ति के आयात एवं निर्यात को भी बाधित कर दिया था।
  - सख्त लॉकडाउन उपायों, यात्रा प्रतिबंधों और घटते वित्तीय एवं मानव संसाधनों से स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और अधिक जटिल हो गई थी।
    - भारत विश्व के उन 20 देशों में शामिल है, जहाँ वर्ष 2021 में लगभग 75 प्रतिशत बच्चे रोकथाम योग्य लेकिन गंभीर बीमारियों के खिलाफ आवश्यक टीकाकरण से चूक गए हैं।
- **टीकाकरण हेतु भारत के प्रयास:**
  - महामारी के परिणामस्वरूप, टीकाकरण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है और कुछ देशों ने पहले ही काफी प्रगति दिखानी शुरू कर दी है।
    - भारत वर्ष 2022 में आवश्यक टीकों में एक सुदृढ़ रिकवरी दर्ज करने में सफल रहा।
  - टीकाकरण हेतु भारत की प्रमुख पहलें हैं:
    - कोविड वैक्सीन ड्राइव
    - सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जिसमें सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 4.0 योजना शामिल है
    - खसरा-रूबेला (Measles-Rubella- MR) हेतु सामूहिक टीकाकरण अभियान
    - न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV)
    - सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु सर्ववैक वैक्सीन
    - पल्स पोलियो कार्यक्रम

नोट:

- विश्व टीकाकरण सप्ताह WHO द्वारा समन्वित एक स्वास्थ्य अभियान है जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने हेतु वैक्सीन के उपयोग को बढ़ावा देना है।

हक्की पिक्की जनजाति समुदाय

कर्नाटक के हक्की पिक्की जनजाति समुदाय के 181 से अधिक सदस्य हिंसा प्रभावित सूडान में फँसे हुए हैं।

हक्की पिक्की जनजाति की विशेषताएँ:

- **परिचय:**
  - हक्की पिक्की एक अर्द्ध-घुमंतू जनजाति है जो परंपरागत रूप से पक्षियों को पकड़ती है और उनका शिकार करती है तथा पश्चिम एवं दक्षिण भारत के वन क्षेत्रों में निवास करती है।
  - यह कर्नाटक की एक अनुसूचित जनजाति है और ऐतिहासिक दृष्टि से राणा प्रताप सिंह के साथ इनका पैतृक संबंध माना जाता है।
- **उत्पत्ति:**
  - हक्की पिक्की जनजाति की उत्पत्ति का स्थान गुजरात और राजस्थान माना जाता है जो आंध्र प्रदेश से होते हुए दक्षिण भारत तक पहुँच गए।
  - इस जनजाति को चार कुलों में बाँटा गया है और कर्नाटक में इनकी आबादी 11,892 है।
    - इस जनजाति के गुजराथीओ (Gujrathioa), कालीवाला (Kaliwala), मेवाड़ा (Mewara) और पनवारा (Panwara) चार वंश हैं।
- **समाज:**
  - इस जनजाति के बीच शादी की सामान्य उम्र महिलाओं के लिये 18 वर्ष और पुरुषों के लिये 22 वर्ष है तथा अंतरावंशीय विवाह को प्राथमिकता दी जाती है।
    - यह समाज मातृसत्तात्मक है और मोनोगैमी आदर्श है।
  - कर्नाटक में हक्की पिक्की हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं और सभी हिंदू त्योहार मनाते हैं।
  - हक्की पिक्की के बीच शिक्षा का स्तर अभी भी कम है।
- **आजीविका:**
  - हक्की पिक्की अपनी आजीविका के लिये मुख्य रूप से वनों के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।
  - सख्त वन्यजीव संरक्षण कानूनों के कारण इस जनजाति को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिस कारण शिकार करने के अपने व्यवसाय को छोड़कर उन्होंने स्थानीय मंदिरों में लगने वाले मेलों में हर्बल तेल, मसाले और प्लास्टिक के फूल बेचना शुरू कर दिया।
- **अफ्रीका में प्रवास:**
  - हाल के वर्षों में हक्की पिक्की जनजाति के सदस्य अपने उत्पादों को बेचने हेतु अफ्रीकी देशों की यात्रा करते रहे हैं क्योंकि इस महाद्वीप में आयुर्वेदिक उत्पादों की भारी मांग है।

- अफ्रीकी देशों के बाज़ारों में बेहतर अवसर उपलब्ध होने के कारण कच्चे संसाधनों जैसे- हिबिस्कस पाउडर, तेल निष्कर्षण, आँवला, आयुर्वेदिक पौधों आदि में निवेश से उच्च रिटर्न प्राप्त होने की संभावना है।

विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट: NFPA

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2023 के मध्य तक विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो जाएगी।

- विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है जो विश्व जनसंख्या और जनसांख्यिकी में विकासात्मक प्रवृत्तियों को शामिल करती है एवं उनका विश्लेषण करती है, साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों, देशों और जनसंख्या समूहों तथा उनके समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- **जनसंख्या अनुमान:**
  - जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
    - भारत की 25% जनसंख्या 0-14 वर्ष आयु वर्ग में, 18% जनसंख्या 10-19 वर्ष आयु वर्ग में, 26% जनसंख्या 10-24 वर्ष आयु वर्ग में, 68% जनसंख्या 15-64 वर्ष आयु वर्ग में और 7% जनसंख्या 65 वर्ष से ऊपर की आयु की है।
  - अपने एशियाई पड़ोसी देश की तुलना में भारत में 29 लाख अधिक लोग होंगे।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 340 मिलियन है।
- **धीमी जनसंख्या वृद्धि :**
  - अनुमानित वैश्विक आबादी के एक\-तिहाई से अधिक होने के बावजूद भारत और चीन दोनों में जनसंख्या वृद्धि धीमी रही है।
- **प्रजनन दर:**
  - भारत की कुल प्रजनन दर 2 आँकी गई थी, जो विश्व औसत 2.3 से कम है।
  - विकसित क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.5, कम विकसित क्षेत्रों में 2.4 और कम विकसित देशों में 3.9 होने का अनुमान है।
- **जीवन प्रत्याशा:**
  - एक भारतीय पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष अनुमानित है।
  - वैश्विक स्तर पर औसतन पुरुषों के लिये जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष तथा महिलाओं के लिये 76 वर्ष होने का अनुमान है।
  - विकसित क्षेत्रों हेतु पुरुषों के लिये औसत जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष और महिलाओं के लिये 83 वर्ष अनुमानित की गई थी, जो कि सबसे अधिक है।
  - कम विकसित क्षेत्रों के लिये पुरुषों हेतु 70 वर्ष और महिलाओं के लिये 74 वर्ष है, जबकि कम विकसित देशों में यह पुरुषों के लिये 63 वर्ष और महिलाओं हेतु 68 वर्ष अनुमानित है।
- **लैंगिक अधिकार:**
  - विगत 12 महीनों में 18% महिलाओं द्वारा अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की सूचना दी गई थी, जबकि 66% महिलाओं ने भारत में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारों पर स्वयं निर्णय लिया था।
  - 80% से अधिक महिलाओं के पास अपने स्वयं के स्वास्थ्य सेवा के बारे में निर्णय लेने में कुछ सहयोग था।
- **जनसंख्या वृद्धि संकेंद्रण:**
  - वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक आठ देशों - कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंज़ानिया में संकेंद्रण होगा।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA):

- **परिचय:**
  - यह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) का एक सहायक अंग है जो इसके यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है।
  - UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council-ECOSOC) द्वारा स्थापित किया गया है।
- **स्थापना:**
  - इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था, इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ।
  - इसे वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया, लेकिन इसका संक्षिप्त नाम UNFPA (जनसंख्या गतिविधियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कोष) को भी बरकरार रखा गया।

- **उद्देश्य:**
  - UNFPA स्वास्थ्य (SDG3), शिक्षा (SDG4) और लैंगिक समानता (SDG5) पर सतत् विकास लक्ष्यों से निपटने के लिये सीधे काम करता है।
- **निधि:**
  - UNFPA को संयुक्त राष्ट्र के बजट का समर्थन प्राप्त नहीं है, इसके बजाय यह पूरी तरह से दाता सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, फाउंडेशन और व्यक्तियों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: सशस्त्र बलों में महिलाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रुप कैप्टन शालिज़ा धामी का चयन पश्चिमी क्षेत्र (पाकिस्तान का सामना करने वाली) में एक फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने के लिये किया गया है।

- वह पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी होंगी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस:

- **परिचय:** यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसमें शामिल है:
  - महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न
  - महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना
  - त्वरित लैंगिक समानता के लिये लॉबिंग
  - महिला-केंद्रित अनुदान आदि के लिये धन उगाहना।
- **संक्षिप्त इतिहास:**
  - महिला दिवस पहली बार वर्ष 1911 में क्लारा ज़ेटकिन द्वारा मनाया गया था, जो एक जर्मन महिला थीं। इस उत्सव की शुरुआत पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई थी।
    - हालाँकि पहली बार वर्ष 1913 में यह समारोह 8 मार्च को मनाया गया था और तब से इसी दिन मनाया जाता है।
  - वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
    - दिसंबर 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार सदस्य देशों द्वारा वर्ष के किसी भी दिन मनाए जाने वाले महिला अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये संयुक्त राष्ट्र दिवस की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया।
- **थीम:**
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2023 की थीम "डिजिटऑल: लैंगिक समानता के लिये नवाचार और प्रौद्योगिकी" है और इसका उद्देश्य लैंगिक मुद्दों को प्रकाश में लाने में प्रौद्योगिकी के महत्त्व पर ज़ोर देना है।

सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थिति:

- **पृष्ठभूमि:**
  - भारतीय वायु सेना में वर्ष 2016 में महिला फाइटर पायलटों को शामिल किया गया। पहले बैच में तीन महिला फाइटर पायलट शामिल थीं, जो वर्तमान में मिग-21, Su-30MKI और राफेल उड़ाती हैं।
  - महिला अधिकारियों ने इंजीनियरिंग, सिग्नल, आर्मी एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सहित हथियारों और सेवाओं में विभिन्न सेना इकाइयों की कमान संभालनी शुरू कर दी है।
- **वर्तमान सांख्यिकी:**
  - सशस्त्र बलों में 10,493 महिला अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश चिकित्सा सेवाओं में हैं।
  - भारतीय थल सेना तीनों सेवाओं में सबसे बड़ी होने के साथ ही इसमें 1,705 महिला अधिकारी (सबसे अधिक संख्या में) हैं, इसके बाद भारतीय वायु सेना में 1,640 महिला अधिकारी और भारतीय नौसेना में 559 महिला अधिकारी हैं।
  - जनवरी 2023 में सेना ने पहली बार सियाचिन ग्लेशियर पर एक महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को तैनात किया है।
  - फरवरी 2023 में सेना ने पहली बार महिला अधिकारियों को चिकित्सा क्षेत्र से बाहर कमांड भूमिकाएँ सौंपना शुरू किया है।
    - उनमें से लगभग 50 को उत्तरी और पूर्वी कमान के तहत परिचालन क्षेत्रों में कमांड इकाइयों हेतु नियुक्त किया गया है, जो चीन के साथ भारत की सीमाओं की रखवाली करेंगी।
  - नौसेना ने महिला अधिकारियों को फ्रंटलाइन जहाज़ों पर भी शामिल करना शुरू कर दिया है, जो पहले महिला अधिकारियों हेतु नो-गो ज़ोन था।
    - इनमें से कई को सेना की संवेदनशील उत्तरी और पूर्वी कमान में तैनात किया गया है।

लैंगिक समानता से संबंधित चिंताएँ:

- **वैश्विक:**
  - संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुसार, लैंगिक समानता एक दूर का सपना बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महिला (UN

Women) का अनुमान है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहीं तो 300 वर्ष का और अधिक समय लगेगा।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कानूनी बाधाओं ने 2.7 बिलियन महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरी के अवसर प्राप्त करने से रोका है।
  - 2019 तक सांसद महिलाएँ 25% से कम थीं।
  - तीन में से एक महिला लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करती है।

भारत के संदर्भ में:

- सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आँकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2021 तक पुरुष श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 67.4% थी, जबकि महिला LFPR 9.4% था।
- यहाँ तक कि अगर कोई विश्व बैंक से डेटा प्राप्त करता है, तो भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 25% है, जबकि वैश्विक औसत 47% है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक (जो लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापता है) में भारत वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर खिसक गया।
  - हालाँकि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने अपनी भविष्य की रिपोर्ट में देशों को रैंक प्रदान करने के लिये पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के मानदंड में बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति बेहतर होगी।
- अंतर-संसदीय संघ (IPU), जिसमें भारत एक सदस्य है, द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों में से महिलाएँ केवल 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा 2018 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत की 95% से अधिक कामकाज़ी महिलाएँ अनौपचारिक श्रमिक हैं, जो बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के गहन श्रम, न्यूनतम-वेतन, अत्यधिक अनिश्चित रोज़गार/परिस्थितियों में काम करती हैं।

LDC पर दोहा राजनीतिक घोषणा

चर्चा में क्यों?

विश्व के नेताओं द्वारा 'दोहा राजनीतिक घोषणा (Doha Political Declaration)' को अपनाने के साथ अल्प विकसित देशों (Least Developed Countries- LDC5) पर 5वाँ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संपन्न हुआ।

- यह घोषणा कतर में "संभावना से समृद्धि तक" विषय पर आयोजित LDC5 सम्मेलन के दूसरे भाग का महत्त्वपूर्ण परिणाम है।

प्रमुख बिंदु

दोहा कार्ययोजना:

- यह दोहा कार्ययोजना (Doha Programme of Action- DPoA) को लागू करने पर केंद्रित है, जो दुनिया के 46 सबसे कमज़ोर देशों के लिये सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDG) को प्राप्त करने हेतु 10 वर्षीय योजना है।
  - न्यूयॉर्क, अमेरिका में मार्च 2022 में LDC5 सम्मेलन के पहले भाग के दौरान दशक (2022-2031) के लिये DPoA पर सहमति जताई गई थी।
- DPoA (2022-2031) के छह केंद्रीय बिंदु:
  - गरीबी उन्मूलन
  - बहुआयामी कमज़ोरियों से लड़ने और सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाना
  - जलवायु परिवर्तन से निपटना
  - पर्यावरणीय क्षरण
  - कोविड-19 से उबरना और भविष्य के जोखिमों/आपदाओं के प्रति समझ को विकसित करते हुए सतत् विकास करना।

घोषणा की आवश्यकता:

- 46 अल्प विकसित देश (LDC) कोविड-19 महामारी, जलवायु संकट, बढ़ती असमानताओं, बढ़ते कर्ज़ के बोझ और आर्थिक समस्याओं सहित कई संकटों से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
- कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उनका योगदान न्यूनतम है, परंतु वे जलवायु परिवर्तन के परिणामों से अन्य देशों की भाँति ही प्रभावित होते हैं।
- ये देश, जिनमें 33 अफ्रीकी देश शामिल हैं, आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अपर्याप्त नकदी के साथ-साथ उच्च ऋण लागत की चुनौती का सामना करते हैं।
- सतत् विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार, सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति में LDCs का प्रदर्शन सबसे खराब है।

अल्प विकसित देश (LDC) से क्या तात्पर्य है?

- LDCs संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए देशों का एक समूह है जिनका सामाजिक, आर्थिक विकास संकेतक सबसे निम्न है। इन

देशों में गरीबी का उच्च स्तर, मानव पूंजी का निम्न स्तर एवं स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच है।

- वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की LDC की सूची में 46 देश शामिल हैं।
  - अफ्रीका (33)
  - एशिया (9)
  - कैरेबियन (1): हैती
  - पेसिफिक (3): किरिबाती, सोलोमन द्वीप और तुवालु
- LDC की सूची की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में विकास नीति समिति (CDP) द्वारा की जाती है, जो स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक समूह है तथा संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) को रिपोर्ट करता है।
- सूची की त्रिवार्षिक समीक्षा के बाद, CDP, ECOSOC को अपनी रिपोर्ट में, सूची में सम्मिलित होने वाले या अल्प विकसित देशों की स्थिति में सुधार हेतु देशों की सिफारिश कर सकता है।

भारत में महिला एवं पुरुष, वर्ष 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला एवं पुरुष, वर्ष 2022 रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- **लिंगानुपात:**
  - वर्ष 2017-2019 में जन्म के समय लिंगानुपात 904 से बढ़कर वर्ष 2018-2020 में तीन अंक की वृद्धि के साथ 907 हो गया।
  - वर्ष 2011 के 943 की तुलना में वर्ष 2036 तक भारत में लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएँ) बढ़कर 952 होने की उम्मीद है।
- **श्रम बल में भागीदारी:**
  - वर्ष 2017-2018 में 15 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। हालाँकि इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएँ काफी पीछे हैं।
  - वर्ष 2021-2022 में पुरुषों के लिये यह दर 77.2 और महिलाओं के लिये 32.8 थी तथा अनेक वर्षों से इस असमानता में कोई सुधार नहीं देखा गया है।
  - कार्यस्थल पर पारिश्रमिक और अवसरों के संदर्भ में सामाजिक कारक, शैक्षिक योग्यता तथा लैंगिक असमानता इस प्रकार की समस्या के प्रमुख कारण हैं।
- **जनसंख्या वृद्धि:**
  - जनसंख्या वृद्धि, जो वर्ष 1971 के 2.2% से लेकर वर्ष 2021 में 1.1% रही पहले से ही नीचे की ओर अग्रसर है, के वर्ष 2036 में 0.58% तक गिरने का अनुमान है।
  - पूर्ण आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 1.2 बिलियन लोगों में महिला जनसंख्या 48.5% थी और वर्ष 2036 में 1.5 बिलियन लोगो में महिला जनसंख्या हिस्सेदारी (48.8%) में मामूली सुधार अपेक्षित है।

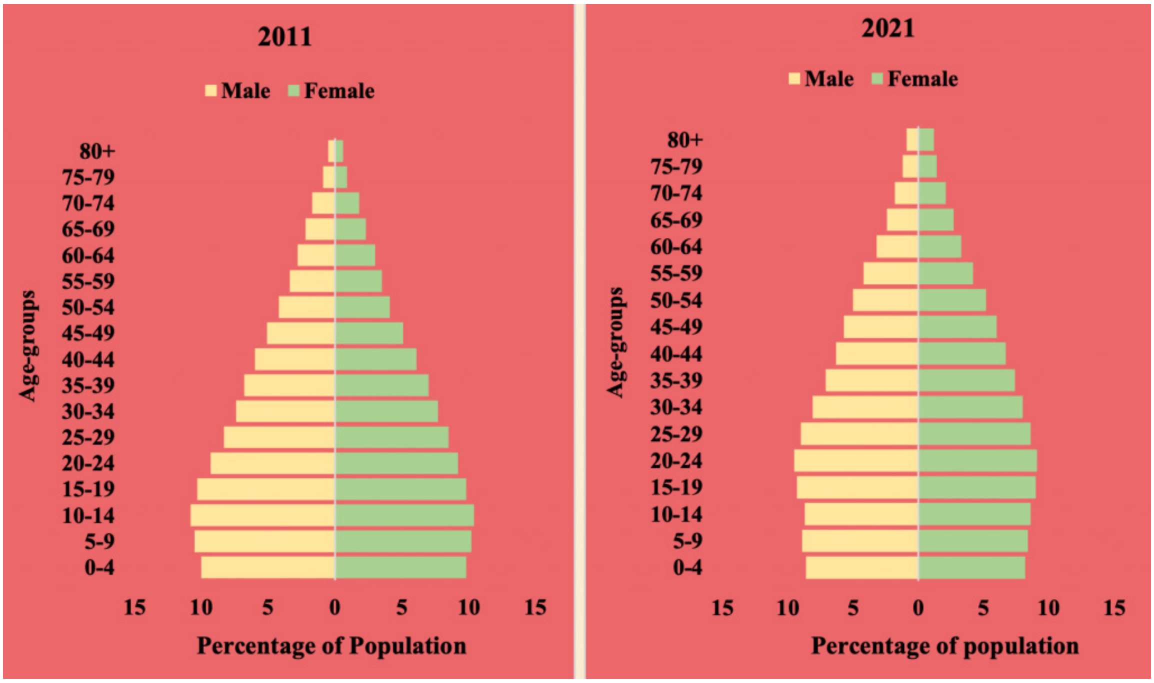

- **लिंग विन्यास के अनुसार आयु:**
  - भारत में आयु एवं लिंग संरचना के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु की आबादी में गिरावट की और वर्ष 2036 तक 60 वर्ष से अधिक की आबादी में वृद्धि होने की संभावना है।
  - इस प्रकार जनसंख्या पिरामिड एक परिवर्तन से गुज़रेगा क्योंकि वर्ष 2036 में पिरामिड का आधार छोटा हो जाएगा, जबकि मध्य का भाग बड़ा हो जाएगा।
    - किसी देश में जनसंख्या की आयु एवं लिंग संरचना विभिन्न माध्यमों से लिंग संबंधी मुद्दों को प्रभावित कर सकती है। समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाली आयु संरचना मुख्य रूप से प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के रुझानों से निर्धारित होती है।
- **स्वास्थ्य सूचना और सेवाओं तक पहुँच:**
  - संसाधनों और निर्णय लेने की शक्ति तक पहुँच का अभाव, गतिशीलता पर प्रतिबंध आदि पुरुषों तथा लड़कों की तुलना में महिलाओं व लड़कियों हेतु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सेवाओं तक पहुँच को अधिक कठिन बनाते हैं।
- **प्रजनन दर:**
  - वर्ष 2016 और 2020 के बीच 20-24 वर्ष तथा 25-29 वर्ष आयु वर्ग हेतु आयु-विशिष्ट प्रजनन दर क्रमशः 135.4 एवं 166.0 से घटकर 113.6 व 139.6 हो गई।
    - इसकी सबसे अधिक संभावना उचित शिक्षा और रोज़गार के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का परिणाम हो सकता है।
  - यह दर 35-39 आयु वर्ग हेतु वर्ष 2016 के 32.7 से बढ़कर वर्ष 2020 में 35.6 हो गया।
    - विवाह हेतु औसत आयु जो कि वर्ष 2017 में 22.1 थी, वर्ष 2020 में बढ़कर 22.7 वर्ष हो गई, जो कि मामूली सुधार है।

राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक राजनीतिक दल ने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने का आह्वान किया।

- राज्यसभा ने 9 मार्च, 2010 को महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। हालाँकि लोकसभा ने कभी भी विधेयक पर मतदान नहीं किया। इस विधेयक को समाप्त कर दिया गया क्योंकि यह अभी तक लोकसभा में लंबित था।

भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण की पृष्ठभूमि:

- राजनीति में महिलाओं के लिये आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय सामने आया। वर्ष 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तीन महिला निकायों, नेताओं- बेगम शाह नवाज़ और सरोजिनी नायडू द्वारा नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत किये गए थे।
- महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में वर्ष 1988 में सिफारिश की गई थी कि महिलाओं को पंचायत स्तर से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
  - इन सिफारिशों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के ऐतिहासिक अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया, जो सभी राज्य सरकारों को क्रमशः पंचायती राज संस्थानों एवं इसके हर स्तर पर अध्यक्ष पदों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का आदेश देती हैं। इन सीटों में एक-तिहाई सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।
  - महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 50% आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कानूनी प्रावधान किये हैं।

महिला प्रतिनिधित्व विधेयक:

- **विधेयक के बारे में:**
  - महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिये लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
  - आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से आवंटित किया जा सकता है।
  - इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।
- **आवश्यकता:**
  - ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत राजनीतिक अधिकारिता (संसद में महिलाओं का प्रतिशत और मंत्री पद) आयाम में 146 में से 48वें स्थान पर है।
    - इस रैंक के बावजूद भारत का स्कोर 0.267 है जो कि काफी कम है। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले कुछ देशों का स्कोर कहीं बेहतर है। उदाहरण के लिये आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है और बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है।

- महिलाओं का आत्म-प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय का अधिकार।
- विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों ने गाँवों में समाज के विकास और समग्र भलाई के लिये सराहनीय काम किया है तथा उनमें से कई निस्संदेह बड़े पैमाने पर काम करना चाहेंगी; हालाँकि वे भारत की राजनीतिक संरचना में विभिन्न चुनौतियों का सामना करती हैं।

- **बिल के खिलाफ तर्क:**
  - महिलाएँ कोई सजातीय समुदाय नहीं हैं, जैसे कि कोई जाति समूह। इसलिये महिलाओं के लिये जाति-आधारित आरक्षण हेतु जो तर्क दिये गए हैं, वे उचित नहीं है।
  - महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। वे दावा करते हैं कि ऐसा करने से संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। यदि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो उनका तर्क है कि महिलाएँ योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा नहीं करेंगी, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ सकती है।

विश्व एथलेटिक्स ने ट्रांसजेंडर महिलाओं पर लगाया प्रतिबंध

एथलेटिक्स के लिये शासी निकाय- विश्व एथलेटिक्स ने पौरुषीय यौवन (male puberty) से गुज़र चुकी ट्रांसजेंडर महिलाओं के कुलीन महिला प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्द्धा करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

- संबद्ध परिषद ने सेक्स डेवलपमेंट में अंतर (DSD) के माध्यम से एथलीटों के लिये प्लाज़्मा टेस्टोस्टेरोन की अधिकतम मात्रा को आधे से घटाकर 5 से 2.5 नैनोमोल प्रति लीटर करके एथलीटों पर और भी सख्त नियम लागू कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व एथलेटिक्स के अनुसार, ट्रांसजेंडर महिलाओं को शीर्ष महिला प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का निर्णय महिला वर्ग की रक्षा करने की आवश्यकता पर आधारित है।
- सख्त नियम DSD एथलीटों जैसे कि कास्टर सेमेन्या, क्रिस्टीन एमबोमा और फ्राँसिन नियोनसाबा को प्रभावित करेंगे।
  - वर्ष 2020 के ओलंपिक में सेमेन्या और नियोनसाबा दोनों को 800 मीटर की दौड़ में प्रतिबंधित कर दिया गया था, हालाँकि उन्होंने 5,000 मीटर की दौड़ में भाग लिया, जबकि क्रिस्टीन एमबोमा ने 200 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता।
- तैराकी के विश्व शासी निकाय, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भी ट्रांसजेंडर महिलाओं को, अगर उन्होंने पुरुष यौवन के किसी भी हिस्से का अनुभव किया है, कुलीन प्रतियोगिता से प्रतिबंधित कर दिया है।

यौन विकास में अंतर (DSD):

- यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक यौन विशेषताएँ विशिष्ट पुरुष या महिला विकास के साथ संरेखित नहीं होती हैं।
  - इसमें विभिन्न आनुवंशिक, हार्मोनल या शारीरिक अंतर शामिल हो सकते हैं, जिससे मध्यलिंगी या अस्पष्ट जननांग जैसी स्थितियाँ हो सकती हैं।
- एथलेटिक्स के संदर्भ में DSD एथलीटों में स्वाभाविक रूप से टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर हो सकता है, जो खेल में विवाद और नियमन का विषय रहा है।
  - उदाहरण के लिये DSD एथलीटों के पास पुरुष वृषण होते हैं किंतु वे पर्याप्त मात्रा में हार्मोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) का उत्पादन नहीं करते हैं जो पुरुष बाह्य जननांग के गठन के लिये आवश्यक है।

नमस्ते (NAMASTE) योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2023-2024 में यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem- NAMASTE) के लिये लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, साथ ही सरकार सभी शहरों एवं कस्बों में सेप्टिक टैंक तथा सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है।

- इस योजना को देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULB) तक विस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नमस्ते योजना:

- **परिचय:**
  - इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
  - यह योजना आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs and the Ministry of Social Justice & Empowerment- MoSJE) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जा रही है, इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है।

- **उद्देश्य:**
  - भारत में स्वच्छता/सफाई संबंधी कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना।
  - स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा कराना।
  - कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए।
  - स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups- SHG) में शामिल करना और स्वच्छता उद्यमों को चलाने हेतु सशक्त बनाना।
  - सुरक्षित स्वच्छता कार्य के प्रवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तरों पर पर्यवेक्षी तथा निगरानी प्रणाली को मज़बूत करना।
  - स्वच्छता सेवा चाहने वालों (व्यक्तियों और संस्थानों) को पंजीकृत और कुशल स्वच्छता श्रमिकों से सेवाएँ लेने हेतु जागरूकता बढ़ाना।

ULB में लागू की जाने वाली योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- पहचान: NAMASTE में सीवर/सेप्टिक टैंक वर्कर्स (SSWs) की पहचान करने की परिकल्पना की गई है।
- SSW को व्यावसायिक प्रशिक्षण और PPE किट प्रदान करना।
- स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों (Sanitation Response Units- SRU) को सुरक्षा उपकरणों हेतु सहायता।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana- AB-PMJAY) के तहत चिह्नित SSW और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करना।
- आजीविका सहायता: कार्ययोजना स्वच्छता से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु सफाई कर्मचारियों को वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी (पूंजी+ब्याज) प्रदान करके मशीनीकरण तथा उद्यम विकास को बढ़ावा देगी।
- सूचना शिक्षा और संचार (Information Education and Communication- IEC) अभियान: नमस्ते योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु ULB और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation- NSKFDC) द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक अभियान चलाए जाएंगे।

मातृ मृत्यु दर प्रवृत्ति: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र (UN) की नई रिपोर्ट "मातृ मृत्यु दर प्रवृत्ति (Trends in Maternal Mortality)" के अनुसार,वर्ष 2020 में दर्ज अनुमानित 287,000 मातृ मृत्यु की घटनाओं में से 70% उप-सहारा अफ्रीका में हुईं।

- उप-सहारा अफ्रीका में मातृ मृत्यु दर (MMR) प्रति लाख जीवित जन्म पर 545 मौतों के खतरनाक उच्च स्तर पर थी, जो वैश्विक औसत 223 से कई गुना अधिक थी।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **सांख्यिकी:**
  - हर दो मिनट में गर्भावस्था या प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु हो जाती है, जो हाल के वर्षों में महिलाओं के स्वास्थ्य की खतरनाक स्थिति का खुलासा करती है, क्योंकि विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में मातृ मृत्यु की घटनाएँ या तो बढ़ी या स्थिर रही हैं।
  - वर्ष 2020 में जब संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य (SDG) लागू हुए थे उस समय विश्व भर में अनुमानत: 287,000 मातृ मृत्यु की घटनाएँ देखी गईं, जो वर्ष 2016 के 309,000 से थोड़ी कम हैं।
  - हालाँकि वर्ष 2000 और 2015 के मध्य मातृ मृत्यु के आँकड़े को कम करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, इसके बाद प्रगति काफी हद तक स्थित रही या कुछ मामलों में विपरीत भी देखी गई है।
- **मातृ मृत्यु अनुपात:**
  - वर्ष 2020 में कुल मातृ मृत्यु की लगभग 70% घटनाएँ उप-सहारा अफ्रीका में देखी गईं।
  - उच्च या अति उच्च MMR वाले विश्व के शीर्ष तीन उप-क्षेत्र उप-सहारा अफ्रीका में पाए गए।
    - यह पश्चिमी अफ्रीका में 754 मध्य अफ्रीका में 539 और पूर्वी अफ्रीका में 351 देखी गईं।
    - देश के स्तर पर दक्षिण सूडान (1,223), चाड (1,063) और नाइजीरिया (1,047) में एक समान प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें बहुत अधिक यानी 1,000 से अधिक MMR दर्ज किया गया।
  - वर्ष 2020 में लगभग 82,000 मातृ मृत्यु के आँकड़े के साथ नाइजीरिया में महामारी वर्ष में कुल अनुमानित वैश्विक मातृ मृत्यु की लगभग एक-चौथाई (28.5%) घटनाएँ देखी गईं।
  - वर्ष 2000 से 2020 तक उप-सहारा अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को छोड़कर) तथा पश्चिमी एशिया, पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया में MMR में गिरावट की स्थिति स्थिर रही।
- **मातृ मृत्यु का कारण:**
  - मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण गंभीर रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, गर्भावस्था से संबंधित संक्रमण, असुरक्षित गर्भपात की वजह से

जटिलताएँ तथा अंतर्निहित स्थितियाँ हैं, जो गर्भावस्था (जैसे HIV/एड्स और मलेरिया) में क्षति पहुँचा सकती हैं।

- विश्व स्तर पर 1,878 HIV से संबंधित अप्रत्यक्ष मातृ मृत्यु की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें से 1,738 (लगभग 92.5%) उप-सहारा अफ्रीका में हुईं।

- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अंतर:**
  - मोटे तौर पर एक-तिहाई महिलाएँ अनुशंसित आठ प्रसवपूर्व जाँचों में से चार भी नहीं करा पाती हैं या फिर उन्हें आवश्यक प्रसवोत्तर देखभाल की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। साथ ही लगभग 270 मिलियन महिलाओं की आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुँच नहीं है।
- **जोखिम:**
  - आय, शिक्षा, नस्ल अथवा जातीयता से संबंधित असमानताएँ आवश्यक मातृत्व देखभाल तक सीमित पहुँच के साथ निम्नावस्था में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिये जोखिम को और बढ़ा देती हैं, इनमें गर्भावस्था में अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करने की सबसे अधिक संभावना है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत वर्ष 2020 में 24,000 के आँकड़े के साथ मातृ मृत्यु दर के मामले में नाइजीरिया के बाद दूसरे स्थान पर था।
- हालाँकि वर्ष 2000 से 2020 के बीच भारत में MMR में कुल मिलाकर 73.5% की कमी आई है।
- वर्ष 2020 में भारत का MMR 103 पर था, 20वीं सदी के अंत में भारत 384वें स्थान पर था।
  - तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अर्जेंटीना (वर्ष 2020 में MMR 45), भूटान (60), ब्राज़ील (72), किर्गिज़स्तान (50) और फिलीपींस (78) जैसे विकासशील देशों ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।

आनुवंशिक सूचना और गोपनीयता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बच्चों की सहमति के बिना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid- DNA) टेस्ट में उनकी आनुवंशिक जानकारी को गोपनीय रखने का अधिकार है।

- यह फैसला एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर आया जिसने अपनी पत्नी पर व्यभिचारी संबंध का आरोप लगाते हुए अपने दूसरे बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि इस आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि माँ ने बच्चे को पितृत्व परीक्षण के अधीन करने से मना कर दिया।

फैसला:

- आनुवंशिक जानकारी निजी और व्यक्तिगत होती है। यह किसी व्यक्ति की प्रकृति के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- यह व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य, गोपनीयता और पहचान के बारे में सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है।
- तलाक की कार्यवाही में बच्चों को DNA परीक्षण से अपनी आनुवंशिक जानकारी की रक्षा करने का अधिकार है, क्योंकि यह गोपनीयता के उनके मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है।
- यह ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा घरेलू लड़ाई-झगड़े का केंद्र बिंदु न बने।
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, गोपनीयता, स्वायत्तता और पहचान के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।
  - यह कन्वेंशन यह स्वीकार करता है कि बच्चों सहित व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को निर्धारित करने के लिये ज़िम्मेदार होते हैं और यह भी कि दूसरों का साथ पाने के लिये संबंधों को कैसे परिभाषित करते हैं।
  - साथ ही बच्चों को केवल बच्चे होने के कारण स्वयं के भाव को प्रभावित करने और समझने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

मानव पूंजी पर कोविड-19 का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने "कोलैप्स एंड रिकवरी: हाउ कोविड-19 एरोडेड ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट टू डू" (Collapse and Recovery: How COVID-19 Eroded Human Capital and What to Do) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण बड़े पैमाने पर मानव पूंजी की क्षति हुई, जिसने मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं को प्रभावित किया।

- इसने प्रमुख विकासात्मक चरणों में युवा लोगों पर महामारी के प्रभाव को लेकर वैश्विक डेटा का विश्लेषण किया: प्रारंभिक बचपन (0-5 वर्ष), स्कूल की उम्र (6-14 वर्ष), और युवा (15-24 वर्ष)।
- नोट: मानव पूंजी में ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य शामिल हैं जिसे लोग अपने पूरे जीवन में निवेश और जमा करते हैं जिससे उन्हें

समाज के उत्पादक सदस्यों के रूप में अपनी क्षमता का एहसास करने में मदद मिलती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- **महामारी का प्रभाव:**
  - कोविड-19 ने जीवन चक्र के महत्त्वपूर्ण क्षणों में मानव पूंजी को भारी नुकसान पहुँचाया, मुख्य रूप से अविकसित तथा विकासशील देशों में बच्चों एवं युवाओं को प्रभावित किया।
  - निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।
- **स्कूली बच्चों पर प्रभाव:**
  - कई देशों में प्री-स्कूल उम्र के बच्चों ने प्रारंभिक भाषा और साक्षरता में 34% से अधिक और पूर्व-महामारी की तुलना में गणित में 29% से अधिक ने सीखने के कौशल को खो दिया है।
  - कई देशों में स्कूलों के फिर से खुलने के बाद भी प्री-स्कूल नामांकन वर्ष 2021 के अंत तक ठीक से नहीं हो पाया था; कई देशों में इसमें 10% से अधिक की गिरावट देखी गई थी।
  - महामारी के दौरान बच्चों को अधिक खाद्य असुरक्षा का भी सामना करना पड़ा।
- **स्वास्थ्य देखभाल में कमी:**
  - लाखों बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल में कमी का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रमुख रूप से टीके न ले पाना भी शामिल है।
  - उन्होंने अपने देखभाल के वातावरण में अधिक तनाव का अनुभव किया, जैसे- अनाथ, घरेलू हिंसा और खराब पोषण आदि जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय जाने में सक्षम नहीं थे जिसके कारण सामाजिक और भावनात्मक विकास कम हुआ।
- **युवा रोज़गार:**
  - महामारी से पूर्व 40 मिलियन लोग जो रोज़गार संपन्न थे, महामारी के पश्चात् वर्ष 2021 के अंत तक रोज़गार विहीन हो गए, जिससे युवा बेरोज़गारी की स्थिति और खराब हो गई। युवाओं की आय में वर्ष 2020 में 15% और वर्ष 2021 में 12% की गिरावट आई।
  - अल्प शिक्षित नए प्रतियोगियों के पास श्रम बाज़ार में अपने पहले दशक के दौरान 13% कम आय होगी।
    - ब्राज़ील, इथियोपिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम में वर्ष 2021 में कुल युवाओं में से 25% के पास न तो शिक्षा, रोज़गार और न ही प्रशिक्षण था।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (MHA), 2017 का उल्लंघन करने वाले भारत में कई मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (MHIs) की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की।

- NHRC के अनुसार, MHIs रोगियों के ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक उन्हें "अवैध रूप से" रख रहे हैं, जो न केवल अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, बल्कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के तहत दायित्वों का निर्वहन करने में सरकारों की विफलता को भी उजागर करता है, जिन्हें भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (MHA), 2017 की पृष्ठभूमि:

- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (MHA), 2017 से पूर्व, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 1987 अस्तित्त्व में था, जो मानसिक रोगियों के संस्थागतकरण को प्राथमिकता देता था और रोगी को कोई अधिकार नहीं देता था।
- अधिनियम ने न्यायिक अधिकारियों और मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को लंबे समय तक रहने हेतु प्रवेशों को प्राधिकृत करने के लिये अक्सर व्यक्ति की सूचित सहमति और इच्छाओं के विरुद्ध असंगत अधिकार प्रदान किया।
- नतीजतन, कई व्यक्तियों को भर्ती किया जाना जारी है और उनकी इच्छा के खिलाफ मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में रखा गया है।
- इसने वर्ष 1912 के औपनिवेशिक युग के भारतीय पागलपन अधिनियम के लोकाचार को मूर्त रूप दिया, जो आपराधिकता और पागलपन को जोड़ता था।
  - शरण स्थल एक ऐसा स्थान है जहाँ "असामान्य" और "अनुत्पादक" व्यवहार जो कि व्यक्ति को समाज से अलग करता था, का एक व्यक्तिगत घटना के रूप में अध्ययन किया जाता था। हस्तक्षेप का उद्देश्य अंतर्निहित कमी या "असामान्यता" को ठीक करना है, जिसके परिणामस्वरूप "स्वास्थ्य लाभ" होता है।
- वर्ष 2017 में MHA ने शरण से जुड़ी नैदानिक विरासत को समाप्त कर दिया।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (MHA) 2017:

- **परिचय:**
  - इस अधिनियम ने मानसिक बीमारी को "सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक पर्याप्त विकार के रूप में

परिभाषित किया है जो क्षमता निर्णय, वास्तविकता, जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिये व्यवहार को पहचानने की क्षमता या शराब और ड्रग्स के दुरुपयोग से जुड़ी मानसिक स्थितियों को बाधित करता है।

- यह मरीजों को उन सुविधाओं तक पहुँच का भी अधिकार प्रदान करता है जिनमें समुदाय और घर, आश्रय एवं समर्थित आवास तथा चिकित्सालय में पुनर्वास सेवाएँ भी शामिल हैं।
- यह PMI (मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति) पर शोध और न्यूरोसर्जिकल उपचार के उपयोग को नियंत्रित करता है।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत अधिकार:

- अग्रिम निर्देश का अधिकार (रोगी यह बता सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के दौरान बीमारी का इलाज कैसे किया जाए या नहीं किया जाए)।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार।
- नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार।
- समुदाय में रहने का अधिकार।
- क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार।
- निषिद्ध उपचार के तहत इलाज न करने का अधिकार।
- समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार।
- सूचना का अधिकार।
- गोपनीयता का अधिकार।
- कानूनी सहायता और शिकायत का अधिकार।

आत्महत्या करने का प्रयास अपराध नहीं:

- कोई व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, यह माना जाएगा कि वह "गंभीर तनाव से पीड़ित" है और किसी भी जाँच अथवा अभियोजन के अधीन नहीं होगा।

इस अधिनियम में केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पहल

वैश्विक पहल:

- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
- WHO की व्यापक मानसिक कार्ययोजना 2013-2020
- मानसिक स्वास्थ्य एटलस
- सतत् विकास लक्ष्य (SDG 3.4)

भारतीय पहल:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- किरण हेल्पलाइन
- मानस मोबाइल एप
- मनोदर्पण

संयुक्त राष्ट्र विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (UN) की विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार, बढ़ती उम्र के मामलों में शीर्ष पर रहते हुए दुनिया भर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या अगले तीन दशकों में दोगुनी होने की संभावना है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- वृद्ध आबादी वर्ष 2050 में 1.6 बिलियन तक पहुँच जाएगी, जो वैश्विक आबादी का 16% से अधिक है।
- उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में अगले तीन दशकों में वृद्ध लोगों की संख्या में सबसे तेज़ वृद्धि होने की उम्मीद है।
  - साथ ही यूरोप और उत्तरी अमेरिका को मिलाकर अब वृद्ध व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है।
  - यह जनसांख्यिकीय बदलाव युवा और वृद्ध देशों में वृद्धावस्था सहायता की वर्तमान व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।
- लैंगिक असमानता वृद्धावस्था में भी बनी रहती है। आर्थिक रूप से महिलाओं की औपचारिक श्रम बाज़ार भागीदारी के निचले स्तर, कम कामकाज़ी जीवन और कार्य के वर्षों के दौरान कम वेतन बाद के जीवन में अधिक आर्थिक असुरक्षा का कारण बनते हैं।

वृद्ध जनसंख्या:

परिचय:

- इससे तात्पर्य समय के साथ बढ़ रहे समाज में वृद्ध/बुज़ुर्ग व्यक्तियों के अनुपात से है।
- यह सामान्यत: जनसंख्या के अनुपात से मापा जाता है जो निर्धारित आयु से अधिक है, जैसे कि 65 वर्ष या उससे अधिक।

भारत में स्थिति:

- राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार, भारत की जनसंख्या में बुज़ुर्गों की हिस्सेदारी (जो वर्ष 2011 में 9% के करीब थी) तेज़ी से बढ़ रही है और वर्ष 2036 तक 18% तक पहुँच सकती है।
- स्वतंत्रता के बाद से भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 1940 के दशक के अंत में जो कि लगभग 32 वर्ष थी, वर्तमान में दोगुने से अधिक बढ़कर 70 वर्ष हो गई है।

- **वृद्ध जनसंख्या से संबद्ध समस्याएँ:**
  - स्वास्थ्य देखभाल की लागत: उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति में जीर्ण शारीरिक स्वास्थ्य स्थितियों की अधिक संभावना के साथ ही उन्हें अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है।
    - इससे सरकारों, बीमाकर्त्ताओं और व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि हो सकती है।
  - सामाजिक सुरक्षा असंतुलन: वृद्ध जनसंख्या सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर दबाव डाल सकती है, क्योंकि जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा कार्यशील है और तंत्र में योगदान दे रहा है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सेवानिवृत्त हो रहा है और आश्रित होकर लाभ उठा रहा है।
    - इससे कर बढ़ाने या लाभों को कम करने का दबाव बढ़ सकता है।
  - मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 30%-50% बुज़ुर्गों में ऐसे लक्षण थे जो उन्हें शक्तिहीनता, अकेलेपन के कारण उदास करते हैं।
    - अकेले रहने वाले बुज़ुर्गों में बड़ी संख्या महिलाओं की है, खासकर विधवाओं की।
  - अन्य समस्याएँ:
    - बच्चों द्वारा अपने बुज़ुर्ग माता-पिता के प्रति लापरवाही, सेवानिवृत्ति के कारण मोहभंग, शक्तिहीनता, अकेलापन, बेकारी और बुज़ुर्गों में अलगाव की भावना, पीढ़ीगत भिन्नता।
- **वृद्धावस्था जनसंख्या से संबंधित वर्तमान योजनाएँ:**
  - प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
  - वृद्ध व्यक्तियों के लिये एकीकृत कार्यक्रम
  - संपन्न परियोजना (SAMPANN Project)
  - बुज़ुर्गों के लिये 'SACRED' पोर्टल
  - Elder Line (अखिल भारतीय बुज़ुर्ग सहायता हेतु टोल फ्री नंबर)
  - मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन लिविंग के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021-2030 को अच्छे स्वास्थ्य के साथ उम्र बढ़ने अथवा जीवन जीने के दशक के रूप में घोषित किया है। यह वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तीकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

कारागार सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुफिया ब्यूरो (IB) द्वारा आयोजित पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 57वें अखिल भारतीय सम्मेलन में कारागार प्रबंधन में सुधार के लिये कारागार सुधारों का सुझाव दिया तथा अप्रचलित आपराधिक कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की।

प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें:

- उन्होंने एजेंसियों के बीच डेटा विनिमय को सुचारू बनाने के लिये राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
  - साथ ही पुलिस बलों को और अधिक संवेदनशील बनाना तथा उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करना।
- उन्होंने बायोमेट्रिक्स आदि जैसे तकनीकी समाधानों का लाभ उठाने तथा पैदल गश्त जैसे पारंपरिक पुलिसिंग तंत्र को और मज़बूत करने की आवश्यकता के बारे में बात की।
- उन्होंने उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने तथा अपनी टीमों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के लिये राज्य/ज़िला स्तरों पर DGsP/IGsP सम्मेलन के मॉडल की नकल करने एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया।

भारत में कारागार प्रशासन की स्थिति:

- **परिचय:**
  - कारागार प्रशासन आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। पिछली सदी में कैदियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव आया है।
    - दंडात्मक रवैये के साथ कारागार की पूर्व प्रणाली में जहाँ कैदियों को ज़बरन कैद किया जाता था और दंड के रूप में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता से वंचित किया जाता था, कारागार और कैदियों के प्रति सामाजिक धारणा में बदलाव आया है।
  - इसे अब एक सुधार या सुधार सुविधा के रूप में माना जाता है जो स्वयं इंगित करती है कि कैदियों को दंडित करने की तुलना में उनके सुधार पर अधिक ज़ोर दिया जाता है।
- **भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना:**
  - भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली उन सरकारी एजेंसियों से बनी है जो कानून लागू करती हैं, अपराधों पर न्याय करती हैं और आपराधिक व्यवहार में बदलाव लाकर उसे सही करती हैं।
  - इसके चार उपतंत्र हैं:
    - विधायिका (संसद)
    - प्रवर्तन (पुलिस)
    - अधिनिर्णय (न्यायालय)
    - सुधार (जेल, सामुदायिक सुविधाएँ)
- **भारत में कारावास से संबंधित मुद्दे:**
  - लंबित मामलों की संख्या: 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार, न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भारतीय अदालतों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।

- इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)- प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया के अनुसार, भारत में जेल की कुल आबादी का 67.2% ट्रायल कैदी के रूप में शामिल हैं।
- औपनिवेशिक प्रकृति और अप्रचलित कानून: भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में राष्ट्र पर शासन करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया था।
  - इस आलोक में 19वीं सदी के इन कानूनों की प्रासंगिकता 21वीं सदी में बहस का विषय बनी हुई है।
- सलाखों के पीछे अमानवीय व्यवहार: वर्षों से आलोचकों ने बार-बार जेल कर्मचारियों के उदासीन और यहाँ तक कि अमानवीय व्यवहार के बारे में शिकायत की है।
  - इसके अलावा हिरासत में बलात्कार और मौतों के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
- भीड़भाड़: भारत में कई जेलों में भीड़भाड़ है, कैदियों को रखने हेतु निर्मित कारावासों में क्षमता से अधिक कैदियों को भरा जा रहा है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2020 में यह बताया गया कि दिल्ली की तिहाड़ जेल, जिसकी क्षमता लगभग 7,000 कैदियों की है, में 15,000 से अधिक कैदी थे।
- अपर्याप्त स्टाफ: भारत में कई जेलों में कर्मचारियों की कमी है, जिससे खराब स्थिति और सुरक्षा की कमी हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2020 में यह बताया गया कि तमिलनाडु के चेन्नई में पुझल केंद्रीय कारागार में प्रत्येक 100 कैदियों के लिये केवल एक गार्ड है।
  - साथ ही कारागार अधिनियम 1894 एवं बंदी अधिनियम 1900 के अनुसार, प्रत्येक जेल में एक कल्याण अधिकारी एवं एक विधि अधिकारी होना चाहिये लेकिन इन अधिकारियों की भर्ती लंबित रहती है।

विश्व कुष्ठ रोग दिवस

चर्चा में क्यों ?

विश्व कुष्ठ रोग दिवस (World Leprosy Day) प्रतिवर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। भारत में यह प्रतिवर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के साथ मनाया जाता है।

विश्व कुष्ठ दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है ?

- विश्व कुष्ठ दिवस 2024 का विषय "बीट लेप्रोसी" है। यह विषय इस दिन के दोहरे उद्देश्यों को समाहित करता है: कुष्ठ रोग से जुड़े लांछन या कलंक (stigma) को मिटाना और रोग से प्रभावित लोगों की गरिमा को बढ़ावा देना।
- इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य कुष्ठ रोग से जुड़े लांछन या कलंक के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है।
- लोगों को यह शिक्षित करना कि कुष्ठ रोग एक विशिष्ट बैक्टीरिया के कारण होता है और इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है, यह जागरूकता अभियान का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

कुष्ठ रोग क्या है ?

- **परिचय:**
  - कुष्ठ रोग, जिसे हैनसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो "माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium lepra)" नामक बैक्टीरिया के कारण होता है।
  - यह रोग त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लैष्मिक सतहों और आँखों को प्रभावित करता है।
  - यह ज्ञात है कि कुष्ठ रोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र में होता है।
  - कुष्ठ रोग आनुवंशिक नहीं होता है, लेकिन यह अनुपचारित रूप से निकटता और लगातार संपर्क के दौरान, नाक तथा मुँह से बूंदों (droplets) के माध्यम से फैलता है।
- **वर्गीकरण:**
  - पॉसिबैसिलरी (PB) और मल्टीबैसिलरी (MB) कुष्ठ रोग के वर्गीकरण हैं।
    - PB कुष्ठ रोग में सभी स्मीयर-नकारात्मक मामले (छोटे जीवाणु भार) शामिल हैं, जबकि MB कुष्ठ रोग में सभी स्मीयर-पॉजिटिव (स्मीयर-नकारात्मक PTB की तुलना में अधिक संक्रामक) मामले शामिल हैं।
- **उपचार:**
  - कुष्ठ रोग का इलाज संभव है और शुरुआती चरणों में उपचार से दिव्यांगता को रोका जा सकता है।
    - वर्तमान में अनुशंसित उपचार आहार में तीन दवाएँ शामिल हैं: डैपसोन, रिफैम्पिन और क्लोफाज़िमिन। इस संयोजन को मल्टी-ड्रग थेरेपी (MDT) कहा जाता है।
    - MDT को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के माध्यम से वर्ष 1995 से दुनिया भर के सभी रोगियों के लिये नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है।

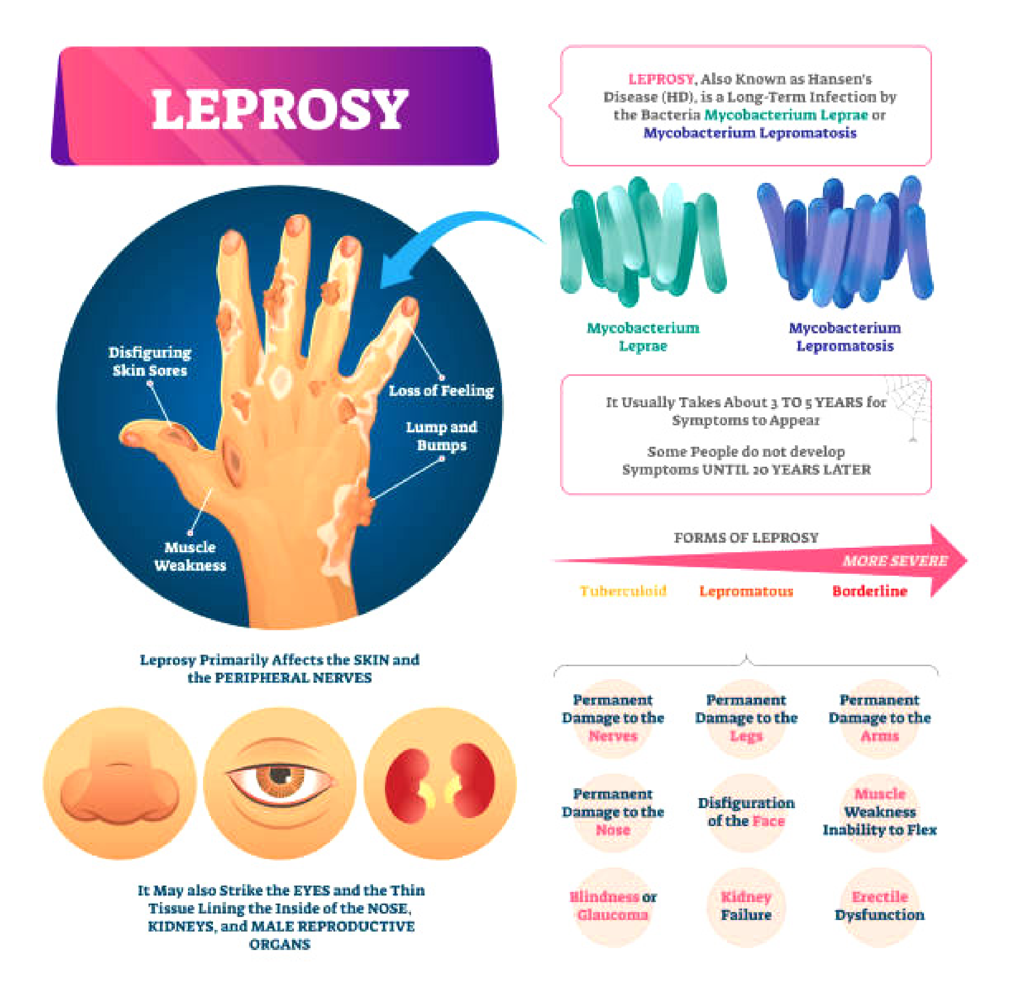

- **कुष्ठ रोग का वैश्विक बोझ:**
  - कुष्ठ रोग उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Disease- NTD) है जिससे अब भी 120 से अधिक देश प्रभावित हैं और प्रत्येक वर्ष इस रोग के 2,00,000 से अधिक नए मामले सामने आते हैं।
  - वर्ष 2022 में, 182 देशों में कुष्ठ रोग के 1.65 लाख से अधिक मामले सामने आए, जिनमें 174,087 नए मामले शामिल हैं।
  - WHO के अनुसार, कुष्ठ रोग के नए मामलों की उच्च दर वाले अधिकांश देश WHO अफ्रीकी और दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रों में हैं।
- **भारत और कुष्ठ रोग:**
  - भारत ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 मामले से भी कम WHO मानदंड के अनुसार कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
    - कुष्ठ रोग भारत के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानिक है।
  - देश में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 0.4 है।

खसरा और रूबेला

चर्चा में क्यों?

भारत ने खसरा और रूबेला (MR) को वर्ष 2023 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो विभिन्न कारणों से वर्ष 2020 की पूर्व निर्धारित समय-सीमा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका था।

- वर्ष 2019 में भारत ने वर्ष 2023 तक खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया था, यह अनुमान लगाते हुए कि वर्ष 2020 तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है।

खसरा और रूबेला:

- **खसरा :**
  - यह अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है और वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण है।
  - यह 1 सीरोटाइप वाले सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए वायरस से घिरे होने के कारण होता है। इसे पैरामाइक्सोविरिडे (Paramyxoviridae) परिवार के जीनस मोरबिलीवायरस (Morbillivirus) के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - यह आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिये विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह कुपोषित और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों पर हमला करता है।
  - यह अंधापन, इंसेफलाइटिस, दस्त, कान के संक्रमण और निमोनिया सहित गंभीर जटिलताओं का कारण हो सकता है।
- **रूबेला:**
  - इसे जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं।
  - रूबेला एक संक्रामक, आमतौर पर हल्का वायरल संक्रमण है जो अक्सर बच्चों और युवा वयस्कों में होता है।
  - यह रूबेला वायरस के कारण होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस से घिरा होता है।
  - गर्भवती महिलाओं में रूबेला संक्रमण मृत्यु या जन्मजात दोषों का कारण बन सकता है जिसे जन्मजात रूबेला सिंड्रोम (CRS) कहा जाता है जो अपरिवर्तनीय जन्म दोषों का कारण बनता है।
    - रूबेला खसरे के समान नहीं है, किंतु दोनों बीमारियों के कुछ संकेत और लक्षण समान हैं, जैसे कि लाल चकत्ते।
    - रूबेला खसरे की तुलना में एक अलग वायरस के कारण होता है और रूबेला संक्रामक या खसरा जितना गंभीर नहीं होता है।

खसरा और रूबेला का वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, खसरा वायरस विश्व के सबसे संक्रामक मानव विषाणुओं में से एक है, जिस कारण प्रतिवर्ष 1,00,000 से अधिक बच्चों की मौत होती है। रूबेला जन्म संबंधी विकार है और इसे वैक्सीन की मदद से रोका जा सकता है।
- WHO के आँकड़ों के अनुसार, पिछले दो दशकों में टीके की अनुपलब्धता के कारण हुई वैश्विक स्तर पर 30 मिलियन से अधिक मौतों को टाला जा सकता था।
- वर्ष 2010-2013 के दौरान भारत ने 14 राज्यों में 9 महीने से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये चरणबद्ध खसरा टीकाकरण का आयोजन किया, जिसमें लगभग 119 मिलियन बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- मिशन इंद्रधनुष को वर्ष 2014 में गैर-टीकाकरण आबादी के टीकाकरण करने के लिये लॉन्च किया गया था।
- भारत ने वर्ष 2017-2021 के दौरान खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिये एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को अपनाया।
  - इसी अवधि के दौरान सरकार ने रूबेला युक्त टीके (Rubella-Containing Vaccine- RCV) को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया।
- दिसंबर 2021 तक भूटान, DPR कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर-लेस्ते में खसरे को समाप्त करने की पुष्टि की गई है। मालदीव तथा श्रीलंका ने भी वर्ष 2021 में रूबेला को खत्म करने वाले देशों के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है।

खसरा और रूबेला की रोकथाम के उपाय:

- **खसरा-रूबेला टीकाकरण:** इस अभियान का लक्ष्य देश भर में लगभग 41 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करना है और यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान है।
  - 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को उनके पिछले खसरा/रूबेला टीकाकरण की स्थिति या खसरा/रूबेला रोग की स्थिति के बावजूद एक MR टीका लगाया जाता है।
- अन्य पहलों में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme- UIP), मिशन इंद्रधनुष और सघन मिशन इंद्रधनुष शामिल हैं।
- इन बीमारियों के लिये टीके खसरा-रूबेला (MR), खसरा-कण्ठमाला-रूबेला (MMR) अथवा खसरा-कण्ठमाला-रूबेला-वैरिसेला (MMRV) संयोजन के रूप में प्रदान किये जाते हैं।

लाइनमैन दिवस

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय ने नई दिल्ली में लाइनमैन दिवस (4 मार्च 2024) के चौथे संस्करण पर देश के विद्युत ऊर्जा क्षेत्र के फ्रंटलाइन श्रमिकों को श्रद्धांजलि दिया है।

- लाइनमैन दिवस देश भर में निर्बाध विद्युत वितरण सुनिश्चित करने वाले लाइनमैन और ग्राउंड मेंटेनेंस स्टाफ के समर्पण तथा सेवा के सम्मान में मनाया जाता है।
  - लाइनमैन दिवस की थीम 'सेवा, सुरक्षा, स्वाभिमान' लाइनमैन की प्रतिबद्धता, बलिदान और समाज में योगदान को रेखांकित करती है।
  - इस कार्यक्रम में सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, सुरक्षा यंत्रों और उपकरणों का प्रदर्शन एवं कार्यस्थल सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करने के लिये वीडियो स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान की गई।

- CEA का गठन निरस्त विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत किया गया है, जिसे बाद में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्राथमिक कार्यों में विद्युत प्रणालियों के विकास एवं विनियमन के लिये नीतिगत मामलों और योजनाओं पर सलाह प्रदान करना शामिल है।